अंक-8 संख्या-15
गुरुवार; 11 अप्रैल, 2002

ग्यारहवीं

राजस्थान विधान सभा

की

कार्यवाही का वृत्तान्त

(अष्टम सत्र, 2002)

राजस्थान विधान सभा सचिवालय
जयपुर

[मूल्य : 75/- रुपये

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] ग्यारहवीं विधान सभा के अष्टम सत्र का पच्चीसवां दिवस [संख्या : 15

गुरुवार;

11 अप्रैल, 2002

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री अमराराम धोद। आपको अथोराइज किया है न उन्होंने।

जिला पाली के कृषकों के क्रेडिट कार्ड का निर्धारण

372. श्री अमराराम (धोद) (श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) के स्थान पर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने के लिए बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या किसान क्रेडिट कार्ड, भूमिधारी खातेदार की स्थानीय बाजार दर के अनुसार हैसियत/भूमि की कीमत अनुसार बनाया जाता है या इसके विपरीत बैंक अपनी सुविधानुसार किसान की फसल पर किये जाने वाले खर्चे के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड बनाते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला पाली में अब तक विभिन्न बैंकों द्वारा कितने किसानों के क्रेडिट कार्ड बनाये गये हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) तहसील रायपुर के पहाड़ी क्षेत्र में पांच बीघा सिंचित भूमि के किसान का क्रेडिट कार्ड कितनी राशि का बनेगा और असिंचित भूमि के किसान का क्रेडिट कार्ड कितनी राशि का बनेगा?

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री परसादी लाल) : (1) जी हां। यह सही है कि राज्य में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सदस्य किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इस सम्बन्ध में जारी किये गये आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। किसान क्रेडिट कार्ड भूमिधारी किसान की भूमि की किस्म एवं उस भूमि पर रबी/खरीफ में जिन्स के उत्पादन पर आने वाले खर्चों के आधार पर बनाया जाता है।

(श्री परसादी लाल)

(3) पाली सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक द्वारा जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से अब तक 94,177 सदस्यों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये गये हैं।

(4) तहसील रायपुर के पहाड़ी क्षेत्र में पांच बीघा सिंचित अथवा असिंचित भूमिधारी किसान को किसान क्रेडिट कार्ड के लिए कोई निश्चित राशि निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड कितनी राशि का बनेगा, यह भूमि की किस्म के अतिरिक्त इस बात पर भी निर्भर है कि सम्बन्धित कृषक द्वारा अपनी भूमि में रबी/खरीफ में किस जिंस का उत्पादन लिया जाना है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न न केवल सहकारी विभाग से सम्बन्धित है, बल्कि केन्द्र सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड की योजना जो लागू की गयी है, उसके दिशा-निर्देश भी मांगे गए थे कृषि मंत्रीजी से और उत्तर दे रहे हैं सहकारिता मंत्रीजी। प्रश्न के भाग एक में मांगी गयी है किसान क्रेडिट कार्ड देने के लिए बैंकों को दिए गए दिशा-निर्देश की कापी और आप दे रहे हैं वह जो आपने कोआपरेटिव बैंक को दिशा-निर्देश दिये हैं। अध्यक्ष महोदय, दूसरा, सहकारी विभाग ने क्रेडिट कार्ड के नाम से जो उत्तर दिया है, किसानों को फसल के लिए किसान क्रेडिट कार्ड नहीं देकर केवल खाद-बीज का ऋण देने का जो पहले था उसी को आपने उत्तर में बताया है कि किसान क्रेडिट के नाम से है। मंत्री महोदय, उस योजना के तहत जो दिशा-निर्देश है, वह आप बताने का कष्ट करें वरना कृषि मंत्रीजी बताएं।

श्री परसादी लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा दिशा-निर्देश की कापी, दिशा-निर्देश की कापी आपको उत्तर के साथ संलग्न कर दे दी गयी है। और कोआपरेटिव बैंको के दिशा-निर्देश, हमने जो किसान सहकारी कार्ड जारी किया है उसमें जमीन की किस्म के अनुसार किसान की जो लागत आती है रबी और खरीफ की, उसके अनुसार उनकी क्रेडिट लिमिट बनायी जाती है। जैसे पहले हर साल उसकी लिमिट बनायी जाती थी, इस क्रेडिट कार्ड के देने के बाद बार-बार लिमिट बनाने की आवश्यकता नहीं है। जून में वह सारा पैसा जमा करा देता है तो उसका वह क्रेडिट कार्ड अपने आप दूसरी साल के लिए रिन्यू माना जाता है। जो दिशा-निर्देश दिए राजस्थान सरकार ने, उनके अनुसार जनवरी, 1999 में मुख्य मंत्रीजी ने किसान क्रेडिट कार्ड की यहां शुरूआत की और एक अप्रैल, 1999 से इसे राजस्थान में लागू किया गया। आज पूरे राजस्थान में सोलह लाख से भी अधिक किसानों को हमने किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। जो किसान क्रेडिट

(श्री परसादी लाल)

कार्ड लेने के इच्छुक हों उनके लिए कोआपरेटिव बैंकों के दरवाजे खोल दिये गये हैं। हमने ''सहकार आपके द्वार'' अभियान चलाकर राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़ने की कोशिश की है, जो किसान क्रेडिट कार्ड लेना चाहे उस किसान के लिए किसी भी तरह कोआपरेटिव बैंकों में कोई मनाही नहीं है। आपने कमर्शियल बैंकों के बारे में कहा, कमर्शियल बैंकों के सम्बन्ध में सहकारिता का कोई सम्बन्ध नहीं है। कमर्शियल बैंकों के लिए किसी ने लिए होंगे, उसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ही यह है, कोआपरेटिव बैंकों का नहीं है, बैंकों में किसान क्रेडिट कार्ड की योजना के लिए क्या दिशा-निर्देश हैं। आप उत्तर दे रहे हैं केवल सहकारी बैंकों के जो किसान क्रेडिट कार्ड बनाये उनका और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि चाहे नेशनलाइज बैंक हों, चाहे कमर्शियल बैंक हों, उनको जो दिशा-निर्देश किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए हैं उनके लिए। किसान क्रेडिट कार्ड सहकारी बैंकों ने जो दिया है वह केवल फसल में बीज और खाद का ऋण देते थे, उसी को आप बता रहे हैं। वे दिशा-निर्देशों जो मुख्य मंत्रीजी ने दिये हैं, आप कह रहे हैं लोकार्पण किया है, उस योजना को लागू करने के लिए दिशा-निर्देश आये हैं समेकित, वे कोआपरेटिव बैंकों के लिए भी हैं, कमर्शियल बैंकों के लिए भी हैं और नेशनलाइज बैंकों के लिए भी हैं। उनका आप बताइये कि कैसे दिशा-निर्देश हैं उनमें क्या क्राइटेरिया रखा गया है? आपने उत्तर दिया है कि जमीन की किस्म और उसमें वह फसल क्या बोएगा, उसके अनुसार खाद और बीज के लिए उसको दिया जाएगा। वे दिशा-निर्देश क्या हैं, वह आप जरा बताइये।

श्री परसादी लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जैसा कहा, कमर्शियल बैंक राज्य सरकार के अधीन नहीं हैं, हम उनको कोई दिशा-निर्देश नहीं दे सकते हैं। हमने सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक जो हमारे सहकारी बैंक हैं, उन्हीं को दिशा-निर्देश दिए हैं और उसकी कापी आपको दे दी गयी है।

श्री अमराराम (धोद) : आपके अण्डर में नहीं हैं, अध्यक्ष महोदय, लेकिन राजस्थान के किसानों को उसका क्या फायदा हुआ? यह तो सरकार की जिम्मेदारी है। क्या वे दिशा-निर्देश राज्य सरकार के पास नहीं आये हैं? कोआपरेटिव बैंकों ने किस आधार पर बनाये हैं? आपके अण्डर में नहीं हैं, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड के क्या दिशा-निर्देश हैं? ये तो राज्य सरकार के पास आये ही हैं, वे दिशा-निर्देश हम मांग रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि नेशनल बैंक और कमर्शियल बैंक आपके अण्डर में हैं, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए जो दिशा-निर्देश केन्द्र सरकार ने इस योजना के दिये हैं उनकी जानकारी चाह रहा हूं मैं तो।

श्री परसादी लाल : केन्द्र सरकार से किसी तरह के कोई दिशा-निर्देश राज्य सरकार के पास नहीं आये हैं। राजस्थान में जो किसान क्रेडिट जारी किया गया है उसकी नकल भारत सरकार ने की है, राजस्थान को दिशा-निर्देश नहीं दिये हैं। हमारे किसान क्रेडिट कार्ड जो हमने जारी किये, उसको भारत सरकार ने अपनाने के लिए दूसरे प्रदेशों की सरकारों को कहा है।

श्री अमराराम (धोद) : मंत्रीजी, मैं यह नहीं कह रहा कि नकल आपने उनकी की है या उन्होंने आपकी की है। मैं तो यह कह रहा हूं कि कमर्शियल बैंक भी राजस्थान के किसान का क्रेडिट कार्ड बना रहे हैं, नेशनलाइज बैंक भी बना रहे हैं। मैं तो यह पूछ रहा हूं कि वे दिशा-निर्देश क्या हैं क्योंकि हमारा सम्बन्ध राजस्थान के किसानों से है और राजस्थान के किसानों के साथ ये बैंक चीट कर रहे हैं। वे दिशा-निर्देश आप बताएंगे तो राजस्थान की जनता उन दिशा-निर्देशों को जाने और जो बैंक किसानों को चीट कर रहे हैं, मनमर्जी कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के नाम से लूट रहे हैं, उनसे राजस्थान का किसान नहीं लूटा जाए।

श्री खेतसिंह राठौड़ (सहकारिता मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, दूसरे बैंकों ने जो किसान कार्ड दिए हैं उनके दिशा-निर्देश हमारे पास नहीं हैं, लेकिन जो हमने दिया है वह यह किसान कार्ड है।

श्री अमराराम (धोद) : सरकार के पास ही नहीं आये हैं?

श्री खेतसिंह राठौड़ : किसान कार्ड स्कीम के अन्तर्गत कार्ड तैयार करने व उनकी प्रविष्टियां करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश दिये हुए हैं। समिति द्वारा सदस्य किसान कार्ड तीन रुपये मूल्य पर उपलब्ध कराया जाएगा। किसान कार्ड के गुम हो जाने पर डुप्लीकेट किसान कार्ड तीन रुपये में और मिल सकेगा। इस प्रकार से कुल मिलाकर इक्कीस दिशा-निर्देश हमने दिए हैं, उसकी कापी आपको दूंगा। पढ़ने पर आपको सैटिस्फेक्शन हो जाएगा।

श्री अमराराम (धोद) : आपके तो यह है कि आप केवल बीज और खाद का ऋण देते थे उसी को किसान कार्ड कह रहे हैं। उससे अलग सुविधा क्या मिली है? अध्यक्ष महोदय, जो कोआपरेटिव बैंक बीज और खाद के लिए लोन देता था उसी को आपने ये दिशा-निर्देश दिये हैं। उसमें यही है कि उसी को आप...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको पूरा आन्सर मिल गया है। आपने कुल मिलाकर करीब छह सप्लीमेंट्री तो पूछ लिए हैं, एक और पूछ लीजिए।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना ही मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि यह जो आपने सहकारी बैंक के दिशा-निर्देश की कापी मुझे उपलब्ध करायी है, इस क्रेडिट कार्ड से पहले राजस्थान के किसान को फसल बोने के लिए खाद और बीज का लोन देते थे उसी को आपने किसान कार्ड का नाम देकर ये दिशा-निर्देश दिए हैं।

(श्री अमराराम)

इसके अलावा आप तो यह बता दीजिए कि इससे पहले खाद और बीज के लिए उस किसान को कितना ऋण सहकारी बैंक से मिलता था, और किसान कार्ड के बाद उसमें बढ़ोतरी हुई है या उतना ही है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह जमीन की किस्म के ऊपर निर्भर करता है।

श्री अमराराम (धोद) : पहले कितना देते थे और इसके बाद कितना बढ़ गया है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : पहले आपके जितनी जमीन थी उसका हमने बाकायदा यह देखा है कि रबी में कितनी फसल बोते हैं, खरीफ में कितनी बोते हैं, टोटल जमीन आपकी कितनी है और उसकी किस्म कैसी है। उसके आधार पर उसको निर्धारित किया जाता था कि टोटल इस किसान को इतना रुपया कर्ज पर दिया जा सकता है। उस हिसाब से खाद बीज भी लो, पाइप लाइन भी लगाओ और भी काम में लो, आपको मना कौन करता है?

श्री अमराराम (धोद) : आपने लिखा है खाद और बीज, दिशा-निर्देश पढ़िये। अध्यक्ष महोदय, मेरा साफ यह है कि जितनी जमीन है, किस्म है, वह फसल बोता है इस दिशा-निर्देश जारी होने से पहले उस किसान को मिलता था। इस किसान कार्ड से उसको सुविधा बढ़ी है या उतनी है? यह बता दीजिए आप साफ। किस्म क्या है, बो क्या रहा है, मैं यह पूछ ही नहीं रहा।

श्री परसादी लाल : अध्यक्ष महोदय, पहले वाले में और अब में फर्क है, किसान क्रेडिट कार्ड के बाद वे किसान जिनकी छह एकड़ से अधिक भूमि है, किसान ज्योति कार्ड जो बनता है उससे पांच लाख तक की लिमिट हम उनकी निर्धारित करते हैं। छोटे जो किसान हैं जिनके पास चार एकड़ तक जमीन है, उनको हम एक लाख तक की क्रेडिट लिमिट जारी करते हैं। पहले यह सुविधा राजस्थान में कोआपरेटिव बैंकों में नहीं थी, इस किसान क्रेडिट कार्ड के बाद यह नयी सुविधा दी है। उसमें किसान अपनी जैसे पांच लाख की कृषक ज्योति में लिमिट लेगा, उसका उपयोग दूसरे कामकाज-कुआं बनाना, पढ़ाई-लिखाई, हारी-बीमारी, अपने शादी-विवाह के लिए भी कर सकेगा, जो अब किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। जो किसान कृषक ज्योति में या कृषक मित्र योजना में कार्ड लेना चाहे उन किसानों के लिए लिमिट दी है, उनको वे समय-समय पर चुकाते रहेंगे। पहले किसानों को जहां केवल फसल के लिए मिलता था अब गैर फसल कार्यों के लिए भी किसानों को ऋण किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए जारी करना शुरू कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गा प्रसादजी।

श्री दुर्गा प्रसाद (गंगापुर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे मंत्री महोदय ने कहा कि केन्द्रीय सहकारी बैंक को हमने दिशा-निर्देश दिए हैं, जबकि हकीकत यह

(श्री दुर्गा प्रसाद)

है कि नेशनलाइज बैंक भी किसानों को क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, और दिशा निर्देश आप कह रहे हैं कि हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। बड़े दुःख की बात है कि राज्य सरकार को दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। हकीकत यह है कि स्टेट बैंक ने किसान कार्ड इश्यू किये हैं और वे मनमानी करते हैं। दुःख तो इस बात का है कि क्रेडिट कार्ड इश्यू करने में बैंक के कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त है और वे किसानों को बहुत चक्कर लगवाते हैं। मैं अपने ऊपर बीती हुई बात कह रहा हूं, एक किसान ने मेरे पास आकर कहा। मैंने स्टेट बैंक जो गंगापुर में है, उसके मैनेजर से कहा कि इसकी भूमि का आकलन करके आप क्रेडिट कार्ड इश्यू करिये। बड़ी भारी दिक्कत के बाद, परस्यू करने के बाद उसे क्रेडिट कार्ड इश्यू किया गया। भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण परसुएशन करना पड़ा।

हकीकत तो यह है कि दिशा–निर्देश हम लोगों को दिए जाने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सहकारी बैंक को जो दिशा–निर्देश आपने इश्यू किए हैं वे भी और जो सैंट्रल गवर्नमैंट ने विभिन्न नेशनलाइज बैंकों के लिए इश्यू किए हैं वे आपको प्राप्त करने चाहिए और सम्बन्धित जो एम.एल.एज. हैं उनको दिशा–निर्देश दिए जाने चाहिए ताकि भ्रष्टाचार किसी हद तक कम हो, यह मेरा निवेदन है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जिस पर्टीकुलर केस के लिए माननीय सदस्य ने कहा है उनका नाम, उनका पता, उनके साथ क्या हुआ वह सब आप मुझे लिखित में दें तो उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री दुर्गा प्रसाद : ठीक है, वह तो पर्टीकुलर केस हुआ, बड़े परसुएशन के बाद उसे क्रेडिट कार्ड मिल गया। परन्तु आने वाले दिनों में और लोग भी क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, जो इस क्रेडिट कार्ड से वंचित हैं। मैं तो आज इस सदन को यह बताना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत कि किसान को यदि क्रेडिट कार्ड मिलेगा तो शादी–ब्याह के लिए, मकान बनवाने के लिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए उसे क्रेडिट कार्ड के आधार पर लोन मिल सकेगा। तो यह बहुत अहम मसला है, मेरा निवेदन है कि इसे आप सीरियसली लें। मैं आलोचना में नहीं पड़ना चाहता, मैं तो कहना चाहता हूं कि किसानों को सुविधा मिलनी चाहिए और सुविधा जब ही मिलेगी जब सरकार भी सक्रिय होगी, यह मेरा निवेदन है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम तो इसी में लगे हुए हैं। सोलह लाख बांट चुके हैं, बाकी और बांट रहे हैं। जल्दी से जल्दी बांट देंगे। (व्यवधान)

श्री दुर्गा प्रसाद : आप लगे हुए होते तो दिशा-निर्देश जो केन्द्र सरकार ने इश्यू किए हैं, वे आपको प्राप्त होते, आप इन दिशा-निर्देशों को सभी मंत्रियों को और एम.एल.एज. को इश्यू करते। यह नहीं हुआ है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : सरकार को यही पता नहीं है। वह योजना पूरे भारत में लागू हुई है, उसके दिशा-निर्देश राजस्थान की सरकार के पास आए नहीं हों? सरकार उनको नहीं बताना चाह कर, इस हाउस में नहीं बता कर, किसान जनता को नहीं बता कर किसान विरोधी कार्य कर रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल पूनिया। आप बीच में नहीं, आप पूछ चुके हो। सात सप्लीमैंट्री पूछे हैं आपने।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपने जो भूमि की कीमत निर्धारित की है, उसके निर्धारित करने के बाद आप किसान को कितना प्रतिशत लोन देते हो?

श्री परसादीलाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा, भूमि की किस्म के ऊपर निर्भर करता है कि उस जमीन पर फसल की लागत एक बीघा में कितनी आएगी। खरीफ में, रबी में अलग-अलग आती है, गेहूं में, जौ में, सरसों में अलग-अलग लागत आती है, हर जिले की अलग-अलग तरह से है। इस तरह से वहां पर भूमि की निर्धारित फसल के अनुसार लोन देने का प्रावधान है।

कहीं से कोई बैंकों में आज तक भी शिकायत नहीं आयी कि मुझे किसान क्रेडिट कार्ड नहीं मिला। इसलिए आप जो कमर्शियल बैंक की बात कर रहे हैं, जब हमने सारे दरवाजे खोल रखे हैं, किसान को हर चीज का लोन दे रहे हैं कोआपरेटिव बैंकों से, तो फिर कमर्शियल बैंकों के पास जाने की कहां आवश्यकता पड़ती है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं किस्म की, तो हमने अलग-अलग जिलों में अलग-अलग गांव में...(व्यवधान) लागत है खरीफ फसल की इसलिए उसके अनुसार हम दे रहे हैं।

श्री नन्दलाल पूनिया : मंत्री महोदय, मैंने आपसे पूछा था कि जमीन की कीमत का कितना प्रतिशत तक देते हो?

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें छोटा-सा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, पहले वह पूछ रहे हैं क्वेश्चन। छोटा और बड़ा निवेदन तो सब निवेदन होता है।

श्री परसादी लाल : किसान मित्र ज्योति योजना में जमीन की जो कीमत है उसका पचास प्रतिशत तक या पांच लाख रुपए तक का हम किसान क्रेडिट कार्ड बनाते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री संजीव कुमार।

श्री संजीव कुमार (भादरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी पर्टीकुलर सप्लीमैंट्री सवाल के जवाब में माननीय मंत्रीजी ने गंगापुरसिटी का कहा कि हम जांच करवाएंगे। माननीय अध्यक्षजी, यह सही है कि जितने

(श्री संजीव कुमार)

भी कमर्शियल बैंक और राष्ट्रीय बैंक हैं, ये किसान कार्ड बनाने में किसानों के साथ मनमानीपूर्ण व्यवहार करते हैं। यह बिलकुल सही है, किसानों के साथ ये बैंक मनमानीपूर्ण व्यवहार करते हैं और बड़े पैमाने पर इसमें भ्रष्टाचार करते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को पूछना चाहूंगा कि पर्टीकुलर गंगापुरसिटी के लिए नहीं, आप तो पूरे राजस्थान में इस तरह की जांच करवाएंगे क्या या कोई ऐसे दिशा-निर्देश इन लोगों को देंगे, यह बताने की कृपा करें?

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने कहा है उसका हम वापस से दिशा-निर्देश और दे देंगे, लेकिन हम आपसे यह चाहेंगे कि जब भी इस प्रकार के कोई प्रश्न हों और आप पर्टीकुलरली दो-चार नाम या कस्बे का नाम या गांव का नाम बता देते हैं तो तुरन्त जांच करवा ली जाएगी। (व्यवधान)

श्री नारायण सिंह : कमर्शियल बैंकों के लिए...

श्री खेतसिंह राठौड़ : कमर्शियल बैंक्स के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। वह गवर्नमेंट आफ इण्डिया कर रही है।

श्री श्रवण कुमार : माननीय मंत्रीजी, मैं तो एक ही निवेदन करता हूं कि आप तो सहकारी बैंकों को ही गाइड लाइन्स दे दो कि कोई भ्रष्टाचार न करें।

श्री अध्यक्ष : श्री बृजेन्द्र सिंह। कल्लाजी, बैठिए।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारिता बैंक के दिशा-निर्देश तो बिलकुल स्पष्ट हैं और उनसे संतुष्ट भी हैं परन्तु कमर्शियल बैंक और नेशनलाइज बैंक जिनको राजस्थान सरकार लाइसेंस देती है खोलने का, उसको दिशा निर्देश अवश्य देने चाहिए क्योंकि किसान हमेशा चक्कर लगाते हैं और उनको किसान क्रेडिट कार्ड नहीं मिलते हैं। (व्यवधान) नहीं अण्डर में नहीं हैं, इसका क्या मतलब है? दिशा-निर्देश दे सकते हैं। उनसे आप कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते? क्या सरकार उनको दिशा-निर्देश देने के लिए कोई योजना बना रही है?

श्री हीरालाल विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, नेशनलाइज बैंक को आप...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इनका उत्तर आने दीजिए।

श्री हीरालाल विश्नोई : मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार रिजर्व बैंक को भी लिख सकती है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को भी लिख सकते हैं, नेशनलाइज बैंक को क्यों नहीं लिख सकते? यह लिख तो सकती ही है राज्य सरकार।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, यह कहना कि कमर्शियल बैंक्स में इंटरवीन नहीं कर सकते, ठीक नहीं है, क्योंकि जिला स्तरीय एल.डी.ओज. के अन्तर्गत मीटिंग्स होती हैं और क्रेडिट कार्ड के बारे में उनसे कहा जाता है, वे फिगर्स देते

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

हैं। जिला कलक्टर के माध्यम से सारे कमर्शियल बैंक और नेशनलाइज बैंक बाध्य हैं कि वे किसानों को क्रेडिट कार्ड दें। उसकी समीक्षा त्रैमासिक, मंथली होती है। सरकार से जो प्रश्न पूछा, वह सभी बैंकों का पूछा है, विभिन्न बैंक्स का पूछा है, कोआपरेटिव बैंक का नहीं पूछा गया। इसलिये मेरा मानना है कि सरकार कंट्रोल कर सकती है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन सिर्फ सहकारी विभाग से ताल्लुक का था, सारे बैंक्स की जिम्मेवारी हम नहीं ले सकते। वे गवर्नमेंट आफ इण्डिया, रिजर्व बैंक और फाइनेंस मिनिस्टरी से ताल्लुक रखते हैं। फिर भी आपने जो फरमाया उसके माफिक हम अजीत सिंहजी, एग्रीकल्चर मिनिस्टर को एक लैटर लिखेंगे और उनसे यह निवेदन करेंगे कि आप ऐसी कोई गाइड लाइन दीजिये कमर्शियल बैंक्स में कि वहां पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, टाइम पर उनको नहीं दिया जा रहा है, उसके ऊपर वह कार्यवाही करें। यह हम उनसे पत्र व्यवहार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने उत्तर दिया कि कमर्शियल बैंक्स पर हमारा नियंत्रण नहीं है, यह बात गलत है। जो दूसरी स्कीम्स राज्य सरकार चला रही है जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, बीस सूत्री प्रोग्राम है, उनके कोआर्डिनेशन के लिये पंचायत समिति जिला लेवल और स्टेट लेवल तक कमेटीज बनी हुई हैं, उसमें सारे कमर्शियल बैंक्स शामिल हैं। उसी में यह किसान क्रेडिट वाला एक आइटम और जोड़ सकते हैं, यह नियंत्रण कर सकते हैं। यह नियंत्रण नहीं करने वाली बात सरासर गलत है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वे लीड बैंक हैं हरेक जिले के और उसमें वे डील करते हैं। बाकी जो ताल्लुक है वह विकास डिपार्टमेंट का है। कोआपरेटिव बैंक की तो कोई इस प्रकार की मीटिंग नहीं होती जिसके अन्दर हम उनको आमंत्रित करें और चर्चा करें। ऐसा हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालालजी विश्नोई। (व्यवधान) माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल था जो बुरड़क साहब ने कहा है, यह भारत सरकार को लिख सकते हैं, रिजर्व बैंक को लिख सकते हैं। जिला लेवल पर जो भी मीटिंग्स होती हैं उसमें सरकार उनको पाबन्द कर सकती है। ऐसा नहीं है कि सरकार पाबन्द नहीं कर सकती। जिला कलक्टर राज्य सरकार का प्रतिनिधि होता है और जिला कलक्टर उन सभी नेशनलाइज बैंक्स की मीटिंग लेता है। मंथली मीटिंग लेते हैं। फिर उसमें उनको पाबन्द क्यों नहीं कर सकती यह सरकार?

श्री अध्यक्ष : श्री रामलालजी।

श्री रामलाल जाट (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी जो बात बतायी, किसान क्रेडिट कार्ड की परम्परा बहुत ही अच्छी इन्होंने चालू की है, मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। यह कमर्शियल बैंक की बात कर रहे हैं, जबकि इनके अधीन जो बैंक हैं उनके कोई प्रमाण की ही आवश्यकता नहीं है, मैं बता सकता हूं। मैंने भीलवाड़ा के लिये आपसे निवेदन भी किया था कि एम.डी. भूमि विकास बैंक और कोआपरेटिव को चेंज करो, सरेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। रायपुर का एक ब्लाक अध्यक्ष है उससे दो हजार रुपये ले लिये लोन के लिये।

अभी ट्रैक्टर्स की फाइल आती है उसमें हमें खुद को फोन करना पड़ता है। एक ट्रैक्टर की फाइल पर सात हजार रुपये लेते हैं। उनको कहते हैं तो कहते हैं कि हमें ऊपर देना पड़ता है। मंत्रीजी मीठी गोली बड़ी अच्छी देते हैं जब भी कहते हैं तो। यह बात बिलकुल कम्प्लीट है, बाकी कोआपरेटिव में भीलवाड़ा में दोनों बैंक हैं, आप उनकी जांच करवा लीजिये। मैंने बीसियों ट्रैक्टर वालों के लिये फोन किया है, पर फाइल पर वे सात हजार रुपये रिश्वत के लेते हैं। उनको कहते हैं तो कहते हैं कि हमें ऊपर देना पड़ता है। हमने बीस बार कह दिया लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। इस सम्बन्ध में आप कोई कार्यवाही करेंगे, मंत्रीजी? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इनका भी जवाब दे दीजिये। श्री श्रवण कुमार।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि दूसरे बैंकों की बात तब करेंगे जब अपना घर का द्वंद्व ठीक हो जाए। जब भूमि विकास बैंक और केन्द्रीय बैंकों में, सहकारी बैंकों में सीधे सरेआम भ्रष्टाचार है उसके बाद दूसरे बैंकों की तरफ क्यों निगाह उठा रहे हो?

शेखावाटी ग्रामीण बैंक के अन्दर जो भैंसों की ऊंट गाड़ियों की परचेजिंग है, सरेआम सूरजगढ़ पंचायत समिति में हो रहा है। दस बार मैंने लिख कर दे दिया, कलक्टर साहब को लिख कर दे दिया। उनका चेयरमैन पड़ता है सीकर, दो साल से लगातार लिख कर दे रहा हूं, आज तक टस से मस नहीं हुआ। मैनेजर ने क्या कहा? कि ऊपर दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयीजी से बात करनी है तो कर लो। इतना गिरा हुआ काम मैंने देखा नहीं। उसकी चर्चा तब करें जब कोई मामला आगे बढ़े। शेखावाटी ग्रामीण बैंक में ऊंट, भैंस परचेजिंग में सरेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, यह भूमि विकास बैंक की बात कर रहा हूं। फव्वारों, ट्रैक्टरों में परसेंटेज बंधी हुई है दलालों के माध्यम से। यह चर्चा तब करें जब इसका कोई निवारण हो। निवारण हो ही नहीं सकता है इसलिये चर्चा करना सदन में शायद बंद कर देना चाहिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब जुड़ा हुआ है। 25 मिनट हो गये हैं इस क्वेश्चन पर और आपने दे दिया है। नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, काश्तकार भूमि विकास बैंक, कोआपरेटिव बैंक से कोई भी लोन लेने के लिये जाते हैं, भैंस का बेचने वाला और लेने वाला है, फर्जी कार्यवाही होती है, भैंस मरती है किसी गोमा की और फर्जी सर्टिफिकेट बनता है पाता का। सरकार को करोड़ों रुपयों का इसमें चूना लगाते हैं और बीमा का भुगतान करते हैं। डाक्टर उनको सर्टिफिकेट बिलकुल फर्जी जिंदी भैंस का मरी हुई भैंस के नाम से देकर राज्य सरकार को अरबों रुपयों का, करोड़ों रुपयों का घाटा लगाते हैं। यह रामलालजी ने सही कहा, एक-एक ट्रैक्टर के पीछे 5-5, 7-7, 10-10,000 रुपये लोन लेने में किसान को रिश्वत देनी पड़ती है भूमि विकास बैंक और कोआपरेटिव बैंक को।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, वह लिस्ट है, गुलाबपुरा और झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्य हमको इस प्रकार अगर सूचियां दे दें कि इन-इन लोगों से इस-इस प्रकार से पैसा लिया है, निश्चित तौर पर इसमें कार्यवाही करेंगे। उनको सस्पैंड करेंगे, उनकी इंक्वायरीज होंगी। आप कोई जनरल चार्ज लगाएं तो जनरल चार्ज के बारे में यहां कार्यवाही नहीं हो सकती। आपको पर्टीकुलर नाम देने पड़ेंगे। उस बैंक के आफिसर का नाम भी लेना पड़ेगा तभी जाकर कार्यवाही हो सकती है, अन्यथा कार्यवाही नहीं हो सकती।

श्री रतनाराम चौधरी : पर्टीकुलर नाम भी देते हैं पर जांच भी वही विभाग करते हैं और लीपापोती करके शिकायतकर्ता को दबाकर वापस उसकी जांच रफा-दफा कर देते हैं। जांच ऐसी जगह से करानी चाहिये ऐसे अधिकारी से करानी चाहिये, जो कोआपरेटिव बैंक और भूमि विकास बैंक से सम्बन्धित नहीं हो।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। बैठिये।

श्री रतनाराम चौधरी : वही तो लोन देने वाला, वही...

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये। विराजिये आप। नैक्स्ट क्वेश्चन।

राज्य की खनिज नीति में परिवर्तन

373. श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में खनिज नीति एवं अलग-अलग खनिजों के लिये कोई नीति एवं नियम घोषित किये गये हैं? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में नये-नये खनिज क्षेत्रों की खोज एवं सर्वेक्षण गत 3 वर्षों में कहां-कहां किये गये व क्या-क्या, कहां-कहां पर खनिज होना चिन्हित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वर्तमान में नये-नये खनिज क्षेत्रों में प्रचुर खनिज सम्पदा पाया जाना सम्भावित है? यदि हां, तो राज्य सरकार उक्त बारे में क्या कार्यवाही कर रही है?

(श्री रतन लाल ताम्बी)

(4) क्या इससे राज्य की आय में बढ़ोतरी एवं बेरोजगारी दूर हो सकेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, खनिज (श्री हीरालाल इन्दौरा) : (1) राज्य सरकार द्वारा खनिज नीति तथा कुछ खनिजों के लिये पृथक नीतियां घोषित की गयी हैं जिनकी प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) पिछले 3 वर्षों में विभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षण एवं चिन्हित किये गये खनिजों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जी हां। विभाग द्वारा खोजे गये लिग्नाइट, सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन, मार्बल, स्लेटस्टोन, परतदार लाइमस्टोन, ग्रेनाइट इत्यादि खनिजों के खनन पट्टों के आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु समय-समय पर अधिसूचनाएं जारी की गयी हैं एवं कुछ नये क्षेत्रों को अधिसूचित करने की कार्यवाही विचाराधीन है।

(4) जी हां। खनिजों के नये पट्टे आबंटित होने से रायल्टी, रैंट, टैक्स आदि के रूप में आय की वृद्धि होगी तथा रोजगार भी उपलब्ध होगा। आय में वृद्धि तथा बेरोजगारी में कमी का आकलन सम्भव नहीं है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रतन लाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा खनिज नीति तथा कुछ खनिजों के बारे में आपने बताया, इसकी प्रति मुझे देखने को मिली। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने खनिज एवं ग्रेनाइट की जो नीति प्रकाशित की है, 1 और 2 मार्च के गजट में आपने इसमें बताया है, सारे सदन के माननीय सदस्य यहां बिराजमान हैं, वह आज तक किसी सदस्य को नहीं मिली। दो दिन बाद ही सारी की सारी जगह सप्लाई हो गया। इस नयी नीति की सर्वसाधारण को जानकारी मिली नहीं। ऐसा लगता है कि विभाग के लोग मिल-जुल गये, पालिसी बनाकर कुछ लोगों से जोड़ कर लिया और फटाफट एप्लीकेशन लग गयी। बाकी पब्लिक को मालूम नहीं पड़ा। मैं समझता हूं यह तरीका बिलकुल ठीक नहीं है। इस तरह की नीतियां सार्वजनिक तौर से घोषित होनी चाहिये। गजट में जब आप एक और दो मार्च की बात करते हो, माननीय सदस्यों को आज तक नहीं मिली, एक तो मेरा यह निवेदन है।

दूसरा निवेदन है कि जो आपने क्षेत्र चिन्हित किये उनमें पैट्रोलियम, यूरेनियम, केमिकल, गवर्नमेंट आफ इण्डिया के जी.एस.आई. से भी हैं। उनकी सूचनाएं आपके यहां निरन्तर उपलब्ध होती हैं, वह आपने इसमें कहीं वर्णित नहीं किया।

तीसरा मेरा यह है, आप नोट कर रहे होंगे शायद कि 40-45 साल पहले से जी.एस.आई. ने कई एरिया राजस्थान में रिजर्व कर रखें हैं। रिजर्व करने के बाद वे भी खनन कहीं करते नहीं है और उस एरिया में अन्य कई खनिज पदार्थ हैं, उनके लिए

(श्री रतन लाल ताम्बी)

आप लोगों को लाइसेंस नहीं देंगे। एप्लीकेशन देते हैं वे और वे भी खनन नहीं करते हैं। मेरा उसमें यह है कि जी.एस.आई ने जिस पर्टीकुलर खनिज के लिए रिजर्व किये हैं उनको छोड़ कर बाकी खनिज देने में कहां क्या आपत्ति है? करोड़ों रुपयों की आय राजस्थान सरकार को हो सकती है वह नहीं हो पा रही है। ये तीन-चार प्रश्न मेरे हैं कि बाकी एरिया फ्री क्यों नहीं किये जाते हैं, इसको देखने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त राजस्थान के खनिज विभाग के पास अभी भी राजस्थान में जैसे डूंगरपुर जिले का उसमें मैंने देखा, कहीं भी नाम नहीं है जबकि डूंगरपुर जिले में कई खनिज पदार्थ हैं। ऐसे कई जिले राजस्थान में हैं। आपकी ऐसी विंग लगातार खनन के लिए खोज करती रहे तो राजस्थान में विपुल खनिज सम्पदा उपलब्ध है। राजस्थान की आर्थिक स्थिति, संसाधनों की बात जो बार-बार आती है, राजस्थान ऐसा धनवान प्रदेश होते हुए सरकार की नीतियों और प्रयासों के अभाव में आज आर्थिक संकट से जूझ रहा है और राजस्थान का समग्र विकास नहीं हो रहा है। इस सम्बन्ध में आपने नीति जो भी घोषित की है वह अपर्याप्त है, जनहित के लिहाज से जितनी अच्छी होनी चाहिए नहीं हो पाई है और उसकी भी क्रियान्विति जिस ढंग से हो रही है, निश्चित रूप से इस विभाग पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। पहले आप तो सैटिस्फाई हो गये ना? आपको कोई सप्लीमेंट्री नहीं पूछना है? मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के खण्ड-1 में उत्तर में कहा है कि जो नई खनिज नीति घोषित की है...(व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : मेरा तो उत्तर आ जाने दीजिए, मैं सैटिस्फाई कहां हूं? एक ही उत्तर नहीं आया।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय कहें तो मैं तो उत्तर आने के बाद पूछ लूंगा।

श्री रतन लाल ताम्बी : पहले यह उत्तर दिलवाइये। मूल प्रश्नकर्ता मैंने सप्लीमैंट्री पूछे हैं इस हिसाब से और जानकारी के हिसाब से...

श्री अध्यक्ष : मैंने सोचा आपने चार क्वेश्चन पूछ लिये थे सप्लीमैंट्री, आप सैटिस्फाई हो गये। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : कहां हो गया? जवाब आने के बाद होउंगा, साहब।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, आप कहें तो मैं अभी पूछ लूं और आप कहें तो उनका उत्तर आने के बाद पूछ लूं। जैसा आप आदेश दें।

श्री अध्यक्ष : पहले आप पूछ लीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला तो आपने इसमें जो पृथक खनिज नीतियां घोषित की हैं उनकी प्रति सदन पटल पर रख दी। उत्तर के साथ इसकी प्रति नहीं मिली है, यह प्रति आप उपलब्ध कराएं। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, सीधा सीधा सवाल यह है कि आपने मार्बल ग्रेनाइट की जो नयी पालिसी घोषित की, यह कितनी तारीख को घोषित की? इसकी घोषणा के बाद आपके पास कितनी तारीख को आवेदन पत्र आये और आपने उनका निपटारा किस तारीख को कर दिया? अध्यक्ष महोदय, एक मार्च को नई पालिसी छप कर आयी एक तारीख को एप्लीकेशन लग गयी और एक तारीख को ही क्या आपने पूरे प्रदेश के अन्दर आबंटन कर दिया।

दूसरा मेरा आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि नयी खनिज नीति की प्रति आज तक किसी भी माननीय सदस्य को न तो गजट नोटिफिकेशन मिला और न ही आपने जो पालिसी डिक्लेयर की है यह मिली। इसलिए आप स्पेसिफिक जवाब दे दें कि कितनी तारीख को आपने यह नीति घोषित की और कितनी तारीख को आपके पास कितनी एप्लीकेशंस आयीं और उनका निपटारा कब कर दिया?

श्री अध्यक्ष : दोनों का साथ ही दे दीजिए।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय ताम्बी साहब ने बात कही, वास्तव में सही है कि राजस्थान के कोने-कोने में किसी न किसी तरह का खनिज पदार्थ छिपा हुआ है। विभाग भी उसकी खोज करता है। डूंगरपुर का जहां सवाल आया, वहां खास करके ग्रीन मार्बल दुनिया के सामने है। ऋषभदेव में ग्रीन मार्बल दुनिया के सामने है। बांसवाड़ा में व्हाइट मार्बल दुनिया के सामने है और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां खनिज पदार्थ नहीं मिलता हो। प्रत्येक क्षेत्र में, श्रीगंगानगर जैसे क्षेत्र में जहां यह मानते हैं कि वहां खेती के सिवाय कुछ है ही नहीं, वहां जिप्सम भी है, पैट्रोल नानूवाला में मिल रहा है। ऐसा कोई क्षेत्र राजस्थान का नहीं है जहां किसी तरह का मिनरल नहीं हो। सत्तर प्रकार के खनिज पदार्थ हमारे यहां राजस्थान में हैं। राजस्थान सरकार की मंशा है कि भू-गर्भ से उत्पन्न होने वाले पदार्थ के आधार पर हमें धनराशि प्राप्त हो और राजस्थान का बजट उससे अच्छा बने। हमारी भी कोशिश रही है। जब 1998 में सरकार बनी तब 292 करोड़ खनिज की रेवेन्यू थी और आज के 414 करोड़ के लगभग। अबाउट 120 करोड़ ज्यादा। जितने भी साल आये, जब से रायल्टी चुकाई गई है तब से लेकर 1998 तक तो 290-292 करोड़ और तीन साल के अर्से में 122-123 करोड़ रुपया हमने अर्जित किया है। (व्यवधान) मैं आ रहा हूं।

श्री अमराराम (धोद) : यह कौन पूछ रहा है जो आप बता रहे हैं?

श्री हीरालाल इन्दौरा : मैं सबके प्रश्न का जवाब दे दूंगा।

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

हमारी कोशिश है कि हम चाहे गैस से, पैट्रोल से, मिनरल से जो पैसा मिले लें। दूसरा प्रश्न दोनों का एक सामूहिक प्रश्न है, ताम्बी साहब और आजाद साहब का। दुनिया को मालूम है, सारे राजस्थान को मालूम है कि कितनी बार यह पालिसी कैबिनेट में आई, कब कैबिनेट से विथड्रा हुई, कब उसमें अमैंडमेंट हुआ, कब कैबिनेट ने पास किया। यह सारे समाचार पत्र लिखते रहे हैं। जिस व्यक्ति का जो इंटरेस्ट था, अध्यक्ष महोदय, मेरा खेती में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं खेती क्या करूंगा। जब मिनरल साइड में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। जबकि पालिसी में साफ लिखा हुआ है कि खोजो और पाओ। जिस व्यक्ति ने खोजो और पाओ की नीति नहीं अपनाई, वह कह दे कि मुझे मौका नहीं मिला। तो पहले कोशिश, जो लीज प्राप्त करना चाहते हैं उनकी क्या कोशिश रही है। दूसरा, एक तारीख को नोटिफिकेशन हुआ है, जॉब कार्ड खुल गया है। वर्क आर्डर 1687 को दे दिये गये हैं। उससे हम कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन की डेट एक तारीख थी और एक तारीख को ही नोटिफिकेशन हुआ है। सवाल यह है, अध्यक्ष महोदय कि बाई दी वे नोटिफिकेशन नहीं छपता है एक तारीख को और जॉब कार्ड खुल गया तो जॉब कार्ड की डेट से ही यह माना जाता है कि नोटिफिकेशन सार्वजनिक है। नोटिफिकेशन एक ऐसा डाकूमैंट है जो कि राजस्थान की जनता को यह बताता है कि अमुक काम सरकार करने जा रही है। जहां तक पैट्रोल का है...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आवेदन कब आये?

श्री अध्यक्ष : आपस में बात नहीं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मार्बल की टोटल 2000 लीजेज हमारे यहां हैं इस पालिसी को आने पर 614 एप्लीकेशंस सरकार को मिली हैं विभिन्न इलाकों में। (व्यवधान) एक ही दिन में नहीं मिली हैं। डिस्पोजल अभी एक-दो के सिवाय बाकी नहीं हुए हैं, क्योंकि डिस्पोजल की प्रक्रिया बहुत लम्बी है। एन.ओ.सी. फोरेस्ट से लेनी पड़ती है, रेवेन्यू से लेनी पड़ती है, अलवर जैसे डिस्ट्रिक्ट में पर्यावरण से लेनी पड़ती है। जब तक ये नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट विभाग से नहीं आ जाएंगे, तब तक कोई माइनिंग लीज ग्रांट नहीं हो सकती। इसलिए एक-दो माइनिंग लीज को छोड़ करके बाकी माइनिंग लीज आज तक कोई ग्रांट नहीं हुई, अण्डर प्रोसेस हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : कितनी हुई?

श्री हीरालाल इन्दौरा : 11 हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा याचना चाहते हुए...

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा स्पेसिफिक सवाल था कि गजट नोटिफिकेशन एक तारीख को हुआ, एप्लीकेशन कितनी तारीख को आयीं? माइनिंग लीज का डिस्पोजल भी एक ही दिन में कैसे हो गया, यह आप जवाब दिला दें? (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : एक दिन में थोड़े ही हुआ है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह थोड़े ही है कि आप पूरी की पूरी दे देंगे? आप उसको एक ही आदमी को सब दे देंगे क्या?

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : एक दिन में थोड़े ही हुआ है? जो रूल्स हैं उनके अन्तर्गत 28 हैक्टेयर एक व्यक्ति को लेने के अधिकार हमने दे दिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : नयी पालिसी में?

श्री हीरालाल इन्दौरा : हां, नयी पालिसी में।

मोहम्मद माहिर आजाद : और वह पालिसी सिर्फ एक ही आदमी के पास आयी। किसी के पास नहीं आयी, सिर्फ एक आदमी के पास ही गयी। प्रकाशन होने से पहले उसके पास चली गयी, सारे एरिये की सारी एप्लीकेशन उसने लगा दीं और आपने उसको लीज भी दे दी।

श्री हीरालाल इन्दौरा : नहीं, यह नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : खनिज मंत्रीजी, सदन को वास्तविक स्थिति क्या है, वह बात दीजिए आप।

श्री अध्यक्ष : बैठिए, माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद : हम आपका सम्मान करते हैं, आप तो साफ-साफ वास्तविक स्थिति बता दें कि क्या है।

एक माननीय सदस्य : उसका नाम क्या है?

मोहम्मद माहिर आजाद : तारीख बता दें आप।

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले कहा था कि किसी लीज होल्डर को यदि इंटरेस्ट है तो उसकी लेने के लिए जैसे ही एप्लीकेशन लगेगी, एन.ओ.सी. के लिए, पर्यावरण के लिए, कलक्टर के लिए, डी.एफ.ओ. के लिए वह भाग-दौड़ करेगा। जो कोई भी व्यक्ति यह फार्मेलिटी पूरी कर देगा उसकी लीज ग्रांट होती है। उसने 12-13 दिन में पूरी कर ली...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं, बीच में नहीं। कल्लाजी...(व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : उसी दिन तो ग्रांट हुई नहीं है, ना दूसरे दिन ग्रांट हुई है। उसमें 10-12 दिन का समय लगा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप रिप्लाई समाप्त कीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : कब हुई, यह बताएं?

श्री हीरालाल इन्दौरा : मेरे पास अभी तारीख नहीं है, बता देंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : अभी तारीख नहीं है?

श्री हीरालाल इन्दौरा : मेरे पास अभी नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, केवल तारीख पूछ रहे हैं कि कब आवेदन किया और कब डिस्पोजल हुआ। आप तो हमको तारीख बता दें और किसके नाम से कितना एरिया हुआ, ये दो ही छोटे-छोटे सवाल हैं, आप इनका जवाब दे दीजिए।

श्री हीरालाल इन्दौरा : मैंने पहले भी कहा, जो लीज होल्डर है जिसने एप्लीकेशन लगायी है...

मोहम्मद माहिर आजाद : वह किसने लगायी, आप वह बताएं न?

श्री हीरालाल इन्दौरा : बहुत-से लोगों ने लगाई है।

मोहम्मद माहिर आजाद : किसने लगाई, कब लगाई, कब उसको दिया?... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : किसने लगाई है, कितनी तारीख में लगाई है और डिस्पोजल कब हुआ, आप यह बता दें?... (व्यवधान) किस बात का दे रहे हैं?

मोहम्मद माहिर आजाद : छुपाओ मत।

श्री हीरालाल इन्दौरा : 614 लोगों ने लगाई है।

श्री अमराराम (धोद) : जिसको डिस्पोजल हुआ है उसकी आप तो तारीख बता दें, हम 614 की नहीं पूछ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री ललित भाटी। कृपया बैठिए, अमराराम जी।

श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं, आपने खण्ड 2 के जवाब में जो सूची यहां सदन में पेश की, चिन्हित किये गये क्षेत्रों में खनन कार्य शुरू करने सम्बन्धी क्या कार्यवाही की जा रही है? इन क्षेत्रों में खनन कार्य करने सम्बन्धी आपको कोई आवेदन मिले हैं या नहीं? आप अपने स्तर से इन नये चिन्हित क्षेत्रों को कब से उपलब्ध कराना चाहते हैं? ये आपकी तरफ से आज की तारीख में खनन कार्य शुरू करने के लिए उपलब्ध हैं या नहीं?

(श्री ललित भाटी)

दूसरा सवाल मेरा यह है कि इसी सूची में आपने श्रीनगर और हाथी भाटा करके अजमेर के अन्दर नए स्थान बनाये हैं जिसमें ताम्र अयस्क निकालने का आपने चिन्हित किया है। हाथी भाटा अजमेर शहर के अन्दर एक जगह है, क्या यह हाथी भाटा अजमेर शहर के अन्दर की वही जगह है? अगर यह वही जगह है तो यह तो बहुत थिकली पापुलेटेड एरिया है और बरसों पुराना है, आपने वहां पर खनन कार्य के लिए कब सर्वे किया? और वहां पर ताम्र अयस्क निकालने के लिए आप स्वीकृति जारी करेंगे या नहीं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठें, माननीय सदस्य।

श्री मोहन लाल मोदी : मैं भी पूछ लूं? मेरा जवाब दे दें साथ ही।

श्री अध्यक्ष : मोदी जी, साथ में नहीं, इनका उत्तर आने दीजिए।

श्री हीरालाल इन्दौरा : सबका जवाब दे दूंगा। ये सारे जवाब मैंने तैयार कर रखे हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपको पता था कि ये सब सवाल आएंगे?

श्री हीरालाल इन्दौरा : पता था। कोई भी किसी की भी पूछो। अब आप एफिशिएंट हैं या नहीं हैं, वह तो मुझे मालूम है। ऐसा है आर. के. मार्बल का आवेदन 1.3 को जमा हुआ और 14.3 को आबंटन हुआ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एप्लीकेशन कब लगी?

श्री अध्यक्ष : आपस में बात नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद : एक तारीख को पालिसी कितने बजे आई सरकार के पास?

श्री अध्यक्ष : यह आप बीस दफे पूछ चुके हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : जवाब नहीं आएगा तो आसन से ही तो अपेक्षा करेंगे। एक तारीख को कितने बजे इनके पास पालिसी छप कर आई?...(व्यवधान) हम आसन से यह अपेक्षा करते हैं कि सही चीज सामने आए।

श्री अमराराम (धोद) : यह कैसे हो सकता है...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : एक मार्च को जो पालिसी छप कर आई, वह सुबह आठ बजे तो आ नहीं गई, एक बजे तक का टाइम आवेदन का और एक तारीख को ही आवेदन हो गया। अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर आए।

श्री अमराराम (धोद) : इसका मतलब पहले से ही...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : पालिसी का ड्राफ्ट या तो यह है कि छपने के बाद में

(मोहम्मद माहिर आजाद)

गया, पहले उसके पास में गया है। कहीं न कहीं गड़बड़ है, उसकी क्या आप जांच कराएंगे? कहीं न कहीं आपके अधिकारियों ने मिलीभगत की है। एक तारीख को पालिसी छप रही है और एक तारीख को ही आवेदन हो रहा है। हमको आज तक नहीं पता पड़ रहा है, एक भी माननीय सदस्य को पता नहीं है कि नई मार्बल पालिसी और ग्रेनाइट पालिसी क्या है।

श्री अध्यक्ष : बैठिए, माननीय सदस्य।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ मैं भी एक प्रश्न पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष : सुमित्रा जी, बैठें आप। श्री संयम लोढ़ा।

श्री ललित भाटी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने मेरे सवाल का तो जवाब ही नहीं दिया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से दो छोटे-से सवाल करना चाहता हूं, सिरोही जिले के मातृमाता वन खण्ड में...(व्यवधान)

श्री ललित भाटी : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैंने मंत्री महोदय से सवाल पूछा...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय ने मुझे अलाउ किया है, प्लीज।

श्री ललित भाटी : मैं तो पूछ चुका हूं और अध्यक्ष महोदय की इजाजत से ही मैंने सवाल किया था। उसका जवाब मंत्री महोदय ने नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष : आपने पूछ लिया।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, पिछले 20 साल से सिरोही जिले के मातृमाता वन खण्ड में कई लोगों ने खनन लीज के आवेदन लगाये, पर सरकार ने एक भी लीज वहां पर मंजूर नहीं की क्योंकि वहां पर फोरेस्ट है। पर आपने आने के बाद में चार लीज पट्टे वहां डी.एफ.ओ. के द्वारा एन.ओ.सी. देने से इनकार करने के बावजूद मंजूर कर दिये। कलंदरी ने स्कूल के सामने खनन शुरू किया और डी.एफ.ओ. ने सारा सामान जब्त कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस वन क्षेत्र को बरबाद होने से बचाने के लिए क्या आप वह लीज निरस्त करेंगे?

दूसरा सवाल यह है कि पूरे राजस्थान में पैट्रोल पम्प, गैस एजेंसी और खानें पोलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स और धन्ना सेठों के हाथों में हैं, आपने अपने साढ़े तीन साल के कार्यकाल में नियोजन कार्यालय में जो बेरोजगार के रूप में रजिस्टर्ड हैं, एक भी बेरोजगार को आपने क्या खान आबंटित की है?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : एक छोटा-सा प्रश्न पूछ लूं?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या यह खनिज पालिसी जो सरकार ने घोषित की है, यह आर.के. मार्बल की ही बनाई हुई है?

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहने को तो कुछ भी कहें, यह पालिसी तो सरकार ने ही बनाई है। अब आपके पास कोई सबूत हो तो बता दीजिए। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सबूत तो हो रहा है। सबूत का तो सबको पता लग रहा है। (व्यवधान)

श्री ललित भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी इजाजत से मंत्री महोदय से सवाल पूछा उसका तो जवाब दिलाएं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पालिसी दो को आ रही है और एक को वह एप्लाई कर रहे हैं, तो यह हो गया। (व्यवधान)

श्री ललित भाटी : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैंने सवाल पूछा उसका जवाब मंत्री महोदय नहीं देना चाह रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, सवाल का जवाब तो दिलाएं। मेरे यहां पर फोरेस्ट में माइन्स अलाट कर दी है, पूरा पहाड़ तबाह करने पर तुले हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : आपने प्रश्न पूछ लिया।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो दिलाएं।

श्री अध्यक्ष : आपका क्वेश्चन आ रहा है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : वैसे तो इस प्रश्न का जवाब पहले दिया जा चुका है माननीय लोढ़ा जी को, लेकिन फिर भी मैं यह कहता हूं कि यदि डी.एफ.ओ. को बिना एन.ओ.सी. के कोई लीज ग्रांट हुई हो...(व्यवधान)

श्री ललित भाटी : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैंने सवाल किए हैं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : आप मुझे लिस्ट दे दीजिए, मैं उसकी जांच करवा लूंगा।

श्री संयम लोढ़ा : मैं लिख कर दे चुका हूं और आपके सैक्रेटरी के यहां पर उसकी जांच पहुंच चुकी है, उसके बावजूद आपने मुझे यह जवाब दिया है कि आप निरस्त नहीं करेंगे। आपने लिखित में जवाब यह दिया है। उससे पहले मैंने तीन पत्र आपको दिये हैं कि पूरा पहाड़ आप तबाह कर रहे हैं। आदिवासियों को कृषि के हक–हकूक दिए गए थे, उनके नाम पर जमीन है और इन धन्ना सेठों को वहां पर आपने चार खानें आबंटित कर दीं। डी.एफ.ओ. को टेलीफोन करके आप धमका रहे हो। आपके चार टेलीफोन डी.एफ.ओ. को गये। इस तरीके से आप पहाड़ बरबाद करना चाहते हैं मेरे इलाके का।

श्री ललित भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो पूरक प्रश्न पूछे...

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए, माननीय सदस्य।

श्री ललित भाटी : अध्यक्ष महोदय, फिर उन सवालों को पूछने का कोई अर्थ भी नहीं रह जाता।

श्री अध्यक्ष : मोदी जी, आप बैठिए। (व्यवधान)

श्री ललित भाटी : आपकी इजाजत लेकर कोई सवाल मंत्री महोदय से पूछे जाएं, मंत्री महोदय उनका जवाब ही नहीं देना चाहते। मैंने, मंत्री महोदय, आपसे यह स्पष्ट किया कि जो आपने नएं क्षेत्र चिन्हित किए हैं उसके अन्दर आपको आवेदन लोगों के प्राप्त हुए हैं या नहीं? उसमें कब तक लोगों को खनन के लिए उपलब्ध करा देंगे? श्रीनगर और हाथी भाटा दोनों अजमेर के अन्दर इन्होंने बताये हैं जहां ताम्र अयस्क मिलने की बात है। यह हाथी भाटा हमारे क्षेत्र में एक घनी आबादी का क्षेत्र है, तो क्या यह वही क्षेत्र है जिसके अन्दर अब आप खनन के लिए लोगों को स्वीकृति जारी करना चाहते हैं?

श्री मोहन लाल मोदी : माननीय मंत्री महोदय, मेरा प्रश्न भी सुन लें, इसके बाद उत्तर दे दें।

श्री हीरालाल इन्दौरा : भाटी साहब, आपने ठीक कहा, लेकिन इसमें अभी यह कहना सम्भव नहीं है। बहुत-से खनिजों के चिन्हित हो चुके हैं, सर्वे भी हो चुके हैं, उनका कब अलाटमेंट होगा, कब नहीं होगा, आज की तारीख में तो नहीं बता सकता जब तक प्रोसीजर नहीं हो जाता।

श्री ललित भाटी : नहीं, हाथी भाटा के लिए आप बताएं। अध्यक्ष महोदय, आज विधान सभा में यह सवाल आने के बाद में लोगों को अखबारों के माध्यम से पता लगेगा जो वर्षों से वहां रह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, आप दस दफा खड़े हो गये हैं।

श्री ललित भाटी : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ हाथी भाटा क्षेत्र के बारे में चूंकि वह घनी आबादी क्षेत्र है, लोगों को यह पता लगेगा कि यहां पर अब...(व्यवधान) कार्यवाही की जा रही है तो वहां लोगों के अन्दर बेचैनी फैलेगी।

श्री अध्यक्ष : मोदीजी।

श्री मोहन लाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह मार्बल पालिसी आपने डिक्लेयर की, यह कहां छपी? यह गवर्नमेंट प्रेस में ही नहीं छपी, यह प्राइवेट प्रेस में छप कर आयी है। स्पेशल गजट है यह, प्राइवेट छप कर आया है। इसके बाद जो व्यक्ति इंटरेस्टेड था उसने एप्लाई कर दिया। फिर उदयपुर से अधिकारियों

(श्री मोहन लाल मोदी)

को बुलाया गया और यहां की यहां बैठ कर स्वीकृति हुई, उनका एग्रीमेंट हुआ और वे खानें चालू हो गयीं नैक्स्ट डे। हमारे माननीय माइनिंग मंत्री का इतना एफिशिएंट वर्क है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, यह चार्ज सरासर गलत है। या तो यह इस्तीफा दे देंगे...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : चार्ज नहीं लगा रहा, मैं तो इतनी आपकी तारीफ कर रहा हूं। (व्यवधान) इतना आपका एफीशिएंट वर्क है, इतना जल्दी, इतना बढ़िया काम है, आप यह देखिये।

श्री संयम लोढ़ा : खानें आबंटित करके...(व्यवधान) इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? 40 किलोमीटर का पूरा पहाड़ धन्ना सेठों को सौंप कर तबाह करने पर तुले हुए हैं। 1962 का गजट नोटिफिकेशन है कि कौनसे खसरा नम्बर में खनन की अनुमति दी जा सकती है और कौनसे खसरा नम्बर पर कृषि की जा सकती है। उन सारी चीजों को आपने धत्ता बता कर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिये चार खाने आबंटित कर दी हैं और आप कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते, तीन दिन से मैं आपके पीछे घूम रहा हूं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं अब भी कह रहा हूं कि आप मुझे लिख कर दे दीजिये, जो आप कह रहे हैं उसकी जांच करवा दूंगा।

श्री संयम लोढ़ा : मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को लिख कर दे चुका हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी को लिख कर दे चुका हूं। (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : अब आप मुझे और लिख कर दे दीजिये। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : प्रशासन गांवों के संग अभियान में, माननीय अध्यक्ष महोदय, कलक्टर के सामने सारी स्थिति रख चुके हैं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : ऐसे चार्जेज लगाने का कोई मतलब ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुख्य मंत्रीजी को लिख कर दे दिया।

श्री मोहन लाल मोदी : यह कहां छपा? कब छपा? हम लोगों के पास, एम.एल.एज. को सारी कापियां जाती हैं, आज एक महीने से ज्यादा हो गया, ये कापियां अभी तक गयीं क्यों नहीं? अगर गवर्नमेंट प्रेस में छपता तो ये कापियां हमको मिलतीं, लेकिन यह गवर्नमेंट प्रेस में छपा ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मोदीजी, बिराजें आप। रामस्वरूप मीणा।

श्री मोहन लाल मोदी : इसके उत्तर तो दिलाएं।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से मेरा विनम्र निवेदन है कि करौली में जो खान क्षेत्र है वहां के लिए आपने खानें अलाट की हैं, इसके बावजूद भी वन विभाग वाले उनको परेशान कर रहे हैं। पैसा ले रहे हैं, लगातार लूट रहे हैं, उनको खानें नहीं खोदने दे रहे हैं। अभी पांच हजार श्रमिकों ने एक बहुत बड़ा आन्दोलन किया जिसमें बाहर के लोग भी आये हुए हैं। माननीय मंत्रीजी, जिनको आपने खानें दी हैं, आपका पत्थर का व्यवसाय चौपट हो रहा है, क्या खानें खोदने के लिए आप कोई व्यवस्था करेंगे ताकि वे खानें खोद सकें? दूसरा मेरा निवेदन है...

श्री अध्यक्ष : दूसरा नहीं, आपने एक सप्लीमैंट्री पूछ लिया।

श्री रतन लाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से दो सप्लीमैंट्री पूछना चाहता हूं।

श्री रामस्वरूप : जिन्होंने आवेदन किया, उनको खानें नहीं मिलीं, मेहरबानी करके उनके खान के आवेदन पत्र कब तक आप स्वीकार करेंगे?

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र सराधना।

श्री रामस्वरूप : जवाब तो दिलवाओ, साहब।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमुवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से दो छोटे-छोटे प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक तारीख को मार्बल नीति की घोषणा की गयी, प्रकाशित की गयी, इस बुकलैट का प्रकाशन कौनसी प्रेस से हुआ और कितने पैसे का भुगतान किया, किस बिल से किया गया, एक बात? दूसरी बात, मेरा निवेदन है कि एक तारीख को आपने नीति की घोषणा की और एक तारीख को आवेदन आ गया, कहां से उनको मालूम पड़ गया? क्योंकि इसका एक लम्बा प्रोसेस होता है, मौके पर जाना पड़ता है, नीले नक्शे बनाने पड़ते हैं, सर्वेयर वहां जाता है और डाफ्ट भी बनता है, यह सारी कार्यवाही एक ही दिन में कैसे हो गयी? अध्यक्ष महोदय, माननी मंत्रीजी ने कहा कि आर.के. मार्बल को हमने 14 तारीख को लीज पर भी दे दी, इस लीज की एन.ओ.सी. फोरेस्ट से आ गयी? यदि आ गयी तो वह सदन के पटल पर रखी जाए। (व्यवधान) एन.ओ.सी. नहीं आयी।

श्री रामस्वरूप : माननीय मंत्रीजी, हमारे करौली का जवाब तो दीजिये।

श्री रामचन्द्र सराधना : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन था, इसका जवाब दिलवाइये।

श्री रतन लाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, दो सप्लीमैंट्री पूछने हैं।

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय अध्यक्षजी, मेरा जवाब आना चाहिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : एक का भी जवाब नहीं आया।

श्री रामचन्द्र सराधना : मान्यवर, जवाब आना चाहिये। (व्यवधान) मान्यवर, जवाब एक का भी नहीं दिया मंत्रीजी ने।

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, नोटिफिकेशन की प्रति गवर्नमेंट प्रेस में छपी है और गवर्नमेंट प्रेस के अधीक्षक का पत्र मेरे पास है। उन्होंने जाब कार्य खोला है। 1487 पर और वर्क आर्डर दिया गया। ये पता नहीं कौनसे बिल की बात कर रहे हैं?

श्री रामचन्द्र सराधना : इसी की मैं बात कर रहा हूं। माननीय अध्यक्षजी, मैं इनको यह पूछ रहा हूं...

श्री हीरालाल इन्दौरा : गवर्नमेंट प्रेस में कहां से बिल आएगा?

श्री रामचन्द्र सराधना : गवर्नमेंट प्रेस में प्रकाशन के बाद उसकी कापियां हम लोगों के पास क्यों नहीं पहुंची? दूसरा निवेदन था कि एन.ओ.सी. इनको फोरेस्ट से मिली नहीं। फोरेस्ट की एन.ओ.सी. मिल गयी तो वह सदन के पटल पर रखी जाए।

श्री हीरालाल इन्दौरा : मैंने कहा कि फोरेस्ट की एन.ओ.सी. मिल गयी तभी तो ग्रांट हुई है, यदि नहीं मिलती तो ग्रांट कैसे होती?

श्री रामचन्द्र सराधना : नहीं हुई है। (व्यवधान) आपने उचंती किया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह सही नहीं है। यह सैकण्ड शिफ्ट में छपी है जो रात्रि को 11 बजे होती है, दिन में नहीं छपी।

श्री अध्यक्ष : माननीय माहिर आजाद साहब। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : करौली में, मंत्रीजी, आपने जो खानें दी हैं उनको वन विभाग वाले काम नहीं करने दे रहे हैं। क्या व्यवस्था करेंगे आप? वे कहते हैं कि ये हमारे क्षेत्र में आती हैं, आपने खानें दे दीं, अब क्या करें?

श्री रतन लाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, मैं दो सप्लीमैंट्री पूछना चाहता हूं।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, वहां कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब होने जा रही है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, करौली के उन खान मालिकों को जिन्होंने पट्टे लिये...

श्री रतन लाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, मैं दो सप्लीमैंट्री पूछना चाहता हूं अनुमति दीजिये।

श्री रामस्वरूप : वहां कानून-व्यवस्था की हालत खराब चल रही है, आंदोलन चल रहा है हैडक्वार्टर पर, पांच हजार श्रमिक वहां आंदोलन कर रहे हैं। जिनको खाने दी गयी है उनको खान नहीं खोदने दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में माननीय मंत्रीजी से जवाब दिलाएं कि क्या करना चाह रहे हैं।

श्री रतन लाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, मुझे दो सप्लीमैंट्री प्रश्न पूछने की अनुमति दीजिये।

श्री ललित भाटी : मैंने दो सप्लीमैंट्री पूछे उनका जवाब दिलावाइये।

श्री रामस्वरूप : मेहरबानी करके हमारे यहां इसकी व्यवस्था कराएं। खान मजदूर आंदोलन कर रहे हैं करौली में, भ्रष्टाचार फैल रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री घासीलाल मेघवाल, नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री रामस्वरूप : करौली में जो आंदोलन चल रहा है खान मजदूरों और मालिकों का, उस आंदोलन के लिये आप क्या कर रहे हैं? पट्टे दे दिये फिर क्यों नहीं खानें खोदने दे रहे हैं?

श्री ललित भाटी : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी का उत्तर पूरा मुझे मिला नहीं, मुझे सप्लीमैंट्री करने की इजाजत दीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री घासीलाल मेघवाल।

श्री ललित भाटी : मैंने जो पूछा है उसका उत्तर नहीं मिला है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : जब नियम के अनुसार उनको आपने खानें दे दीं फिर वहां खोदने नहीं दे रहे हैं, भ्रष्टाचार फैला रखा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री रतन लाल ताम्बी : ×××

श्री ललित भाटी : ×××

श्री मोहन लाल मोदी : ×××

पंचायत समिति केशवरायपाटन (बूंदी) के आंगनबाड़ी केन्द्र

374. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति केशवरायपाटन (बूंदी) में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं और उक्त में से वर्तमान में कितने केन्द्र कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2001-2002 में उक्त केन्द्रों के लिये सरकार द्वारा कितनी राशि आबंटित की गयी थी? उक्त में कितनी राशि का उक्त केन्द्रों पर पोषाहार वितरित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती जकिया) : (1) पंचायत समिति केशवरायपाटन (बूंदी) में कुल 131 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। सभी 131 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2001-2002 में उक्त केन्द्रों के लिये कुल राशि रुपये 14,90,600/- विभिन्न मदों में आबंटित की गयी है, जिसका विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

इन केन्द्रों के लिये केयर संस्था द्वारा निःशुल्क पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त 0-3 वर्ष के बच्चों के लिये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजनान्तर्गत 506.750 क्विंटल बेबी मिक्स पोषाहार का आबंटन किया गया है, जिसका मूल्य 15,46,717 रुपये हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री घासीलाल मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने बताया कि केशवरायपाटन पंचायत समिति में कुल 131 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं और सभी केन्द्र चालू हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानकारी चाहूंगा कि पोषाहार वितरण में विभाग द्वारा क्या मापदण्ड अपनाये जाते हैं तथा किस-किस सेंटर में कितनी-कितना पोषाहार, कब-कब वितरित किया गया? मेरा दूसरा सवाल है कि क्या सभी केन्द्रों पर संस्था द्वारा पोषाहार वितरण किया जाता है? जो पोषाहार वितरण किया जाता है क्या यह सही नहीं हैं कि दो-दो महीनों तक वह पोषाहार वहां पहुंच नहीं पाता है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि निर्धारित मापदण्ड से अधिक आबादी वाले गांव केशवरायपाटन पंचायत समिति में हैं जहां पर केन्द्र अभी संचालित नहीं हैं, वहां क्या केन्द्र का प्रस्ताव मंत्री महोदया, का है? यदि हां, तो कब तक?

श्रीमती जकिया : अध्यक्ष महोदय, 1991 की सेंसस के हिसाब से एक हजार की आबादी पर एक केन्द्र खोलने की व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट ने की थी, उसके हिसाब से खोले गये हैं। अब नयी जनगणना हो गयी है उसके आंकड़े भारत सरकार को भेज दिये गये हैं, जब वहां से हमें आबंटित हो जाएंगे तो डेफिनिटली माननीय सदस्य की भावना की कद्र करके वहां आबादी के हिसाब से खोलने की व्यवस्था की जाएगी।

(12.00 बजे)

रह गया पोषाहार के वितरण में कोई अनियमितता दो-दो महीने तक हुई है, ऐसी शिकायत विभाग के पास नहीं आयी है। केशवरायपाटन में केयर के माध्यम से वितरण किया जाता है, सी.डी.पी.ओ. के गोदाम वेयरहाउस के हैं वहां से हर महीने में एक रिपोर्ट आती है। अगर ऐसी कोई शिकायत है कि किसी केन्द्र पर अनियमितता हो रही है तो आप बता दो, उसकी जांच करा लेंगे।

श्री घासीलाल मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, अभी प्रशासन गांव के संग जो अभियान चला था, मैं प्रत्येक कैम्प में पूरे समय तक मौजूद रहा था। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान जो विभाग की शिकायतें आयी हैं उनके सम्बन्ध में विभाग द्वारा व आप द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्रीमती जकिया : प्रशासन गांव के संग में विभाग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। मातृत्व लाभ योजना और बालिका समृद्धि योजना में जरूर कुछ कमी थी जिसको पूरा करने में विभाग ने सहयोग किया है, जिसका परसेंटेज काफी ऊपर गया है। अगर आपके पास कोई शिकायत हो तो आप भेज दें।

श्री मोहन लाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या-668

(स्थगित)

नगर परिषद् अजमेर में कार्यरत ईंट भट्टे

669. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर परिषद् अजमेर की सीमा क्षेत्र में कुल कितने ईंटों के भट्टे कार्यरत हैं तथा किनके द्वारा संचालित किए जा रहे हैं? उक्त में से कितने भट्टे बन्द हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ईंटों के भट्टे कब से परिषद् सीमा में चल रहे हैं तथा नगर परिषद् द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई? स्वीकृति पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या परिषद् उक्त भट्टों को बंद कराने या हटाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नगर परिषद्, अजमेर की सीमा में 13 ईंट भट्टे चल रहे हैं, वांछित विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) इसका उत्तर भाग संख्या एक में सम्मिलित है। परिषद् द्वारा किसी भी भट्टे की स्वीकृति नहीं दी गई है।

(3) इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

मुरलीपुरा तथा सुशीलपुरा कालोनी जयपुर में सीवर लाइन

670. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सुशीलपुरा कालोनी सोडाला जयपुर में सीवर लाइन डाले जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त पर कब तक निर्णय ले लिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कालोनी के आसपास की कालोनियों में सीवर लाइन डाली जा चुकी है? यदि हां, तो उक्त कालोनी में सीवर लाइन नहीं डाले जाने के क्या कारण हैं?

(3) क्या यह सही है कि जयपुर शहर की सीकर रोड पर सिन्धु नगर, स्कीम नं. 16 मुरलीपुरा के पास में प्लाट नं. 222, 139, 182, 183, 217 आदि की गली में सीवर लाइन डाले जाने का भी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है? यदि हां, तो अब कब तक उक्त लाइन डाल दी जावेगी और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। सुशीलपुरा कालोनी सोडाला नाले के पास नीचे क्षेत्र में बसी होने के कारण यहां का सीवर बहाव मुख्य सीवर लाइन में नहीं जा सकता।

(2) जी नहीं। नगर निगम द्वारा उक्त कालोनी के आसपास की कालोनियों में सीवर लाइन नहीं डाली है।

(3) मुरलीपुरा क्षेत्र में सीवर लाइन डालने की एक वृहद् योजना बनायी जा रही है। प्रश्न में वर्जित क्षेत्र में सीवर लाइन डालने का कार्य इस योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् ही सम्भव हो सकेगा।

जयपुर विकास प्राधिकरण एवं राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा शिक्षण संस्थाओं को भूमि का आबंटन

671. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में जयपुर विकास प्राधिकरण और राजस्थान आवासन मण्डल ने शिक्षण संस्थाओं को भूमि आबंटित की है? यदि हां, तो एक जनवरी, 2000 से फरवरी, 2002 तक किस-किस शिक्षण संस्थाओं को किस-किस कार्य के लिये कितनी कितनी भूमि कहां-कहां पर किस-किस रेट पर कब-कब आबंटित की गई तथा उक्त संस्थाओं ने कब-कब उक्त राशि जमा कर कब-कब कब्जा प्राप्त किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त संस्थाओं को भूमि आबंटन करने के लिये सरकार ने कोई नियम बना रखे हैं अथवा आदेश जारी कर रखे हैं? यदि हां, तो नियमों व जारी किये गये आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। 1 जनवरी, 2002 से फरवरी, 2002 तक जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा एक संस्था को एवं आवासन मण्डल द्वारा तीन संस्थाओं को भूमि आबंटित की है जिसकी सूची परिशिष्ट "अ" व "ब" पर संलग्न है।

(2) जी हां। राजस्थान नगर विकास न्यास, शहरी भूमि निस्तारण 1974 के नियम 18 के तहत एवं आवासन मण्डल के डिस्पोज आफ प्रोपर्टी रेगूलेशन 1970 के तहत जारी आदेश में आबंटन का प्रावधान है। नियम एवं आदेश की प्रति परिशिष्ट "स" व "द" पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा कच्ची बस्ती विकास पर व्यय

672. **श्री कय्यूम खान** (मसूदा): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर सुधार न्यास, अजमेर व नगरपालिका, विजयनगर ने जून, 2000 से फरवरी, 2002 तक किन-किन मदों में राशि व्यय की है? उक्त में उक्त अवधि में विधान सभा क्षेत्र अजमेर पूर्व व अजमेर पश्चिम तथा विधान सभा क्षेत्र मसूदा में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई?

(2) क्या अजमेर नगर सुधार न्यास ने कच्ची बस्ती क्षेत्र में राशि व्यय की है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र अजमेर पूर्व व पश्चिम के किन-किन बस्तियों में राशि व्यय की गई?

(3) क्या अजमेर नगर सुधार न्यास ने गन्दी बस्ती क्षेत्र में राशि व्यय की है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र अजमेर पश्चिम एवं पूर्व की किन-किन बस्तियों में राशि व्यय की गई?

उत्तर

(1) नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा जून, 2000 से फरवरी, 2002 तक निम्न मदों में राशि व्यय की गई :-

1. प्रशासन पर व्यय (कार्मिकों के वेतन एवं भत्ते)
2. विकास कार्यों पर व्यय।
3. भूमि अवाप्ति पर व्यय।
4. न्यास भवन एवं बंगलो पर व्यय।
5. सर्वे पर व्यय।
6. कार्यालय पर व्यय।
7. भण्डार पर व्यय।
8. अनुदान कार्यों पर व्यय (20 सूत्री कार्यक्रम, सांसद कोष, विधायक कोष के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य)

उक्त अवधि में विकास कार्यों पर व्यय की गई राशि का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	कार्य का नाम	राशि लाख रुपये में		
		अजमेर पूर्व विधान सभा क्षेत्र	अजमेर पश्चिम विधान सभा क्षेत्र	योग
1.	योजना क्षेत्र में कार्य	68.45	-	68.45
2.	गैर योजना क्षेत्र में कार्य	100.56	29.99	130.55
3.	कच्ची बस्ती क्षेत्र में कार्य	30.14	14.00	44.14
4.	अनुदान कार्यों पर व्यय (20 सूत्री कार्यक्रम, सांसद कोष, विधायक कोष के अन्तर्गन्त स्वीकृत कार्य)	53.82	5.13	58.95
	कुल योग	252.97	49.12	302.09

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

अजमेर पूर्व, अजमेर पश्चिम विधान सभा क्षेत्रों में करवाये गये उक्त विकास कार्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है। नगरपालिका, विजयनगर द्वारा किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट ''ख'' पर संलग्न है। मसूदा विधान सभा क्षेत्र न्यास क्षेत्र में नहीं है।

(2) जी हां। नगर सुधार न्यास ने कच्ची बस्ती क्षेत्र में राशि व्यय की है। नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा जून, 2000 से फरवरी, 2002 तक अजमेर पूर्व व पश्चिम में स्थित कच्ची बस्तियों में व्यय की गई राशि का विवरण मय बस्ती का नाम व राशि परिशिष्ट ''ग'' पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा जून, 2000 से फरवरी, 2002 तक किसी भी गन्दी बस्ती में कोई भी राशि किसी भी विधान सभा क्षेत्र में व्यय नहीं की है, अपितु कच्ची बस्ती क्षेत्र में राशि व्यय की है जिसका विवरण परिशिष्ट ''ग'' पर उपलब्ध है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सिनेमाघरों से विकास शुल्क की वसूली

673. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों के दौरान जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा क्षेत्र में बनाये गये सिनेमाओं से विकास शुल्क एवं अनुज्ञा शुल्क वसूल किया गया है? यदि हां, तो किस नियम के तहत?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त में से कोई सिनेमाघरों को अनुज्ञा शुल्क एवं विकास शुल्क की राशि वापस लौटाई गई है? यदि हां, तो किन-किन सिनेमाघरों को? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या शेष सिनेमाघरों को भी उक्त राशि वापस लौटाये जाने का प्रकरण विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त निर्णय कब तक ले लिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों व अन्तर का क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) जी हां। अनुज्ञा शुल्क जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर रीजन भवन विनियम 1996 एवं 2000 में भवन निर्माण सम्बन्धी दरों के अन्तर्गत लिया गया है। (प्रति संलग्न है परिशिष्ट ''अ'' व ''ब'')

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(2) जी हां। केवल एक सिनेमाघर के प्रकरण में अनुज्ञा शुल्क एवं विकास शुल्क की राशि लौटायी गयी है। यह सिनेमा हाल खतरा नम्बर 85/1 ग्राम महापुरा उर्फ कुकरखेड़ा चौमूं रोड पर स्थित है।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण में किसी अन्य सिनेमाघर के लिए अनुज्ञा शुल्क एवं विकास शुल्क लौटाने का प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

वार्ड संख्या-35 अजमेर के मकानों का रजिस्ट्रेशन

674. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

अजमेर शहर के वार्ड संख्या 35 में कुल कितने मकान हैं? क्या मकान संख्या 35/400 से 35/450 तक के मकानों की रजिस्ट्री हो चुकी है? उक्त में से किन किन मकानों की रजिस्ट्री हो चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या जिन मकानों की रजिस्ट्री नहीं हुई है उनके क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नगर परिषद्, अजमेर क्षेत्र के वार्ड संख्या 35 में कुल 677 मकान हैं। उप पंजीयन कार्यालय अजमेर में वर्ष 1999 से आज दिनांक 9.4.2002 तक मकान संख्या 35/400 से 35/460 तक में से पंजीयन किये गये दस्तावेजों की संख्या (48) है जिनकी सूची संलग्न है। वार्ड संख्या 35 के शेष मकानों के लिये कोई भी दस्तावेज पंजीयन के लिये प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। पंजीयन दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर ही किया जाता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

राजस्थान आवासन मण्डल में गठित समिति द्वारा आबंटन

675. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राजस्थान आवासन मण्डल में पी.ए.सी. कमेटी का गठन किया हुआ है? यदि हां, तो उक्त कमेटी द्वारा क्या-क्या कार्य किये जाते हैं तथा उक्त में कौन-कौन व्यक्ति सदस्य हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कमेटी में जनवरी, 2001 से फरवरी, 2002 तक किन-किन व्यक्तियों के मकान आबंटित करने

(श्री हेमन्त कुमार)

सम्बन्धी मामले प्राप्त हुये हैं? सूची मय विवरण के सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कमेटी को प्राप्त हुए मामलों में से कितने मामलों का निस्तारण कर दिया गया है तथा कितने मामले शेष हैं, शेष रहे मामलों का निपटारा कब तक कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान आवासन मण्डल में पी.ए.सी. कमेटी का गठन किया हुआ है। उक्त कमेटी द्वारा मण्डल की सम्पत्ति का आबंटन/निस्तारण बोर्ड नियमानुसार किया जाता है। वर्तमान में उक्त कमेटी में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/सदस्य हैं।

1.	श्री मान सिंह देवड़ा	अध्यक्ष
2.	आवासन आयुक्त	सदस्य
3.	श्री रविन्द्र सिंह	सदस्य
4.	श्री जगदीश राजावत	सदस्य
5.	श्री अशोक अग्रवाल	सदस्य
6.	श्री हंसराज मीणा	सदस्य
7.	निदेशक (विधि)	सदस्य
8.	सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	सदस्य
9.	मुख्य सम्पदा प्रबन्धक	सदस्य सचिव

(2) उक्त कमेटी के समक्ष जनवरी, 2001 से फरवरी, 2002 तक कुल 63 व्यक्तियों के मकान आबंटन सम्बन्धी मामले प्राप्त हुए हैं। उनकी सूची मय विवरण के परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(3) उक्त कमेटी की प्राप्त हुए मामलों में से कमेटी द्वारा संलग्न परिशिष्ट "अ" के क्रम सं. 1 से 19 एवं 29 से 34 कुल 25 मामलों का निस्तारण किया गया है तथा 38 मामले शेष जिन्हें उक्त कमेटी की आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाकर कमेटी के निर्णयानुसार ही इनका निस्तारण किया जा सकेगा। क्र.सं. 1 से 19 के प्रकरणों में क्र.सं. 5, 6, 7 व 19 में मकान आबंटन अभी तक नहीं किया गया है। इसलिये मकान नं. नहीं दिये गये हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6-देखें)

संजय नगर कच्ची बस्ती जयपुर में सड़क व नाली का अपूर्ण निर्माण

676. **श्री हेमन्त कुमार** (दीगोद) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि संजय नगर कच्ची बस्ती जयपुर में सरकार द्वारा एक वर्ष पूर्व सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य कराया गया था? यदि हां, तो क्या सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है?

(श्री हेमन्त कुमार)

(2) क्या यह भी सही है कि सड़क एवं नाली के निर्माण का कार्य केवल दो तिहाई ही पूर्ण हो पाया है तथा अभी तक भी एक तिहाई कार्य अपूर्ण है? यदि हां, तो सरकार अपूर्ण कार्य को कब तक पूर्ण कराने का विचार रखती है?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में सरकार द्वारा पानी की लाइन नहीं डाली गई है? यदि हां, तो सरकार की उक्त कार्य हेतु क्या कोई कार्य योजना विचाराधीन है? क्या सरकार उक्त बस्ती में पीने के पानी की पाइप लाइन डालने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मोती नगर एवं संजय नगर के मध्य की सड़क व नाली का जो कार्य स्वीकृत था वह पूर्ण हो चुका है।

(2) जी नहीं। स्वीकृत कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्यों को करने के प्रस्ताव तैयार करवाये जा रहे हैं।

(3) राजस्थान अरबन इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत संजय नगर कच्ची बस्ती में पानी की लाइन डालने की योजना विचाराधीन है। इस हेतु सर्वे कार्य किया जा रहा है।

जिला पाली में अवैध खनन

677. श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी): क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला पाली में कहां-कहां कौन-कौन से खनिज पदार्थ मिलते हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में किन लोगों/संस्थाओं को कौन-कौन से खनिज पट्टे जारी किये गये या लीज पर दिये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) खनिज पट्टा आबंटन करवाने हेतु कौन-कौनसी कार्यवाही की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त जिले में कितने लोग अवैध खनन कार्य करते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ज़िला पाली में निम्न धात्विक एवं अधात्विक खनिज पाये जाते हैं :-

<u>धात्विक खनिज</u>

1. बेसमेटल (लेड जिंक एवं ताम्बा)- चित्ताड़, नयाखेड़ा, कालाबर, बिरान्टिया खुर्द, सन्दारदा, पुनागढ़ तहसील रायपुर।
2. टंगस्टन- नाना, बेड़ा तहसील बाली, सेन्दड़ा तहसील रायपुर।

(राज्य मंत्री, खनिज)

अधात्विक खनिज

1. लाइमस्टोन- सोजत, मण्डला, अटबड़ा, रूण्डिया तहसील सोजत, निम्बोल, सिनला, डिगरना, रास-दयालपुरा, कुड़की तहसील जैतारण, गुडिया, बल्लूपुरा, बिरान्टिया, गिरी, नानणा, रामगढ़ आदि तहसील रायपुर, नाना, सिरवा, ठांडीबेड़ी, बेड़ा, तहसील बाली।

2. एसबेस्ट्स- सेन्दड़ा, माता का गुढ़ा, छागड़ा की भागल, रामगढ़, कनोंतिया तहसील रायपुर, फुलाद तहसील मारवाड़ जंक्शन, गौरिया तहसील बाली।

3. चायनाक्ले- लिथरिया, खराडी, फालका तहसील जैतारण।

4. क्वार्टज, फैल्सपार- हरिपुर, सेन्दड़ा, प्रतापगढ़, सुमेल, कालाकोट, कलालिया, मोहरा, आदि तहसील रायपुर, डिंगोर तहसील मारवाड़ जंक्शन पाटडिया, बेड़ा, नाना, सिन्दरू, लालपुरा तहसील बाली, सितापुर तहसील सोजत।

5. केल्साईट- बडागुढा, क्लब, कपिल की भागल, खिमेल, अलीपुर, पाटन, दयालपुरा, निम्बाज तहसील रायपुर व जैतारण।

6. मेग्नेसाईट- फुलाद तहसील मारवाड़ जंक्शन कोयलवाब, भिमाना, धारिया की भागल तहसील बाली, भीलां तहसील रायपुर।

7. वोलेस्टोनाइट- रूपनगर, गीगलपुरा, शेरगढ़, रामावास तहसील रायपुर।

8. जिप्सम - खुटानी तहसील पाली।

9. ग्रेफाइट - बर तहसील रायपुर।

10. मार्बल- कण्ठालिया, गुढ़ा, भैरू का बाड़िया, लखासनी, हेमरडाई, सांरगावास, सिरयाड़ी तहसील मारवाड़ जंक्शन एव रायपुर।

11. ग्रेनाइट- देसूरी, नाडोल, नारलाई, पांचलवाड़ा, नेतड़ा, जाखोड़ा, दान्तीवाड़ा, धरमधरी खारड़ा की ढाणी, झाला की चौकी अमरगढ़, दरी तहसील देसूरी, बाली, पाली एवं रायपुर।

12. स्लेट-बर-कानूजा तहसील रायपुर।

13. गारनेट- देवखड़ी, करनपुरा तहसील रायपुर।

14. सोपस्टोन-हलावत, कानूजा, श्यामपुरा, तहसील रायपुर।

15. रेड आकर-बोथा की ढाणी, आसन तहसील रायपुर।

(2) जिले में किस-किस खनिज के खनन पट्टे लीज पर किस-किस को दिये गये हैं, की सूची संलग्न परिशिष्ट ''अ'' पर दर्शायी गई है।

(राज्य मंत्री, खनिज)

(3) खनिज पट्टा आबंटन हेतु खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1957 खनिज रियायत नियम, 1960, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 एवं भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नीतियों एवं निर्देशों के तहत आवेदन पत्र पूर्ण रूप से प्राप्त होने पर क्षेत्र की रिक्तता की जांच करना, सीमांकन करना व वन रहित होने की पुष्टि वन विभाग से प्राप्त करना व राजस्व विभाग से भूमि की किस्म की जानकारी करने के पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति की कार्यवाही की जाती है।

(4) वर्ष 2001-2002 में पांच मामले अवैध खनन के पकड़े गये जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	नाम	दिनांक	क्षेत्र	वसूल की गई राशि
1.	श्री रूपाराम पुत्र श्री डूंगा भील	09.01.2002	तालका	2700.00
2.	श्री हुक्मीचन्द जैन	3.6.2001	सिन्दरू	12600.00
3.	श्री हीरजी पुत्र हंसा	13.6.2001	सोजत	7000.00
4.	श्री हाजी खां पुत्र श्री भूरे खां	27.07.2001	घणेराव	4200.00
5.	श्री मोतीराम पुत्र श्री शिवराम	20.09.2001	दीपावास	1550.00

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

थाना सादुलशहर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 26/2000

678. श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 26/2000 थाना सादुलशहर का मुस्तगीस ओमप्रकाश नहीं है? यदि हां, तो उसकी वल्दियत समेत पता सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि धारा 156(3) जाब्ता फौजदारी के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट सादुलशहर के आदेश पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 26/2000 सादुलशहर थाना में दर्ज हुई? यदि हां, तो क्या उक्त में कोई गवाह मुस्तगीस ने बताया है?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त रिपोर्ट की तफतीश श्री रामनिवास उपनिरीक्षक ने की है? यदि हां, तो उसकी

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

तफतीश का नतीजा क्या रहा और तफतीश की पत्रावली कितने दिन जांच अधिकारी के पास रही?

(4) क्या उक्त उप निरीक्षक के बाद तफतीश श्री सन्तलाल उप निरीक्षक के पास रही? यदि हां, तो दिनांक 22.7.2000 तक उक्त ने क्या नतीजा निकाला? क्या तफतीश से कोई नतीजा नहीं निकला? यदि हां, तो क्या स्टेज रही?

(5) क्या यह सही है कि दिनांक 28.10.2000 को वृत्त अधिकारी ग्रामीण श्रीगंगानगर ने तफतीश चुनिन्दा अधिकारी को अर्धशासकीय पत्र लिखा और दिनांक 28.10.2000 तक प्रभावी तफतीश नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की थी?

(6) क्या यह सही है कि दिनांक 29.7.2000 के बाद थानाध्यक्ष सादुलशहर श्री चन्द्रप्रकाश निरीक्षक थे और उनके निर्देशन में तफतीश श्री सन्तलाल ने की और नतीजा अन्तिम रिपोर्ट संख्या 99/2000 दिनांक 30.11.2000 को दी थी? क्या अन्तिम रिपोर्ट की केस डायरी श्री चन्द्रप्रकाश निरीक्षक ने कातिब की तथा वृत्ताधिकारी ग्रामीण श्री शिवराज मीणा ने दिनांक 2.12.2000 को स्वीकृति दी?

(7) क्या यह सही है कि स्वीकृति के बाद नतीजा अन्तिम रिपोर्ट अदालत में पेश कर दिया गया था और उक्त अन्तिम रिपोर्ट अदमवकू में दी गई थी? यदि हां, तो फिर पुनः तफतीश अदालत में प्रसंज्ञान लेने के बाद कैसे शुरू हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रथम सूचना रिपोर्ट 26/2000 थाना सादुलशहर का मुस्तगीस श्री ओमप्रकाश सोनी पुत्र श्री हरिचन्द सोनी, जाति सोनी, नि. वार्ड नं. 14, सादुलशहर, जिला गंगानगर है।

(2) दिनांक 1.3.2000 को श्री ओमप्रकाश सोनी के एक इश्तगासा जा. फौजदारी की धारा 156(3) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट सादुलशहर के समक्ष पेश किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट सादुलशहर के आदेशानुसार उक्त अभियोग सं. 26/2000 अन्तर्गत धारा 420, 465, 468, 470, 471 व 120 (बी) भादस थाना सादुलशहर पर पंजीबद्ध किया गया। इश्तगासे में कोई गवाह नामजद नहीं है।

(3) उक्त अभियोग पंजीबद्ध होने पर सर्वप्रथम अनुसंधान श्री रामनिवास, उप निरीक्षक द्वारा किया गया। उप निरीक्षक के पास अनुसंधान दिनांक 1.3.2000 से 1.5.2000 तक रहा।

(4) श्री रामनिवास उप निरीक्षक के बाद इस प्रकरण का अनुसंधान श्री संतलाल उप निरीक्षक द्वारा किया गया। दिनांक 22.7.2000 तक उक्त प्रकरण का अनुसंधान लम्बित रहा।

(गृह मंत्री)

(5) वृत्त अधिकारी ग्रामीण श्री गंगानगर ने तफतीश अधिकारी श्री संतलाल, पुलिस उप निरीक्षक को प्रभावी तफतीश नहीं करने पर एक पत्र क्रमांक 2879 दिनांक 28.10.2002 को लिखा, जिसमें 15 योम में निस्तारण करने के निर्देश दिये गये।

(6) दिनांक 29.7.2000 के बाद थानाधिकारी श्री चन्द्रप्रकाश निरीक्षक के निर्देशन में उक्त प्रकरण का अनुसंधान श्री सन्तलाल उप निरीक्षक द्वारा किया गया। बाद अनुसंधान प्रकरण में एफ.आर. 99/2000 दिनांक 30.11.2000 को दी गई। प्रकरण में अन्तिम रिपोर्ट की केस डायरी श्री चन्द्रप्रकाश निरीक्षक द्वारा किता की गई तथा एफ.आर. आदेश दिनांक 2.12.2000 को श्री शिवराज मीणा वृत्ताधिकारी द्वारा दिये गये।

(7) उक्त प्रकरण में दिनांक 4.12.2000 को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादुलशहर नतीजा एफ.आर. अदमवकू पेश किया गया। उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान नहीं लिया गया। प्रकरण का पुनः अनुसंधान परिवादी श्री प्रीतम सिंह द्वारा परिवाद उप निरीक्षक पुलिस बीकानेर रेंज के समक्ष प्रस्तुत करने पर उनके आदेशानुसार परिवाद की जांच एवं प्रकरण का अनुसंधान न्यायालय से पत्रावली दिनांक 22.1.2001 को प्राप्त कर श्री संदीप सिंह चौहान वृत्त अधिकारी को दिया गया।

गुडा केसर सिंह देसूरी के मृत पुलिस कर्मी के आश्रित को नियुक्ति

679. श्री केसाराम चौधरी (खारची): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि श्री गोविन्द सिंह गांव गुडा केसरसिंह तहसील देसूरी जिला-पाली की उदयपुर जिले में पुलिस सेवा में कार्यरत मृत्यु हुई? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार स्वर्गीय श्री गोविन्द सिंह के आश्रित पुत्र श्री भरत सिंह को नाबालिग होने के कारण निर्धारित समय सीमा में आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर औरों की भांति शिथिलता प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) स्वर्गीय श्री गोविन्द सिंह, भूतपूर्व हैड कानिस्टेबल 276 निवासी–गांव गुडा, केसरसिंह तहसील देसूरी जिला पाली पुलिस लाइन उदयपुर में कार्यरत था, जिसकी दिनाकं 1. 4. 92 को मृत्यु हुई है।

(2) श्री गोविन्द सिंह, भूतपूर्व हैड कानिस्टेबल के आश्रित श्री भरतसिंह ने नियुक्ति आवेदन दिनाकं 27. 11. 2000 को प्रस्तुत किया, जिस पर नियुक्त नियम 1996 के नियम 10 (3) के अनुसरण

(गृह मंत्री)

में आवेदन निर्धारित सीमावधि 90 दिवस में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण आवेदन पत्र अस्वीकृत किया गया। मृतक आश्रित द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थना-पत्र राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाने पर नियमों में शिथिलता प्रदान किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

राज्य में बलात्कार पीड़ितों को मुआवजा

680. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) दिनाकं 1.1.1999 से फरवरी, 2002 तक राज्य में बलात्कार की कितनी घटनाएं हुई?

(2) बलात्कार पीड़ित महिलाओं में से कितनी महिलाएं अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित हैं?

(3) बलात्कार के मामले में से कितने मामलों में चालान पेश किए गए तथा उनमें से कितने मामलों में निर्णय होकर बलात्कारियों को सजा मिली?

(4) राज्य सरकार ने बलात्कार पीड़ित महिलाओं को क्या कोई आर्थिक सहायता प्रदान की ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनाकं 1.1.1999 से फरवरी, 2002 तक राज्य में बलात्कार की कुल 3653 घटनाएं हुई हैं।

(2) बलात्कार पीड़ित महिलाओं में अनुसूचित जाति की 431 एवं जनजाति की 129 महिलाएं हैं।

(3) बलात्कार के कुल 3653 मामलों में से 2425 मामलों में चालान पेश किये गये हैं, जिनमें से 434 मामलों में निर्णय होकर बलात्कारियों को सजा मिली।

(4) जी हां। उक्त अवधि के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति की बलात्कार पीड़ित 112 महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की गयी। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

जिला हनुमानगढ़ के जाली नोट प्रकरण के आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही

681. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मार्च, 2002 में संगरिया पुलिस जिला हनुमानगढ़ द्वारा जाली नोटों के अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था? यदि हां, तो कितने जाली

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

नोट बरामद किए गए थे तथा अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ में जाली नोटों के ऐसे कितने मामले दर्ज हुए हैं तथा उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? थानेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ऐसे मामलों में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) दिनांक 27.2.2002 को श्री पंकज कुमार जैन निवासी संगरिया की रिपोर्ट पर अभियोग संख्या 115/2002 अन्तर्गत धारा 489 (ख) भा.द.स. में दर्ज कर मुलजिम सुरजीत सिंह पुत्र श्री इन्द्रसिंह जट सिख निवासी हरीपुरा व नायबसिंह पुत्र श्री जमीत सिंह जट सिख निवासी ढाबां को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम सुरजीत सिंह से 500-500 के 162 नकली नोट कुल 81,000/-रुपये तथा नायबसिंह से 500-500 रुपये के 300 नकली नोट कुल 1,50,000/-रुपये, कुल 2,31,000 रुपये के नकली नोट बरामद किये गये हैं। अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया है तथा अभियोग का अनुसंधान जारी है।

(2) जिला गंगानगर व हनुमानगढ़ में माह फरवरी, 2001 से 30 मार्च, 2002 तक जाली नोटों से सम्बन्धित क्रमशः 4 व 3 अभियोग पंजीबद्ध किये गये हैं। जिला गंगानगर में (1) मुकदमा नं. 166/02 धारा 489, ए-बी-सी भा.द.स. पुलिस थाना पुरानी आबादी गंगानगर (2) मु.नं. 253/02 धारा 489 बी. भा.द.स. पुलिस थाना कोतवाली गंगानगर (3) मु.नं. 51/01 धारा 489 भा.द.स. थाना अनूपगढ़ व मु.नं. 397/01 489 बी.सी. भा.द.स. पुलिस थाना कोतवाली गंगानगर दर्ज हुये हैं। उक्त सभी अभियोग बैंक कर्मचारियों ने दर्ज कराये हैं तथा मुलजिम अज्ञात होना बताया है। बाद अनुसंधान प्रथम 3 प्रकरणों में एफ.आर. अदमपता मुलजिमान में दी गई है व मु.न. 397/01 थाना कोतवाली गंगानगर में एफ.आर. अदम सबूत में दी गई है। जिला हनुमानगढ़ में (1) मु.नं. 115/02 धारा 489 (ख) पुलिस थाना संगरिया में मुलजिमान सुरजीत व नायबसिंह को गिरफ्तार कर कुल 2,31,000/- रुपये के नकली नोट बरामद किये गये हैं। मुलजिम न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण जैर अनुसंधान है। (2) मु.नं. 44/02 पुलिस थाना हनुमानगढ़ में मुलजिम लखबीरसिंह को गिरफ्तार कर 500-500 रुपये के 6 नकली नोट बरामद किये। मुलजिम न्यायिक अभिरक्षा में है। मुलजिम के खिलाफ चार्जशीट नं. 065 दिनांक 20.3.2002 को कता की गई है। (3)

(गृह मंत्री)

मुकदमा नं. 115/दिनांक 22.2.2002 थाना हनुमानगढ़ में मुलजिम सुखवीर व चेतराम को गिरफ्तार कर दोनों के कब्जे से 500–500 रुपये के 6 नकली नोट बरामद किये। मुलजिमान को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया है। प्रकरण जेर अनुसंधान है।

(3) जाली नोटों से सम्बन्धित सूचना प्राप्त होते ही पुलिस द्वारा विधि अनुसार त्वरित कार्यवाही की जाती है।

ग्राम कानोता एवं बस्सी (जयपुर) में संचालित अवैध वीडियो पार्लर

682. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम कानोता एवं बस्सी जिला जयपुर एवं आसपास के ग्रामों में अवैध वीडियो पार्लर संचालित किये जा रहे हैं? यदि हां, तो उक्त को रोकने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक कार्यवाही की जावेगी?

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान वीडियो फिल्म प्रदर्शन का विनियमन अधिनियम, 1990 के तहत बनाये गये नियम 11 (3) के विरुद्ध तहसील बस्सी एवं कानोता में वीडियो पार्लर के लाइसेंस जारी किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? उक्त लाइसेंस कब तक निरस्त कर दिये जावेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त वीडियो पार्लर नियम 8 की भी पालना करते हैं? यदि नहीं, तो उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय से सिविल रिट पीटिशन सं. 1248/91 नवीचन्द कुमावत विरुद्ध राजस्थान सरकार के निर्णय में ये भी निर्देश दिये हैं कि जिस तहसील में सिनेमा हाल हो उसमें वीडियो पार्लर का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता? यदि हां, तो उक्त निर्णय को बस्सी तहसील में लागू नहीं किये जाने के क्या कारण हैं व अब कब तक लागू कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) वर्ष 1999 में इन ग्रामों में 2 अवैध वीडियो पार्लर संचालित होने की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस द्वारा मुकदमे दर्ज किये गये व कानूनी कार्यवाही की गयी थी। परन्तु उसके पश्चात् ग्राम कानोता एवं बस्सी व आसपास के ग्रामों में अवैध वीडियो पार्लर संचालित होने सम्बन्धी कोई जानकारी नहीं है।

(2) वीडियो पार्लर के लाइसेंस जारी करने व निरस्त करने की शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट व वाणिज्य कर अधिकारियों को प्रदत्त की हुई हैं। पुलिस विभाग को इस सम्बन्ध में प्रदत्त कानूनी शक्तियां व

(गृह मंत्री)

नियमों के अनुसार, यदि कोई वीडियो पार्लर कानून का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है।

(3) इस विभाग को वीडियो पार्लर का लाइसेंस देने व निरस्त करने का अधिकार नहीं है।

सब इंस्पेक्टर, पुलिस की आयु सीमा में वृद्धि

683. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य में पुलिस में सब इंसपेक्टर की भर्ती हेतु आयु में सरकार कोई फेरबदल करने का विचार रखती है?

(2) क्या यह सही है कि दूसरे अन्य राज्यों व केन्द्र में सी.आर.पी.एफ. में उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष तक मांगी जाती है? यदि हां, तो राजस्थान पुलिस में 23 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष सरकार क्यों नहीं करती?

(3) क्या सरकार निकट भविष्य में पुलिस सेवा में भर्ती हेतु कोई विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस वर्ग में?

उत्तर

(1) राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में सशोधन करने का प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) जी नहीं।

थाना पीपलू (टोंक) में दर्ज प्रकरण संख्या 30/2002

684. श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह भी सही है कि थाना पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 30/2002 दर्ज की गई है? यदि हां, तो किस सम्बन्ध में किसके द्वारा? विवरण मय प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्रार्थी अनुसूचित जाति का होने के कारण जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर उसके साथ मारपीट भी की है? यदि हां, तो किस-किस के द्वारा किस-किस कारणों से? उक्त में कौन-कौन दोषी हैं? सरकार ने उक्त के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्रार्थी को सम्बन्धित दोषी व्यक्ति ने अपने घर पर पांच घंटे तक बैठाये रखा तथा उसको दोषी व्यक्ति के घर से पुलिस छुड़वा कर लाई थी? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि सम्बन्धित व्यक्ति अनुसूचित जाति का होने

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

के कारण विपक्षी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं हो रही है? यदि हां, तो क्यों?

(5) उक्त प्रकरण की जांच किस व्यक्ति द्वारा की जा रही है? क्या सम्बन्धित जांचकर्ता के द्वारा प्रार्थी को डरा धमका कर खाली कागजों पर भी हस्ताक्षर करवाये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार सम्बन्धित जांचकर्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(6) क्या उक्त सम्बन्धित घटना में ज्यादतियों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक टोंक से शिष्टमण्डल भी मिला था? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या सरकार दोषी व्यक्तियों को शीघ्र गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध अधिनियम के तहत कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) हां, यह सही है कि थाना पीपलू पर प्रथम सूचना रिपोर्ट 30/2002 दर्ज की गई है। यह रिपोर्ट श्री कैलाश चन्द्र पुत्र श्री नारायण बैरवा निवासी अमृतनगर के पर्चा बयान पर इस आशय की दर्ज हुई कि बनवाड़ा के वर्तमान सरपंच शंकरलाल शाहू ने श्री कैलाश चन्द्र को अपनी दुकान पर बैठा दिया और उधारी के पैसे नहीं देने तक बैठाये रखने की बात की। इस पर मुकदमा नं. 30/2002 धारा 342, 323 ता. हि. दर्ज हुआ है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) यह सही नहीं है कि प्रार्थी को अपमानित करने के लिए जाति सूचक शब्दों से सम्बोधित किया गया। प्रार्थी के साथ आरोपी द्वारा मारपीट करने के साक्ष्य भी नहीं मिले।

(3) यह सही है कि प्रार्थी को आरोपी शंकरलाल द्वारा काफी समय तक दुकान पर बैठाये रखा परन्तु 5 घंटे की अवधि को निश्चित करना सम्भव नहीं हो सका हालांकि स्वयं परिवादी ने अपने बयान में करीब 4-4.30 घंटे की अवधि बताई है। स्थानीय पुलिस द्वारा 4.30 पी.एम. पर आरोपी की दुकान पर मुस्तगीस को बैठा पाया, जो सहायक उप निरीक्षक पुलिस के साथ थाने पर आया और 6.30 बजे मुकदमा दर्ज कराया।

(4) यह सही नहीं है कि सम्बन्धित व्यक्ति अनुसूचित जाति का होने के कारण विपक्षी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं हो रही है। क्योंकि मुलजिम शंकरलाल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया तथा धारा 342, ता. हि. का आरोप सत्य पाया गया।

(5) उक्त मुकदमे की तफतीश श्री पांचूलाल स.उ.नि. द्वारा की गई है। दिनांक 15.3.2002 को श्री कैलाश बैरवा द्वारा

(गृह मंत्री)

पुलिस अधीक्षक, टोंक को एक परिवाद इस आशय का दिया कि उसके द्वारा दी गई रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं की गई तथा खाली कागजात पर उसके हस्ताक्षर कराये गये। इस परिवाद की जांच एवं आवश्यक कार्यवाही वृत्ताधिकारी निवाई द्वारा की जा रही है।

(6) उक्त घटना के सम्बन्ध में एक शिष्टमण्डल 15.3.2002 को पुलिस अधीक्षक टोंक से परिवादी को साथ लेकर मिला जिस पर बिन्दु संख्या 5 के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

(7) यद्यपि आरोपी के विरुद्ध धारा 342 ता.हि. का अपराध घटित होना प्रमाणित हो चुका है, परन्तु उच्च अधिकारियों द्वारा परिवाद की जांच एवं मुकदमा का सत्यापन किया जा रहा है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

जगर चौकी (करौली) का स्थायीकरण

685. श्री भरोसी लाल (हिण्डौन): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि थाना सुरोठ करौली के तहत जगर चौकी कार्यरत है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या उक्त चौकी को स्थायी किये जाने का प्रस्ताव काफी समय से विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक उक्त चौकी को स्थायी कर दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जगर गांव थाना सुरोठ जिला करौली में अस्थाई पुलिस चौकी वर्ष 1998 से कार्यरत है।

(2) विभाग से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण इन प्रस्तावों पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

जिला अजमेर में नीलगायों द्वारा फसलों को क्षति

686. श्री सांवर लाल (भिनाय): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जिला अजमेर में विभिन्न प्रकार के जानवर/जंगली जानवर, पक्षी अधिक पाये जाते हैं? यदि हां, तो कहां कहां किस-किस श्रेणी के कितनी संख्या में उपलब्ध हैं?

(2) क्या जानवर किसानों/पशुपालकों को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाते हैं? यदि हां, तो किस-किस प्रकार से?

(3) क्या रोजड़े (नीलगाय) किसानों की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों की मदद करने के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। जिला अजमेर में पाये जाने वाले वन्य जीवों का क्षेत्रवार विवरण संलग्न परिशिष्ट ''क'' में दर्शाया गया है।

(2) अजमेर जिले में रोजड़ों के द्वारा कृषकों के खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचाये जाने की घटनाएं सरकार की जानकारी में आयी है।

(3) जी हां। कृषकों के खेतों की फसलों को रोजड़ों के नुकसान से बचाने हेतु राज्य सरकार द्वारा वन विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग तथा विकास अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने वाले रोजड़ों को नष्ट करने की अनुमति देने हेतु अधिकृत किया हुआ है जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट ''ख'' में दर्शाया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में वन क्षेत्र की भूमि

687. श्री राजेन्द्र सिंह (लक्ष्मणगढ़): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर में कितने ग्रामों की कितनी भूमि वन क्षेत्र में आती है? उक्त वन भूमि के नोटिफिकेशन की तिथि, कुल रकबा मय खसरा नम्बर व नक्शे का ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वन भूमि में कुल कितने वन खण्ड हैं? उक्त ब्लाकों में कुल कितने सीमा स्तम्भ बना रखे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर के 71 ग्रामों की 1,18,441.80 हैक्टेयर भूमि वन क्षेत्रों में आती है।

ग्राम के नाम, खसरा नम्बर एवं क्षेत्रफल का विवरण संलग्न परिशिष्ट ''क'' के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) इन 71 ग्रामों की 118441.80 हैक्टेयर भूमि 37 वन खण्डों में स्थित है। सीमा स्तम्भों सम्बन्धी विवरण संलग्न परिशिष्ट ''ख'' के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में वन विभाग की भूमि पर अवैध खनन

688. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में वन विभाग की भूमि पर अवैध खनन कार्य हो रहा है? यदि हां, तो कहां-कहां? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री हीरालाल सहरिया)

(2) उक्त अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध क्या सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में स्थित वन भूमि पर स्थायी रूप से कोई अवैध खनन कार्य नहीं हो रहा है। स्वयं के उपयोग हेतु चोरी छिपे अवैध खनन कर्ताओं द्वारा वन क्षेत्र से सतही पत्थर उठा कर ले जाने की घटनाएं प्रकाश में आयी हैं। अवैध खनन की घटनाएं जिन क्षेत्रों में होना जानकारी में आयी है उनकी सूची संलग्न परिशिष्ट "क" अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अवैध खनन की रोकथाम हेतु वन विभाग के स्टाफ तथा गश्तीदल द्वारा नियमित रूप से गश्त की जाकर अवैध खननकर्ताओं की धरपकड़ की जाती है और राजस्थान वन अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर मुआवजा राशि वसूल की जाती है या सक्षम न्यायालय में चालान/इस्तगासा पेश किया जाता है।

विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में वर्ष 2001-2002 (माह फरवरी, 2002 तक) अवैध खनन के 94 प्रकरणों में अवैध खननकर्ताओं से 1,64,352/- रुपये का मुआवजा वसूल किया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

नन्दवाई, श्रीपुरा में सड़क निर्माण

689. श्री घनश्याम जैन (बेगूं): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार नन्दवाई चरधा मध्य प्रदेश सीमा तक तथा सेमालऊ धामन्या के मध्य प्रदेश सीमा तक सड़क का डामरीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? उक्त में से कितने किलोमीटर कार्य शेष है?

(2) क्या सरकार श्रीपुरा से नासेरा घाटा तक की सड़कों का डामरीकरण करने का विचार रखती है?

(3) क्या भैरूघाटी से नन्दवाई सड़क का प्रावधान है? यदि हां, तो इसे कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं। उक्त सड़क का निर्माण संसाधनों की उपलब्धता न होने के कारण फिलहाल सम्भव नहीं है।

(2) जी नहीं। उपरोक्तानुसार।

(3) जी नहीं। उपरोक्तानुसार।

ग्राम घाटोल में दुकानों का अवैध निर्माण

690. श्री नानालाल नीनामा (घाटोल): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि घाटोल ग्राम के सर्वे नम्बर 1869/1 की भूमि श्री विनोद कुमार पिता श्री कुनणजी एवं श्री दिलीप कुमार पिता श्री राजेन्द्र कुमार पंचाल द्वारा क्रय करके निर्माण की स्वीकृति रोड से 50 फीट छोड़ कर दी गई है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्वीकृत रोड से 50 फीट छोड़ कर देने के बावजूद भी उक्त व्यक्तियों ने दुकानों का निर्माण कराया है? क्या सरकार द्वारा उक्त अवैध निर्माण को हटाने हेतु कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो कब तक और क्या उक्त सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता ने नोटिस भी जारी किया है? उक्त की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त नोटिस की अभी तक पालना नहीं हुई है?

(4) क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) क्या यह सही है कि चार वर्ष पूर्व अतिक्रमण हटाने का नोटिस देकर आगे कार्यवाही नहीं होना प्रशासन की गम्भीर उदासीनता का द्योतक है?

उत्तर

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कोई स्वीकृति जारी नहीं की गई।

(2) जी हां। सहायक अभियन्ता, पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत नोटिस दिया था लेकिन भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग की सम्पत्ति नहीं होने के कारण अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई है। नोटिस की प्रति संलग्न है।

(3) बिन्दु संख्या-2 के अनुसार।

(4) अतिक्रमण को नियमानुसार हटाने हेतु सम्बन्धित विभाग को लिखा जा रहा है।

(5) भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग की नहीं होने के कारण कार्यवाही करना सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला बांसवाड़ा में आई.आर.डी.एफ. योजनान्तर्गत स्वीकृत सड़कें

691. श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में आई.आर.डी.एफ. 6 योजना के तहत स्वीकृत अपूर्ण 43 सड़क कार्यों

(श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या)

के लिए 2 करोड़ 47 लाख 50 हजार की वित्तीय स्वीकृति जारी हुई थी? यदि हां, तो उक्त में पंचायत समिति गढ़ी की कौनसी सड़कें ली गईं? उक्त के लिए स्वीकृत राशि व श्रमिकों की संख्या की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या स्वीकृति के अनुरूप कार्य शुरू हुए? यदि हां, तो कार्य प्रगति की क्या स्थिति है एवं कब तक पूर्ण कर दिए जायेंगे?

(3) उक्त कार्य शुरू नहीं होने के क्या कारण हैं और अब कब तक शुरू करा दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति गढ़ी में स्वीकृत सड़कों का विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) इन कार्यों को 31 मार्च, 2002 तक पूर्ण किया जाना था लेकिन समयाभाव के कारण कार्य शुरू नहीं हो सके। परियोजना की अवधि 31 मार्च, 2002 तक ही थी। अत: इन योजना के अन्तर्गत आगे कार्य शुरू करवाना सम्भव नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

विधान सभा क्षेत्र जालौर में विधायक कोटे से स्वीकृत कार्य

692. **श्री गणेशीराम मेघवाल** (जालौर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र जालौर में वर्ष 2000-2001 में कहां-कहां कितनी राशि के कार्य विधायक कोटे से स्वीकृत हुए?

(2) उक्त अवधि में स्वीकृत कार्यों में से कितने पूर्ण हुए एवं कितनी राशि शेष रही? प्रत्येक कार्य का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में विधायक कोटे से कौन-कौन से एवं कहां-कहां कार्य चल रहे हैं?

(4) उक्त स्वीकृत कार्यों में उक्त अवधि में कितने कार्य पूर्ण हो गए हैं? उनमें प्रत्येक कार्य में कितनी राशि व्यय हुई एवं शेष राशि कितनी रही? कार्यवार विवरण सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जालौर में विधायक कोटे से स्वीकृत कार्यों की सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में 11 स्वीकृत कार्यों में से 9 कार्य पूर्ण हुए, एवं शेष राशि रुपये 4.15 लाख अवशेष रही विवरण परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) उक्त अवधि में एक कार्य पंचायत समिति सायला व एक कार्य पंचायत समिति जालौर में अपूर्ण थे, वर्तमान में दोनों कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं कोई भी कार्य नहीं चल रहा है।

(4) उक्त स्वीकृत कार्यों में से उक्त अवधि में कुल 11 में से 9 कार्य पूर्ण हो गये हैं, एवं व्यय राशि/शेष राशि का विवरण परिशिष्ट "ब" एवं "स" संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–12 देखें)

कुण्डा आमेर पर स्पीड ब्रेकर का निर्माण

693. श्री उदय सिंह राठौड़ (बनीपार्क): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं. 8 के कुण्डा (आमेर) बाईपास पर नांगल मोड़/श्याम बाबा चौराया व पिली तलाई मोड़ स्थित चौरायों तथा आसन वाले बाबा के पास के मोड़/चौराये पर रोड ब्रेकर नहीं होने से आये दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त तीनों मोड़/चौराहे व दोनों तरफ रोड ब्रेकर बनाने की मांग को लेकर स्थानीय नागरिकों ने कई बार ज्ञापन/धरने दिये हैं? यदि हां, तो उक्त स्थलों पर अब कब तक रोड ब्रेकर बना दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार आये दिन होने वाली दुर्घटनाओं की समस्या के समाधान हेतु जनता की मांग के अनुसार आसन वाले बाबा (कुण्डा) से मुख्य सड़क तक बाईपास बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। इस तरह का कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है, न ही धरने की जानकारी/सूचना प्राप्त हुई है।

(3) आसन वाले बाबा (कुण्डा) से मुख्य सड़क तक बाईपास बनाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

चौथाहा से हरियाणा बार्डर सड़क का निर्माण

694. डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधायक अनुशंसा के अनुरूप पुनर्निर्माणाधीन सड़क "चौथाहा से हरियाणा बोर्डर" कृषि विपणन विभाग को सौंपी गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क के ठेकेदार को, बनेठा ग्राम से गुजरने वाले भाग को न बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं? यदि हां, तो क्यों? उक्त भाग के पुनर्निर्माण का क्या प्रावधान रखा गया है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क के पोलिंग स्टेशन

695. श्री रमेश खींची (कठूमर): क्या निर्वाचन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क, जयपुर में कितने पोलिंग स्टेशन कहां-कहां पर स्थित हैं?

(2) क्या सरकार द्वारा महिला मतदाताओं एवं अनुसूची जाति/जनजाति मतदाताओं को निष्पक्ष व स्वतंत्र मतदान हेतु कोई व्यवस्था की हुई है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बनीपार्क में 402 पोलिंग स्टेशन हैं। मतदान केन्द्रों की सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। भारत निर्वाचन आयोग, के दिशा निर्देशानुसार महिला मतदाताओं एवं कमजोर वर्गों के मतदाताओं के लिये निष्पक्ष व स्वतंत्र मतदान हेतु व्यवस्था की जाती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

राज्य में दुश्मन सम्पत्ति का किरायेदार को विक्रय

696. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में जिन सम्पत्तियों को ''दुश्मन सम्पत्ति'' घोषित किया हुआ है उन्हें विक्रय करने का शत्रु सम्पत्ति अधिनियम, डिफेंस आफ इण्डियन रूल 1971 एवं समय-समय पर पुनर्वास विभाग द्वारा प्रसारित स्पष्टीकरण आदि में क्या प्रावधान है? उक्त अधिनियम/नियमों की सम्बन्धित धाराओं/नियमों अथवा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी स्पष्टीकरणों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) टोंक शहर में ऐसी कुल कितनी सम्पत्तियां हैं जो पाकिस्तानी नागरिकों की हैं?

(3) क्या पावर हाउस, टोंक के समीप मोहल्ला तालकटोरा में श्री अमीनुद्दीन जो पाकिस्तानी नागरिक है, कि सम्पत्ति मौजूद है जिसे ''दुश्मन सम्पत्ति'' की श्रेणी में घोषित किया हुआ है?

(4) क्या यह सही है कि उक्त सम्पत्ति में लगभग 38 वर्षों से किरायेदार की हैसियत से भारतीय नागरिक निवास कर रहे हैं?

(श्री नन्दलाल पूनिया)

(5) क्या उक्त सम्पत्ति के किरायेदार जो भारतीय नागरिकता प्राप्त हैं, ने उक्त सम्पत्ति की खरीद किये जाने हेतु कोई प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है? क्या उक्त सम्बन्ध में उप शासन सचिव पुनर्वास विभाग ने जिला कलेक्टर टोंक से ब्ल्यू प्रिंट मंगवाये हैं?

(6) क्या "दुश्मन सम्पत्ति" के बेचान के समय उसका बेचान उसमें रहने वाले किरायेदार को प्राथमिकता के आधार पर किये जाने के सम्बन्ध में अधिनियम/ नियमों में प्रावधान है? यदि हां, तो उक्त सम्बन्धी प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य की घोषित दुश्मन सम्पत्तियों को विक्रय करने के लिये शत्रु सम्पत्ति अधिनियम 1968 में प्रावधान है। डिफेंस आफ इण्डियन रूल्स, 1971 में प्रावधान नहीं है। केन्द्र सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरणों को पुनर्वास विभाग द्वारा जिला कलक्टर्स को जारी स्पष्टीकरणों एवं अधिनियम की प्रति संलग्न परिशिष्ट "अ" पर है।

(2) टोंक शहर में पाक नागरिकों की कुल 34 सम्पत्तियां हैं।

(3) जी हां। मोहल्ला तालकटोरा पावर हाउस टोंक के समीप श्री अमीनुद्दीन पाक नागरिक की सम्पत्ति दुश्मन सम्पत्ति घोषित है।

(4) जी हां। यह सही है कि श्री अजमत अली पुत्र श्री इशमत अली खां भारतीय नागरिक करीबन 38 वर्षों से इस सम्पत्ति में किरायेदार की हैसियत से निवास कर रहा है।

(5) जी हां। इस सम्पत्ति के किरायेदार श्री अजमत अली खां को भारतीय नागरिकता प्राप्त है। इस सम्पत्ति को खरीदने के लिए श्री अजमत अली खां द्वारा खरीदने के लिए जिला कलक्टर टोंक को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय ब्ल्यू प्रिंट पुनर्वास विभाग को प्राप्त हुए हैं।

(6) "दुश्मन सम्पत्ति" अधिनियम 1968 में किरायेदार को सम्पत्ति के बेचान किये जाने में प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायत समिति बामनवास के गांवों में विद्युत आपूर्ति

697. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास): क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बामनवास (सवाईमाधोपुर) के ग्राम आरपुरा में 58 उपभोक्ताओं ने घरेलू कनेक्शन के वर्ष 1992 में एल फार्म जमा करा दिए थे तथा फिटिंग भी करा ली थी? यदि हां, तो उन्हें अभी तक विद्युत

(डा. किरोड़ी लाल)

सप्लाई नहीं किए जाने के क्या कारण हैं? उक्त गांव के उक्त सभी उपभोक्ताओं के एल फार्म की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सुन्दरी गांव से आरपुरा के लिए 11 के.वी. लाइन के 17 खम्भे टूट गये थे? यदि हां, तो कब तथा उन्हें अभी तक पुन: नहीं लगाये जाने के क्या कारण हैं?

(3) अब ग्राम आरपुरा की कब तक बिजली चालू कर दी जायेगी? अब पुन: विभाग द्वारा एल फार्म भिजवाया जाना किस प्रकार से उचित है?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम माधोपुरा की 11 के.वी. लाइन दिनांक 26 मई, 1997 को चोरी हो गयी थी? यदि हां, तो उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट कब दर्ज हुई? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो जाने के बाद के सभी उपभोक्ताओं को भेजे गये विद्युत बिलों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) ग्राम माधोपुरा एवं महरावंड की कब तक विद्युत व्यवस्था बहाल कर दी जावेगी?

(6) क्या यह सही है कि उक्त गांवों की समस्या के निराकरण हेतु विधायक बामनवास द्वारा दिनांक 22.11.2001 को अधीक्षण अभियन्ता जयपुर विद्युत वितरण निगम सवाईमाधोपुर को पत्र लिखा था? यदि हां, तो उक्त पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें। अब तक उक्त समस्याओं का निराकरण नहीं किए जाने का क्या कारण है?

उत्तर

(1) जिला सवाईमाधोपुर की पंचायत समिति बामनवास के ग्राम आरपुरा में घरेलू कनेक्शन हेतु 58 आवेदकों ने मांग पत्र की राशि जमा करवा कर वर्ष 1993 में एल फार्म प्रस्तुत किये थे। जांच करने पर फिटिंग कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण फिटिंग कार्य पूर्ण करके पुन: एल फार्म व टेस्टिंग फीस जमा करवाने हेतु नोटिस जारी किये गये थे परन्तु आवेदकों द्वारा पुन: एल फार्म व टेस्टिंग फीस जमा नहीं करवाई गई अत: सभी पत्रावलियां निरस्त हो गयी हैं। आवेदकों की सूची परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। ग्राम सुन्दरी से आरपुरा की 11 के.वी. लाइन के खम्भे माह अप्रैल, 1999 में टूट गये थे। ग्राम आरपुरा में कनेक्शन हेतु आवेदन न होने से लाइन नहीं खींची गई।

(3) वर्तमान में ग्राम आरपुरा में कोई पत्रावली लम्बित नहीं है। इस ग्राम में कनेक्शन हेतु मांग होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि अनुसार लाइन खींचने का कार्य किया जावेगा।

(ऊर्जा मंत्री)

(4) ग्राम माधोपुरा की 11 के.वी. लाइन के तार माह अप्रैल, 1999 में चोरी हुए थे जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट 60/99 दिनांक 24.04.1999 को दर्ज करवाई गई थी। प्रथम सूचना की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है उसको प्राप्त किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। माह अप्रैल, 1999 के बाद उपभोक्ताओं को भेजे गये बिलों की राशि उनके खातों में समायोजित कर दी गई है। बिल एक ही प्रति में जारी होता है और वह उपभोक्ता को भेज दिया जाता है। अत: बिल की प्रति प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है।

(5) ग्राम माधोपुरा व महरावंड में उपभोक्ताओं द्वारा बकाया राशि जमा करवाने के बाद क्षतिग्रस्त/चोरी गई 11 के.वी. लाइन को ठीक करने की स्वीकृति जारी कर कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।

(6) माननीय विधायक महोदय का दिनांक 22.12.2001 का लिखा पत्र अधीक्षण अभियन्ता, सवाईमाधोपुर के कार्यालय में प्राप्त हुआ था जिसकी प्रति परिशिष्ट "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है। पत्र में वर्णित ग्रामों में से नारोली चौड के जो किसान नियमित बिल जमा करा रहे हैं उनकी सप्लाई अन्य ट्रांसफार्मर में से चालू कर दी गई है। शेष तीन ग्राम आरपुरा, माधोपुरा व महरावंड की स्थिति उत्तर के बिन्दु 1 से 5 तक दर्शायी हुई है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र टिब्बी व रावतसर का प्रस्तावित ग्रिड सब स्टेशन

698. श्री आदराम मेघवाल (टिब्बी): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार ने विधान सभा क्षेत्र टिब्बी के चक/ढाणियों में बिजली उपलब्ध करा रखी है?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र टिब्बी व रावतसर में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन स्थापित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टिब्बी में कुल 655 चक/ राजस्व ग्राम हैं, जिनमें 574 चक/ राजस्व ग्रामों में बिजली उपलब्ध है सभी विद्युतीकृत ग्रामों/चकों के निवासियों के लिए बिजली उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र टिब्बी के नजदीक हनुमानगढ़ टाउन व रावतसर के नजदीक नोहर में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित होने व इन क्षेत्रों में विद्युत भार कम होने के कारण तकनीकी दृष्टि से वर्तमान में टिब्बी व रावतसर में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन की आवश्यकता नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर का प्रस्तावित ग्रिड सब स्टेशन

699. श्री भंवरू खान (फतेहपुर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के ग्राम बेसवा के किकाणा जोहड़ा एवं ग्राम सदीनसर में ग्रिड सब स्टेशन बनाने हेतु प्रस्ताव काफी समय से लम्बित हैं?

(2) क्या सरकार उक्त ग्रिड सब स्टेशनों को बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) ग्राम बेसवा, कांगनसर (ठीकाना जोहड़ा में) तकनीकी रूप से साध्य नहीं होने के कारण 33 के.वी. सब स्टेशन बनाने का विचार नहीं है। ग्राम सदीनसर के लिए बलोदबड़ी में 33 के.वी. सब स्टेशन बनाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसका तकनीकी व आर्थिक दृष्टि से आकलन किया जा रहा है। साध्य पाये जाने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि व प्राथमिकतानुसार सब स्टेशन बनाने की कार्यवाही की जावेगी।

जिला जयपुर के निजी केबल आपरेटरों में बकाया पोल चार्जेज

700. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या निजी डिस्क केबल (नेटवर्क) आपरेटर्स (निजी संस्था) को जयपुर शहर में बिजली के खम्भों पर अपनी तार लाइन डालने हेतु अनुमति दे रखी है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? उक्त से प्रति खम्भा क्या शुल्क वसूला जा रहा है?

(2) क्या यह सही है कि शांति कालोनी, टीबा नायकान, आजाद नगर, बर्मीज कालोनी, खानियां सिटी डिविजन चतुर्थ, जोन डी-प्रथम आदर्श नगर/जवाहर नगर जयपुर में खम्भों पर उक्त केबल डालने की अनुमति निजी आपरेटर्स को दी गई? यदि हां, तो कब से व कितना शुल्क प्रति खम्भा वसूला जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आपरेटर्स ने कितना शुल्क प्रति वर्ष विभाग में जमा करवाया एवं कितना शुल्क कब से किन कारणों से बकाया चल रहा है? और बकाया रहने के क्या कारण हैं? उक्त बकाया शुल्क कब तक वसूला जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में बिछाई गई केबलों की उच्च स्तर पर जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। केबल आपरेटर्स को बिजली के खम्भे पर तार/लाइन डालकर नेटवर्क चलाने हेतु तत्कालीन विद्युत मण्डल के आदेश संख्या 1227 दिनांक 23.4.1996 द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी। वर्तमान में उपरोक्त आपरेटर्स से 250 रुपये प्रति खम्भा प्रति वर्ष वसूला जा रहा है।

(2) उपलब्ध सूचना के अनुसार सहायक अभियन्ता डी-जोन प्रथम के अन्तर्गत विद्युत खम्भों पर लाइन डालकर नेटवर्क चलाने हेतु अनुमति देकर वर्षवार वसूला गया शुल्क निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	वर्ष	प्रति खम्भा प्रति वर्ष शुल्क
1.	1996-97	100/-
2.	1997-98	100/-
3.	1998-99	121/-
4.	1999-2000	121/-
5.	2000-2001	146/-
6.	2001-2002	250/-

(3) सहायक अभियन्ता कार्यालय डी-जोन प्रथम के अन्तर्गत केबल आपरेटरों से वर्षवार जो शुल्क वूसला गया है वह इस प्रकार है :-

वर्ष	शुल्क
1996-97	56,800/-
1997-98	56,800/-
1998-99	68,728/-
1999-2000	68,728/-
2000-2001	90,000/-
2001-2002	–

सम्बन्धित क्षेत्र में केबल आपरेटरों में वर्ष 2000-2001 तक कोई राशि बकाया नहीं है। वर्ष 2001-2002 का शुल्क वसूलने की कार्यवाही की जा रही है तथा केबल आपरेटर्स को नोटिस जारी किये जा चुके हैं। शांती कालोनी, टीबा नायकान, बर्मीज कालोनी के केबल आपरेटरों को दिनांक 20.2.2002 एवं 27.2.2002 को उपयोग में लाये जा रहे विद्युत खम्भों का विवरण प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये गये हैं। विवरण उपलब्ध होते ही निर्धारित शुल्क वसूलने की कार्यवाही की जावेगी तथा शुल्क जमा नहीं कराने की स्थिति में विद्युत खम्भों से केबल हटाने की कार्यवाही की जावेगी।

(4) सम्बन्धित क्षेत्रों में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता एवं अन्य अधिकारी केबल आपरेटरों द्वारा उपयोग में लाये जा रहे खम्भों की समय-समय पर जांच करके सूचना प्रेषित करते हैं तथा उनके आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाती है।

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के ओ.सी.बी. रहित ग्रिड सब स्टेशन

701. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में कितने 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन कहां कहां पर स्थापित किये गए हैं?

(2) उक्त में से कौन-कौन से ग्रिड सब स्टेशनों पर ओ.सी.बी. नहीं है और ओ.सी.बी. नहीं लगाए जाने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के अन्तर्गत निम्न 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन स्थापित है :-

1. छबड़ा	5. सारथल
2. छीपाबड़ौद	6. मौखमपुरा
3. गुराडी	7. कडियांचोर
4. मूंडला	

(2) उक्त ग्रिड सब स्टेशनों में से केवल गुराडी सब स्टेशन पर ओ.सी.बी. नहीं लगी है। उपलब्ध होते ही ओ.सी.बी. लगाने की कार्यवाही की जावेगी।

जिला जैसलमेर में सौर ऊर्जा संकलन की प्रस्तावित योजना

702. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर में सौर ऊर्जा की सबसे अधिक सम्भावनाएं हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण 50 प्रतिशत से कम है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त जिले में इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में 200 से अधिक आबादियां बसी हैं?

(4) क्या सरकार जिन राजस्व गांवों का विद्युतीकरण हुआ है तथा नई चक आबादियां हैं उनमें सौर ऊर्जा का विस्तार करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जिला जैसलमेर में सौर ऊर्जा की पर्याप्त सम्भावनाएं हैं।

(2) जी नहीं। जैसलमेर जिले में कुल 578 ग्राम है जिनमें से 31 मार्च, 2002 तक 302 ग्राम विद्युतीकृत घोषित किये जा चुके हैं। इस प्रकार जिले में स्थित कुल ग्रामों में से 52.24 प्रतिशत ग्राम विद्युतीकृत घोषित हैं।

(3) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना उपनिवेशन क्षेत्र जिला जैसलमेर में 269 आबादियां स्वीकृत हैं तथा 208 आबादियां प्रस्तावित हैं।

(4) जी हां।

मुण्डावर (अलवर) में स्थापित सब स्टेशन में विद्युत आपूर्ति

703. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर के मुण्डावर में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण होकर चालू हो चुका है?

(2) क्या इसमें आगे बिजली सप्लाई के लिये 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन के ग्रेड का निर्माण नहीं हुआ है?

(3) क्या सरकार इसमें 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां पर उक्त ग्रिड सब स्टेशन बनाये जायेंगे? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला अलवर के मुण्डावर में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन दिनांक 25.01 2002 को चालू किया जा चुका है।

(2) नवनिर्मित 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन मुण्डावर के अन्दर 33 के.वी. सब स्टेशन बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे एक कि.मी. से भी कम दूरी पर 33 के.वी. सब स्टेशन पहले स्थापित है।

(3) जी नहीं।

पंचायत क्षेत्र राजगढ़ (अजमेर) में विद्युत चोरी की रोकथाम

704. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जिला अजमेर की तहसील नसीराबाद की पंचायत क्षेत्र राजगढ़ में स्थित खनन क्षेत्र के खसरा नं. 4444 चरागाह भूमि में अवैध विद्युत चोरी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

(2) उक्त विद्युत चोरी किसके द्वारा की जा रही थी तथा कितने समय से विद्युत चोरी हो रही थी? सरकार ने अवैध विद्युत चोरी करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है और विद्युत चोरी किस प्रयोजन से हो रही थी?

(3) क्या अब भी उक्त स्थान पर रात्रि के समय अवैध विद्युत चोरी हो रही है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त क्षेत्र की शिकायत प्राप्त होने पर सहायक अभियन्ता (सतर्कता) अजमेर डिस्काम अजमेर द्वारा दिनांक 3.1.2002 को जांच की गई। जांच में श्री सादिक खान अघरेलू श्रेणी में अवैध रूप से विद्युत चोरी करता पाया गया। जांच अधिकारी ने वी. सी. आर. संख्या 2693/33 दिनांक 3.1.2002 तैयार कर श्री सादिक खान के विरुद्ध थाना नसीराबाद

(ऊर्जा मंत्री)

में एफ. आई. आर. दर्ज करा दी है जिसका नं 96/02 दिनांक 21.3.2002 है।

(3) जी नहीं। जांच के बाद विभाग द्वारा लगातार सतर्कता बरती जा रही है तथा किसी प्रकार की चोरी/अवैध उपयोग की सूचना/शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

अनुसूचित जन जाति विकास निगम नागौर द्वारा स्वीकृत ऋणों की जांच

705. श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अनुसूचित जाति विकास निगम, नागौर द्वारा वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 में पंचायत समिति क्षेत्र कुचामन में किन-किन लोगों को किस-किस काम के लिये ऋण उपलब्ध कराया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त निगम से जिन अभ्यर्थियों ने ऋण व अन्य अनुदान प्राप्त किया उन्होंने जिस काम के लिये लिया वह काम प्रारम्भ किया तथा ऋण का वापसी भुगतान कब प्रारम्भ किया कितनी-कितनी राशि वापस जमा करा दी गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त निगम द्वारा दिये गये ऋण/अनुदान की मानीटरिगं हुई? यदि हां, तो कब-कब? उक्त में से कितने-कितने प्रतिशत लोगों की जांच की गई व कहां-कहां सही पाया गया व जहां सही नहीं पाया गया वहां क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, नागौर द्वारा 1999-2000 से 2001-2002 में पंचायत समिति क्षेत्र कुचामन में 30 व्यक्तियों को ऋण व अनुदान उपलब्ध कराया गया। सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जिन अभ्यर्थियों को ऋण व अनुदान उपलब्ध कराया गया है। उन लाभर्थियों द्वारा ऋण भुगतान प्रारम्भ तिथि एवं जमा कराई गयी राशि की सूचना परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) निगम कार्यालय, नागौर में स्टाफ की कमी के कारण मानिटरिंग/सत्यापन नहीं किया गया है। निगम मुख्यालय द्वारा मानिटरिंग/भौतिक सत्यापन कार्य रेण्डम आधार पर किया जाता है लेकिन रेण्डम आधार पर कुचामन पंचायत समिति का चयन नहीं होने के कारण भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

बाड़मेर में प्रशासन गांवों के संग में स्वीकृत पेंशन राशि का भुगतान

706. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर):- क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

(1) जिला बाड़मेर में प्रशासन गांव के संग में वृद्धावस्था, विकलांग एवं विधवा पेंशन के लिये कितने पुरुष एवं महिलाओं को चयन किया गया और पेंशन प्राप्त नहीं हुई है?

(2) उक्त को अब कब तक पेंशन अदा कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर में ''प्रशासन गांवों के संग'' कार्यक्रम में वृद्धावस्था, विकलांग एवं विधवा पेंशन के लिये निम्नांकित पुरुष एवं महिलाओं का चयन किया गया एवं सभी के पेंशन भुगतान आदेश जारी किये गये :-

क्र.सं.	पेंशन योजना	पुरुष	महिलाएं	योग
1.	वृद्धावस्था	30	60	90
2.	विकलांग	20	5	25
3.	विधवा	–	808	808
	योग	**50**	**873**	**923**

इनमें से दिनांक 31.3.2002 तक 436 पेंशनर्स को पेंशन प्राप्त नहीं हुई थी, जिनकी विगत निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	पेंशन योजना	पुरुष	महिलाएं	योग
1.	वृद्धावस्था	23	52	75
2.	विकलांग	–	–	–
3.	विधवा	–	361	361
	योग	**23**	**413**	**436**

(2) दिनांक 10.4.02 को 436 पेंशनर्स में से अब तक 105 पेंशनरों को भुगतान किया जा चुका है एवं शेष को भुगतान करने की कार्यवाही की जा रही है।

जिला पाली में भेड़पालकों के उत्थान हेतु प्रदत्त सुविधाएं

707. श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी): क्या भेड़ व ऊन विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला पाली में भेड़पालकों एवं ऊन उत्पादकों के उत्थान हेतु कौन-कौनसी योजनाएं हैं? क्या उक्त भेड़पालकों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिये सरकार ऋण जैसी सुविधाएं प्रदान करती है?

(2) उक्त जिले में कितनी भेड़ व बकरियां हैं एवं इनमें कुल कितना ऊन उत्पादन होता है?

(3) सरकार द्वारा भेड़पालकों के विवाद के लिए एवं ऊन उत्पादन बढ़ाने के लिए पाली जिले में कितनी राशि 5 वर्षों में किस मद में व्यय की गई?

उत्तर

(1) जिला पाली में केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, जोधपुर के सौजन्य से एकीकृत भेड़ व ऊन विकास परियोजना की निम्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है :-

1. पाली
2. सुमेरपुर
3. रानी
4. रायपुर

उक्त योजना के अन्तर्गत ऋण उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

(2) पाली जिले में पशुगणना वर्ष 1997 के अनुसार 13, 69, 119 भेड़ें तथा 60, 05, 755 बकरियां हैं। एक भेड़ से प्रतिवर्ष 0.902. से 1.814 किलोग्राम ऊन प्राप्त होती है।

(3) एकीकृत भेड़ व ऊन विकास परियोजना के अन्तर्गत योजना क्षेत्रों में निम्नानुसार राशि व्यय की गई। यह राशि केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। एक योजना का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है।

क्र.सं.	योजना क्षेत्र का नाम	1998-1999	1999-2000	2000-2001
1.	सुमेरपुर	3.69 लाख	8.30 लाख	4.79 लाख (3 वर्ष)
2.	रानी	-	-	1.84 लाख (1 वर्ष)
3.	पाली	-	5.84 लाख	4.45 लाख (2 वर्ष)
4.	रायपुर	-	-	1.91 लाख (1 वर्ष)

ग्राम सेवा सहकारी समिति पाली में ऋण वितरण में अनियमितताओं की जांच

708. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला पाली की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कितने व्यवस्थापकों को वर्ष 1995-96 से 2000-2001 तक की अवधि में गबन व अन्य आरोपों में निलम्बित किया गया? उक्त निलम्बित किये गये व्यवस्थापकों के नाम व किस सोसाइटी से कितनी राशि गबन की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वर्षों में निलम्बित किये गये व्यवस्थापकों में से कितनों को उक्त सेवाओं से निकाला गया तथा कितनों की जांच अब तक किस वर्ष से लम्बित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सहकारी अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत राशि गबन के व्यवस्थापकों को चयन समिति द्वारा पुनः सेवाओं पर लिया गया है? यदि हां, तो ऐसे कितने व्यवस्थापकों को पुनः सेवाओं पर अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जोधुपर के निर्णयानुसार लिया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) पाली सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक के प्रबन्ध निदेशक के सम्मुख गबन के आरोपी कितने व्यवस्थापकों के मामले चयन समिति में विचाराधीन चल रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या ऐसे आरोपियों को पुनः सेवाओं पर लेना न्यायसंगत है? यदि हां, तो उक्त प्रकार के सभी आरोपी जिन्होंने बैंक की राशि जमा करा दी है उनको सेवाओं पर नहीं लेने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला पाली की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के ऐसे 27 व्यवस्थापकों को वर्ष 1995-96 से वर्ष 2000-2001 तक की अवधि में निलम्बित किया जिनके विरुद्ध अन्य आरोपों के साथ गबन के आरोप थे। उक्त प्रकार से निलम्बित व्यवस्थापकों के नाम, समिति का नाम एवं उन पर आरोपित गबन राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त वर्षों में उक्त प्रकार से निलम्बित किये गये 27 व्यवस्थापकों में से 11 व्यवस्थापकों को सेवा से बरखास्त किया गया तथा 6 व्यवस्थापकों को अनुशासनात्मक कार्यवाही कर दण्डित करते हुए उन्हें सेवा में बहाल किया गया, शेष 10 व्यवस्थापकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित है, जिनमें से 4 को पेंडिंग जांच बहाल किया गया है। पूरी सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(सहकारिता मंत्री)

(3) जी हां। ऐसे तीन व्यवस्थापकों को चयन समिति द्वारा पुन: सेवा में लिया गया है किन्तु अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जोधपुर के निर्णय में उक्त व्यवस्थापकों को पुन: सेवा में लिये जाने के कोई निर्देश नहीं थे।

(4) पाली सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक लि. के अधिशासी अधिकारी के माध्यम से व्यवस्थापक चयन समिति के समक्ष निम्न तीन अपील विचाराधीन चल रही है:-

क्र.सं.	नाम अपीलार्थी
1.	श्री चुन्नीलाल जोरम (पूर्व व्यवस्थापक फूलमाल समिति)
2.	श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (पूर्व व्यवस्थापक ठण्डीबेरी समिति)
3.	श्री हंसराज शर्मा (पूर्व व्यवस्थापक कुशालपुरा समिति)

(5) व्यवस्थापकों के लिए प्रभावी "कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के सेवा नियम, 1991" के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी (अपील अधिकारी) चयन समिति के समक्ष पीड़ित पक्ष द्वारा अपील किये जाने पर ही वैधानिक ढंग से अनुतोष दिये जाने के प्रावधान हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

भादरा शहर की ट्रांसपोर्ट सोसायटी की भूमि पर अवैध अतिक्रमण

709. श्री संजीव कुमार (भादरा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भादरा शहर में कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा पूर्व में किसी ट्रांसपोर्ट सोसाइटी का संचालन किया जाता था जिसमें सोसाइटी की बसें भी चलाई जाती थी? यदि हां, तो किस नाम से और कब से?

(2) उक्त सोसाइटी को कब बन्द किया गया तथा उक्त सोसाइटी में कौन कौन सदस्य थे? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त सोसाइटी की भादरा के मुख्य शहर में कोई भूमि (भूखण्ड) अथवा मकान थे? क्या उक्त में सोसाइटी का कार्यालय चलता था? यदि हां, तो कितनी भूमि पर?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों ने?

(5) क्या सरकार उक्त अतिक्रमणों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। दी भारत बस ट्रांसपोर्ट कोओपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भादरा द्वारा बसें संचालित की जाती थी। उक्त समिति दिनांक 3.9.1957 पंजीकृत की गई थी।

(2) सोसाइटी को दिनांक 21.1.1972 को अवसायन में लाया गया था, उस समय सोसाइटी के 51 सदस्य थे। उक्त सदस्यों की सूची प्रदर्श संख्या–1 के अनुसार है।

(3) जी हां। सोसाइटी के पास 149×116 फीट का भूखण्ड था। जी हां सोसाइटी का कार्यालय उक्त भूखण्ड में निर्मित भवन, जो 41×21 फीट भूमि पर था, में चलता था।

(4) जी हां। विवरण प्रदर्श संख्या–2 पर संलग्न है।

(5) जी हां। अतिक्रमण हटाने के लिए अवसायक द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–16 देखें)

केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा वितरित अकृषि ऋण

710. श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत 10 वर्षों में प्रति वर्ष राज्य में प्रत्येक केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा किस-किस बैंक द्वारा कितना-कितना अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण वितरित किया गया?

(2) उक्त अवधि में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा किस-किस बैंक द्वारा प्रतिवर्ष किन-किन उद्देश्यों के लिए कितनी राशि अकृषि ऋण में वितरण की गई?

(3) बैंक के द्वारा वितरण/ऋण की किस-किस बैंक की प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत वसूली हुई?

(4) बैंक द्वारा वितरित ऋण में किस-किस बैंक का कितना ऋण प्रतिवर्ष अवधिपार हुआ?

उत्तर

(1) राज्य के प्रत्येक केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा पिछले 10 वर्षों में प्रतिवर्ष वितरित अल्पकालीन ऋण मध्यकालीन ऋण एवं दीर्घकालीन ऋण का बैंकवार एवं वर्षवार विवरण क्रमशः परिशिष्ट–1,2 एवं 3 पर संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा उद्देश्यवार अकृषि ऋण वितरण का विवरण परिशिष्ट संख्या–4 से 29 पर दिया गया है।

(3) केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा वितरित ऋणों की पिछले 10 वर्षों की वर्षवार वसूली प्रतिशत का विवरण परिशिष्ट–30 पर दिया गया है।

(सहकारिता मंत्री)

(4) केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा वितरित ऋणों में प्रत्येक वर्ष के अन्त में अवधिपार बकाया का विवरण परिशिष्ट-31 पर दिया गया है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सहकारी संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों को चयनित वेतनमान का लाभ

711. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंजीयक सहकारी विभाग ने सहकारी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को 9,18,27 की वेतन श्रृंखला दिये जाने के आदेश दिये? यदि हां, तो सहकारी शीर्ष संस्थाओं, होलसेल भण्डारों, क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में किस-किस संस्था में आदेश भेजे गये? उक्त की पालना में कितने कर्मचारियों ने संस्थावार इसका परिलाभ लिया?

(2) क्या यह सही है कि पुन: पंजीयक सहकारी विभाग ने घाटे को आधार मानते हुए सभी सहकारी संस्थाओं को 9,18,27 का परिलाभ पर रोक के आदेश प्रसारित किये? क्या यह सही है कि उक्त आदेश से लाभ में आने वाली संस्थाओं ने भी उक्त पर रोक लगा दी है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि एक सुपरवाइजर, सुनीता भार्गव कानफैड को पंजीयक, सहकारी विभाग ने 9,18,27 लाभ दिये जाने के साथ यह भी इंगित किया कि ऐसे मामलों को विशिष्ट मानते हुए अन्य को भी लाभ दिया जा सकता है? यदि हां, तो आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विभाग द्वारा पूर्व में कतिपय संस्थाओं को कुछ शर्तों के साथ अपने कर्मचारियों को 9,18,27 की वेतन श्रृंखला का परिलाभ दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिन शीर्ष संस्थाओं, होलसेल भण्डारों एवं क्रय विक्रय सहकारी समितियों में उक्त स्वीकृति प्रदान की गई है, उनकी सूची, परिलाभ लेने वाले कर्मचारियों की संस्थावार संख्या सहित परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। पंजीयक सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक फा.15 (7) साविरा/नियम/89 दिनांक 26.8.1997 के माध्यम से 9,18,27 की वेतन श्रृंखला दिये जाने पर लगाई गई रोक केवल हानि वाली संस्थाओं पर ही नहीं, अपितु समस्त सहकारी संस्थाओं के लिए है। क्योंकि सहकारी संस्थाओं की लाभदायकता में वर्ष प्रति वर्ष परिवर्तन सम्भावित रहते हैं, जबकि वेतन वृद्धि का स्थाई प्रभाव होता है।

(3) जी हां। पत्र क्रमांक फा. 15(7) सविरा/नियम/89/पार्ट-2 दिनांक

(सहकारिता मंत्री)

30.1.2001 की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक में हानि की रोकथाम

712. **श्री मदन दिलावर** (अटरू), **श्री जगन्नाथ** (मनोहरथाना) एवं **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक की हानि 2.53 करोड़ से अधिक हो गई है? यदि हां, तो ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे हानि में बढ़ोतरी होती गई? क्या उक्त हानि ऋण वितरण में आई कमी व वसूली के लक्ष्यों की पूर्ति न होने के कारण बढ़ती रही है? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

(2) लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्या बैंक की वित्तीय समीक्षा कमेटी ने वर्ष 1998 से ही सुपरवाइजर के दो पदों में वृद्धि करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये थे? क्या बैंक की आम सभा में भी बैठक दिनांक 6.2.2002 से लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बैंक की आवश्यकतानुसार फील्ड स्टाफ लेने का निर्णय किया हुआ है? क्या बैंक की इस वर्ष हुई वित्तीय समीक्षा बैठक दिनांक 2.3.2002 में भी तीन पद फील्ड स्टाफ (सुपरवाइजर) की वृद्धि हेतु निर्णय लेकर राजस्थान सरकार से स्वीकृति चाही गई है? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्यों?

(3) क्या बैंक की बढ़ती हुई हानि, ओवरड्यू ऋण की वसूली के दृष्टिगत इस तरह की स्वीकृति देने में सरकार को कोई बाधा है? यदि नहीं, तो क्या उक्त स्वीकृति देना विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। बैंक द्वारा वर्ष 2000-2001 में गैर निष्पादित अस्तियों के लिए 2.24 करोड़ का प्रावधान करने के कारण इस हानि में वृद्धि हुई है। ऋण वितरण एवं ऋण वसूली में कमी भी उक्त हानि में वृद्धि का एक कारण रहा है। अवधिवार बकायादारों के विरुद्ध राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 के प्रावधानान्तर्गत वसूली कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी हां।

जी हां।

जी हां।

बैंक की संचित हानि अधिक होने के कारण नये पदों के सृजन की अनुमति दिया जाना सम्भव नहीं है।

(3) जी हां। बैंक हानि में होने के कारण नये पद सृजित करना बैंक हित में नहीं है।

सहकारी शुगर मिल के केशोरायपाटन के कार्मिकों को बकाया वेतन का भुगतान

713. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

सहकारी क्षेत्र के शुगर मिल केशोरायपाटन के अन्दर कार्यरत कितने श्रमिकों/कर्मचारियों को कितने माह के वेतन का भुगतान नहीं दिया गया? क्या सरकार उक्त कार्मिकों को उनके बकाया वेतन का भुगतान कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल लिमिटेड में वर्तमान में 195 स्थायी कर्मचारी/ श्रमिक कार्यरत हैं। माह मार्च, 2001 से वेतन भुगतान नहीं किया गया है। मिल के पास वित्तीय संसाधन उपलब्ध न होने से वेतन भुगतान नहीं किया जा सका है। वेतन का भुगतान राज्य सरकार से ना होकर संस्थाओं द्वारा स्वयं के संसाधनों से ही किया जाता है।

जयपुर में राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को प्राप्त शिकायतों का निराकरण

714. श्री कन्हैया लाल (बस्सी): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1998 से फरवरी, 2002 तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को जिला-जयपुर से कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है?

(2) क्या उक्त शिकायतों का निवारण मण्डल एवं नगर निगम द्वारा किया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रदूषण सम्बन्धी शिकायतें दूर तीन माह बाद नगर निगम या नगरपालिका को भेज दी गई हैं और इनके निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है?

(4) क्या यह भी सही है कि सांगानेर क्षेत्र में छपाई-रंगाई के एसिड पानी के घुलमिलने से यहां फ्लोराइड से जल प्रदूषित एवं यहां से गुजरने वाले अमीनाशाह एवं मालवीयनगर के गन्दे नाले के पानी से यहां काश्तकार बिना रोकटोक के प्रदूषित सब्जियों का उत्पादन कर बेच रहे हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त प्रकार फैले जल प्रदूषण एवं प्रदूषित सब्जियों के विक्रय पर रोक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1998 से फरवरी, 2002 तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को जयपुर जिले से सम्बन्धित कुल 169 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(राज्य मंत्री, पर्यावरण)

(2) उपरोक्त 169 शिकायतों में से 62 शिकायतों का निस्तारण प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा अपने स्तर पर कर दिया गया है, 16 शिकायतों को जयपुर नगर निगम को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया गया है एवं शेष 91 शिकायतों पर आवश्यक कार्यवाही प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा की जा रही है।

जयपुर नगर निगम को भिजवाई गई 16 शिकायतों में से 12 पर उनके द्वारा नोटिस आदि जारी कर दिए गए हैं एवं शेष 4 शिकायतों के विवाद माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन चल रहे हैं।

(3) प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में प्राप्त होने वाली शिकायतों की प्रारम्भिक जांच सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी से करवाई जाकर प्राप्त रिपोर्ट पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में शिकायतों के निस्तारण हेतु प्रदूषण जल चेतना एवं सहायता केन्द्र पी.ए.ए.सी. भी कार्यरत है।

जिन शिकायतों के निस्तारण हेतु स्थानीय निकाय अधिकृत है उन्हें ही सम्बन्धित नगर निगम, नगरपालिका को भेजा जाता है।

(4) सांगानेर क्षेत्र में रंगाई-छपाई के उद्योगों से उत्पन्न व्यावसायिक उच्छिष्ट (Effluent) से होने वाले प्रदूषण से सम्बन्धित दो मामले माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

सांगानेर क्षेत्र में जयपुर शहर के आस पास के गन्दे नालों के पानी से काश्तकारों द्वारा सब्जियों का उत्पादन किए जाने की जानकारी मिलने पर उद्यान विभाग द्वारा जयपुर नगर निगम को नियमानुसार कार्यवाही कर इस पर रोक लगाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

पंचायत समिति प्रतापगढ़ में चयनित परिवारों की महिलाओं को मातृत्व लाभ योजनान्तर्गत सहायता

715. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के चयनित परिवारों की 19 साल के ऊपर की महिलाओं को पहले दो बच्चों के पैदा होने पर पांच सौ रुपये की सहायता मिल सकती है? यदि हां, तो वर्ष 2001-2002 में प्रतापगढ़ उपखण्ड की पंचायत समिति प्रतापगढ़ एवं अरनोद की किस-किस ग्राम पंचायत से कितनी महिलाओं को उक्त सहायता उपलब्ध करवायी गई?

(2) पंचायत समिति प्रतापगढ़ एवं अरनोद क्षेत्र में वर्ष 2001-2002 में कितनी वार्ड सभा का आयोजन किया गया और मातृत्व लाभ योजना के अन्तर्गत कितने आवेदन प्राप्त हुए एवं कितने प्राप्त आवेदनों में से अस्वीकृत किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति प्रतापगढ़ तथा अरनोद में संलग्न सूची के अनुसार ग्राम पंचायतों में 40 महिलाओं को उक्त सहायता उपलब्ध कराई गई है।

(2) वर्ष 2001-2002 में आयोजित वार्ड सभा अरनोद में 306 एवं प्रतापगढ़ में 517 वार्ड सभा आयोजित की गई। मातृत्व लाभ योजना अन्तर्गत पं.स. प्रतापगढ़ के 173 व अरनोद 20 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। जिनमें से किसी को अस्वीकृत नहीं किया गया है। उपलब्ध बजट के आधार पर अरनोद में 12 एवं प्रतापगढ़ में 28 आवेदकों को भुगतान कर दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

सैकण्डरी उत्तीर्ण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर पद पर पदोन्नति

716. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार राज्य में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगातार 5-10 वर्ष से सेवारत हैं एवं सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण हैं को सुरवाईजर के पद पर मनोनीत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? उक्त सम्बन्धी आदेश एवं नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ऐसी महिला जो विधवा एवं तलाकशुदा है तथा न्यूनतम अंकों से ग्रामीण क्षेत्रों से सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण भी है एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 10 वर्ष की लगातार सेवा दे रही है सरकार उन्हें भी ग्रामीण क्षेत्रों में सुपरवाइजरों के पद पर लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक/सैकण्डरी व पुरानी स्कीम के अधीन हायर सैकण्डरी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रूप में 10 वर्ष का पूर्ण अनुभव रखने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से पर्यवेक्षक के पद भरे जाने का विचार है। नियमों की प्रति परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है। नियुक्ति आदेश जारी किए जाने की निश्चित समयावधि नहीं दी जा सकती।

(2) उपरोक्तानुसार यदि ऐसी महिलाएं सुपरवाइजर के पद हेतु निर्धारित योग्यता तथा आंगनबाड़ी में कार्य करने का निर्धारित अनुभव रखती है तो उन्हें सुपरवाइजर के पद पर निर्धारित सीमा तक नियुक्ति दी जा सकती है। इसके लिए निश्चित समय सीमा नहीं दी जा सकती।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-19 देखें)

महिला पर्यवेक्षक, श्रीगंगानगर के विरुद्ध शिकायतें

717. श्री मदन दिलावर (अटरू): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला श्रीगंगानगर में वर्तमान में महिला एवं बाल विकास परियोजना अनूपगढ़ में कार्यरत महिला पर्यवेक्षक के विरुद्ध क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई हैं? उक्त प्राप्त शिकायतों पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त शिकायतों की जांच किस किस के द्वारा की गई तथा जांच के निष्कर्ष क्या रहे? जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त महिला पर्यवेक्षक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या उक्त आचरण की महिला को बार-बार या लगातार अनूपगढ़ में ही रखना जनहित में है? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो फिर बार-बार स्थानान्तरण निरस्त करने के क्या कारण रहे हैं?

उत्तर

(1) अनूपगढ़ में कार्यरत महिला पर्यवेक्षकों में से किसी के भी विरुद्ध वर्तमान में कोई शिकायत इस विभाग में प्राप्त नहीं हुई है।

एक महिला पर्यवेक्षक श्रीमती भगवती लधड के विरुद्ध उनके समाज कल्याण विभाग के पदस्थापन काल की शिकायत हुई थी, जिस पर समाज कल्याण विभाग द्वारा कार्यवाही की गई।

(2) शिकायत की जांच निदेशालय समाज कल्याण विभाग द्वारा की गई थी। जांच की प्रति परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। श्रीमती भगवती लधड को एफ.आई.आर. संख्या-132/2000 के तहत केस दर्ज होने पर दिनांक 23.5.2001 को गिरफ्तार किया गया था। श्रीमती लधड के द्वारा समाज कल्याण विभाग में राजकीय कन्या छात्रावास, विजयनगर के अधीक्षक का अतिरिक्त कार्यभार रखने की अवधि के दौरान एक महिला रसोईयां/चौकीदार की नियुक्ति के सम्बन्ध में श्रीमती गीता पत्नी श्री कानाराम द्वारा दर्ज कराई गई उक्त एफ.आई.आर. के तहत गिरफ्तार किया गया था तथा सी.जे. एण्ड डी.जे.एम. न्यायालय, श्री विजयनगर द्वारा इन्हें उसी दिन जमानत पर छोड़ दिया गया।

(4) जी नहीं। श्रीमती भगवती लधड महिला पर्यवेक्षक का स्थानान्तरण परियोजना कुचामन सिटी (नागौर) में आदेश संख्या 76246 दिनांक 27.7.2001 से किया जा चुका है। केवल बीमारी के कारण अग्रिम आदेश तक परियोजना अनूपगढ़ में कार्य करने की अनुमति दी गई है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-20 देखें)

अजमेरी गेट से अग्रवाल फार्म (जयपुर) की बसों का बस स्टेण्ड

718. श्री आदराम मेघवाल (टिब्बी): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अजमेरी गेट से अग्रवाल फार्म तक चलने वाली रूट नं. 207 की पथ परिवहन निगम बसों का पूर्व में स्टोपेज एस.एफ.एस. राजावत फार्म निर्धारित था जो चालक/परिचालक की सुविधानुसार थड़ी मार्केट से उक्त बसें संचालित हो रही है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बसें निर्धारित बस स्टोपेज से ही चल रही है जबकि उक्त स्टोपेज मनमर्जी से बदल कर थड़ी मार्केट कर दिया गया है? क्या सरकार इसे पुनः बहाल करने का विचार रखती है?

(3) क्या यह भी सही है कि राजावत फार्म पर निगम बसों को खड़ी करने के स्थान का अभाव तथा जे.डी.ए. द्वारा तारबन्दी की बात की गई थी, जबकि मौके पर कोई तारबन्दी नहीं की हुई है? यदि हां, तो सरकार उक्त सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अब अग्रवाल फार्म एस.एफ.एस. के वरिष्ठ नागरिकों से जानकारी कर बसों का स्टोपेज का उचित स्थान निर्धारित करने का विचार रखती है। यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) उक्त मार्ग पर चलने वाली बसें एस.एफ.एस. राजावत फार्म तक संचालित हो रही हैं, अतः अब ऐसी कोई समस्या नहीं है।

(4) वर्तमान में एस.एफ.एस. राजावत फार्म तक निगम बस संचालित हो रही है। इसलिए एस.एफ.एस. अग्रवाल फार्म के वरिष्ठ नागरिकों के बस स्टाप का स्थान निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में निजी बसों के रूट परमिट

719. डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में निजी बसों को कुल कितने रूट परमिट किस-किस रूट पर कब से दिये हुये हैं?

(2) उक्त क्षेत्र की जनता की मांग के अनुरूप यातायात विभाग ने उक्त विधान सभा क्षेत्र में किस-किस रूट का कब-

(डा. रतनलाल जाट)

कब सर्वे करवा तथा सर्वे के बाद क्या उक्त गांवों में बसें चलाई गई है? यदि हां, तो कब से?

(3) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र की तहसील रायपुर के गांव मन्डोल में बस सेवा चालू करने के लिये विभाग द्वारा रायपुर-कपासन वाया पालरा, आमेट देवगढ़ वाया बागड़ तथा बोदाजा भीलवाड़ा वाया नाथड़ीयावास रूट का सर्वे कार्य कब किया गया? उक्त मण्डोल गांव में सर्वे के बाद भी अभी तक बसें क्यों नहीं चलाई गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र के गांव अड़सीपुरा तहसील सहाड़ा में किस-किस रूट की कौन-कौन सी बस सेवा उपलब्ध है? यदि नहीं, तो उक्त गांव में बसें कब तक चालू कर दी जावेंगी? उक्त गांव को बस सेवा से क्यों वंचित कर रखा है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में निजी बसों को 17 विभिन्न मार्गों पर 89 परमिट जारी किये हुए हैं। मार्गवार विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" में उपलब्ध है।

(2) गत वर्ष (2001-2002) के दौरान जनता की मांग के अनुरूप दो मार्ग गंगापुर से आमेट व गंगापुर से वाड़ियों की माताजी मार्गों की सर्वे दिनांक 19.4.2001 एवं 20.11.2001 को कराकर मार्ग, क्रमशः दिनांक 1.12.2001 तथा 19.1.2002 को खोले गये। मार्ग गंगापुर से आमेट पर एक वाहन आरजे 09/पी 0201 संचालित हो रही है तथा मार्ग गंगापुर से वाडियो की माताजी पर आरजे 27/पी 1022 एक वाहन संचालित हो रही है। गंगापुर से आमेट पर दिनांक 8.2.2002 व गंगापुर से वाडियो की माताजी पर दिनांक 23.2.2001 से संचालित हो रही है।

(3) मण्डोल गांव को बस सेवा उपलब्ध कराने हेतु उसे रायपुर से कपासन, भीलवाड़ा से बोराणा, आमेट से देवगढ़ मार्ग के मध्य जोड़ने के लिए दिनांक 22.9.2001 को सर्वे करा लिया गया था, किन्तु सर्वे रिपोर्ट में पर्याप्त सूचना नहीं होने के कारण प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को पुनः सर्वेक्षण रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्दिष्ट किया गया है।

(4) ग्राम अड़सीपुरा, भीलवाड़ा से बोराणा मार्ग के मध्य आता है, जिस पर 3 वाहनें संचालित हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-20 देखें)

परिवहन विभाग के वसूली दस्तों के लक्ष्य

720. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि परिवहन विभाग ने वसूली चैकिंग उड़न दस्ते गठित कर रखे हैं? यदि हां, तो किस-किस स्तर पर किस-किस नाम से?

(2) उक्त उड़न दस्तों ने जिला धौलपुर में किस-किस कमी/कारण से कितनी-कितनी राशि किस स्तर पर वाहनों से वसूली है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने उक्त वसूली हेतु लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं? क्या लक्ष्य समयानुसार निर्धारित किये जाते हैं? यदि हां, तो किस स्तर पर? गत वर्षों में किस किस प्रकार के लक्ष्य थे और वर्तमान में किस स्तर के हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विभाग में वसूली चैकिंग हेतु कुल 132 उड़नदस्ते स्वीकृत हैं, जिसमें से 125 उड़नदस्ते गठित हैं। जिसमें 15 पी.एफ.एस. (प्रदूषण फ्लाइंग स्कवाड) 26 एस.एफ.एस. (विशेष उड़न दस्ते), 20 आर.एफ.एस. (रीजनल फ्लाइंग स्कवाड) तथा 64 डी.एफ.एस. (डिस्ट्रिक्ट फ्लाइंग स्कवाड) शामिल हैं।

(2) जिला धौलपुर में एस.एफ.एस. क्रमांक 5 व 10 तथा डी.एफ.एस. क्रमांक 19 उड़नदस्ते तैनात हैं। इन उड़नदस्तों द्वारा जिन-जिन कमियों/कारण से वर्ष 2001-2002 (माह फरवरी, 2002 तक) के दौरान जो राशि वसूली गई है उसका विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" में उपलब्ध है।

(3) जी हां। उड़नदस्तों के वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। लक्ष्यों का निर्धारण मुख्यालय स्तर पर किया जाता है। माह जून, 1999 से लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं जिसमें अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है :-

उड़नदस्ते का प्रकार	वर्ष 1999-2000	वर्ष 2000-2001	वर्ष 2001-2002
आरएफएस/ एसएफएस	88	88	88
डीएफएस	60	60	60
पीएफएस	36	36	36

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-21 देखें)

श्री महावीरजी हेतु डीलक्स बस सेवा

721. श्री रमजान खान (पुष्कर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्री महावीरजी एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र होने के कारण बहुत से यात्री प्रतिदिन रोडवेज बस से यात्रा करते हैं? सरकार ने उक्त की सुविधा हेतु कौन-कौन से समय पर कितनी बसें चला रखी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि श्री महावीरजी के लिए एक डीलक्स बस जो 1.45 पर सिंधी कैम्प बस स्टेण्ड से प्रस्थान करती थी, को बन्द कर दिया गया है?

(3) क्या सरकार यात्रियों की सुविधा हेतु उक्त डीलक्स बसें पुनः चालू करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। महावीरजी होकर संचालित सेवाओं का समय परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। पूर्व में इस मार्ग पर सेमी डीलक्स बस सेवा का संचालन किया गया था परन्तु पर्याप्त यात्रीभार नहीं मिलने के कारण माह अप्रैल, 2001 से सेमी डीलक्स बस सेवा को द्रुतगामी बस सेवा के किराये पर संचालित किया गया फिर भी इसे पर्याप्त यात्रीभार नहीं मिला और विवश होकर इस सेवा का संचालन माह नवम्बर, 2001 से स्थगित कर दिया गया। पुनः संचालन प्रारम्भ कर इस पर पुख्ता कंडेक्टर ग्रीन कार्ड होल्डर के योजना अर्न्तगत लिया जायेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-22 देखें)

जनजाति आश्रम छात्रावासों में सहायक सामग्री क्रय में अनियमितता

722. श्री जीतमल खांट (बागीदौरा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या उदयपुर सम्भाग में जनजाति आश्रम छात्रावासों के लिये वर्ष 2001-2002 में 80 लाख रुपये की सहायक सामग्री (चद्दरें, खेस, कम्बल, तकिया, खोल आदि) बुनकर संघ से खरीदी गई हैं? यदि हां, तो जिलेवार कितनी-कितनी सामग्री किस-किस मूल्य से उपलब्ध करायी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सम्भाग स्तर पर गठित क्रय समितियों ने सामग्री की गुणवत्ता एवं कीमत के निर्धारण का आधार क्या रखा है? क्या बुनकर संघ के समानान्तर संस्थाओं की दरें एवं नमूने लिये गये

(श्री जीतमल खांट)

हैं? यदि हां, तो उनकी दरों का तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर में चद्दरें नमूने के अनुरूप नहीं थीं? यदि हां, तो उक्त चद्दरों को बुनकर संस्था ने बदलवाने के लिये क्या पुनः उठा ली गई हैं? यदि हां, तो प्रति चद्दर की कीमत कितनी निर्धारित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि बुनकर संघ जयपुर द्वारा संस्था निर्मित माल नहीं उपलब्ध होने पर बुनकर संघ ने समानान्तर दुकान (व्यापारियों) से माल उठाकर छात्रावासों को सप्लाई किया?

(5) क्या यह भी सही है कि सहायक सामग्री क्रय करने एवं घटिया सामग्री क्रय करने पर भारी अनियमितता हुई हैं? क्या सरकार उक्त में जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जनजाति उपयोजना क्षेत्र में संचालित आश्रम छात्रावासों के आवासीय छात्र/छात्राओं के लिए वर्ष 2001–2002 में रुपये 88.67 लाख की सहायक सामग्री राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ से क्रय की गयी। क्रय की गई सामग्री की दरें एवं जिलेवार मात्रा का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र. सं.	सामग्री का नाम, साइज, वजन एवं दर का विवरण		जिला क्रय किये गये सामान की संख्या					
			उदयपुर	डूंगरपुर	बांसवाड़ा	चित्तौड़गढ़	सिरोही	योग
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	बैडशीट	230x154 CM 530 Grm. @ Rs. 259.90 each	—	4350	3800	—	120	8270
2.	सूती गद्दा	180x90 CM 4900 Grm. @ Rs. 407/- each	—	467	1250	250	120	2087
3.	सूती तकिया	60x40 CM 500 Grm. @ Rs. 84/- each	—	485	1615	1095	120	3315
4.	तकिया कवर	65x41 CM 125 Grm. @ Rs. 25/- each	—	1750	1615	1095	120	4580
5.	कम्बल	225x125 CM 1800 Grm. @ Rs. 441/- each	2380	2305	2535	1390	905	9515

1	2	3	4	5	6	7	8
6. रंगीन खेस	250x142 CM 950 Grm. @ Rs. 5111/- each	—	865	790	335	120	2110
7. दरी (काटन)	180x120 CM 3480 Grm. @ Rs. 398/- each	—	865	790	335	120	2110
8. दरी (फर्श)	270x240 CM @ Rs. 1599/- each	—	—	—	—	4	4
9. दरी पट्टी	200x50 CM @ Rs. 78/- each	—	—	—	—	16	16
10. बैडशीट प्रिंटेड	230x 152 CM 490 Grm. @ Rs. 135/- each	3500	—	—	—	—	3500
	योग	**1522080**	**2517644**	**3309860**	**956850**	**560937**	**8867371**

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(2) राज्य सरकार द्वारा उक्त सामग्री की सप्लाई हेतु राजस्थान राज्य बुनकर संघ को अधिकृत किया हुआ है। सामग्री की गुणवत्ता (स्पेसिफिकेशन) एवं दर का निर्धारण भी राज्य द्वारा किया जाता है। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 30 के तहत राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ से सामग्री क्रय करने से पूर्व अन्य सामानान्तर संस्थाओं से तुलनात्मक दरें लिया जाना आवश्यक नहीं है।

(3) जी हां। राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ द्वारा डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा हेतु सप्लाई की गई चद्दरें निर्धारित नमूने के अनुरूप नहीं होने से उन्हें लौटा दिया गया। बाद में संघ द्वारा नमूने के अनुरूप चद्दरें सप्लाई की गयी जिन्हें स्वीकार कर लिया गया। उक्त चद्दर की कीमत रुपये 259.90 प्रति नग (230×154 सेमी. 530 ग्राम) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी थी।

(4) जी नहीं। समस्त सामग्री की सप्लाई राजस्थान राज्य बुनकर संघ द्वारा की गयी है।

(5) जी नहीं। सामग्री क्रय करने में कोई अनियमितता नहीं हुई है।

प्रश्न संख्या–723

(प्रश्नकर्त्ता माननीय सदस्य श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) के सदन से निलम्बन के कारण प्रश्न को सूची से पृथक किया गया)

मण्डी समितियों के अनुज्ञापत्रधारियों द्वारा जारी प्रपत्र

724. **श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मण्डी समितियों के अनुज्ञापत्रधारियों को कौन-कौन से प्रपत्र नियमानुसार मण्डी समिति को प्रस्तुत करने आवश्यक हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वांछित सभी प्रपत्र सभी मण्डी समितियों में अनुज्ञापत्रधारियों द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे हैं? क्या कुछ मण्डी समितियों में प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये जा रहे हैं? यदि हां, तो किस-किस में विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रस्तुत किये जाने वाले प्रपत्रों में एकरूपता से प्रभावी नहीं होने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मण्डी समितियों के अनुज्ञापत्रधारियों को प्रपत्र निम्नानुसार मण्डी समिति को प्रस्तुत करना आवश्यक है :-

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

1. विक्रय पर्ची
2. अमानत पट्टी
3. प्रपत्र 17(7)
4. निर्यात प्रतिवेदन
5. घोषणा पत्र 58(4)
6. बीजक की प्रति (नियम 58 के तहत)
7. मासिक स्टाक प्रतिवेदन
8. मासिक मण्डी शुल्क प्रतिवेदन

(2) जी हां। वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार है।

(3) एकरूपता से प्रभावी नहीं होने का कारण सम्बन्धित मण्डी समिति के समुचित प्रयास का अभाव एवं व्यापारियों का सहयोग नहीं देना है। इस बाबत परीक्षण कर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जावेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-23 देखें)

कृषि विपणन बोर्ड की मण्डियों पर बकाया राशि

725. श्री कालूलाल खोईवाल (गंगरार): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों में कृषि विपणन बोर्ड का किन-किन मण्डियों पर निर्माण कार्यों का ऋणात्मक शेष था एवं उनसे कितनी-कितनी राशि ब्याज के रूप में बोर्ड के द्वारा वसूली गई? मण्डियों एवं उनसे वसूली गई राशि की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था लागू करने का विचार रखती है जिससे मण्डियों को अनावश्यक रूप से ब्याज की हानि न हो?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में कृषि विपणन बोर्ड का जिन कृषि उपज मण्डी समितियों के विरुद्ध ऋणात्मक शेष था, उनके नाम परिशिष्ट "क" के कालम संख्या 3 में अंकित है एवं वसूले गये ब्याज की सूचना वर्षवार सूची के कालम सं. 4, 5, 6 में अंकित है।

(2) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-24 देखें)

कृषि मण्डी/विपणन बोर्ड के चुनाव

726. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कृषि उपज मण्डी के चुनाव पिछली बार कब हुये थे और अब कब तक होंगे?

(2) क्या कृषि विपणन बोर्ड का भी चुनाव हुआ था? यदि हां, तो कब और अब कब तक होगा?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति के चुनाव पिछली बार वर्ष 1974-75 में हुये थे। मण्डी चुनाव सम्बन्धी नियमों में

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

अपेक्षित संशोधन पश्चात् ही मण्डियों में चुनाव कराए जाने पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।

(2) जी नहीं। बोर्ड का चुनाव मण्डी समितियों के चुनाव होने के बाद ही हो सकेगा।

चांदपोल मण्डी का कूकरखेड़ा स्थानान्तरण

727. **श्री उदय सिंह राठौड़ (बानीपार्क):** क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या चांदपोल मण्डी को कूकरखेड़ा में स्थानान्तरित करने की योजना लम्बे समय से विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त विलम्ब के क्या कारण हैं एवं इसको कब तक स्थानान्तरित कर दिया जायेगा?

(2) क्या उक्त हेतु कूकरखेड़ा में प्रस्तावित मण्डी का कार्य चल रहा है? यदि हां, तो कितना-कितना कार्य पूर्ण किया जा चुका है और अब क्या-क्या कार्य करवाया जायेगा, जो कब तक पूर्ण कराये जाने का विचार है?

(3) क्या उक्त प्रस्तावित नवनिर्माणाधीन मण्डी हेतु पूर्व में अवाप्त भूमि के अलावा और भी भूमि अधिग्रहीत की जा रही है? यदि हां, तो कितनी, किस-किस खसरा नम्बर की और क्यों?

(4) क्या अधिग्रहण की जाने वाली भूमि में वर्तमान में कई आवासीय भवन बनाये जा चुके है? यदि हां, तो क्या उक्त योजना से काफी जनता बेघर हो जावेगी?

(5) क्या सरकार अब और अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का प्रस्ताव निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। विलम्ब का मुख्य कारण भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों में वाद विचाराधीन रहना, पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण व्यापार स्थानान्तरण में विलम्ब हो रहा है। उपरोक्त समाधान होते ही दुकानों के निर्माण होने पर व्यापार स्थानान्तरित हो सकेगा।

(2) जी हां। कार्य प्रगति पर है। अब तक किये गये कार्य का विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है। उक्त कार्यों के अलावा कोई नवीन कार्य स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। न्यायालय के आदेशों से प्रभावित कार्यों के अलावा निर्माणाधीन कार्य माह मई 2002 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

(3) जी हां। मण्डी प्रांगण विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये अवाप्तिधीन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :-

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

क्र.सं.	ग्राम व तहसील	खसरा नम्बर	अवाप्तिधीन रकबा
1.	माचडा तहसील आमेर	332	30 बीघा 2 बिस्वा
2.	माचडा तहसील आमेर	334	28 बीघा 13 बिस्वा
3.	माचडा तहसील आमेर	405	21 बीघा 17 बिस्वा
4.	महापुरा उर्फ कूकरखेड़ा तहसील जयपुर	25	1 बीघा 16 बिस्वा
5.	महापुरा उर्फ कूकरखेड़ा तहसील जयपुर	13	2 बीघा 15 बिस्वा
6.	महापुरा उर्फ कूकरखेड़ा तहसील जयपुर	24	9 बीघा 7 बिस्वा
7.	माचडा तहसील आमेर	333	3 बीघा 3 बिस्वा
8.	माचडा तहसील आमेर	330	9 बीघा

(4) यह सही है कि अवाप्तिधीन भूमि के कुछ खसरा नम्बर में कहीं-कहीं कुछ चार दीवारी एवं कहीं कहीं कुछ कमरे बने हुये हैं। अधिकांश चारदीवारियां बनी हुई है। उक्त कृषि भूमि पर कुछ लोग अनधिकृत रूप से निर्मित कमरों में अवास कर रहे हैं। अधिग्रहण कार्यवाही पूरी होने पर कुछ लोग प्रभावित हो सकते हैं।

(5) इस सम्बन्ध में कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुये हैं जिनका परीक्षण: किया जा रहा है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-25 देखें)

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली व छबड़ा में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा स्वीकृत कार्य

728. श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली) एवं **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली एवं छबड़ा में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वर्ष 2001 से फरवरी, 2002 में कितने कार्य स्वीकृत हुये हैं?

(2) उक्त में नाली, पुलिया, सड़क पर कितनी राशि स्वीकृत की गई? उक्त

(श्री नाथूलाल गुर्जर)

कार्य पर कितनी राशि व्यय की गई? कार्यवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्य कब तक पूर्ण होंगे?

उत्तर

(1) इस अवधि में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा "सड़क सुदृढ़ीकरण योजना" के अन्तर्गत हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र की 9 सड़कों के तथा छबड़ा विधान सभा क्षेत्र की 4 सड़कों के कार्य स्वीकृत किये गये हैं। स्वीकृत सड़क कार्यों का विवरण परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

(2) नाली, पुलिया व सड़क के निर्माण कार्यों हेतु अलग-अलग राशि स्वीकृत नहीं की जाती है। हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र की 9 सड़कों की 73.00 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति तथा छबड़ा क्षेत्र की 4 सड़कों की 121.55 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी हुई है। सड़क कार्यों की स्वीकृति एवं किये गये व्यय का सड़कवार विवरण भी परिशिष्ट "क" में दर्शाया गया है।

(3) उक्त कार्यों की पूर्ण होने की प्रस्तावित तिथियां परिशिष्ट "क" के कालम संख्या 6 में अंकित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-26 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से एक प्रार्थना करना चाहता हूं। आप बिराजें। आपकी अनुमति से एक...

श्री अध्यक्ष : सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं।

श्री अध्यक्ष : तो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल के बाद में। आप थोड़ा...

श्री अध्यक्ष : इसके बाद आप पूछिए जो कुछ पूछना है। व्यवस्था दे देता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसके बाद चले जाएंगे ये तो।

श्री अध्यक्ष : स्थगत प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, आपसे सम्बन्ध रखता है, आप पधार जाएंगे। आप व्यवस्था देकर पधार जाएंगे। मैं कुछ निवेदन आपसे करना चाहता हूं आप अनुमति दें तो।

एक माननीय सदस्य : आसन पैरों पर।

श्री अध्यक्ष : जीरो आवर में बीच में आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह तो सही है, पर आप पधार जाएंगे। मैं आपका ही ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं व्यक्तिशः, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना यह करना चाहता हूं कि आप...

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : आप बिराजें तो कह दें यह। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप कृपा करके...

श्री अध्यक्ष : मुझसे जानकारी करना है आपको?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, जानकारी नहीं देनी, कुछ निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : निवेदन क्या है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपसे निवेदन करना है, आप थोड़ी कृपा करें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप बिराजें तब निवेदन हो न।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, कल जो कुछ घटित हुआ, आज प्रतिपक्ष में मुख्य विपक्षी दल बी.जे.पी. नहीं है यह संसदीय प्रजातंत्र के अन्दर सर्वथा अद्भुत घटना है। (व्यवधान) आप सुनिए, आप बाद में। (व्यवधान) आप बिराज जाएं। आप बैठिए। (व्यवधान) यह क्या है? (व्यवधान) यह क्या तरीका है आपका? (व्यवधान) यह क्या बात हुई?

श्री कृष्णमुरारी गंगावत (थानागाजी): एक माननीय महिला मंत्री के खिलाफ हुआ है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप सुनें तो सही।

श्री कृष्णमुरारी गंगावत : उसके बाद में अगर बात बढ़ाना चाहते हो, बैठो ना। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : उन्होंने जो कुछ किया वह सही किया क्या? उन्होंने सही किया क्या?

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : पिछले राज के टाइम पर पूरा प्रतिपक्ष ही नहीं था, हम लोग पूरे सप्ताह बाहर रहे थे।

श्री रामस्वरूप : आप जो कुछ कह गये वह सही है क्या? क्या वह सही है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह नहीं कह रहा हूं मैं।

श्री रतन लाल ताम्बी : लगभग बराबर की संख्या होते हुए पूरे सदस्यों को बाहर रहना पड़ा इनके राज में।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से...

एक माननीय सदस्य : सदन में जिस प्रकार का एक महिला के साथ व्यवहार किया वह सही है क्या?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं आपके माध्यम से इस सदन में यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि मैं कोई माननीय देवीसिंह जी की पैरवी करने के लिए यहां खड़ा नहीं हुआ हूं, कृपया मुझे शांतिपूर्वक सुने। सुनिए आप। कृपया मुझे शांतिपूर्वक सुने। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं उनके कोई एक्शन को जस्टीफाई करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि...

श्री संयम लोढ़ा : आप उनकी पार्टी की ओर से जस्टिफाई करने के लिए खड़े हुए हैं क्या?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं कर रहे। आप बैठिए। आप बैठिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कोई नहीं कर रहे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं अध्यक्षजी से कह रहा हूं, आप बैठिए।

श्री संयम लोढ़ा : कोई मतलब ही नहीं है उस बात का।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह क्या तरीका है?

श्री संयम लोढ़ा : कोई मतलब ही नहीं है उस बात का।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह सत्ता पक्ष के लोगों का तरीका है? मैं आसन की अनुमति से बोल रहा हूं।

श्री संजीव कुमार (भादरा) : आप क्यों जस्टिफाई कर रहे हो?

श्री सुरेन्द्र व्यास : और यह सत्ता पक्ष के लोगों का व्यवहार है? अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था...

श्री राजेन्द्र पारीक : वह, यहां होते और अपनी तरफ से कोई बात कहते। माननीय सदस्य कल स्वयं उपस्थित थे, इनको कुछ कहना था तो उसी वक्त कहना चाहिए था।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं...

श्री अध्यक्ष : बैठिए आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : जो कृत्य इतना निन्दनीय था, एक सदस्य को एक्सपैल कर दिया गया है...(व्यवधान) उस मुद्दे को बार-बार सदन में उठाकर क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : सुरेन्द्र जी, बैठिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूं और ये मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, पहले...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पहले आप बिराज जाओ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं बिराजूंगा। अध्यक्ष महोदय, आप मुझे...

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय ने कह दिया, आप बिराज जाइए अब।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, अगर अध्यक्ष महोदय...

एक माननीय सदस्य : आसन पैरों पर। आसन पैरों पर। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, अगर इस प्रकार...

श्री अध्यक्ष : बैठिए, बैठिए, बैठिए। बिराजिए। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, कल आपके...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप यहां बोलते रहे और हमारी आवाज कोई सुनेगा नहीं तो फिर क्या असर हुआ? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, कल आपकी व्यवस्था के बावजूद आपकी व्यवस्था के खिलाफ, उपाध्यक्ष की व्यवस्था के खिलाफ... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिए आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : ना पक्ष चाहता है तो बाद में उसके खिलाफ मोशन मूव करें, उसी व्यवस्था के तहत हमारे चीफ व्हिप साहब ने मोशन मूव किया और माननीय सदस्य का निष्कासन हुआ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : सुरेन्द्र जी, बैठिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था के खिलाफ, उपाध्यक्ष की व्यवस्था के खिलाफ...

श्री अध्यक्ष : बैठिए, बैठिए आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष की व्यवस्था के खिलाफ, उपाध्यक्षजी ने यह कहा कि व्यवस्था दे चुके हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, पूरा प्रतिपक्ष गायब है और हम चार आदमी यहां बैठे हैं, वह भी अगर इनको बरदाश्त नहीं है...

श्री राजेन्द्र पारीक : आप भी जाइए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : और आसन अगर हमको संरक्षण प्रदान नहीं करता है तो इस प्रकार की कार्यवाही में हम भी भाग नहीं लेना चाहते।

एक माननीय सदस्य : जाना चाहते हैं तो आप जाइए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके जिस निन्दनीय कृत्य को पूरे राजस्थान ने देखा है, सुना है, उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह कांग्रेस पार्टी की मीटिंग नहीं है, यह राजस्थान विधान सभा है। (व्यवधान) यह कांग्रेस पार्टी की मीटिंग नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप जाना चाहते हैं तो कौन रोक रहा है आपको, आप भी जाइए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या तरीका है यह?

श्री अध्यक्ष : बैठिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, कौनसा तरीका है?

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, यह क्या बात हुई कि आप बोलने नहीं देंगे? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह तो बात नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष : बोल लिये। बोल लिये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : यह बात रखें, आप रिक्वैस्ट कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : वे वाक आउट कर रहे हैं करने दीजिए, आप बैठिए।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, रिक्वैस्ट कर रहे हैं आपसे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बोलने का अवसर दीजिए। आप मुझे बोलने का अवसर दीजिए।

श्री अमराराम (धोद) : आप एक खड़े हैं और उधर 10 खड़े हों तो कैसे आपकी बात सुनाई देगी?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप मुझे बोलने का अवसर दीजिए। अध्यक्ष महोदय, यह तरीका नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, बात तो आप सुनिए।

श्री अध्यक्ष : अमराराम जी, आप बैठिए।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, आप बात सुनकर...

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कह दिया वाक आउट, करने दो।

श्री अमराराम (धोद) : आपने अलाउ किया था इसलिए बोल रहे हैं। अब पूरी बात तो सुनोगे।

एक माननीय सदस्य : वाक आउट कर जाओ आप।

श्री अमराराम (धोद) : आप पूरी बात सुने। अध्यक्ष महोदय, आपने अलाउ किया जब बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : और दूसरे खड़े होकर एक साथ बोलेंगे तो कैसे होगा?

श्री सुरेन्द्र व्यास : कांग्रेस के लोगों का यह तरीका है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : संख्या बल से करेंगे क्या?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने अनुमति दी, ये बोलने नहीं देते। आपने व्यवस्था दी, आपकी व्यवस्था के खिलाफ ये प्रस्ताव लाते हैं। उपाध्यक्ष ने व्यवस्था दी।

श्री राजेन्द्र पारीक : विपक्ष को यह दिखाना चाहते हैं कि हम आपके प्रति समर्पित हैं। आप जाना चाहते हैं तो आप जाएं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं जाना नहीं चाहते हम।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप जाना चाह रहे हैं जाइए, कौन रोक रहा है आपको? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : सवाल यह नहीं है...

श्री राजेन्द्र पारीक : यह आपका अपना प्रिविलेज है, आप जाएं या रहें।

श्री अमराराम (धोद) : आपसे पूछकर जाएंगे क्या?

श्री राजेन्द्र पारीक : तो कौन कह रहा है आपको?

श्री अमराराम (धोद) : हम नहीं जाएंगे, आपसे पूछकर जाएंगे क्या? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह आपको निर्णय करना है, आप रहना चाहते हैं तो फिर बैठिए। आप जाना चाहते हैं तो जाइए। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष जी ने अनुमति दी है जब बोल रहे हैं और आपके कहने से कोई नहीं रुकेगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष जी ने अनुमति नहीं दी। आसन पैरों पर है, आपको कोई अनुमति नहीं है अध्यक्ष जी की।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय की बिलकुल अनुमति है।

श्री अमराराम (धोद) : पारीक जी, आपके कहने से कोई नहीं जाएगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के लोग आपकी कतई इज्जत नहीं करते। आपकी व्यवस्था के खिलाफ, उपाध्यक्ष की व्यवस्था के खिलाफ कल ये प्रस्ताव लाये...

श्री राजेन्द्र पारीक : ये शब्द निकलवाये जाएं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, जो घटना घटित हुई वह आपकी मौजूदगी में हुई।

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, यह शब्द एक्सपंज किया जाए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, आप पदासीन थे, आसन पर आप बिराज रहे थे, कायदा यह होता है...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, नियमों के अन्तर्गत... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आप उस पार्टी का पक्ष लेने के लिए यहां पर खड़े हुए हैं क्या?

श्री अध्यक्ष : वह चैप्टर ही खतम हो गया है। उस घटना के सम्बन्ध में जो है...

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, घटना के सम्बन्ध का सवाल नहीं है। सम्बन्ध इतना-सा है कि आपने मुझे अनुमति दी और ये बोलने नहीं देते। आप संरक्षण प्रदान नहीं करेंगे मुझे?

श्री अध्यक्ष : आप काहे के लिए कर रहे हैं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप संरक्षण प्रदान नहीं करेंगे?

श्री अध्यक्ष : मैं सदन के सदस्यों को...

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, अगर आसन से संरक्षण नहीं मिलता है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : व्यवधान नहीं, आप बैठिए, सुरेन्द्र जी, बैठिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अनुमति दी है, मुझे यह अवसर दिया है।

श्री अध्यक्ष : मैंने अनुमति दे दी, लेकिन सदन में...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह नहीं हो सकता। यह क्या तरीका है?

श्री अमराराम (धोद) : उस घटना की नहीं...

श्री अध्यक्ष : अमराराम जी, बैठिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, अध्यक्ष महोदय...

श्री अमराराम (धोद) : आज जो स्थिति है, उपस्थित हैं उसके बारे में कह रहे हैं, कल की घटना का विवरण नहीं दे रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप सुन तो लीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्य को स्थगन प्रस्तावों पर...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : कल की जो घटना है...

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय अध्यक्ष जी, यहां तो संख्या बल से +++ करना चाहती है गवर्नमेंट।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कर रहे हैं +++

श्री राजेन्द्र पारीक : जो सारे के सारे माननीय सदस्य आज बहिर्गमन कर गये, आप क्या सफाई उसमें देंगे?

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है...

श्री सुरेन्द्र व्यास : हम सफाई देंगे या नहीं देंगे...

श्री राजेन्द्र पारीक : आप क्या सफाई देंगे उसमें?

श्री अध्यक्ष : निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है...

श्री राजेन्द्र पारीक : जिसके खिलाफ कार्यवाही हुई उन्होंने बहिर्गमन कर दिया, बात समाप्त हुई।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आसन पैरों पर।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : संख्या बल के आधार पर +++ करना चाहते हैं ये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आसन पैरों पर।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, ये आसन की अनुमति के खिलाफ...

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर। सुरेन्द्र जी, बैठिए, बैठिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। वापस कंट्रोवर्सी खड़ी मत कीजिए। (व्यवधान) मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है...

श्री सुरेन्द्र व्यास : सत्ता पक्ष के लोग आपकी व्यवस्था को नहीं मानते।

श्री अध्यक्ष : निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है...

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपके आदेश को नहीं मानते।

एक माननीय सदस्य : आसन पैरों पर है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आसन पैरों पर है तो...(व्यवधान) जब मुझे अनुमति दी है आपने तो आपने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया? आप क्यों नहीं बोलने देते?

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए, आप बैठ जाइए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, अध्यक्ष महोदय, नियमित तरीके से आपसे प्रार्थना करके, आपसे अनुरोध करके, आपसे अनुमति लेकर फिर मैंने बोलना प्रारम्भ किया। अध्यक्ष महोदय, यह नहीं हो सकता।

श्री अमराराम (धोद) : भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य ना पक्ष लाबी में क्यों बैठे हैं? ये जो कह रहे हैं कल की घटना, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने जो काम किया उसकी पैरवी करना चाहते हैं न आपकी आलोचना करते हैं...

श्री अध्यक्ष : अमराराम जी, बैठिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप सुनना ही नहीं चाहते।

श्री अमराराम (धोद) : लेकिन आज प्रतिपक्ष के, भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य ना पक्ष लाबी में बैठे हुए हैं, सदन में नहीं आ रहे हैं इसलिए आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि उनको...

श्री राजेन्द्र पारीक : जाइए, जाइए उनको ले आइये।

श्री अमराराम (धोद) : जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य हैं, जो ना पक्ष लाबी में बैठे हैं...

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको तत्कालीन समय याद होगा, हम 18 दिन तक सदन के बाहर बैठे रहे थे...

श्री अमराराम (धोद) : उनको आप चर्चा करके...(व्यवधान) क्यों नहीं आ रहे हैं, उनसे चर्चा की जानी चाहिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : लगातार सदन के बाहर बैठे रहे, एक दिन सत्ता पक्ष के लोगों ने आकर सदन में चलने की बात नहीं कही।

श्री अमराराम (धोद) : कल की घटना, देवीसिंह जी ने जो किया उसका तो हम कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : आज इनको पीड़ा हो रही है।

श्री अमराराम (धोद) : लेकिन जो व्यवस्था है, आपने दी है, उपाध्यक्षजी ने दी है उसके लिए कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : सदन में आने के लिए किसने रोका?

श्री रतन लाल ताम्बी : पूरा बजट पास कर दिया, कोई पूछने नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : सुरेन्द्र जी, प्लीट सिट डाउन।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह तो स्पष्ट है कि बदला लेने की भावना से कार्यवाही की है, कि हमको 13 दिन तक बाहर बैठाया है इसलिए हमने निकाला है। यानी गुणावगुण के ऊपर, मैरिट के ऊपर नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, अभी कहा है इन्होंने।

श्री राजेन्द्र पारीक : हमारा आपसे कभी वैमनस्य नहीं रहा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय मंत्रीजी का अपमान किया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : हम यह नहीं सुनना चाहते हैं कि हम बदले की कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अभी माननीय सदस्य ने यह कहा है...

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री संयम लोढ़ा : ×××.

श्री हफीज मोहम्मद : ×××

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री संजीव कुमार : ×××

श्री शिवनाथ सिंह : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री सोहन नायक : ×××

श्री अध्यक्ष : अब इस कंट्रोवर्सी को कोई अखाड़ा मत बनाओ। (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : इसकी मैं अनुमति नहीं देता। मैं आपको इस प्रकरण के सम्बन्ध में कुछ भी कहने के लिए अनुमति नहीं देता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों की सूचना। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि,...अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

(लोकतांत्रिक कांग्रेस के निर्दलीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

स्थगत प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री ज्ञानदेव आहूजा सदस्य की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी, भीलवाड़ा को निलम्बित कर उनके द्वारा की गई कथित अनियमितताओं की जांच करवाने के सम्बन्ध में।

(2) डा. रतन लाल जाट एवं 10 अन्य सदस्यों की ओर से राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के कुलपति द्वारा कथित वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री हरीशचन्द्र कुमावत, सदस्य की ओर से जिला कलेक्टर, नागौर स्तर पर राजकीय आदेशों की अवहेलना से विकास कार्यों में रुकावट पैदा होने के सम्बन्ध में।

(4) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से नगरपालिका बाड़मेर में नियमन के नाम पर अनियमितता के सम्बन्ध में।

(5) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से प्रशिक्षण प्राप्त आशार्थियों को शिक्षाकर्मी बोर्ड द्वारा नियुक्ति नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री रामप्रताप, सदस्य की ओर से ''अ'' श्रेणी आयुर्वेदिक चिकित्सालय, हनुमानगढ़ में औषध प्रयोग व कर्मचारियों के बिल पास करने पर लगी पाबन्दी के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

(12.14 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

(1) श्री नगराज, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लसाड़िया की तहसील धरियावद में महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(2) श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से जिला पाली में सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में।

(3) श्री सोहन नायक, सदस्य की ओर से जिला श्रीगंगानगर के सीमा क्षेत्र से सैनिक गतिविधियों के दौरान पलायन कर गये काश्तकारों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में।

(4) श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से पंचायत समिति चिड़ावा के ग्राम गिडाणिया में सांसद कोटे से प्राथमिक विद्यालय में निर्मित करवाये गये हाल में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री सांवर लाल, सदस्य की ओर से जिला अजमेर के फ्लोराइड प्रभावित गांवों में बीसलपुर परियोजना से पेयजल उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में। श्री नगराज।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

लसाड़िया विधान सभा क्षेत्र की तहसील धरियावद में महाविद्यालय की स्थापना

श्री नगराज (लसाड़िया) : उपाध्यक्ष महोदय, कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लसाड़िया तहसील धरियावद में महाविद्यालय खोलने बाबत।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र लसाड़िया तहसील धरियावद में महाविद्यालय खोलने के लिए माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि तहसील धरियवाद के आस पास कोई महाविद्यालय नहीं होने से गरीब आदिवासी छात्र-छात्राएं अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। अत: मैं मांग करता हूं कि तहसील धरियावद में महाविद्यालय खोलने के आदेश प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द पारख। (अनुपस्थित)। श्री सोहन नायक।

श्रीगंगानगर के सीमा क्षेत्र में सैनिक गतिविधियों से हुई जान-माल की क्षति का मुआवजा

श्री सोहन नायक (रायसिंहनगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के नियमों के नियम 295

(श्री सोहन नायक)

के तहत श्रीगंगानगर जिले के सीमा क्षेत्र में सैनिक गतिविधियों से अनुसूचित जाति एवं मजदूर वर्ग को हुई जान-माल की क्षति का मुआवजा बाबत।

महोदय, श्रीगंगानगर जिले के सीमान्त क्षेत्र पर सैनिक गतिविधियों के कारण अनुसूचित जाति एवं मजदूर वर्ग के गरीब परिवारों को मजबूरन रोजी-रोटी के लिए पलायन करना पड़ा। महोदय जी, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी को यह बताना चाहता हूं कि किसानों को उनकी फसलों का मुआवजा मिल जाएगा, परन्तु जिन मजदूर अनुसूचित जाति एवं गरीब परिवारों को पलायन करके आने-जाने में जान-माल की क्षति हुई एवं मवेशियों को छोड़ना पड़ा, उन परिवारों को भी मुआवजा देने की सरकार से मांग करता हूं।

महोदय जी, मैं मंत्री महोदय को यह भी बताना चाहता हूं कि खरीफ की फसल का मुआवजा तो तय कर लिया गया है परन्तु आगामी रबी की फसल भी सैनिक गतिविधियों के कारण नहीं बोई जा रही है। अत: रबी की फसल का भी सर्वे करवाकर मुआवजा दिलवाया जाए। महोदय, जो मुआवजा सीमान्त के किसानों को दिया जा रहा है, उसे कब्जा-काश्तकार को दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवण कुमार।

चिड़ावा पंचायत समिति के ग्राम गिडाणिया में सांसद कोटे से निर्मित प्राथमिक विद्यालय भवन में घटिया सामग्री का प्रयोग

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : उपाध्यक्ष महोदय, 1997-98 में ग्राम गिडाणिया पंचायत समिति चिड़ावा में सांसद कोटे से 6 लाख रुपये की लागत से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गिडाणिया में एक हाल बनाया गया था जिसमें घटिया सामग्री लगाने से वह तीन वर्ष में ही फट गया है और उसमें बच्चों को भी नहीं बैठने दिया जा रहा है। मैंने इस कार्य की जांच के लिए बार-बार लिखा परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। उसकी कार्यवाही नहीं होने से उसी सांसद कोटे से ग्राम किठाणा पंचायत समिति चिड़ावा में सांसद कोटे से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किठाणा में भी जो हाल पांच लाख रुपये से बनाया गया है उसमें भी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इस बारे में मैंने बार-बार लिखा है फिर भी घटिया कार्य की कोई जांच नहीं हो रही है। ग्राम झाझोत में सी.सी. सड़क बनाई गई 1997-98 में, उसका भी यही हाल है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसको पढ़िये।

श्री श्रवण कुमार : इसी को पढ़ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं पढ़ रहे हो। इसको पढ़ो।

श्री श्रवण कुमार : इस प्रकार घटिया कार्य करने पर भी कोई जांच नहीं होती है और न ही कोई कार्यवाही होती है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस तरह के घटिया कार्य करने वाले अधिकारी व सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही की जाए, मैंने भी रिक्वरी की है, जिससे कार्य में गुणवत्ता आए और कार्य सही करवाने की परिपाटी डाली जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सांवर लाल। श्री करणसिंह यादव। मोहम्मद माहिर आजाद। पर्ची पर।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

अल्पसंख्यकों में शिक्षा का विकास

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी का और इस सदन का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चाहे देश हो, चाहे प्रदेश हो, इसके विकास में सब का सामूहिक उत्तरदायित्व और सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। आज जब राजस्थान ने साक्षरता के प्रतिशत में देश के अग्रणी राज्यों में अपना नाम जुड़वाया है, यहां तक कि भारत सरकार और प्रधानमंत्रीजी ने भी राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी की राजस्थान को साक्षरता के प्रतिशत में नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए प्रशंसा ही नहीं की बल्कि उन्हें बधाई भी दी है। उस स्थिति में जब राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत 61 के करीब पहुंच गया हो, समाज का एक वर्ग जो शोषित वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, गरीब और पिछड़ा वर्ग है उसकी साक्षरता के क्षेत्र में स्थिति इतनी दयनीय बनी हुई है, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि राजस्थान में माइनोरिटी में मेल एजुकेशन 25 प्रतिशत है और फीमेल एजुकेशन की स्थिति तो इतनी भयावह है कि राजस्थान में माइनोरिटीज में फीमेल एजुकेशन मात्र 8 प्रतिशत है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक लड़का पढ़ता है तो एक इंडिविजुअल पढ़ता है और जब एक लड़की पढ़ती है तो एक परिवार पढ़ता है, एक खानदान पढ़ता है। इसलिए नारी शिक्षा पर और महिला शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी और सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि एक गाड़ी के दो पहिये होते हैं, अगर एक पहिये में पंचर हो जाता है तो गाड़ी चल नहीं पाती है। इसलिए राष्ट्रीय धारा और मुख्य धारा से अल्पसंख्यकों को जोड़ने के लिए इनका साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाना भी नितान्त

(मोहम्मद माहिर आजाद)

आवश्यक है। इस क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार भी कदम उठा रही है और राजस्थान सरकार भी अपना काम कर रही है।

इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने भी मदरसा आधुनिकीकरण योजना प्रारम्भ की है और उसके तहत राजस्थान में एक करोड़ से ज्यादा की कक्षा एक से पांच तक की किताबें वक्फ बोर्ड के जरिये प्रदान करने का काम किया है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल ने ये कोर्स की किताबें दी हैं। पिछली सरकार के टाइम पर भी कापियां वक्फ बोर्ड के जरिये माननीय तत्कालीन मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी शेखावत की फोटो लगाकर आधी रेट पर राजस्थान के इन मदरसों को देने का काम किया गया था लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहिये या कुछ संकीर्ण भावना कहिये, इस मदरसा शब्द को आपको जरा क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मदरसा उर्दू भाषा का शब्द है जिसका हिन्दी अनुवाद पाठशाला है। दारूल उलूम का तात्पर्य शिक्षालय से है। दार मानि जगह और और उलूम मानि इल्म पढ़ाने वाली जिसको हम शिक्षा निकेतन कह सकते हैं। हम चाहें इसको मकतब कहें, मकतब का तात्पर्य चटशाला या किताब पढ़ाने की जगह है। चाहे एकेडमी कहें चाहे दर्सगाह कहें। दर्स मानि पाठ और गाह मानि जगह पाठ पढ़ाने की जगह का सबक पढ़ाने की जगह। चाहे आप इसको विद्यापीठ कहें, चाहे आप शिक्षण संस्थान कहें। इसका नाम अलग-अलग हो सकता है लेकिन यह शिक्षा के क्षेत्र में लोगों के लिए महत्वपूर्ण काम कर रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो काम है, मदरसा बोर्ड बनाने की मांग कई बार राजस्थान सरकार से विभिन्न स्तरों पर की गयी। इससे हमारा उद्देश्य यह है कि दीनी तालीम के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा पर भी जोर दिया जाए। सतत् शिक्षा एवं क्वालिटी एजुकेशन हो और स्त्री शिक्षा और बच्चियों की शिक्षा के ऊपर खास करके ध्यान दिया जाए।

पिछले दिनों राजस्थान में माइनोरिटीज के लोगों में शैक्षणिक जाग्रति पैदा करने के लिए एक कारवां, तालीमी कारवां भी राजस्थान में चलाया गया। उसका परिणाम यह आया कि 1999 में जहां साक्षरता का प्रतिशत अल्पसंख्यकों में मात्र पांच पाइंट कुछ प्रतिशत महिलाओं का था वह बढ़ा और 8 प्रतिशत पर पहुंचा। पुरुषों का साक्षरता प्रतिशत जो 19 था वह बढ़कर 25 की जगह पहुंचा है। राजस्थान सरकार ने भी 1999 के बजट में दो करोड़ रुपया इन मदरसों में शिक्षा के क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए देने की घोषणा की थी जो बाद में घटते-घटते 78 लाख रुपये हो गयी। 619 मदरसों में पैराटीचर लगाने की बात कही थी...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी आगे डिमाण्ड पर भी बोलेंगे न।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं बता रहा हूं, एक मिनट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक 400-500 पैराटीचर लग पाये हैं और 2000 के बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा। 2001-2002 में आपने 500 पैराटीचर राजीव गांधी पाठशाला पैटर्न पर लगाने की घोषणा की थी जिनमें अभी तक आपने एक भी पैराटीचर नहीं लगाया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पांच हजार के करीब मदरसे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना काम दे रहे हैं। इनका आपने वक्फ बोर्ड में पंजीयन प्रारम्भ करवाया था मगर करीब 2200 मदरसों का वक्फ बोर्ड में पंजीयन हुआ उसके बाद में आपने इस पर रोक लगा दी। आज हजारों एप्लीकेशंस वहां पर रजिस्ट्रेशन के लिए पैंडिंग पड़ी हैं और उनको जो पाठ्य सामग्री साढ़े चार हजार रुपये की मिलनी चाहिए थी वह भी नहीं मिली है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज देश के दूसरे राज्यों, जैसे केरल है, कर्नाटक है, बिहार है और मध्य प्रदेश जहां का आप सारी योजनाओं में अनुसरण करते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री दिग्विजय सिंह जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस तरीके से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होता है, उन्होंने मदरसा बोर्ड भी मध्य प्रदेश में बनाया है और प्रोफेसर अब्दुल हलीम को उसका अध्यक्ष बना रखा है। अध्यक्ष नहीं, उनको कैबिनेट दर्जा उन्होंने वहां पर दिया हुआ है। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार का जो बजट भाषण दिया गया है, उस बजट में दिल्ली सरकार ने भी दिल्ली में मदरसा बोर्ड के गठन की घोषणा की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन यह करना चाहता हूं कि संकीर्ण भावना के तहत मदरसों पर छापे मारे गये, सीमांत मदरसों के लिए कहा गया कि जेहाद की ट्रेनिंग दी जा रही है, मदरसों को अवैध और विदेशी सहायता मिल रही है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यहां उद्धत करना चाहता हूं, दो सांसदों ने पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन लगाया कि अब तक कितने मदरसों की आपने जांच की और कितने मदरसों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां और देश के खिलाफ काम करने वाली बात पाई गई? यह मैं सदन के पटल पर अगर आप कहेंगे तो रख दूंगा। माननीय गृह मंत्रीजी आडवाणी जी ने लोक सभा में जवाब दिया, उन्होंने कहा कि हमने पूरे देश में 15,000 मदरसों का वैरिफिकेशन कराया है। उन पर जांच कराई गई, उन मदरसों में से टास्कफोर्स ने यू.पी. में केवल 30, राजस्थान में 21, गुजरात में 14, और बिहार में 11 मदरसे चिन्हित किये हैं, लेकिन एक भी मदरसे में कहीं किसी प्रकार का आपत्तिजनक साहित्य या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का कोई प्रमाण वहां पर नहीं मिला है। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में भी माननीय गृह सचिव जी,

(मोहम्मद माहिर आजाद)

डी.आई.जी. जोधपुर रेंज, एस.पी. बाड़मेर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, बाड़मेर, इन लोगों ने जैसलमेर, बाड़मेर के सीमावर्ती क्षेत्रों के मदरसों का दौरा किया, माननीय गृह मंत्रीजी यहां बैठे हैं, लेकिन एक भी मदरसे में इस तरह की कोई शिकायत और कोई बात नहीं मिली। मैं फिर भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हो सकता है कि कहीं इस तरह की गतिविधियां हों, आप उस पर सख्त कार्यवाही कीजिये, आप उसको बन्द कर दीजिये लेकिन यह नहीं कि इस आड़ में अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक विकास रोका जाए, अल्पसंख्यकों में शिक्षा के प्रचार-प्रसार को रोका जाए। मध्य प्रदेश के अन्दर मदरसा बोर्ड बना रखा है।

एक लास्ट बात, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि जयपुर में एक टोकन सर्वे मदरसा एजुकेशनों का कराया गया। इसमें टेलीग्राफ की टीम लन्दन से भी आई, सारे पत्रकार भी उसमें आये, और उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, अगर आप उसका एनलिसिस करेंगे तो स्थिति यह है कि मदरसों में जो पासिंग एवरेज है आठवीं क्लास तक का सैम्पल सर्वे में, वह है 93 प्रतिशत और उस इलाके में तोपखाना हजूरी, घाटगेट, चौकड़ी गंगापोल और चौकड़ी रामचन्द्रजी के गवर्नमेंट स्कूलों का जो सैम्पल सर्वे है उसका एवरेज रिजल्ट 68 परसेंट है। इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मदरसे के जो फर्स्ट डिवीजनर हैं वे 62 परसेंट हैं और गवर्नमेंट स्कूलों के फर्स्ट डिवीजनर केवल 18 परसेंट आये हैं। आन्दनान सैकण्डरी स्कूल जयपुर में है, मोतीकटला है, रहमानी एकेडमी है, इनमें 100 परसेंट एजुकेशन परसेंटेज रहा है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, यह कोई डिबेट थोड़े ही है जिस पर आप बोले जा रहे हो? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : इसीलिए मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों में भी शैक्षणिक जाग्रति के लिए, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए केरल, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली के जैसे राजस्थान में भी काफी समय से हम इसकी मांग कर रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। आप बिराजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपको अल्पसंख्यक आयोग से भी प्रस्ताव भेजा गया है। आज राजस्थान में भी...

श्री बाबूलाल सिंगारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का समर्थन करता हूं...

मोहम्मद माहिर आजाद : मदरसा बोर्ड का शीघ्र गठन करें और अल्पसंख्यकों में शैक्षणिक परसेंट को बढ़ाने का काम करें, यही मुझे आपसे निवेदन करना है। आप इनकी बातों पर मत जाइये...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : ...चाहे वह बजरंग दल हो, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे वह साम्प्रदायिक ताकते हों, जिन्होंने मदरसों के नाम को बदनाम कर रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो, इनका अंकित नहीं हो। यह कौनसा तरीका है?

श्री बाबूलाल सिंगारिया : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप बिराजिये प्लीज।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : ×××

श्री उपाध्यक्ष : सुन ही नहीं रहे हो, अंकित ही नहीं हो रहा है। आप बोले जा रहे हो। ऐसे नहीं बोलते हैं। आसन से इजाजत लीजिये, फिर बोलिये। आप बैठिये, आप बैठिये।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : ×××

श्री अमीन खान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आधा मिनट ही लूंगा।

श्री अमीन खान (शिव) : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट में ही अपनी बात खतम करूंगा। हमारी यह गुजारिश है, राजस्थान की सरकार से, शिक्षा मंत्रीजी से और वक्फ मंत्रीजी से, कि हम सच्चे हिन्दुस्तानी हैं और हिन्दुस्तान का जब विभाजन हुआ है वह हमने नहीं कराया। हिन्दुस्तान का विभाजन जिस वक्त हुआ, वह देश की परिस्थितियों ने कराया और सारे देश ने मिलकर किया, लेकिन हम हिन्दुस्तान में अल्पसंख्यक मजहब के तौर पर मुसलमान या अन्य लोग जो रहते हैं, वे हिन्दुस्तानी हैं और हिन्दुस्तान के खैरख्वाह हैं। हमारा आज तक भी ऐसा कोई व्यवहार नहीं रहा है, जो देश के साथ हम कुव्यवहार करते हों। हम सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं। सीमावर्ती मदरसों की कट्टर जमायते हैं जो भाजपा से ताल्लुक रखती हैं। सीमा जन कल्याण समिति है, बार-बार शिकायत करती है, सरकार की इंटेलिजेंस ने राजस्थान के होम कमिशनर खुद ने, जोधपुर डी.आई.जी. रेंज ने, जिला कलक्टर बाड़मेर, एस.पी. ने एक-एक मदरसों को चैक किया है और बाड़मेर जिले के सदस्यों में एक भी शिकायत अराष्ट्रीय तत्वों की गतिविधियों की नहीं मिली है। हम यह चाहते हैं, आज भी सरकार से दरखास्त करते हैं, कि कोई भी अराष्ट्रीय तत्व चाहे हमारे मजहब को मानने वाला, हमारी जाति-बिरादरी का हो, उसकी फांसी चढ़ाया जाए तो हमें खुशी होगी। कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन आम पूरे समाज को इस तालीम से महरूम रखना गलत है।

अब रहा मदरसों का सवाल, मेरे खयाल से कुछ हमारे गैर मुस्लिम भाई जिनकी नीयत भी खराब नहीं है, उनको समझ में नहीं आता, वह यह कहते हैं

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अमीन खान)

कि मदरसों में पढ़ाने की जरूरत क्या है। उपाध्यक्ष महोदय, मदरसों में सिर्फ प्राइमरी की तालीम की इसलिए जरूरत है कि नमाज पढ़ना, रोजा रखना, निकाह पढ़ना और मरे हुए मुसलमान पर याशीन पढ़ना, यह सिवाय अरबी और कुरान की तालीम के कतई हो नहीं सकता। उसका स्कूलों में सरकारी तौर पर इंतजाम नहीं है। इसलिए मदरसों की तालीम जरूरी है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह भाषण आप 15 तारीख को देना, अब बिराजें।

श्री अमीन खान : और मदरसों में, राजीव गांधी पाठशालाओं के जरिये...

श्री संयम लोढ़ा : पाइंट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री अमीन खान : मदरसों में तालीम हो पाई है, इससे शिक्षा का स्तर बढ़ा है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। प्लीज बिराजिये।

श्री अमीन खान : और लोगों को एक आधुनिक शिक्षा इसके जरिये भी दी जाए तो ज्यादा लोगों को, गरीबों को लाभ मिलेगा। एक आधुनिक शिक्षा से अल्पसंख्यक वर्ग के, कमजोर वर्ग के...

श्री उपाध्यक्ष : जीरो आवर में कौनसा पाइंट आफ आर्डर होता है?

श्री अमीन खान : ...बच्चे आगे बढ़ेंगे, यह हमारी सरकार से अपील है। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने जिस तरह से मदरसा बोर्ड कायम किया है, वह आप भी बोर्ड कायम करें और हमें अच्छी तालीम लेने के लिए मौका दिया जाए। यह बात मैं कहते हुए मेरी बात करता हूं बन्द, जयहिन्द।

श्री संयम लोढ़ा : अमीन साहब, अमीन साहब, एक मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कल सदन में... आन ए पाइंट आफ आर्डर...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य यशवन्त सिंह रामू।

जीरो आवर में पाइंट आफ आर्डर नहीं, बिराजिए। पहले बिजनस आने दें। श्री यशवन्त सिंह रामू।

मोहम्मद माहिर आजाद : शिक्षा मंत्रीजी, आप तो कुछ कहो इसमें। नहीं, नहीं, वह बाद में कह देंगे, जीरो आवर है। आप कुछ तो इस पर कहो।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से...

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब कौन देगा, मंत्रीजी तो हैं नहीं?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, बिराजिये।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पाइंट आफ आर्डर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : जीरो आवर में नहीं होता है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : मेरा जवाब कौन देगा?

श्री सी. पी. जोशी (पंचायती राज मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन का और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि राजस्थान में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए यहां पर मध्य प्रदेश, बिहार, केरल, कर्नाटक की तरह मदरसा बोर्ड की स्थापना की जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप और हम सब जानते हैं कि पिछले लम्बे समय से सदस्यों के सम्बन्ध में भारत में चर्चा की जा रही है और मदरसों के बारे में कहा जाता है कि ये आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहन देने की जगह हैं। जहां हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के भाई स्वयं आकर यह बात कहें कि मदरसों को राष्ट्रीय धारा से जोड़ा जाए, ऐसे काम में सरकार पीछे नहीं रहेगी और राजस्थान सरकार भी यह कोशिश करेगी कि मदरसों में शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा से हम कैसे जुड़ें। और आधुनिक शिक्षा से ही नहीं जुड़ें, कैसे हम गर्ल्स और चाइल्ड एजुकेशन को भी और बढ़ा पाएंगे, जिससे आने वाले समय में राष्ट्रीय धारा में जुड़ कर यह समाज भी आगे बढ़ सके। इस काम को करने के लिए नगर से आने वाले माननीय सदस्य और शिव से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरा ध्यान आकर्षित किया है। मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल और दिल्ली का जो आपने बताया है, वहां मदरसा बोर्ड की स्थापना की क्या प्रक्रिया है, क्या उनके लक्ष्य हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करके इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार भी विचार करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : यशवन्त सिंह रामू।

माननीय सदस्यों को उपलब्ध सेवा-सुविधाओं में कोताही

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा जो सुविधा मुहैया कराई जा रही है, उसमें हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में मंत्री महोदय का और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। लेकिन मंत्रीजी गायब हैं, इस पर्ची का मुझे तो लगता नहीं कि कोई औचित्य है या इस पर कोई अमल होगा। माननीय सदस्यों को जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं...

श्री नन्दलाल बंशीवाल : कोई सुन भी रहा है क्या? यह माननीय सदस्य बोल रहे हैं जो कोई सुन भी रहा है क्या? नोट कर रहा है क्या?

डा. चन्द्रभान : हम सुन रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार बैठी है, आप बोलो न।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : चाहे फर्नीचर हो, चाहे कूलर हो, चाहे पंखे हों, उपाध्यक्ष महोदय, पी.डब्ल्यू.डी. एक्स.ईएन. और इलैक्ट्रिक के एक्स.ईएन., ए.ईएन. और जे.ईएन. को कभी भी फोन करो आप, ज्यादातर जवाब मिलता है कि सीट पर उपलब्ध नहीं हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे हमको ये भीख दे रहे हों या हमारे ऊपर एहसान कर रहे हों। कोई भी सामान की आप इनको लिख कर दो, दस से पन्द्रह-पन्द्रह दिन तक वह सामान उपलब्ध नहीं होता और जब दोबारा फोन करो तो जवाब आता है कि हमारे पास सामान उपलब्ध नहीं है, सामान उपलब्ध होने के बाद आपकी व्यवस्था कराई जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, जिस जगह हम निवास करते हैं, आज इस सवा तीन साल के पीरियड में हमें यही नहीं पता कि हमारी सफाई की जो व्यवस्था है वह पी.डब्ल्यू.डी. के अन्डर में है या नगर निगम के अण्डर में है। नगर निगम को फोन करो तो कहते हैं पी.डब्ल्यू.डी. से बात करो। पी.डब्ल्यू.डी. वालों को कहें तो कहते हैं कि नगर निगम व्यवस्था करेगा। उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व और पश्चिम जहां विधायक निवास बने हुए हैं वहां गन्दगी का यह आलम है, ऐसी दुर्दशा है लेकिन उसकी तरफ किसी भी मंत्री ने या किसी कर्मचारी ने या अधिकारी ने आज तक कोई सुध नहीं ली। उपाध्यक्ष महोदय, अगर सुबह और शाम के टाइम पश्चिम और पूर्व में रहने वाले माननीय सदस्य बाहर बैठ जाएं या अन्दर बैठ जाएं तो मच्छरों का इतना प्रकोप है कि पांच मिनट भी आप घर के अन्दर और घर के बाहर नहीं बैठ सकते। आज तक भी सरकार ने कोई भी दवा छिड़कने की व्यवस्था नहीं कराई। माननीय सदस्यों के साथ जब ऐसा व्यवहार है, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी बैठे हैं, मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि कम से कम सप्ताह में या पन्द्रह दिन में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं और यह खड़े होकर चल दिये, बताइये आप।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपका ध्यान दिला रहे हैं माननीय सदस्य, थोड़ा सुन लें।

मोहम्मद माहिर आजाद : मच्छर तो हाउस में भी हो रहे हैं।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कम से कम पन्द्रह दिन में एकाध बार तो डी.डी.टी. छिड़कवा दें जिससे मच्छरों की तादाद कम हो सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मेरा छोटा-सा निवेदन और है।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय सदस्य, एक बार पहले भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा और स्वायत्त शासन विभाग दोनों के द्वारा रामगंज में स्प्रे करवाया गया था, फोगिंग, उसके चलते हुए जो कुछ भी हुआ, तो ये माननीय दो सौ सदस्यों में से किस को आप भेजना चाह रहे हो? भाई, मेहरबानी बख्शो।

मोहम्मद माहिर आजाद : 200 कहां हैं, 35 तो बाहर ही गये। 35 तो हैं ही नहीं, 35 को तो आपने बाहर कर दिया।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आपको नहीं भेजेंगे, चिन्ता मत करो। आपको नहीं भेजेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : व्यवस्था यह कराएं, जो अपनी गृह कमेटी है, माननीय सभी सदस्यों के मकानों पर, मंत्रियों को छोड़ करके, उनके जो मकान बने हुए हैं उनमें जाली के किवाड़ लगें ताकि अन्दर कोई व्यवस्था हो सके। क्योंकि एक बार जो कुछ स्प्रे होगा तो उसके बाद तत्काल फिर उतने के उतने...

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : मंत्रियों के घर में घुसने दो। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक्स एम.एल.एज. को भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। रिटायर्ड अधिकारियों को राजस्थान हाउस में या सर्किट हाउस में एक महीने में पांच दिन ठहरने की व्यवस्था है।

श्री राजेन्द्र पारीक : प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को पेट में ऐंठन है क्योंकि राजनेता को जब तक वह बोलकर अपनी भड़ास नहीं निकाल लेता है, पेट में ऐंठन रहती है। आप उनको अन्दर बुलाएं ताकि बोल-बाल करके अपने पेट का आफरा कम करें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, बिराजें। बिराजें प्लीज।

मोहम्मद माहिर आजाद : इसके लिए आपको अधिकृत किया।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : जरूरत ही नहीं है, आप ही काम कर रहे हो उनका। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान हाउस, दिल्ली और राजस्थान के सर्किट हाउसों में कम से कम पांच दिन की व्यवस्था पूर्व विधायकों को कराई जाए, मेरा आपके माध्यम से सदन से यही आग्रह है। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप जी। माननीय सदस्य, आज इस पर डिमांड पर भी है डिबेट, तो आप थोड़ा-सा संक्षेप में...

श्री रामस्वरूप : कई दिन में आज तो नम्बर आया है।

श्री उपाध्यक्ष : फिर आप बोलोगे वापस।

श्री रामस्वरूप : कई दिन में आज नम्बर आया है, साहब। मैं डिमांड पर नहीं बोलूंगा, मैं अभी बोल लेता हूं, एक मिनट बोल देता हूं। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा निवेदन है आपसे...

श्री उपाध्यक्ष : अब क्या हुआ?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, तीन दिन पहले जो राजस्थान में ओलावृष्टि और बारिश हुई उससे जो राजस्थान के किसानों का नुकसान हुआ इस सम्बन्ध में राहत मंत्रीजी बिराजे हैं, सर...

श्री उपाध्यक्ष : वह देना चाहते थे, आप थे नहीं, वह देना चाहते थे। उस रोज व्यवधान हो गया इसलिए वह... (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : अब दिलवा दें, साहब। अब दिलवा दो। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम सदन से कभी भी गायब नहीं हुए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : करा देंगे स्टेटमेंट, तैयार हैं। करा देंगे स्टेटमेंट।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, हम तो थे।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन से कभी भी गायब नहीं हुए।

श्री उपाध्यक्ष : स्टेटमेंट करा देंगे।

श्री अमराराम (धोद) : हम कहां थे, आज दिलवा दीजिये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्षजी, आज तो हम पानी पीने और पेशाब करने भी नहीं गये क्योंकि आज तो सम्पूर्ण विपक्ष की जिम्मेदारी हम ही निभा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, बैठिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : हम कहां चले गये, कहां थे मंत्रीजी? मंत्रीजी नें स्टेटमेंट देने की बात ही नहीं की, हम तो यहां पर ही थे। हम तो आज पेशाब करने और पानी पीने भी नहीं गये सदन को छोड़कर। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : यह सरकार किसानों के मामले को लेकर गम्भीर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : करा देंगे स्टेटमेंट करा देंगे, उसमें क्या है? आप बिराजें प्लीज।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उसी दिन यह निवेदन किया था कि मैंने अभी जिलाधीशों को निर्देश दिए हैं...

श्री उपाध्यक्ष : कह चुके थे।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : किस किस जिले में ओलावृष्टि से या अधिक वर्षा से किस-किस फसल का नुकसान

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

हुआ है, वह जानकारी प्राप्त की है। चूंकि आप जानते हैं कि अलग-अलग जिलों से जानकारी प्राप्त करने में कि किन-किन व्यक्तियों की फसल का नुकसान हुआ है, इसमें समय लगता है, मैं शीघ्र ही जानकारी प्राप्त करके सदन को वक्तव्य दूंगा।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आज ही दिलवाइये।

मोहम्मद माहिर आजाद : फैक्स है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : टाइम लगता है। आप भी जान सकते हैं, राजस्थान के 32 जिले हैं, अगर कोई एक जिले की जानकारी ले लूंगा और दूसरा रह जाएगा तो फिर आप पूछेंगे। थोड़ा समय तो दीजिये, मैं यह जानकारी प्राप्त करके सदन को निश्चित रूप से अवगत कराउंगा और सरकार कार्यवाही करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूपजी। बिराजिये प्लीज।

श्री नन्दलाल पूनिया : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : क्या हो गया?

श्री नन्दलाल पूनिया : यह अतिवृष्टि और ओलावृष्टि की बात कर रहे हैं, मेरे क्षेत्र में पचास से अस्सी प्रतिशत सरसों की फसल शीतलहर से नष्ट हो गई। कृपया उसका भी मुआवजा दें। क्या करें, न करें, उसका भी स्टेटमेंट साथ आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, हो गई बात पहले यह।

राजस्थान विश्वविद्यालय में की गयी नियुक्तियों का नियमन करने के सम्बन्ध में गठित समिति के मामले में जारी गतिरोध

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के विश्व विद्यालय में जो एस.पी., एस.टी. ओ.बी.सी. के साथ अन्याय हो रहा है उसके बारे में मैं कल भी आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता था, पुन: मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान के विश्वविद्यालय में एस.टी. एस.सी. ओ.बी.सी. का जो आरक्षण है उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है। रोस्टर प्रणाली के बारे में भी उनके साथ भेदभाव और बेईमानी की जा रही है। इसके बारे में अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति छात्रसंघ का भी ज्ञापन हमारे लिये दिया गया है, उस बारे में निवेदन करूंगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की मांग को लेकर सहायक प्राध्यापक के पदों पर इन वर्गों का निर्धारित आरक्षण कोटा, बकाया बैकलाग के पदों के निर्धारण हेतु प्रोफेसर श्यामलाल जेदिया की अध्यक्षता में प्रोफेसर पी.एल. वर्मा, प्रोफेसर पी.एस. वर्मा, डाक्टर आर.एस. मीणा के नेतृत्व में कमेटी का गठन प्रोफेसर के.एल. कमल, राजस्थान विश्वविद्यालय के

(श्री रामस्वरूप)

कुलपति द्वारा विवेक से दिनांक 8.4.2002 को रात्रि 8.00 बजे छात्र संघ को लिखित में दिया गया। आज प्रात: 9.4.2002 को दस बजे कुलपति निवास पर प्रोफेसर कमल से मांगों पर मिलने के लिए गये तो श्यामलाल जेदिया की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी के गठन का आफिशियल आदेश दे दिया जिस आदेश की कापी मेरे पास मौजूद है। कुलपति की ओर से यह संदेश आया कि आर्डर अभी दे रहा हूं। बाद में तथाकथित नेताओं के दबाव में आकर वह मुकर गये। उन लोगों ने जब ज्यादा अपनी मांग पर जोर दिया तो पुलिस बुलाकर उन पर डण्डे बरसाये गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का एसटी. एससी. ओ.बी.सी. के छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। राजस्थान की विधान सभा में उनके ऊपर डण्डे बरसाये जा रहे हैं, वे अपने अधिकारों के लिए कहते हैं तो उनको सही जवाब नहीं मिलता है। अब किसके दबाव में आकर फेरबदल करने जा रहे हैं, हमें आपकी कोई बात स्वीकार नहीं है। जब तक आप प्रोफेसर श्यामलाल की अध्यक्षता वाली कमेटी का लिखित में आदेश नहीं देते तब तक हम सभी धरने पर बैठते हैं। और वे सब सारे छात्र वहां पर बैठ गये। जब धरने पर अपनी मांग करने लगे तो पुलिस ने आकर उनके ऊपर डण्डे बरसाये। छात्रों ने सायंकाल पांच बजे तक कुलपति का घेराव किया। बाद में कुलपति ने पुलिस बल बुलाकर कुलपति सचिवालय के द्वार से बल प्रयोग, लाठीचार्ज कर छात्रों को हटाने का प्रयास किया व पुलिस संरक्षण में कुलपति को गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया। छात्र कुलपति की गाड़ी के आगे लेट गये। पुलिस ने छात्रों को हटाने की कोशिश की और उनको डण्डे मारे। उसने छात्रों पर लाठीवार किया जिससे छात्रसंघ अध्यक्ष वृद्धिलाल, एम.एल. सैनी, पूर्व छात्र प्रतिनिधि दशरथ, चौधरी भंवर सिंह, राजाराम, ओमप्रकाश, डा. राममूर्ति मीणा, सुरेश वर्मा, कल्याण मीणा, आदि के गम्भीर चोटें आयी हैं। बाद में कुलपति निवास पर जाकर धरने पर बैठ गये जो आज अखबार में भी आया कि दिन भर निवास में कैद रहे कुलपति। कुलपति जी वहां कैद हैं और उन्हें आश्वासन दे रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी जो अभी तो सदन में मौजूद थे, मुझे आशा है कि वह मेरी आवाज सुन कर जरूर आएंगे, या वहां मेरी बात सुन रहे होंगे। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि एस.सी. एस.टी., ओ.बी.सी. इनके साथ पहले भी भारतीय जनता पार्टी के राज में अन्याय हुआ था, इनको दबाया गया था, इनके अधिकारों की अवहेलना की गयी थी। उसका परिणाम यह हुआ कि आज भारतीय जनता पार्टी की यह हालत है कि एक भी सदन में मौजूद नहीं है। कितनी-सी संख्या इनकी रह गयी है। उसका मूल कारण यही है कि एस.टी.,एस.सी.

(श्री रामस्वरूप)

और ओ.बी.सी. के साथ अन्याय किया गया था इस प्रकार का। आज हमारी लोकप्रिय सरकार आ गयी है, हमसे इस प्रकार आशाएं लगाये बैठे हैं एस.सी. एस.टी. और ओ.बी.सी. के लोग हमको निश्चित न्याय मिलेगा। रोस्टर प्रणाली की अनदेखी की जा रही है इसलिए श्यामलालजी के नेतृत्व में जो एक कमेटी बनायी गयी है उस कमेटी को क्यों कैंसिल किया जा रहा है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय में सबसे बड़ा प्रोफेसर या और कोई भी इस प्रकार के बड़े पदों पर आज एक भी नहीं है। इनको हटा दिया गया है वहां से, एक भी नहीं है। मेरा विनम्र निवेदन है आपके माध्यम से, माननीय मंत्रीजी कि राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों ने जो मांग की है उस मांग को मंजूर किया जाए। एक कमेटी जो श्यामलालजी के नेतृत्व में बनने वाली है उस कमेटी के आदेश जारी किए जाएं। कल भी जब छात्रों को वहां से हटाने की कोशिश की गयी तो उस समय कहा गया था कि शाम को आपको आदेश दे दिये जाएंगे। रात्रि सात बजे के लिए कहा गया था कि सात बजे आपको आदेश दे दिये जाएंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सात बजे भी उनको आदेश नहीं मिले, फिर उनको कहा दिया गया कि आपको 9 बजे आदेश दे दिये जाएंगे। 9 बजे तक भी उनको आदेश नहीं मिले। माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी कहीं पधार गये हैं, माननीय मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, उपाध्यक्ष महोदय विराजमान हैं, मेरा विनम्र निवेदन है कि एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के छात्रों की जो वाजिब मांग है जो कमेटी बनानी है, आप मेहरबानी करके उस कमेटी की आज ही घोषणा करें। आज इस पर बहस भी होगी। इसलिए आपके जरिये मैं पुनः करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय को रोका जाए और हमारी संवदेनशील सरकार, लोकप्रिय सरकार इसकी घोषणा करें कि वह कमेटी आज ही बना दी जाएगी, रोस्टर प्रणाली का पूरा ध्यान रखा जाएगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : डा. करण सिंह।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस बिन्दु को मेरे पूर्व वक्ता माननीय विधायकजी ने उठाया उसी बिन्दु पर मैं बात कहना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय के बारे में बार-बार सदन में यह बात कही जाती रही है कि वहां पर 1978 से लेकर आज तक कभी स्थायी नियुक्तियां नहीं की गयी हैं। 1978 से 1990 तक 166 ऐसे लोगों को भर्ती कर लिया गया जिनका न कोई एडवरटाइजमेंट हुआ न कोई उनका इन्टरव्यू हुआ, न किसी तरह कोई सलेक्शन प्रोसेस इस्तेमाल की गयी और भाई-भतीजावाद अपनाते हुए ऐसे लोगों को भर्ती कर लिया गया। इन भर्तियों के अन्दर आरक्षण की बिलकुल अवहेलना

(डा. करण सिंह यादव)

हुई। गत सत्र में मैंने एक प्रश्न पूछा था कि राजस्थान विश्वविद्यालय में कितने अस्थायी शिक्षक हैं तो मुझे जानकारी दी गयी कि 307 अस्थायी शिक्षकों में से मात्र सात ऐसे हैं जो अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़ा वर्ग से आते हैं। 1990 के बाद में एक उपकुलपति महोदय के कार्यकाल में 140 ऐसे लोगों को भर्ती कर लिया गया जिनके आदेश सिगरेट की डिब्बी पर, चलते हुए कागज पर, अखबार के पन्ने पर लिखकर बिना किसी योग्यता के उनको भर्ती किया गया। कुलमिलाकर यह एक बहुत बड़ा संगठित ग्रुप बन गया 307 लोगों का जो वहां के शिक्षक संघ के साथ मिल कर पिछली सरकार पर भी और इस वर्तमान सरकार पर भी बराबर दबाव बनाये हुए हैं कि उनको मानवीयता के आधार पर नियमित कर दिया जाए। सरकार इस मामले में आर्डिनेंस लाने का मानस बना चुकी है। कुछ दिनों पहले माननीय राज्यपाल महोदय के यहां मीटिंग में भी इस बात के लिए कहा गया कि इन लोगों की समस्याओं का समाधान हो। गत सत्र में भी इस प्रश्न को उठाया गया था तब माननीय शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा सरकार की मंशा जताते हुए इस सदन को आश्वस्त किया गया था कि जब भी कोई आर्डिनेंस लाया जाएगा, जब भी कोई स्थायीकरण का आदेश लाया जाएगा उसमें इन 307 में से जितना आरक्षित वर्ग का कोटा बनता है अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का, जो लगभग 50% कोटा बनता हैं, वह 50% कोटा हम इन वर्गों से ही पूरा करेंगे और आर्डिनेंस के साथ-साथ में सलेक्शन प्रोसेस भी चालू होगी। उपाध्यक्ष महोदय, वे लोग जिनका अनियमित चयन हुआ है, जो क्वालिफिकेशन से नहीं आये जिन्होंने मैरिट को सदा नकारा है, ऐसे लोगों के प्रति सरकार और विश्वविद्यालय इतने संवेदनशील हो गये कि उन सबको बिना स्क्रिनिंग किये हुए नियमित करना चाहते हैं, एवज में एक खैरात डालने के लिए कि साहब कुछ पद जो एस.सी./एस.टी. और ओ.बी.सी. के बनते हैं उनको हम एस.सी./एस.टी. और ओ.बी.सी. को दे देंगे। आज जब सरकार एक नया पद सृजित करने की स्थिति में नहीं है, वहां के शिक्षकों के इस संगठित ग्रुप ने दबाव डालकर इस बात के लिए कुलपति को बाध्य किया कि हम सौ के आसपास में नये पद सृजित कर देंगे। नये पद सृजित करने का कोई औचित्य नहीं है। नये पद सृजित करने के लिए जितना रिक्वायर्ड पीरियड चाहिए, जितना वर्कलोड चाहिए उतना वर्क लोड नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर नये पद सृजित करके अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को समायोजित किया जाता है तो मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छी बात

(डा. करण सिंह यादव)

होगी। इस दिशा में इस बात को कौन तय करेगा किनके लिए कितने पद सृजित किये गये हैं, किन लोगों के, अनुसूचित जाति और जनजाति के कितने पदों को आरक्षित रखा जाना चाहिए? उसके लिए विश्वविद्यालय में एक कमेटी बनी, उसके ऊपर दूसरी कमेटी बनी। अभी पिछले दिनों श्यामलाल जेदिया जो कि अनुसूचित जाति से आते हैं और जोधपुर विश्वविद्यालय के बहुत सफल कुलपति रह चुके हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। उनके साथ में एक प्रेमसिंह वर्मा साहब नाम करके प्रोफेसर हैं, उनको लगाया गया। इन आरक्षित वर्गों के लोगों को आशा की किरण लगी कि ये ऐसे लोग हैं कि इनके चयन से, इनके कमेटी में रहने से इन वर्गों के हितों की पूरी देखभाल की जाएगी। लेकिन अभी पिछले दो दिन के दबाव में आने से माननीय कुलपति महोदय का घेराव हो रहा है। वो बैठे हुए हैं, पुलिस चारों तरफ बैठी हुई है। उन्होंने उस कमेटी को हटा करके एक नया आदेश दे दिया कि Shyam Lal Jaidia would look after the interests of SC/STs. यह क्या बात हुई? एस.सी./एस.टी. का इंटरेस्ट लुक आफ्टर करने के लिए इस सरकार की तरफ से कोई नुमाइन्दा उसमें नहीं हो सकता? माननीय शिक्षा मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं जिन्होंने पिछली बार सदन में आश्वासन दिया था कि जितने पद आरक्षित वर्ग के बनते हैं उनको भर्ती द्वारा पूरा किया जाएगा, उसी के बाद में ही कोई आर्डिनेंस लाया जाएगा। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से और उनके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से इस बात के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति की जितनी अनदेखी राजस्थान विश्वविद्यालय में हुई है यह अनदेखी आप जैसे संवेदनशील और आप जैसे विद्वान शिक्षा मंत्री के होते हुए नहीं होनी चाहिए। राजस्थान विश्वविद्यालय में जो यह वर्क लोड निर्धारण करने की बात है कि आरक्षित वर्ग का कोटा कितना है और कितने लोगों को समायोजित किया जाना चाहिए, उसकी पूरी निष्पक्षता से कोई कमेटी जांच करे। साथ में, मंत्री महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्षजी के माध्यम से, यह क्या बात हुई जिनको कागज की पर्चियों के ऊपर भर्ती कर दिया गया, सिगरेट की डिब्बी के पैकेट पर भर्ती कर दिया गया उन लोगों को सबको मानवीयता के आधार पर परमानेंट बना रहे हैं, चाहे उनमें कोई क्वालिफिकेशन हो या नहीं हो? आर्डिनेंस आए उसमें भी कम से कम स्क्रिनिंग का प्रोसिजर तो होना चाहिए कि वो उसके लिए योग्यताधारी हैं या नहीं। ऐसे लोग राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ाने चले गये जिनको

(डा. करण सिंह यादव)

सम्भवतया थर्ड ग्रेड टीचर की भी नौकरी मिल पाती या नहीं मिल पाती। इस तरह के लोगों ने अपना-अपना प्रभाव करके अपना पद ले लिया। इसलिए सदन के माध्यम से मैं उपाध्यक्ष महोदय, यही निवेदन करना चाहूंगा कि इन वर्गों की अनदेखी नहीं हो। एस.सी./एस.टी./ ओ.बी.सी. का राजस्थान विश्वविद्यालय में जो वर्षों से बैकलाग चल रहा है उस बैकलाग को पूरा किया जाए, इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामस्वरूप : माननीय मंत्रीजी, आप विराजमान हैं, यह कोई कमेटी श्यामलाल जी की उसमें बनने वाली है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री रामस्वरूप : मेरा विनम्र निवेदन है कि आज ही आप घोषणा करें ताकि जो आश्वासन दिया है वो आश्वासन पूरा हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह समझ नहीं है घोषणा का, बिराजो। श्री हीरासिंह चौहान। (अनुपस्थित) श्री अमराराम चौधरी।

श्री रामस्वरूप : माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

(13.00 बजे)

श्री सी. पी. जोशी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं खाली एक बात कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब और ओ.बी.सी. के सम्बन्ध में है इसलिए मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्यों को कि सरकार शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब और ओ.बी.सी. के बैकलाग को भरने के लिये कमिटेड है, Please, don't have apprehensions. There are certain procedures things which we will have to adhere to. इसलिए उस चीज को जो होने में है, हम अभी इंटरफियर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार एस.टी., एस.सी. और ओ.बी.सी. के बैकलाग को भरेगी, इसका कोई सम्बन्ध आर्डिनेंस के साथ नहीं है। Please, don't confuse these two issues.

श्री रामस्वरूप : श्यामलाल की अध्यक्षता में जो कमेटी बनने वाली है उसका क्या होगा? जी धरना आपने हटाया है उसमें आपने यह कहा है कि निश्चित रूप से श्यामलालजी की अध्यक्षता में कमेटी बना दी जाएगी जो जोधपुर के वाइस चांसलर हैं। उस कमेटी का क्या हुआ? उस कमेटी की लिखित में पहले ही घोषणा हो चुकी थी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूपजी, बिराजिए।

श्री रामस्वरूप : साहब, यह कमेटी पहले बन गई थी, इस कमेटी को क्यों रोक दिया गया? इसमें कमल के दस्तखत हैं। आज इस प्रकार का अत्याचार एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. के साथ हो रहा है कि कमेटी बन गई, इसके ऊपर कमल ने दस्तखत कर दिये और फिर इसको रोक दिया गया। श्यामलालजी के आदेश को रोकने के क्या कारण हैं?

श्री बाबूलाल सिंगारिया : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति, जनजाति के वर्गों के हितों के लिये श्यामलाल कमेटी को लागू किया जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिये। वैसे सरकार कृपालु है, दयालु है। हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत जी बहुत दयालु हैं। हम चाहते हैं कि सरकार इसकी पालना करावे।

श्री रामस्वरूप : मंत्री जी यहां बिराजे हुए हैं, वह एस.टी., एस.सी., ओ.बी.सी. का भला भी करना चाहते हैं। इस कमेटी का क्या हुआ? इन आदेशों का क्या हुआ, साहब? जो आदेश रोक दिये गये हैं इन आदेशों का क्या होगा?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामस्वरूप जी, बिराजिए।

श्री रामस्वरूप : कमल जी ने आदेशों को रोक दिया, इनका क्या होगा? ये कब तक दोबारा जारी कर दिये जाएंगे?

श्री उपाध्यक्ष : बैठिए, बैठिए, उन्होंने बता दिया ना।

श्री रामस्वरूप : आपके कुलपति घेराव में पड़े हुए हैं, यह अखबार में आया है। उनका घेराव हटेगा कि नहीं हटेगा?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूप जी, बिराजिए, बिराजिए प्लीज। उन्होंने जवाब दे दिया, आप प्लीज बिराजिए।

श्री रामस्वरूप : मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, माननीय मंत्रीजी बिराजमान हैं, वह इसको हटाना चाहते हैं, नियुक्त कराना चाहते हैं श्यामलाल जी को, इनकी इस बात के लिये मंशा है, आप इसके प्रयास करावें ताकि यह घेराव बन्द हो। कुलपति का घेराव हो रहा है। एस.टी., एस.सी., ओ.बी.सी. के साथ अन्याय हो रहा है, उसके बारे में कुछ तो कहलवाओ साहब।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूप जी, प्लीज अब आप बिराजिए।

श्री रामस्वरूप : इस आदेश का क्या होगा?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। माननीय सुरेन्द्र जी, आप क्या कह रहे हो?

श्री रामस्वरूप : आपकी मर्जी है, साहब, मत कहलाओ। आदेश जब तक नहीं जाएगा तब तक वहां घेराव पड़ा

(श्री रामस्वरूप)

रहेगा। वहां छात्र परेशान हैं, पुलिस के डण्डे खा रहे हैं। (व्यवधान) एस.टी., एस.सी. ओ.बी.सी. के छात्रों का मामला है, आप कह रहे हो, बैठ जाइए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कह दिया ना उन्होंने, अब आप बैठ जाइए।

श्री रामस्वरूप : आप कैसे रोक रहे हो हमको, हमारे मंत्रीजी तैयार बैठे हैं। क्या यह कमेटी बना दी जाएगी? मंत्री जी कह रहे हैं बना दी जाएगी, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूपजी, प्लीज। कहां कह रहे हैं मंत्रीजी, टाला ही धन्यवाद?

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, एस.सी., एस.टी. ओ.बी.सी. के तो मंत्रीजी ने जवाब दे दिया, पर माननीय करण सिंहजी यादव ने एक महत्वपूर्ण सवाल और खड़ा किया है कि जिन लोगों को पर्ची के ऊपर, सिगरेट के पैकेट के ऊपर जो भर्ती कर लिया गया, नियुक्ति दे दी गई, जो लोग मिनिमम क्वालिफिकेशन को फुलफिल नहीं करते उनका कोई इंस्पेक्शन करेंगे आप? कोई मानवीय आधार यह नहीं कह सकता कि जो थर्ड ग्रेड टीचर भी अपाइंट नहीं हो सकता उसको लैक्चरर बना दिया इसलिए आप रैगुलराइज कर दें। इस बारे में आपका और सरकार का क्या विचार है, यह थोड़ा-सा आप हमारा मार्गदर्शन करें।

श्री सी. पी. जोशी : डिमाण्ड पर बोल लेना, डिमाण्ड आ रही है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, डिमाण्ड की बात अलग है चूंकि अभी यह मसला आ गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए, हो गया, उन्होंने कह दिया कि डिमाण्ड पर वह जवाब दे देंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंह चौहान। (अनुपस्थित) श्री अमराराम चौधरी। (अनुपस्थित) श्री शैलेन्द्र जोशी। (अनुपस्थित) डा. श्रीमती कमला।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2002

डा. (श्रीमती) कमला (सिंचाई मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2002 को पुर: स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2002 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

डा. (श्रीमती) कमला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2002 को पुर:स्थापित करती हूं।

मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (2002 का अध्यादेश संख्या-2) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री बनवारी लाल जी बैरवा।

अनुदान की मांग

मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की प्रस्तुति

श्री बनवारी लाल बैरवा (समाज कल्याण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान की मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,21,89,44,000/- (पांच अरब इक्कीस करोड़, नवासी लाख, चवालीस हजार) तक की राशि जिनमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाएं।

मांग संख्या-33 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-33 मुख्य शीर्षक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :-

श्री अमीन खान (शिव)

1. प्रशासन गांवों के संग प्रोग्राम में स्वीकृत की गई पेंशन न मिलने पर चर्चा के लिये।
2. रेगिस्तानी क्षेत्रों में पेंशन देने में भूमि की सीमा बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर)

3. राज्य में चलाये जा रहे सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों एवं नीतियों को जन कल्याणकारी बनाकर सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में गतिशीलता प्रदान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

4. हरिजनों द्वारा सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा बन्द करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. राज्य में अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद)

6. वृद्धावस्था पेंशन की स्वीकृति की प्रक्रिया का सरलीकरण व नवीनीकरण में विलम्ब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

7. अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को समय पर छात्रवृति उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

8. श्रीनगर (अजमेर) में संचालित अनुसूचित जाति छात्रावास का भवन निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. नसीराबाद में अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. राज्य सरकार द्वारा सामुहिक विवाह हेतु दिये जा रहे अनुदान में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (खारची)

11. राणावास शिक्षा की नगरी में समाज कल्याण छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. मारवाड़ जंक्शन के समाज कल्याण छात्रावास में बच्चों के ओढ़ने के कम्बल एवं नये पलंग दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद)

13. विधान सभा क्षेत्र दीगोद जिला कोटा के ग्राम सांगोद कनवास, धूलेट, हिंगोनियां, देवली, बड़ौद, सुलतानपुर में सामुदायिक सभा भवन का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा)

14. वृद्धावस्था पेंशन/राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन का बकाया भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली)

15. राजकीय छात्रावासों में अधीक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

16. राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों पर हो रहे अत्याचार में वृद्धि को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संजीव कुमार (भादरा)

17. हनुमानगढ़ जिले में समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षकों एवं अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

18. विधान सभा क्षेत्र भादरा के विकलांगों, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन के बकाया मामलों को शीघ्र निपटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री संजीव कुमार)

19. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भादरा के कुछ गांवों में समाज कल्याण विभाग द्वारा हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. भादरा क्षेत्र के कुछ गांवों में समाज कल्याण विभाग द्वारा हरिजन बस्तियों में पेयजल हेतु पाइप लाइन उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)

21. राज्य में समाज की सुरक्षा की व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

22. बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में अनुसूचित जाति छात्रावास को आवासीय विद्यालय योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग कार्यक्रमों के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन एवं विधवा पेंशन के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयों पर चर्चा के लिये।

24. वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन के बारे में जो निर्णय प्रशासन गांवों के संग एवं शहरों के संग में लिये गये उन्हें अभी तक पेंशन अदा न करने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

25. समाज कल्याण विभाग द्वारा राजकीय जनजाति छात्रावास भवन के निर्माण की वित्तीय स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाराम मेघवाल (सिवाना)

26. सिवाना विधान सभा क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियों में बिजली एवं पानी की पाइप लाइन हेतु बजट में प्रावधान रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. सिवाना तहसील मुख्यालय पर अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्राओं हेतु छात्रावास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. तहसील सिवाना के समाज कल्याण छात्रावासों में छात्रावास अधिकारियों के रिक्त पड़े पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)

29. छात्रावास इटावा में स्वीकृत राशि से कार्य शुरू होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री रामगोपाल बैरवा)

30. समाज कल्याण छात्रावास हेतु मांगरोल जिला बारां में व खातोली में छात्रावास भवन बनाने के लिये राशि स्वीकृत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज)

31. किशनगंज विधान सभा क्षेत्र जिला बारां के ग्राम रामगढ़ में अनुसूचित जाति का छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

32. समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों की बस्सी का विद्युतीकरण करने में विभाग के असफल रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

33. महिला एवं बालकों के कल्याण विभाग में पोषाहार केन्द्रों की व्यवस्था दूषित व अपर्याप्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़)

34. मेडिकल कालेजों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिये प्रवेश के समय आरक्षण का प्रावधान न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

35. राजस्थान अन्य पिछड़ा विकास निगम को सरकार की विभिन्न आर्थिक योजनाओं से लाभ लेने हेतु आर्थिक सहायता की गारंटी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर)

36. पंचायत समिति जसवन्तपुरा जिला जालौर के करीब 60-70 ग्रामों में भील जाति का बाहुल्य होने के कारण जसवन्तपुरा में उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं अनुसूचित जनजाति का छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. पंचायत समिति जसवन्तपुरा जिला जालौर के ग्राम रामसीन में अनुसूचित जाति छात्रावास एवं हायर सैकण्डरी स्कूल खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. जालौर जिले में अनुसूचित जाति/ जनजाति छात्रावासों में अधीक्षकों के रिक्त पद भरने एवं अनुसूचित जाति/ जनजाति की बस्तियों में लाइट, पानी हेतु विशेष बजट आबंटन पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (अटरू)

39. कोटा शहर के समाज कल्याण छात्रावास में कार्यरत अंशकालीन रसोइयों को नियमित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी)

40. राज्य में सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा)

41. जनजाति उप योजना के अन्तर्गत समाज कल्याण के छात्रावासों में व्यवस्था ठीक नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

42. सिरोही जिले के शिवगंज में संचालित समाज कल्याण छात्रावास के भवन की जर्ज़र हालत होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

43. सिरोही जिले के शिवगंज एवं कैलाश नगर में समाज कल्याण विभाग के छात्रावास हेतु भवन के निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी)

44. राजकीय एवं अनुदानिक छात्रावासों में छात्र-छात्राओं के उपयोगार्थ भोजन व नाश्ता तथा प्रतिदिन उपयोग में आने वाली सामग्री हेतु आबंटित राशि को चार गुना किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. अनुसूचित जाति व जनजाति के उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री खरीदने के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. अनुसूचित जाति व जनजाति के वर्गों को आबंटित जमीन का कब्जा दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. अनुसूचित जाति व जनजाति के वर्गों के आरक्षण में बढ़ोतरी करने तथा पुराना बैकलाग तत्काल पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. अनुसूचित जाति व जनजाति के अत्याचारों से पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद)

49. विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

50. सीकर जिले के धोद ग्राम में संचालित छात्रावास हेतु छात्रावास भवन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर)

51. राजकीय बालिका समाज कल्याण छात्रावास को मोहनगढ़ से जिला मुख्यालय पर स्थानान्तरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

52. राज्य में नये समाज कल्याण छात्रावास प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. समाज कल्याण छात्रावासों में व्यवस्थापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

54. रोजगार विभाग की मौजूदा समय में कोई उपयोगिता नहीं होने के उपरान्त भी इस विभाग को समाप्त नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

55. पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर में आंगनबाड़ी भवन बनाने एवं हैण्ड पम्प लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. विधान सभा क्षेत्र लाडनूं जिला नागौर में विभागीय अनुदानित छात्रावास में छात्रों की संख्या और बढ़ाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये घोषित योजनाओं को कार्यान्वित करने में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।

58. जिला नागौर में अनुसूचित जाति के छात्रों को दी जाने वाली सहायता राशि का भुगतान वर्षों तक नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी)

59. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में माडा योजना के तहत गांवों को विद्युत से जोड़ने हेतु दी गई सहायता पर चर्चा के लिये।

60. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में जनजाति के 225 गांव होने के उपरान्त भी पेयजल व्यवस्था के लिए राशि नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

61. माडा योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम तूंगासिया का बास, बूधरपुरा, लालगढ़ कदमवाला लालगढ़, टोडाभाटा, फूटाबंध, भटेसरी, दोपुर, रलावला आदि में एनीकटों को पूर्ण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में अनुसूचित जनजाति के गांवों में सड़क नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

63. राजस्थान में अनुसूचित जनजाति के प्रधान, सरपंच, पार्षद, जिला परिषद् सदस्य, पंचायत समिति सदस्य आदि के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर चर्चा के लिये।

डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा)

64. अनुसूचित क्षेत्रों में भूरिया कमीशन के आधार पर बनाये गये कानून को राजस्थान में अब तक लागू नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(डा. रतन लाल जाट)

65. महाविद्यालयों में अध्ययनरत जनजाति के बालक/बालिकाओं को छात्रावास के रूप में सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़, सलूम्बर, आबूरोड सागवाड़ा, कुशलगढ़ एवं बांसवाड़ा में नये छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. प्रतापगढ़ की तहसील अरनोद एवं प्रतापगढ़ के अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावासों में प्रवेश से वंचित छात्र/छात्राओं को छात्रवृति के अभाव में शिक्षा से वंचित रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

67. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में उप परियोजना अधिकारी जनजाति विकास विभाग के रिक्त पद भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भाणजी (दानपुर)

68. समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रतापगढ़ में खोले गये अनुसूचित जाति के लिये छात्रावास को प्रतापगढ़ से निवाई स्थानान्तरित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

69. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में सरकार के निर्णयानुसार प्रतिभावन छात्रावास एवं आवासीय छात्रावास के संचालन एवं प्रवेश में लापरवाही बरते जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

70. आदिम जाति सेवक संघ राजस्थान द्वारा संचालित जनजाति छात्रावास अरनोद को अनुदान नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

71. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित कन्या छात्रावास अरनोद जिला चित्तौड़गढ़ की बाउण्डरीवाल नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

72. प्रतापगढ़ उपखण्ड में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में आश्रम छात्रावास हेतु प्रतापगढ़, देवगढ़, अवलेश्वर, कुलथाना, सुहागपुरा, जातली, सागथली थाना, सागथली खुर्द, चूपना एवं कोटड़ी में भवन निर्माण कार्य के लिए राशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. राजकीय कन्या छात्रावास एवं कन्या छात्रावास जनजाति विकास विभाग प्रतापगढ़ की छात्राओं के लिये पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. जनजाति कृषकों के कुओं की गहराई बढ़ाने हेतु ब्लास्टिंग कराने के लिये स्वीकृत वित्तीय स्वीकृति के पश्चात् समय पर कार्य पूर्ण नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री नन्दलाल मीणा)

75. उपयोजना क्षेत्र की योजनाओं का मूल्यांकन तथा क्रियान्वयन के लिये बनी परामर्शदात्री समिति के निर्णयों को समयबद्ध लागू नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा)

76. उपयोजना क्षेत्र के लिये संचालित शिक्षक प्रशिक्षण, आयुर्वेद प्रशिक्षण, खाद्य प्रशिक्षण, कम्प्यूटर शिक्षा, वाहन चालक आदि प्रशिक्षण बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

77. पिछले तीन वर्षों से जनजाति उपयोजना क्षेत्र के विकास के लिये राज्य मद से बजट आठ प्रतिशत से कम आबंटित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

78. राज्य की उपयोजना क्षेत्र में महाराष्ट्र पेटर्न के अनुसार राज्य मद से बारह प्रतिशत राशि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को स्थानान्तरित नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

79. जनजाति उपयोजना क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये नियुक्तियों पर 45 प्रतिशत की आरक्षण सुविधा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)

80. प्रशासन गांवों के संग एवं शहरों के संग अभियान में वृद्धावस्था पेंशन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का निर्णय नहीं लिये जाने एवं पी.पी.ओ. जारी होने के बाद भी पेंशन भुगतान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

81. नारी निकेतन में रहने वाली महिलाओं के लिए पर्याप्त सुविधा एवं रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम चलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. अनुसूचित जाति/जनजाति व पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु लागू की गई योजना का लाभ नीचे के स्तर तक नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

83. कामकाजी महिलाओं एवं निराश्रित महिलाओं के लिए छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. महिला एवं बाल कल्याण विभाग की स्थापना जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी उसमें पूर्णतया असफल रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सांवर लाल (भिनाय)

85. अजमेर जिले में वृद्धावस्था, विधवा व अन्य पेंशन समय पर न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री सांवर लाल)

86. चयनित परिवार के मुखिया का निधन होने पर भी सामाजिक सुरक्षा की राशि का अजमेर जिले में भुगतान न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

87. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण की विभिन्न योजनाओं की जानकारी के अभाव में उसका पूर्ण लाभ नहीं उठा पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

88. अन्य पिछड़ी जाति के कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली)

89. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली जिला बूंदी के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब काश्तकारों के साथ की जा रही मनमानी पर चर्चा के लिये।

90. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के ग्राम पंचायत बसौली, मेढ़ी में अन्य पिछड़ा वर्ग बाहुल्य क्षेत्र में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार के विकास कार्य नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या-33 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री हनुमानप्रसाद।

श्री हनुमानप्रसाद (सूरजगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में अपने विचार प्रस्तुत करता हूं। राजस्थान सरकार ने पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिये जिनमें महिलाएं, निःशक्त और गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले समाज के बहुत बड़े भाग के कल्याण की योजनाएं सम्मिलित हैं, अनेक ऐसे प्रावधान किये हैं जिससे यह समूचा समाज ऊपर उठे और उसको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो।

(13.06 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

जो आर्थिक उत्थान की योजनाएं जिला विकास प्राधिकरण के माध्यम से, अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त विकास निगम के माध्यम से और अन्य विभागों के माध्यम से पूरे राजस्थान में लागू हैं उनमें विशेष तौर से पिछले तीन वर्षों में जो कार्य हुए हैं उनको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि राजस्थान सरकार इनके उत्थान के लिये पूरी तहर से प्रतिबद्ध है, संवेदनशील है और इस बहुत बड़ी जनसंख्या के भाग को आगे बढ़ाने के लिये लगातार कार्य कर रही है।

मैं विशेष तौर से जो योजनाएं गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले समाज के

(श्री हनुमानप्रसाद)

भाग के लिये लागू हैं उनके सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि इन योजनाओं की क्रियान्विति जिला स्तर पर और उससे नीचे के स्तर पर पूर्ण रूप से नहीं हो रही है। बहुत अच्छी विचारधारा, बहुत अच्छे सोच के साथ योजनाएं रहीं, लेकिन उनका लाभ इस समाज को जितना मिलना चाहिये था वह पूरी तौर पर नहीं मिल पा रहा है, मैंने अनुभव किया है। गरीबी की रेखा से नीचे जो लोग हैं उनके उत्थान की योजनाओं में विशेष तौर से ऐसी परिसम्पत्तियां क्रय करें जिससे कि वे आय अर्जन करके गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सके। लेकिन उन योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। आज जैसे सदन में बैंकिंग व्यवस्था के बारे में प्रश्न उठा था, कमर्शियल बैंक्स और जो दूसरे बैंक्स हैं वे इन योजनाओं के प्रति बहुत उदासीन हैं। जिला स्तर पर आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं जिसमें लीड बैंक और दूसरे बैंक भी सम्मिलित हैं और ब्रांचवाइज उनका एक लक्ष्य निर्धारित करके प्रार्थना पत्र उन पर ब्रांचेज को भेज दिये जाते हैं, लेकिन उसमें साल भर चक्कर काटने के बाद भी आधे लोगों को भी ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता। कई बार तो 3-3 साल तक एक प्रार्थी का नाम जाता रहता है और आपके कमर्शियल बैंक्स के जो ब्रांच मैनेजर हैं वे किसी की परवाह नहीं करते हैं। ऐसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ यदि उस समाज को नहीं मिल सके तो उन योजनाओं को लागू करने का कोई अर्थ ही नहीं निकलता। मैं राज्य सरकार से और विशेष तौर से समाज कल्याण मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इन योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी रूप से हो, इसका लाभ उस समाज को मिले जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करते हैं। बैंकों को बाध्य किया जाए। बैंक के जिला स्तर के अधिकारी उस मीटिंग में होते हैं जिसमें यह चयन होता है कि किन-किन लोगों को उक्त योजनाओं के तहत ऋण दिया जाना है। ऐसी स्थिति में एक बार जो सूची तैयार हो जाए फिर उसमें ब्रांच मैनेजर को छेड़-छाड़ करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसमें प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

इस सम्बन्ध में एक दूसरी बात भी सामने आई है कि ऋण के अतिरिक्त जो अनुदान राशि है, वह अनुदान राशि भी उन प्रार्थियों को पूरी उपलब्ध नहीं हो पाती है और उसमें भी बैंक के, ब्रांच के अधिकारीगण हेराफेरी करते हैं। इस सम्बन्ध में भी प्रभावी कार्यवाही करने की आवश्यकता है ताकि उनके नाम से धोखाधड़ी नहीं हो।

अभी एक प्रश्न आया था राजस्थान विश्वविद्यालय में अध्यापकों का, उसमें मंत्री जी ने आश्वासन दिया है। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग

(श्री हनुमानप्रसाद)

के लैक्चरर्स के पदों पर जो पद नहीं भरे हुए हैं, उनमें एक और सुझाव देना चाहता हूं कि पूरे पद की गणना करने के बाद उनका सीधा भर्ती का कार्यक्रम होना चाहिए। जो लोग अस्थाई तौर पर कार्य कर रहे हैं उनको उन पदों के विरुद्ध प्रार्थना पत्र करने की अनुमति दी जाए। जो पूरी शैक्षिक योग्यता रखते हैं उनमें से सलैक्शन होना चाहिए और इसी प्रक्रिया में अनुसूचित जाति-जनजाति और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी भी नए रूप से प्रार्थना पत्र दें। एक साथ उसका रिक्रूटमेंट हो तभी सही व्यवस्था होगी। अध्यादेश के माध्यम से यदि कार्यवाही की जाती है तो वह उचित नहीं है। उसमें एक एनेबेलिंग प्रोविजन डाल दिया जाए कि जो अस्थाई तौर पर कार्य कर रहे हैं वे भी प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि शत-प्रतिशत उनका चयन हो। जो योग्यता नहीं रखते हैं उनको किसी भी हालत में आगे बढ़ाया जाना उचित नहीं है।

एक अन्य मसला राज्य सरकार के विचाराधीन चल रहा है, भारतीय संविधान में केन्द्र सरकार ने संशोधन किया है जिसके तहत उच्चतम न्यायालय के 3-4 निर्णय हुए। एक व्यवस्था स्थापित की गई थी और वह व्यवस्था 1996 से लागू हुई जिसकी पालना देश के कुछ राज्यों ने की, केन्द्र सरकार ने की। केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के तहत कुछ राज्यादेश जारी किये जिनके तहत यह व्यवस्था थी कि अनुसूचित जाति-जनजाति का पदोन्नति में जो आरक्षण है उसमें अनुसूचित जाति-जनजाति के कर्मचारी, अधिकारीगण तीव्र गति से पदोन्नति का लाभ पा जाते हैं और उनसे वरिष्ठ अन्य श्रेणी के अधिकारीगण, कर्मचारी बाद में पदोन्नति पाते हैं। यदि वे बाद में पदोन्नत हों तो उनकी वरिष्ठता जो नीचे वाले पद पर थी, वही पुनः स्थापित कर दी जाए, यह उच्चतम न्यायालय का निर्णय था। उसके तहत केन्द्र सरकार ने इसकी पालना की, कुछ राज्यों ने भी की और राजस्थान सरकार ने भी इस निर्णय की पालना की, लेकिन राजस्थान में इसमें एक विसंगति उत्पन्न कर दी गयी।

1996 से पहले उस निर्णय में भी यह स्पष्ट लिखा है कि यह भविष्य में प्रभावी होगा और रिट्रोस्पैक्टिव प्रभाव नहीं होगा। लेकिन यहां पर राजस्थान उच्च न्यायालय के एक निर्णय की आड़ में इसका प्रभाव एंट्री इन टू सर्विस के आधार पर कर दिया गया है, यानि जब से कर्मचारी, अधिकारी राज्य सेवा में आया उस समय उसकी जो वरिष्ठता बनी, लोक सेवा आयोग के माध्यम से आया हो या विभागीय भर्ती के माध्यम से वह आया हो, उस समय उसकी जो सीनियरिटी लिस्ट थी या मैरिट लिस्ट थी, उसी के आधार पर इस नियम को जो 1996 के

(श्री हनुमानप्रसाद)

बाद से प्रभावी होना था, उसको एंट्री इन टू सर्विस के आधार पर लागू कर दिया गया। कुछ सेवाओं, कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों के मामले में 1970, 72 यानि जब से वह सेवा में आया है, उस समय की वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठता आगे तक निर्धारित कर दी गई। इसका प्रभाव यह पड़ा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर अधिकारीगण तक सबकी वरिष्ठता सूचियां राजस्थान में इसी आधार पर परिवर्तित कर दी गईं।

अब केन्द्र सरकार ने चाहे वह किन्हीं परिस्थितियों के कारण इन सभी उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को संविधान संशोधन के माध्यम से निरस्त कर दिया, निगेट कर दिया। उसका प्रभाव यह पड़ता है कि जैसे यह व्यवस्था वजूद में ही नहीं थी, यानि रिगेनिंग आफ सीनियरटी का जो सिद्धान्त उच्चतम न्यायालय ने प्रतिस्थापित किया था वह जैसे वजूद में नहीं था। उसकी समाप्ति पर उस व्यवस्था के तहत जिन व्यक्तियों की वरिष्ठता बदल दी गई थी वह पुन: स्थापित करने के लिए यह संशोधन किया गया था।

इस संशोधन को लागू करने में राजस्थान में विशेष परिस्थितियां हैं क्योंकि यहां अनुसूचित जाति-जनजाति के कर्मचारियों, अधिकारीगण के हितों पर बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है। हमारी संवेदनशील सरकार गरीबों के उत्थान, अनुसूचित जाति-जनजाति और पिछड़े वर्ग तथा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए इतना सब कुछ कर रही है, यह सब कुछ होते हुए भी यदि संविधान संशोधन के तहत पुरानी व्यवस्था और पुरानी वरिष्ठता पुन: स्थापित नहीं होती है तो अनुसूचित जाति के 33 में से 31 विधायक, जनजाति के 24 में से 22 विधायक कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ जो जुड़ाव है, जिसे वोट बैंक कहते हैं, आजादी की लड़ाई और उससे पहले से...

मोहम्मद माहिर आजाद : पिछली असैम्बली में कितने थे? (व्यवधान)

श्री हनुमानप्रसाद : वह जानकारी आपको है, मैं उस समय नहीं आया था।

तो इतना बड़ा जुड़ाव, उसके पश्चात् भी यदि अनुसूचित जाति-जनजाति के कर्मचारी-अधिकारीगण के हितों की रक्षा नहीं की गई तो बहुत विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और पड़ेगा। इसलिये मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि जो व्यवस्था वरिष्ठता सूचियों में परिवर्तन की 1996 और उसके बाद से लागू होनी थी जिसको पीछे की तारीखों से लागू करके उसकी वरिष्ठता बिलकुल बदल दी गयी तथा जिसके तहत राजस्थान पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में गये

(श्री हनुमानप्रसाद)

8 अधिकारियों को पदावनत होना पड़ा और अन्य विभागों में और अन्य कैडर्स में भी बहुत-से लोगों की वरिष्ठता पर, उनकी पदोन्नतियों पर प्रभाव पड़ा है, उसको सही करने की आवश्यकता है।

इस निर्णय के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की गयी थी जिसमें पिटीशनर्स थे कर्नाटक से, जिसमें गवर्नमेंट आफ इण्डिया को और कर्नाटक गवर्नमेंट को पक्ष बनाया गया है। इस रिट में अभी निर्णय हुआ है 8 तारीख को, वह निर्णय बड़ा स्पष्ट है। वैसे तो इस रिट में जो मुद्दे उठाये गये हैं उनके लिये सिर्फ यह कहा गया है कि-

"In so far as interim relief is concerned, the respondents shall not revert the petitioners nor affect the standing of the petitioner in the seniority list and promotions and pay etc. At the same time, it is open to the respondents to promote those who are benefited by the impugned amendment but it does not affect the petitioner in any manner and subject to the result of the petitioner" यह अन्तरिम जो निर्णय दिया है वह स्पष्ट तौर से संकेत देता है कि जो लोग इस रिट में गये हैं उन लोगों के हितों पर कुठाराघात न हो। यह एक जनरल आर्डर नहीं है और इसलिये यह कहीं भी बाधक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे दे रखा है या उस व्यवस्था को लागू करने में कहीं बाधा आ सकती है। तो मैं, सभापतिजी, आपके माध्यम से समाज कल्याण मंत्रीजी और राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो व्यवस्था संवैधानिक संशोधन के माध्यम से लागू की गयी है उसे राजस्थान में अविलम्ब लागू किया जाए ताकि जिन लोगों की वरिष्ठता परिवर्तित हुई, जिनकी पदोन्नतियों पर प्रभाव पड़ा वे पुनः पहले की स्थिति में आ सकें।

मैं समाज कल्याण से सम्बन्धित अन्य मुद्दों पर विस्तार से नहीं जाना चाहता और मैं मांग का समर्थन करता हूं। मैं विशेष तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति/जनजाति में विशेष तौर से जनजाति क्षेत्रों में जिनमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, सिरोही चित्तौड़ जिलों के जो जनजाति के हिस्से हैं, उनमें शिक्षा के लिये जो प्रयास हुए हैं वहां एक बहुत बड़ी कमी अखर रही है। वहां जो विद्यालय चल रहे हैं पूरे क्षेत्र में, उनमें अध्यापकों के बहुत से पद खाली हैं। अकेले डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिले में लगभग 500 पद रिक्त हैं। कुछ स्कूलें तो ऐसी हैं जहां पर एक अध्यापक के अतिरिक्त, यहां तक कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक या दो अध्यापकों से

(श्री हनुमानप्रसाद)

अधिक नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनजाति क्षेत्र में राजीव गांधी पाठशालाएं जो स्थापित हुईं वे भी उसी क्षेत्र को ध्यान में रख कर पूरे राजस्थान में लागू की गयीं, पहले शिक्षाकर्मी योजना भी उस क्षेत्र को ध्यान में रख कर लागू की गयी थी, लेकिन इन सब योजनाओं का जो लाभ मिलना चाहिए था वह सीमित रह गया, जनजाति क्षेत्र के लोग आगे नहीं बढ़ सके। यह इस बात से स्पष्ट है कि उस क्षेत्र के बहुत कम लोग राजकीय सेवाओं में आ सके, और ऊंची सेवाओं में तो नगण्य मात्र हैं। प्राथमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक शिक्षा के जो विद्यालय हैं, जनजाति क्षेत्र के लिये जनजाति का आरक्षण प्रतिशत थर्ड ग्रेड टीचर्स में देखे तो 45 प्रतिशत है। यह सब कुछ होते हुए भी वहां पद खाली हैं और जनजाति के शिक्षक उपलब्ध हैं फिर भी वे पद नहीं भरे गये हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जनजाति क्षेत्र के विद्यालयों में जो पद खाली हैं वे अविलम्ब भरे जाएं। विशेष तौर से शैक्षिक दृष्टि से इस क्षेत्र के लोगों को ऊपर उठाने के लिये राज्य सरकार को पूरे प्रयास करने चाहिए। इस सम्बन्ध में जनजाति क्षेत्र के अधिकांश विधायकों ने, मैंने भी शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन किया है, लेकिन अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है। तो मैं इस सम्बन्ध में विशेष तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि जनजाति क्षेत्र के विधायकों को पूरी तौर से सुदृढ़ किया जाए। सभापतिजी, आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री ललित भाटी। (अनुपस्थित) माननीय श्री रतन लाल ताम्बी।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान प्रदेश के गठन के बाद जब से प्रदेश में लोकतांत्रिक सत्ता कांग्रेस की आयी तब से ही समाज कल्याण विभाग के माध्यम से राजस्थान में गरीब अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के सामाजिक-शैक्षणिक उत्थान के लिये एक सुनिश्चित सोच विचार के साथ योजनाबद्ध कार्य हुआ। लगातार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, छात्रावासों के माध्यम से, छात्रवृत्तियों के माध्यम से आत्म निर्भर बनें, इसको ध्यान में रख कर पूरे प्रदेश में इस वर्ग को लाभान्वित करने का प्रयास किया गया है। इन योजनाओं के लिए भारत सरकार के कल्याण विभाग से राजस्थान को जितना सहयोग मिलना चाहिए, जितनी मदद मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाना भी गम्भीर विषय है। परसों एक सवाल के जवाब में राजस्थान सरकार ने बताया कि 1997-98 में 2.22 लाख व्यक्तियों को मात्र 22 करोड़ रुपया पेंशन के रूप में दिया जाता था। प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र

(श्री रतन लाल ताम्बी)

में लोक कल्याण की भावना को लेकर इस सरकार ने जहां 75 रुपया महीना पेंशन मिलती थी उसको 200 रुपया महीना बढ़ा कर अपनी प्रतिबद्धता को घोषित किया अपनी इस नीति और कार्यक्रम के आधार पर।

सभापति महोदय, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार एक नीति घोषित कर देती है कि इस प्रकार के व्यक्तियों को मापदण्ड में पेंशन की सुविधा दी जाएगी। हमारे प्रदेश की सरकार ने 75 रुपये के स्थान पर 200 रुपया महीना पेंशन जारी कर आज के इस महंगाई के युग में बहुत बड़ा सम्बल दिया है, इसके लिए प्रदेश की सरकार, प्रदेश के मुख्य मंत्री निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, राजस्थान में इस पेंशन को प्राप्त करने वाले साढ़े सात लाख लोगों की मनोभावना और उनका आशीर्वाद यह बताता है कि इस सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया है, किन्तु मुझे अफसोस इस बात का है कि भारत सरकार ने इन पेंशनधारियों की भी एक सीमा निर्धारित कर दी है। 75 रुपया महीना देंगे और वह भी राजस्थान के लिए मात्र 1,41,492 व्यक्तियों को ही दी जाएगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लगभग 7 लाख 20 हजार से भी अधिक व्यक्तियों को प्रदेश की सरकार नियम और पात्रता के आधार पर पेंशन दे रही है। केन्द्र की सरकार के लोग बड़े ढिंढ़ोरे पीटते हैं कि बड़ी कल्याणकारी वह सरकार है। मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार संवेदनशील है या नहीं, इस बात का इससे एक प्रमाण मिल सकता है कि भारत की सरकार ने जहां 1,41,492 का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, इससे अधिक नहीं दे सकते आप, और वह भी 75 रुपया महीना, वहीं आज 7 लाख 20 हजार के फिगर, शायद ये पुराने हो सकते हैं, मेरा ऐसा अनुमान है कि "प्रशासन गांवों के संग" अभियान के बाद साढ़े सात लाख से ऊपर व्यक्ति इसमें पेंशन के लिए पात्र घोषित हैं और उनको आज के दिन पेंशन देनी है। मुझे इस बात को भी कहते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार के 1,41,000 का लक्ष्य निर्धारित करने के बाद भी और 75 रुपया महीना देने के बाद भी राजस्थान की सरकार ने गरीबों के लिए खजाना खोल रखा है। अब भी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मना नहीं किया गया है कि लक्ष्य पूरे हो गये हैं, या पैसा नहीं है। मेरे इलाके में मुझे लोग मिलते हैं, बात करते हैं। पिछले अभियान में और इस अभियान में काफी बड़ी तादाद में लोगों ने फार्म भरे। फार्म भरने के बाद में उनको अधिकांश को मिलना शुरू हो गया। कुछ प्रक्रियाधीन हैं, कुछ में कुछ कमियां निकल गईं, ऐसे कुछ और कारण हो सकते हैं। मेरा सबसे पहले तो आपके मार्फत जैसे कि भारत सरकार से हमारे मुख्य मंत्रीजी ने परसों अपेक्षा की है, पक्ष और विपक्ष

(श्री रतनलाल ताम्बी)

के सभी लोगों से यह आग्रह है कि ऐसे कल्याणकारी कार्यों में तो कम से कम आप रुचि लेकर लक्ष्य की सीमा समाप्त करें और पैसा इसमें पर्याप्त तौर से दें। मैं समझता हूं कि यह एक बहुत ही अच्छा निर्णय है और अच्छा कार्यक्रम है, इसको पूरा करने की दृष्टि से ध्यान देना चाहिए।

इस सरकार ने इस महंगाई के युग में छात्र-छात्राओं को जो छात्रावास में पढ़ते हैं, एक साथ सवा दो सौ रुपया महीना बढ़ा कर उन लोगों को अच्छा खाना मिले, अच्छी उनकी रहने की व्यवस्था हो वहां पर, इस दृष्टि से एक अच्छा चिन्तन किया और इसके साथ-साथ राजस्थान में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए पिछले वर्ष छात्रावास खोले। किन्तु इस साल मुझे अफसोस है कि छात्रावासों के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है, जबकि राजस्थान में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर बड़ी तादाद में मांग है। भारत सरकार के माध्यम से, उनकी कई योजनाएं हैं उनके माध्यम से छात्रावास अधिक से अधिक खोलें ताकि ऐसे वर्ग के छात्र और छात्राएं पढ़ कर अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि गत वर्ष जो छात्रावास स्थापित हुए थे, निर्धारित संख्या के अन्तर्गत छात्र-छात्राएं उनमें निवास कर रहे हैं। उसके बाद जब हम लोग गांवों में जाते हैं, छात्रावास की भर्ती के दिन जैसे कोई बेरोजगारों की भीड़ हो, उसमें कतार खड़ी हो जाती है। पिछले साल लगभग दो हजार छात्र-छात्राओं की संख्या इसमें बढ़ाई गयी है। यह तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने शुरूआत तो की और कुछ छात्र-छात्राओं को इसमें प्रवेश की सुविधा मिली है। मगर जितनी बड़ी मांग है उसके मुकाबले जितनी तादाद में आपके पास छात्रावास हैं, वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि इस साल भी कम से कम 25 तो नये छात्रावास खोले जाने चाहिए और पांच हजार के लगभग छात्रावासों में छात्र और छात्राओं की निर्धारित संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए, ताकि छात्र और छात्राएं जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं वे वंचित नहीं रहे।

इसके अतिरिक्त, माननीय मंत्री महोदय, आपको मैंने पत्र भी लिखा था और मैं आपसे मिला भी था, कि पिछली सरकार के समय कोई आवास विकास संस्थान बनी थी उस संस्थान के माध्यम से छात्रावास भवन निर्माण का आपने काम दिया। वह संस्था कहां गई, क्या हुआ, यह मैं नहीं जानता, पर मेरे विधान सभा क्षेत्र में मेरे एक गांव में समाज कल्याण मंत्री महोदय स्वयं पधारे थे तब भी वहां की जनता ने, वहां के जन-प्रतिनिधियों ने मांग की थी। उस समय के कोई मंत्री जो सम्बन्धित भी नहीं थे, राज्य सरकार से स्वीकृति भी प्राप्त नहीं हुई, शिलान्यास का एक

(श्री रतनलाल ताम्बी)

पत्थर लगाकर चले गये। जनता को कुछ मालूम नहीं हुआ, 10-20-50 आदमी आये और एक पत्थर लगाकर चले गये, पण्डेर में। फिर मैं लगातार आपसे पत्र द्वारा अनुरोध करता रहा। मुझे कहते हुए अफसोस है कि इन साढ़े तीन सालों में न उस संस्था का पता है, न उन रुपयों का पता है और वहां पर केवल नींवें खुदी हुई पड़ी हैं और वहां के छात्रों को आज भी परेशानी हो रही है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस प्रकार के मामलों को देखे। हमारे क्षेत्र में लगभग सात-आठ ऐसे छात्रावास हैं जिनके लिए आपके विभाग ने सरकार से जमीन मांगी, हम लोगों ने प्रयास करके जमीन उपलब्ध करा दी, पर आज तक भी उन छात्रावासों के भवन नहीं बन पाये हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस मामले में भी ध्यान दें। छात्रावास के भवन निर्माण के लिए आपकी इस योजना में कोई प्रावधान मुझे नजर नहीं आया, मैं चाहता हूं कि इस दिशा में भी आप प्रयत्न करें, बहुत ही आवश्यक है छात्रावास के भवन बनना।

इस मौके पर मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार ने मूक-बधिर, गूंगे-बहरे बालक-बालिकाओं के लिए पिछली साल भी प्रावधान किया था और इस साल भी प्रावधान किया, समाज में विकलांग, विमंदित और अन्य कई तरीके से जो ग्रसित थे उनकी तरफ भी आपका ध्यान गया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। राजस्थान में कई संस्थाएं इस लोक-कल्याण के क्षेत्र में इनके विकास के लिए समग्र काम कर रही हैं, उनको निश्चित रूप से आपकी इस नीति से सम्बल मिलेगा।

मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि समाज कल्याण के कार्यक्रम, नीतियां बड़ी अच्छी हैं। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में इस सरकार ने बहुत अच्छे काम किये। गरीबों के जो परिवार चयनित हैं उनको मेडिकल सोसाइटी के माध्यम से निःशुल्क दवाइयां मिलना, मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष से बड़ी-बड़ी बीमारियों के लिए उनके उपचार का साधन होना, इससे निश्चित रूप से इस सरकार की गरीबों के प्रति कितनी संवेदनशीलता हैं, प्रतिबद्धता है, इसका जरूर परिचय मिलता है। मैं इस अवसर पर आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आज भी संविधान की धारा 275 (1) यह एक ऐसा स्कोप है जिसमें राजस्थान की सरकार बड़ी मात्रा में भारत सरकार से पैसे प्राप्त कर सकती है। इसका जिक्र मैंने गत वर्ष भी किया था। उसके बाद थोड़ी तो प्रगति हुई। अब इसका सब्जैक्ट इसमें है कि नहीं, पर मुझे लगता है कि जनजाति विकास विभाग की अलग डिमाण्ड नहीं होगी। नहीं है न कहीं? आज इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? पर मैं चाहता हूं इसमें मैं चर्चा करूं। चर्चा इसलिए करना चाहता हूं...

मोहम्मद माहिर आजाद : इसमें सब आ गयीं।

श्री रतनलाल ताम्बी : सब इसमें आ गयीं। सभापति महोदय, पूरे प्रदेश के हित के लिये मैंने गत वर्ष इसमें काफी अपने विचार प्रकट किये थे। संविधान की धारा 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार विभिन्न योजनाओं के नाम से काफी पैसा देती रही है। मैं अन्य प्रदेशों में विधान सभा की कमेटी के माध्यम से गया था, तब मेरे ध्यान में यह आया। इसलिए मैंने गत वर्ष, माननीय मंत्री महोदय, आपसे अनुरोध किया था। पर मुझे कहते हुए अफसोस है। अफसोस इस बात का है कि वर्ष 2000-2001 में आबंटन आप को हुआ 150.81 और खर्चा किया आपने 35.39 एक दिसम्बर तक का। जलप्रदाय योजना में 85.42 और आबंटन वर्ष 2001-2002 में 234.47, योग 319.89 और खर्चा केवल 38.85। हैण्ड पम्प 117.89, आपको मिला, 2001-2002 में 125, योग 289 और खर्चा 263.14। स्कूलों में अतिरिक्त कमरे, टोटल मिलाकर मैं निवेदन कर रहा हूं, यह बड़ा लम्बा-चौड़ा मामला है। 857.29 2000-2001 में मिला और 890.13 2001-2002 के लिए मिला, 8 कुल 177.42 और खर्चा मात्र 335.64 । ये फिगर आपने दिसम्बर तक दिए हैं, उसके बाद के मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या राजस्थान के जनजाति क्षेत्र में विद्युतीकरण के लिये बस्तियों की मांग नहीं है या बस्ती उपलब्ध नहीं है। हैण्ड पम्प की मांग नहीं है? जलप्रदाय योजना पम्प एण्ड टैंक स्कीम है, स्कूलों में अतिरिक्त कमरों का निर्माण है, सिंचाई परियोजना है। ऐसे कई जनजाति क्षेत्र हैं, माडा क्षेत्र है, जहां पर बड़ी मात्रा में, मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 125 गांव माडा योजना के अन्तर्गत आते हैं, उनमें दसों सिंचाई योजनाएं सरकार के पास लम्बित हैं। ये योजनाएं इनके माध्यम से शुरू की जा सकती हैं। एनीकट निर्माण है, एनीकट के लिये नदी-नाले, पहाड़ इतने हैं, खास तौर से दक्षिणी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, कि वहां जितने चाहो एनीकट बनाइये आप। यहां सड़कों पर हम चर्चा कर रहे हैं और इसमें सड़कों के लिये पैसा मिल सकता है। बहुत सारी बस्तियां इससे जुड़ सकती हैं।

जनजाति छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण, छात्रावास हेतु अतिरिक्त राशि-सहरिया भी इसमें आती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय, चाहे समाज कल्याण के हों, चाहे जनजाति विकास के हों, राज्य मंत्रीजी भी बिराजमान हैं, पास में अनुसूचित जाति के परिवहन मंत्रीजी बिराजमान हैं, ये सब दिग्गज बिराजमान होते हुए इतनी बड़ी तादाद में भारत सरकार का पैसा आता है, उसका उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कहां कमजोरी है, कहां कमी है, उसको निश्चित रूप से आप देखें। राजस्थान के लिए मैं कह सकता हूं, मैंने मालूम किया

(श्री रतनलाल ताम्बी)

भारत सरकार से भी, कि इस मामले में आप जितने भी प्रस्ताव भेजेंगे, भारत सरकार द्वारा इसमें देने के लिये बहुत बड़े प्रावधान उपलब्ध हैं।

कुछ प्रदेश हैं राजस्थान के अलावा, जो इनका बड़ी मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। मैं राजस्थान सरकार के माननीय मंत्री महोदय से, सरकार के अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं, संविधान की धारा 275(1) के अन्तर्गत बड़ी मात्रा में एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. भी आते हैं कि नहीं आते, मुझे मालूम नहीं, पिछड़ों को मानते होंगे...

मोहम्मद माहिर आजाद : आती हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : आती हैं तो इन सबके लिये राजस्थान का समग्र विकास इन विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किया जा सकता है। आज मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपके उत्तर देने से पहले इस सम्बन्ध में जो मैंने निवेदन किया 275(1) के अन्तर्गत, आप पूरी जानकारी प्राप्त कर लें कि पैसा क्यों नहीं प्रयोग हो रहा है और भविष्य में इसके लिये माडा क्षेत्रों में जनजाति क्षेत्रों में, सब जगह जहां-जहां भी ज्यादा जनसंख्या इन वर्गों की है, उनकी योजनाएं आप द्रुत गति से तैयार करें। अगले तीन महीनों में राजस्थान भर के इन सब इलाकों से आप योजनाएं आमंत्रित करें और उस पर विचार-विमर्श कर स्वीकृतियां करें ताकि राजस्थान का विकास हो, गरीब लोग आत्मनिर्भर बने। उनके लिये आर्थिक संसाधन जुट सकते हैं, उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हो सकता है। इस दृष्टि से भी आप ध्यान दें।

पुनः मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नये छात्रावास स्थापित करने का प्रोविजन बजट में इस बार नहीं किया है, यह निश्चित रूप से करने की आवश्यकता है। जहां छात्रावास भवन उपलब्ध नहीं हैं, उनके भवनों के निर्माण की आवश्यकता है और तीसरा, जो छात्र-छात्राएं पढ़ना चाहते हैं छात्रावासों में, उनके लिये संख्या ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहाजपुर में पिछले दिनों एक कन्या छात्रावास चलता था, मुझे आश्चर्य हुआ कि कन्या छात्रावास की स्ट्रैंथ से डेढ़ी लड़कियां वहां पर उपलब्ध हो गयीं। पहले हम ढूंढ़ते रहते थे, पूरी संख्या होती नहीं थी। राज्य सरकार ने शिक्षा की ओर लोगों को कई योजनाओं से आकृष्ट किया, उसका प्रभाव मुझे वहां देखने को मिला। लड़कियां बड़ी तादाद में आयीं। उनके अभिभावक साथ में आये कि कैसे भी इसमें भर्ती होनी चाहिये। मुझे बहुत निराशा हुई। मंत्री महोदय को चिट्ठी भी लिखी, आपसे मैंने अनुरोध भी किया। एक तरफ हम बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जनजाति की बालिकाएं आगे बढ़ना चाहती हैं और हम उनके लिये छात्रावासों में जगह उपलब्ध नहीं कराएं, यह हमारे लिये गम्भीर चिन्ता

(श्री रतन लाल ताम्बी)

का विषय है। इस मामले पर, मंत्री महोदय, मुझे किसी आवश्यक काम से बाहर जाना है, मैं आपका उत्तर तो नहीं सुनूंगा। मगर मैं अपेक्षा करता हूं, समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे कल यह सुनकर प्रसन्नता होगी कि आप इन दोनों-तीनों प्रश्नों पर जो मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया, उन पर आप गम्भीर चिन्तन करेंगे, मनन करेंगे और अपने सभी अधिकारियों और सहयोगी मंत्रियों से बात करके राजस्थान की इन योजनाओं को कायम करने में पहल करेंगे। राज्य की सरकार इस दिशा में कार्य करके कई तरीके से जो शानदार काम करके इतनी उपलब्धियां अर्जित कर रही है, उनमें और चार चांद लगाएगी, नये कीर्तिमान स्थापित करेगी। जयहिन्द, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री अमराराम (धोद)।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-33 समाज कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की जो मांग मंत्री महोदय ने रखी है, पांच अरब से ज्यादा इस सदन से पास कराने जा रहे हैं, उस पर मैं मेरे विचार रख रहा हूं। जहां तक सामाजिक सुरक्षा का सवाल है और पिछड़े वर्ग को, दलित वर्ग को आगे लाने के लिए संविधान में प्रोविजन की बात है, 55 साल की आजादी के बाद हम इन वर्गों को कहां तक उठा पाये हैं? हम समाज में देख लें कि उनका स्तर उठाने में हम कहां तक सफल हो पाये हैं। सभापति महोदय, इस समाज के एक वर्ग के लिए सर्विस क्लास में एक प्रोविजन के माध्यम से राजस्थान में भी और देश में भी रिजर्वेशन लागू किया है, लेकिन सबसे बड़ा शिक्षा का केन्द्र राजस्थान विश्वविद्यालय जो राजस्थान का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है वहां 28 प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के रिजर्वेशन की जगह मात्र दो या तीन प्रतिशत रिजर्वेशन है। राजस्थान के सर्वोच्च विश्वविद्यालय में जहां यह हालत हो तो आप और हम अनुमान लगा सकते हैं कि केवल यह प्रोविजन करने मात्र से उनका भला नहीं हो सकता, जब तक इच्छा शक्ति नहीं हो। राजस्थान की टाप सर्विसेज आर.ए.एस. और आर.पी.एस. के लिये आज वह स्थिति भी नहीं है कि नहीं मिले। लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक की पोस्ट में भी उनको नहीं भरा गया। आज तो देश और प्रदेश की सरकारें जिन नीतियों पर चल रही हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इनके चलते राजस्थान की सरकार के सवा तीन साल का कार्यकाल हो गया, किसी भी विभाग में नया रिक्रूटमैंट नहीं हुआ। जो छोटी पोस्टें हैं जहां गरीब लोग किसी भी तरह से नौकरी पाते थे, चतुर्थ श्रेणी,

(श्री अमराराम)

सहायक ड्राइवर, वे तमाम पोस्ट जो वेकेंट होंगी, वे तमाम की तमाम समाप्त हो गयीं। इस हालत में केवल इस रिजर्वेशन के माध्यम से हम उस समाज को आगे बढ़ाना चाहें, तो नहीं बढ़ा सकते। आज हम उस समाज को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हमें सोच बदलना होगा, राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ काम करना पड़ेगा कि उन लोगों को किस तरह से हम आगे बढ़ा पाएं।

इस 55 साल की आजादी के बाद राजस्थान के लाखों परिवार जो दलितों के हैं, ईंट-भट्टा मजदूर के रूप में राजस्थान से माइग्रेट करके हरियाणा, पंजाब और दिल्ली चले गये हैं। आप हरियाणा, पंजाब और यू.पी. में किसी भी भट्टे पर चले जाइये, राजस्थान के दलित परिवार मिलेंगे। हम यहां शिक्षा के लिए प्रोविजन कर रहे हैं, उनके छात्रावास की बात कर रहे हैं, जहां वह नहीं आ सकते। लेकिन जो अपने पूरे परिवार को लेकर, बाल-बच्चों सहित लाखों की संख्या में राजस्थान से बाहर जा रहे हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार है, किस तरह की व्यस्थाएं हैं, देख नहीं सकते। सभापति महोदय, यह हालत 55 साल के बाद है। समाज कल्याण विभाग के बनने के बाद, हमारी सब घोषणाओं के बाद भी हमारे राजस्थान के दलित की हालत यह है कि उसको अपनी आजीविका चलाने के लिए राजस्थान को छोड़ कर बाहर जाना पड़ता है और नारकीय जीवन जीना पड़ता है। न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है और न रहना है, यह हालत है।

सभापति महोदय, जो हालत इस प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन के माध्यम से दी है, जो कुछ भी योजनाएं हमारे राजस्थान में लागू हैं उनका हश्र क्या है, आप देखिंये। मैं समझता हूं कि राजस्थान की सरकार शायद केवल आंकड़े कलैक्ट करने के लिए है, उनका किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होता है शायद यह नहीं देखा जाता। आपका यह वर्ष 2001-2002 का है, माह दिसम्बर, 2001-तक, इस वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए 17 योजनाएं इसके अन्दर दी गयी हैं। उनमें जो लक्ष्य रखे गये हैं, भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां, सभापति महोदय, शहरी पोप योजना-10600 का लक्ष्य रखा गया और 3411 की उपलब्धि प्राप्त हुई, ग्रामीण पोप में 22500 का लक्ष्य रखा गया और 9100 की उपलब्धि हुई।

श्री बनवारी लाल बैरवा : सभापति महोदय, ये दिसम्बर तक के आंकड़े हैं जो आप वर्णन कर रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : मंत्रीजी, आप उत्तर दें तो मार्च तक का बता देना। क्या मांगने वाले नहीं मिले, क्या लेने वाले नहीं मिले? अगर 31 मार्च तक के लक्ष्य हम दिसम्बर तक पूरे कर देते तो किसी

(श्री अमराराम)

को क्या दिक्कत थी? 31 मार्च तक भी आप बता देना अगर ये शत-प्रतिशत आंकड़े आप प्राप्त कर लें। सभापति महोदय, क्या आटो रिक्शा लेने वाले नहीं हैं? 400 आटो रिक्शा का लक्ष्य आपने रखा था और दिसम्बर तक 83 प्राप्त किये हैं। मैं नहीं समझता कि बाकी 317 आटो रिक्शा, 10 महीने तक तो आपने 400 में से मात्र 83 दिये हैं, 3 महीने में आप दे देंगे। इसका मतलब आपका विभाग और आपके अधिकारी यह इन्तजार करते रहे हैं कि जो 400 आटो रिक्शा का लक्ष्य है, मार्च तक इसको वेकेंट रखे और मार्च में...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय मंत्रीजी यह नहीं कह रहे हैं कि हमने शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त कर ली। यह नहीं कह रहे हैं यह।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, मैं ही यही कह रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि आपके अधिकारियों का नजरिया क्या है।

श्री सभापति : वह तब लागू होता है जब इन्होंने पूरे कर लिये हों।

श्री अमराराम (धोद) : कैसे?

श्री सभापति : मार्च तक में इन्होंने सब को दे दिया तब तो आपका कथन लागू हो जाएगा, लेकिन मार्च तक इन्होंने नहीं दिया तो आपका कथन लागू नहीं होगा।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, आप तो यह कह रहे हैं कि ये जो आंकड़े हमने दिये हैं ये दिसम्बर तक हैं।

श्री सभापति : मार्च तक के लिए नहीं कहा इन्होंने कि मार्च तक कितने कर लिये हमने।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं किये।

श्री सभापति : हां, यह नहीं कहा इन्होंने।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि उन अधिकारियों की क्या मानसिकता है, 31 मार्च तक का जो लक्ष्य दिया जाता है वह मार्च तक पूरा क्यों नहीं करते हैं? जो एप्लाई करने वाले लोग हैं उनको ये देखते रहे और आखिर में टारगेट पूरा कर रहे हैं। आप 6 महीने से, तीन महीने से कोई तो समीक्षा करते होंगे? कोई समीक्षा नहीं। पूरे टारगेट में अगर 50 प्रतिशत भी पूरा होगा तो उसमें से भी 30 प्रतिशत लास्ट में मार्च में जाकर होगा। वह इसलिए कि उस आपाधापी में वो घालमेल करना चाहते हैं और उनको किस तरह से ट्रीट करना चाहते हैं। आज चाहे व्यक्तिगत पम्पसैट हों, क्या इतने भी पम्पसैट नहीं हैं कि 1900 का टारगेट रखा और दिसम्बर तक 402 की उपलब्धि हासिल की है? तमाम इनमें, एक-एक में, एक-दो को आप छोड़ दें, यही स्थिति है।

(श्री अमराराम)

सभापति महोदय, स्वच्छकार प्रशिक्षण एवं पुनर्वास, स्वच्छकारों की हालत तो यह है कि 55 साल की आजादी के बाद राजस्थान का सबसे गरीब स्वच्छकार पूरे समाज की सफाई करता है और दूसरों की गन्दगी को उठाकर राजस्थान को साफ करने का काम करता है। मैला सर पर उठाने की कलंकित प्रथा आज भी राजस्थान में मौजूद है। हमारी सरकार इसके लिए कितनी संवदेनशील है? कई सत्रों से इस कलंकित प्रथा को हटाने के लिए बिल हमारी विधान सभा के सामने है लेकिन आज तक पारित नहीं हुआ। 55 साल में आज तक क्या उनको इतना रोजगार नहीं है? उसके लिए पैसा, उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं। जो कुछ प्रोविजन है, जो आंकड़े दिये हैं, आपने 75 हजार का किया, 75 हजार से 28 हजार हो गया। 28 हजार से ज्यादा को आपने बैनिफिट कर दिया, स्वच्छकारों को बैनिफिट कर दिया। तो क्या वो कलंकित काम करने के इच्छुक हैं? कोई भी दूसरा काम उनके भरण-पोषण के लिए अगर मिल जाएगा तो कोई ऐसा काम करने के लिए तैयार नहीं है। सभापति महोदय, हालत यह है कि पूरे दिन एक घर में जाएगी, सफाई करेगी एक रोटी के लिए। दस घरों की सफाई करेगी केवल दस रोटी के लिए। वह महिला जिसके विकास की और कल्याण की सब योजनाएं और पोथियां हम छाप रहे हैं, वह दस घरों की सफाई केवल दस रोटियों में पूरे दिन में करके आती है। हमने कल्याण कर दिया, पहले 75 हजार आये फिर 28 हजार आये। 29 हजार को हमने लाभान्वित करके आंकड़े देकर हमारा पीछा छुड़ा लिया। क्यों इस बात के लिए मजबूर हैं?

आज सफाई कर्मचारी हम ठेके पर देंगे, अस्पताल की सफाई ठेके पर, नगरपालिका की सफाई ठेके पर। सभापति महोदय, सफाई वही करेगा लेकिन पैसा उस ठेकेदार के पास जाएगा जिससे वह काम नहीं होगा। राजस्थान में सफाई चाहे नगरपालिका, नगर निगम, अस्पताल की हो, किसी की सफाई हो, हम उनको नौकरी पर नहीं रख कर अगर ठेका प्रथा से कराएंगे तो भी सफाई वही लोग करेंगे। अगर आप सरकार में उनको लेते हैं, परमानैंट नौकरी में उनको लेते हैं, तीन हजार, चार हजार रुपये लगेंगे। आपके रिकार्ड से दिखाया जा सकता है कि ठेका प्रथा से इतना लाभ होगा, लेकिन 40 रुपये न्यूनतम मजदूरी भी ठेकेदार नहीं देते हैं। और आठ नहीं, 12-12 घंटे काम लेते हैं मनमर्जी से। हम उनका उद्धार किस तरह से कर पाएंगे? मैं नहीं समझता कि इन आंकड़ों से उस समाज का उद्धार हो जाएगा।

केवल नौकरी ही नहीं, सभापति महोदय, राजस्थान के 80 प्रतिशत, 87 प्रतिशत के करीब ग्रामीण इलाके हैं और

(श्री अमराराम)

आपने लिस्ट दी है उन गांवों की जिन गांवों में दलितों की संख्या का बहुमत है। आपने गांव भी घोषित किये, योजना भी घोषित की ''सबल ग्राम योजना''। और आपने आंकड़े क्या प्राप्त किये हैं? आप अन्दाजा करेंगे कि गंगानगर जिले में जिन ग्रामों की बहुमत आबादी दलितों की है, ऐसे 1134 गांव हैं और समाज कल्याण भवन बना है 27 में। कभी सबल ग्राम की करते हैं, कभी गांधी ग्राम की करते हैं, केवल घोषणाएं करते हैं, फोटो छपवाते हैं और एक भी परिवार लाभान्वित नहीं होता। जितना पैसा आप प्रचार पर खर्च करते हैं उतना पैसा सीधे उनके हाथ में चला जाए तो भी मैं समझता हूं कि उनको ज्यादा बैनिफिट हो सकता है। पर इसके लिए हम तैयार नहीं हैं।

जो यहां पसीना बहा रहा है, आज राजस्थान का सबसे बड़ा हिस्सेदार काश्तकार, अगर 80 से 90 प्रतिशत होगा तो वह दलित है जो पूरे 6 महीने तक जमींदार के खेत में जाकर अपना पसीना बहाएगा, फसल पैदा करेगा। लेकिन काश्तकारी कानून में उनको कोई राइट राजस्थान में 55 साल में हम देने के लिए तैयार नहीं हैं। राजस्थान सरकार की आजादी से पहले जो अधिकार थे कि जो भी खेती करेगा उसकी काश्त गिरदावरी होगी, राजस्थान की सरकार ने उसका वह हक भी हटा दिया। टीनेंट का अधिकार आजादी से पहले था, सामन्ती व्यवस्था

(14.00 बजे)

में था। शेखावाटी में तो वहां के किसानों में जो भी टीनेंट था उसका अधिकार रिकार्ड में था, जिसके आधार पर आजादी के बाद 1956 में एक्ट बनने के बाद खातेदारी का अधिकार मिला है। आजाद होने के बाद, आज जो अर्थव्यवस्था राजस्थान की खेती पर टिकी हुई है, जिसका शेयर क्रापर राजस्थान का 80 प्रतिशत दलित है, उनके हकों को प्रोटेक्ट करने के लिए राजस्थान की विधान सभा कानून बनाने के लिए तैयार नहीं। वह गाय के लिए कानून बना सकती है, वह किसी और के लिए कानून बना सकती है लेकिन राजस्थान के तीस से चालीस प्रतिशत गरीब जिसमें बहुमत दलित का है, वे सड़क बनाएं, भवन बनाएं, टंकी बनाएं उसके लिए कानून बनाने के लिए राजस्थान की सरकार के पास समय नहीं है। सभापति महोदय, आज शेयर क्रापर की ऐसी हालत हो रही है राजस्थान में, शेयर क्रापर ने सरसों पैदा की है, अभी सरसों की खरीद शुरू हुई है। आपकी सरकार ने बाउण्ड भी कर दिया है कि गिरदावरी लेकर आएंगे। शेयर क्रापर जिसके पास एक बीघा जमीन है, दो बीघा जमीन है भी तो सिंचित नहीं है, वह किसी जमींदार के यहां शेयर क्रापर है, अपने हिस्से की सरसों लेकर वह जब आपके क्रय केन्द्र पर जाता है तो क्रय केन्द्रों पर खरीदने वाला कहता है कि पहले पटवारीजी से गिरदावरी करवाकर लाइये। पहले तो खेत नहीं है और खेत है तो सिंचाई का साधन नहीं है। चाहे वह ट्यूबवैल से

(श्री अमराराम)

सींच रहा है, चाहे नहरी सिंचाई है, उससे सिंचित करके सरसों बेचने के लिए क्रय केन्द्र पर 1300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से समर्थन मूल्य पर भी बेचने जाएगा तो वह 1300 रुपये में नहीं बेच सकता। आज जो खेत मजदूर है जो मजदूरी का सबसे बड़ा साधन है, उसके लिए कानून नहीं है, उसके लिए हम तैयार नहीं हैं। केवल वह मजदूरी करने के लिए किसी के खेत में जाएगा और दोपहर को अगर उसका एक्सीडेंट हो गया, खेजड़ी काटता हुआ गिर गया तो उस दिन की मजदूरी भी उसको नहीं मिलेगी। क्या सामाजिक सुरक्षा है? पचास साल तक जब तक उसका शरीर ठीक है, साठ साल तक वह मजदूरी के लिए जाता रहता है। आपके कानून में उसको प्रोटेक्शन के लिए कोई प्रोविजन नहीं है मदद के लिए। सभापति महोदय, सरकार इस बात के लिए तैयार नहीं है।

कुछ बढ़िया व्यवस्थाएं की हैं, जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाएं उनके लिए स्कालरशिप बढ़ायी है, इसके लिए तो मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा। लेकिन जो दस महीने की आप स्कालरशिप देते हैं वह महीने की महीने देने के लिए तैयार नहीं हैं। हम लाखों कर्मचारियों को तनखाह एक तारीख को दे देंगे, लेकिन एक जुलाई को एडमिशन लेने वाले विद्यार्थी को एक अगस्त को वह स्कालरशिप नहीं मिल सकती, चाहे आपके होस्टल में रहते हो, चाहे होस्टल से बाहर रहते हों। डेढ़ सौ रुपये हैं, सौ रुपये है, चालीस रुपये है, आपने इसमें दिया है कि हम शिक्षा निदेशालय को यह राशि भेज देते हैं, लेकिन, सभापति महोदय, हालत यह है कि चार से छह महीने की एक साथ मिलती है। जुलाई में जिसको पैसा चाहिए, जिसने एडमिशन ले लिया एक तारीख को, तीन महीने की आप उसको एडवांस दे देते हैं तो उसकी ड्रेस के लिए, उसकी किताबों के लिए, गरीब का बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है, अगर तीन महीने की एडवांस दे दें तो समझ में आता है कि आपकी सोच उनके लिए ठीक है। लेकिन जुलाई में एडमिशन लेगा और छह महीने के बाद उसको स्कालरशिप मिलेगी। हर साल जाति का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। क्या जाति बदल जाएगी? फर्स्ट ईयर में आएगा तब भी देना पड़ेगा और सैकण्ड ईयर में भी देना पड़ेगा। मैंने कहा था मंत्री महोदय को, यहां उठाया भी था। उन्होंने कहा, हम इसको दिखवाएंगे। छह छह महीने से जो कुछ पैसा आपका जा रहा है उसका सही समय पर सदुपयोग हो, वह उसके लिए उपयोगी हो और उस परिवार को सहारा मिले। उनकी हालत क्या है? वह पढ़ने के लिए जाए तो, जितना गरीब होगा, जितना कमजोर होगा उससे सूदखोर उतना ही ज्यादा ब्याज ले लेते हैं। सभापति महोदय, यदि खाता पीता व्यक्ति उधार लेगा तो उसको 12 प्रतिशत पर मिल जाएगा, पर स्वच्छकार

(श्री अमराराम)

जिनको कहते हैं वह एक हजार रुपये सूदखोर से लेगा, वह अपने आप ही उनसे लेगा तो एक हजार की जगह आठ सौ देकर एक हजार लिखेगा। उस बच्चे को जिसको आप स्कालरशिप दे रहे हैं, छह महीने के बाद मिलेगा तो ड्रेस के लिए, दूसरी चीजों के लिए, किराये के लिए, उसको कोई न कोई से उधार लेना पड़ेगा और उसका वही हो जाएगा। एक साथ मिलेगा तो तय रूप से उसका खर्चा भी उलटा-सीधा होगा। इसलिए उसको महीने के महीने किस तरह से मिले, कम से कम आप एडवांस नहीं कर सके तो महीने वाले दिन जिस दिन विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में कर्मचारियों और अधिकारियों और लैक्चरर्स को तनखाह मिलती है उसके साथ क्यों नहीं मिल जाए? लेकिन यह व्यवस्था हम नहीं कर पाये, हमारे अधिकारी नहीं कर पाये। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो चीजें हैं, समाज में जिस वर्ग को हम फायदा पहुंचाना चाहते हैं, समाज में उत्पादन जो लोग लगे हुए हैं जो अपना पसीना बहाते हैं, उनको कितना हम दिलवा सकते हैं तो उसका हम विकास कर पाएंगे, उस समाज का और राजस्थान का भी हम विकास कर पाएंगे।

सभापति महोदय, आज हम कहां तक पहुंच पाये पचपन साल की आजादी के बाद? अगर दलित का दूल्हा घोड़ी पर चढ़ना चाहे, किसी को क्या एतराज है? लेकिन विचारों को हम दूर नहीं कर पाएंगे, उनको हटा नहीं पाएंगे। उनका दूल्हा उनकी घोड़ी, उनको क्या एतराज है? लेकिन आज भी राजस्थान के बहुत-से ऐसे गांव मिल जाएंगे जहां सामन्ती प्रवृत्ति के प्रतीक हैं, उनके घरों के सामने से आज भी जूती पहनकर नहीं जा सकते। क्या हम उत्थान कर पाये हैं? क्या हम उसको बराबरी दे पाये है? आर्थिक रूप से पिछड़े हुए का हम केवल रिजर्वेशन से, इन योजनाओं के आंकड़ों से उद्धार नहीं कर सकते। जो आर्थिक प्रक्रिया में लगे हुए हैं उनके हकों के लिए प्रोटेक्ट करने का इरादा और राजनीतिक इच्छाशक्ति से उनके हक में खड़े नहीं होंगे कानून के माध्यम से तब तक इस दलित वर्ग का उत्थान नहीं कर पाएंगे। अभी जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा कि वह आदिवासी जो राजस्थान का सबसे गरीबतम है, उसके लिए पैसा आता है और लैप्स हो जाता है। आज सबसे बड़ा वाटर शैड का प्रोग्राम, एनीकट का कार्यक्रम, बहुत कम जमीन है, अगर पैसा ही लैप्स हो जाता है तो यह इस बात को दिखाता है कि राजस्थान की सरकार गरीबों के प्रति कितनी संवेदनहीन है। एक-एक नये पैसे से जितनी छोटी-सी जमीन है उसको एनीकट और छोटे बांधों के माध्यम से सिंचित करके हम उसकी पैदावार जितनी बढ़ा सकें, बढ़ाएं।

(श्री अमराराम)

सभापति महोदय, तीन साल के अभी के अकाल के बाद मक्का हुई है, मुझे देखने का मौका मिला। ढाई रुपये किलो वही मक्का जो दो महीने की हुई है, अपना घर चलाने के लिए ढाई रुपये में उसको बेचना पड़ता है। और वही मक्का डेढ़ महीने के बाद छह रुपये किलो उसी गांव के व्यापारी से लेनी पड़ती है। आप इस बात के लिए तैयार नहीं कि उसकी क्या व्यवस्था हो सकती है, किस तरह से व्यवस्थित हो सकता है।

आज राशन व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो गयी, केवल बी.पी.एल. परिवारों के लिए है। कल मंत्रीजी यहां उत्तर दे रहे थे कि काम के बदले अनाज योजना में अनाज मिल गया इसलिए लोगों ने अनाज नहीं उठाया। लेकिन असलियत यह है, शहर की तो मैं नहीं कह सकता लेकिन गांव में जितने भी डीलर थे, पचास प्रतिशत से ज्यादा इस्तीफा देकर चले गये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक राशन विक्रेता को आठ क्विंटल गेहूं उठाना है वह उसको उठा नहीं सकता, हर महीने उठा नहीं सकता। बी.पी.एल. परिवार इसलिए चार महीने का साथ ले जाएगा। वह इस्तीफा देकर चला गया। बी.पी.एल. के अलावा तमाम राशन व्यवस्था समाप्त हो गयी। आप अन्दाजा करेंगे, जो बी.पी.एल. में चयनित हैं; 90 प्रतिशत लोग हैं, सीकर में तो उस राशन कार्ड के साठ से लेकर नब्बे रुपये तक लिए हैं। सरकार का स्पष्ट आदेश है कि पांच रुपये से ज्यादा राशन कार्ड के किसी से नहीं लेने हैं। उसके बाद भी एक पंचायत समिति में 65 रुपये लिए हैं, एक में नब्बे रुपये। उन्होंने कहा है कि बी.पी.एल. कार्ड वाले से हम यह पैसा नहीं लेंगे। क्या हम उनको राहत दे रहे हैं?

सभापति महोदय ने घंटी बजायी है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की क्या हालत है, सभापति महोदय? यह पैसा लैप्स हो रहा है। जिनके माध्यम से पूरी योजना को हम गांव और शहरों में लागू करना चाहते हैं उन महिलाओं की, बच्चों उनमें काम करने वालों की क्या दयनीय स्थिति है इस महंगाई के जमाने में? जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उसको पांच सौ रुपये महीने मिलते हैं।

श्रीमती जकिया (महिला एवं बाल विकास मंत्री) : मैं अभी रिप्लाई में बोलने जा रही हूं, सैंट्रल मिनिस्टर का फैक्स आ गया है।

श्री अमराराम (धोद) : क्या आ गया है?

श्रीमती जकिया : माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि उनकी दैनिक वैजेज जो देते हैं वह बहुत कम है तो सैंट्रल मिनिस्टर का फैक्स है मेरे पास, मैं रिप्लाई में बोलने जा रही हूं।

श्री सभापति : क्या फर्माया है?

श्री अमराराम (धोद) : रिप्लाई तो देना ही है आपको। क्या स्थिति है हमारी उन महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की? इस महंगाई में रिकार्ड तो वैसे ही सरकार ने कायम कर दिया कि चालीस रुपये जो मानदेय देते थे उसको सरकारी नौकरी में हम गिनाते हैं। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी गिना दीजिए जो पांच सौ रुपए आंगनबाड़ी सहायिका को और 350 रुपए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को देते हैं, जिनके माध्यम से इस पूरी योजना को आप लागू करना चाहते हैं। उसका अगर मानदेय नहीं बढाएंगे तो कितना भी, कोई भी निर्णय ले लें, आप आखिर तो जाकर लागू करने का काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का है। उसकी परेशानी को आप नहीं देखेंगे। उसको पांच सौ-साढ़े तीन सौ रुपये लेने के लिए भी दूसरी जगह जाना पड़ेगा, आप नहीं देकर आएंगे। उसके अधिकारी तो घूमते रहे। इनके साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, मैं नहीं समझता कि आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस योजना को सम्पूर्ण रूप से यह मानदेय देकर सही रूप से लागू कर सकते हैं। जो भावनाएं इस माध्यम से हैं उनके लिए हम लागू कर पाएंगे, मैं नहीं समझता। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है, सभापति महोदय, कि केवल हम आंकड़ों के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से उस दलित का, पिछड़े हुए का कल्याण नहीं कर सकते।

एक मुद्दा और है जो विकलांगों के सम्बन्ध में है। सभापति महोदय, आज जो विकलांगों को पेंशन देने का कार्यक्रम है, आप अन्दाजा कीजिए, जो पैर से विकलांग है, एक पैर जिसका है, डाक्टर ने किस तरह के निर्देश दे रखे हैं, मैं नहीं समझता, अभी पंचायत समितिवाइज आपने इनके लिए विशेष अभियान चलाया था विकलांगों को पेंशन पारित करने के लिए। मैं पंचायत समिति धोद के उस शिविर में गया। सभापति महोदय, एक व्यक्ति जिसका पैर खराब है उसको तो पचास प्रतिशत से एबव, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, पेंशन मिल जाएगी। जिसका एक हाथ पूरा लकवे से गया हुआ है, वे कहते हैं हमें तो इस तरह के निर्देश हैं। अब डाक्टर साहब बैठे हुए हैं बहरोड़ से आने वाले, किस तरह से क्या इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि इसकी ये मसल्स हैं वे मसल्स हैं। गांव वाला तो नहीं जानता। एक पैर जिसका खराब है उसको दे दिया और दूसरे का दूसरा पैर खराब है, वे कहते हैं इसमें मसल्स ठीक हैं, इसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। पचास प्रतिशत से एबव आप नहीं देंगे। परसेंटेज आप नहीं लिखेंगे तो उस विकलांग को कोई मदद नहीं मिलेगी। मतलब पचास परसेंट से एबव विकलांगता का सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो उसको पेंशन मिल जाएगी। अगर उसने 49 कर दिया तो उसको कोई एक परसेंट भी सहायता नहीं मिलेगी। तो या तो आप परसेन्टेज हटा दीजिए।

(श्री अमराराम)

विकलांग तो विकलांग है वह चाहे अस्सी प्रतिशत है चाहे उनतालीस प्रतिशत है। जब मैंने डाक्टरों से बात की तो उन्होंने कहा, हम इसको नहीं कर सकते, आप वहां सरकार के स्तर पर उठाइये। हमारे पास तो जो लिखकर निर्देश आये हैं उसके अनुसार हम करेंगे। यह हमारी साइंस का मामला है। जो लिखकर आया है उससे हम अगर अलग लिख देंगे तो हम हमारे एक्शन के लिए तैयार होंगे। अब अगर आप केवल यह छपवा दें कि विकलांगों की पेंशन करने के लिए हमने विशेष अभियान चला दिया पर उसका रिजल्ट कितना आया है? मुश्किल से पूरे दिन में छह डाक्टर पंचायत समिति में बैठे रहे और पेंशन स्वीकृत हुई तीन। लोग आये 100, पेंशन स्वीकृत हुई तीन। अब विकलांग तो विकलांग है, इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है कि जो कुछ भी योजनाएं हैं, जितना भी पैसा आये, सही रूप से जो पात्र लोग हैं उन तक किस तरह से पहुंचे। किस तरह से आपके छात्रावास हैं, किस तरह से समाज कल्याण अधिकारी उनका दुरुपयोग करते हैं। सीकर का समाज कल्याण का उप निदेशक, सहायक निदेशक, जिस तरह से उनके ही कर्मचारियों से रंगे हाथों पकड़े गये, किस तरह से सीकर में फ्राड छात्रावास चलते हुए पकड़े गए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो कुछ भी योजनाएं हैं वे सही पात्र लोगों तक पहुंचें। सभापति महोदय, आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री हेमन्त कुमार। (अनुपस्थित) माननीय श्री बाबूलाल सिंगारिया।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2002-2003 की अनुदान की मांग संख्या-33 पर मैं अपने विचार रख रहा हूं। सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर वर्तमान में गहलोत सरकार है और गहलोत सरकार के मुखिया राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी अनुसूचित जाति, जनजाति के मसीहा हैं, पिछड़े और गरीब तबके के बाबा भीमराव अम्बेडकरजी के प्रतिबिम्ब हैं। जब से गहलोत सरकार बनी है समाज के हर वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोतजी ने तीन सौ से अधिक महत्वपूर्ण कल्याणकारी फैसले किये हैं। चाहे वह बच्चों का मामला हो, शिक्षा के माध्यम से गांव के अन्तिम छोर पर बैठा हुआ किसान का बच्चा जो ग्राम पंचायत स्तर पर प्राथमिक विद्यालय के अन्दर पढ़ नहीं सकता या तीन किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत पर नहीं जा सकता, अट्ठाईस हजार से ज्यादा राजीव गांधी पाठशाला खोलकर उनको साक्षर करने का

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

बीड़ा राजस्थान की गहलोत सरकार ने उठाया और आज पूरे राजस्थान के अन्दर छत्तीस क़ोमों के किसान व्यक्तियों के बच्चे आज शिक्षा के माध्यम से साक्षर हो रहे हैं।

इतना ही नहीं, सभापति महोदय, नौजवान बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए पूरी अट्ठाईस हजार राजीव गांधी पाठशाला के अन्दर 39 बच्चों पर एक अध्यापक के हिसाब से अट्ठाईस हजार लोगों को अध्यापक रखा। उसके माध्यम से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिला, यह भी गहलोत सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है।

इतना ही नहीं, सामाजिक सुरक्षा के नाम पर नौजवानों को शहरों के अन्दर रोजगार देने के लिए कांग्रेस के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने मुख्य मंत्री स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजनान्तर्गत गुमटियों का निर्माण करवा कर रियायती दर के आधार पर उनको गुमटियों का आबंटन करवाया जिससे हजारों जो बेरोज़गार नौजवान थे उन लोगों को रोजगार का साधन उपलब्ध हुआ। यह भी गहलोत सरकार का एक क्रांतिकारी कदम है।

सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर भी स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना के अन्तर्गत हर ग्राम पंचायत के ऊपर सरपंच की अभिशंसा के आधार पर चाहे वह दस दुकान बनाना चाहे, चाहे पन्द्रह दुकान बनाना चाहे, ग्यारहवें वित्त आयोग के माध्यम से दुकानें बनीं और ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर बेरोजगारों को उन दुकानों के माध्यम से रोजगार प्राप्त हुआ। यह भी गहलोत सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है।

सभाापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर भी स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना के अन्तर्गत हर ग्राम पंचायत के ऊपर सरपंच की अभिशंसा के आधार पर चाहे वह इस दुकान बनाना चाहे, चाहे पन्द्रह दुकान बनाना चाहे, ग्यारहवें वित्त आयोग के माध्यम से दुकानें बनीं और ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर बेरोजगारों को उस दुकानों के माध्यम से रोजगार प्राप्त हुआ। यह भी गहलोत सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है।

इतना ही नहीं, सभापति महोदय, विकलांगों को उनका जीवन-यापन करने के लिए, उनको वैशाखी पर खड़ा करने के लिए निःशुल्क पोलियो अभियान चलाये गये। उनका आपरेशन करके उनको वैसाखियों के सहारे खड़ा किया गया। लोगों को रोजगार देने के लिए शहरों के अन्दर या नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर जो गुमटियां बनायी गयी, विकलांगों को निःशुल्क गुमटियों का आबंटन करके रोजगार देने का महत्वपूर्ण कदम राजस्थान की गहलोत सरकार ने उठाया है। साथ ही साथ में समाज में सुरक्षा प्रदान करते हुए विकलांगों को रोजगार देने

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

के लिए दो हजार रुपए तक का निःशक्त जन आयोग के माध्यम से उनको चार पहिया ठेला भी मुहैया कराया ताकि वे चलते–फिरते ठेले के माध्यम से अपना जीवन–यापन कर सके। इतना महत्वपूर्ण फैसला राजस्थान की गहलोत सरकार ने विकलांगों के हितों की रक्षा करने के लिए किया है।

सभापति महोदय, छत्तीस कौमों को लाभ देने के लिए और उनकी सामाजिक सुरक्षा करने के लिए, चाहे वह किसान व्यक्ति हो, उसका किसी भी प्रकार से कोई अंग भंग हो, चाहे किसी भी किसान भाई की अंगुली कट जाए, राजस्थान की गहलोत सरकार उसको 1500 रुपए मुआवजा देती है। किसी किसान भाई की अगर पुली का काम करते हुए दो अंगुली कट जाएं तो राजस्थान की गहलोत सरकार उसको तीन हजार रुपये मुआवजा देती है। किसी भी किसान भाई का हाथ कट जाए तो राजस्थान की सरकार उसको छह हजार रुपया मुआवजा देती है। किसी भी प्रकार से अगर किसी किसान की आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो राजस्थान की गहलोत सरकार उसको 10,000 रुपये मुआवजा देती है। किसी भी किसान की अगर अपनी उपज को कृषि उपज मण्डी तक ले जाते हुए रास्ते में आकस्मिक दुर्घटना हो जाए, राजस्थान की गहलोत सरकार उसको 25,000 रुपये मुआवजा देती है। इतना ही नहीं, किसी भी व्यक्ति की अज्ञात वाहन से अगर दुर्घटना हो जाती है तो ऐसी अवस्था में कांग्रेस की गहलोत सरकार उसको निधि के माध्यम से 25,000 रुपये का मुआवजा देती है। इतने महत्वपूर्ण कल्याणकारी फैसले लेकर छत्तीस कौमों को लाभ पहुंचाने के लिये, उनकी सामाजिक सुरक्षा करने के लिये गहलोत सरकार ने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से उनके प्रति प्रतिबद्धता जाहिर की है। मैं समझता हूं राजस्थान की गहलोत सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, सभी वर्गों को अपने अधिकारों के प्रति सावचेत और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिये 28 विभागों के नागरिक अधिकार पत्र जारी करके उन लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी है। इतना महत्वपूर्ण फैसला भी राजस्थान की गहलोत सरकार ने छत्तीस कौम के लोगों को दिया है।

सभापति महोदय, मानव अधिकार आयोग का गठन करके किसी भी प्रकार से जो अत्याचार से पीड़ित आदमी हो, उसको त्वरित लाभ पहुंचाने के लिये, उसको न्याय दिलवाने के लिये मानव अधिकार आयोग का भी गठन किया गया है।

सभापति महोदय, सवा सौ से बढ़ाकर दो सौ रुपये की पेंशन वृद्धों के सम्मान में दी गयी। यह भी गहलोत सरकार का वृद्धों के सम्मान में एक महत्वपूर्ण कदम है।

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर गहलोत सरकार ने जिसके लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोकजी गहलोत हैं, महिलाओं का सम्मान करते हुए मातृत्व शक्ति को सम्मान देते हुए, उनकी सामाजिक सुरक्षा करने के लिये, विगत भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में जिस प्रकार से अत्याचार हुए, बलात्कार हुए, दहेज प्रताड़ना के काण्ड हुए, इन तमाम 9 साल के कुशासन को देखते हुए वर्तमान की गहलोत सरकार ने नौकरशाही और लालफीताशाही पर लगाम लगाने के लिये और पुलिस विभाग की ज्यादती पर लगाम लगाने के लिये महिला आयोग का गठन किया है। किसी भी महिला पर कोई अत्याचार हो या दहेज प्रताड़ना का मामला हो, ऐसी अवस्था में महिला आयोग में दर्ज मुकदमों के माध्यम से उनकी सुनवाई की जाती है और त्वरित कार्यवाही करते हुए उनको न्याय दिलवाया जाता है। आदरणीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के साथ में या किसी भी महिला के साथ में अगर कोई बलात्कार होता है, ऐसी दुर्घटना घटती है तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जो पिछले कुशासन के अन्दर मात्र पांच हजार मुआवजा राशि थी, गहलोत सरकार ने नारी जाति को सम्मान देते हुए पांच हजार मुआवजा राशि को बढ़ा कर बलात्कार की पीड़ित को एक लाख रुपये मुआवजा राशि दी। मैं समझता हूं, कांग्रेस की सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहरायी है।

सभापति महोदय, इस वर्तमान युग के अन्दर, 21 वीं शताब्दी के अन्दर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से, घर के क्लेश के माध्यम से या अपनी चरित्रहीनता के कारण से अगर अपनी पत्नी को छोड़ने की मंशा रखता हो, सम्मान नहीं देना चाहता हो, अपनी किसी लालसा के कारण से पत्नी को छोड़ना चाहता हो, तो जहां पहले पांच सौ रुपए उस परित्यक्ता को मासिक भत्ता मिलता था, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोतजी ने ऐसे बदचलन, इस तरह के गलत आदमियों पर रोक लगाने के लिए, उनको पाबन्द करने के लिए और महिलाओं के सम्मान के लिए उसे पांच सौ रुपए से बढ़ाकर पच्चीस सौ रुपए किया है। कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़ने से पहले पच्चीस सौ रुपए मासिक भत्ता देने की सोचे, तब जाकर वह इस तरह का विचार कर सकता है। मैं समझता हूं, वर्तमान युग के अन्दर जहां आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, रोजी-रोटी तलाशने में भी बड़ा समय लगता है, पच्चीस सौ रुपए देने के बारे में विचार करके अपनी धर्मपत्नी के साथ में गृहस्थ जीवन को अच्छी तरह से निभा सकता है और इस तरह की कुरीति को मिटा सकता है।

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

सभापति महोदय, महिलाओं को रोजगार देने के लिये जहां राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं के अन्दर जो पहले हमने अध्यापक रखा उसके बाद में दूसरा अध्यापक रखने के लिए महिला पैराटीचर्स का प्रावधान किया गया कि दूसरी जो भी टीचर रखी जाएगी वह महिला पैराटीचर रखी जाएगी। तो महिलाओं को भी रोजगार देने के लिए गहलोत सरकार ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

सभापति महोदय, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री दयालु हैं, कृपालु हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति के मसीहा हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति के दर्द को वह समझते हैं और सदियों से शोषित चले आ रहे समाज के प्रति उनकी बहुत भावना है। उन्होंने अपनी उस भावना के मध्यनजर अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग का गठन किया। उसके लिए राजस्थान की जनता, राजस्थान का अनुसूचित जाति, जनजाति का वर्ग उनको साधुवाद देता है, उनका हृदय से आभार प्रकट करता है। जब से गहलोत सरकार बनी है अनुसूचित जाति को आरक्षण की दर जो आठ परसेंट थी, बढ़ा कर सोलह परसेंट की, यह भी अनुसूचित जाति के समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जहां अनुसूचित जाति, जनजाति को छह परसेंट आरक्षण मिलता था, उसको बढ़ाकर बारह परसेंट गहलोत सरकार ने आरक्षण दिया, यह बहुत महत्वपूर्ण फैसला कांग्रेस की सरकार ने अनुसूचित जनजाति समाज के लिये किया है। पिछड़े वर्ग के लिए इक्कीस प्रतिशत आरक्षण किया, यह भी बहुत महत्वपूर्ण फैसला है।

सभापति महोदय, अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों को छात्रवृत्ति 350 रुपए मिलती थी वह बढ़ा कर 675 रुपए की, यह कांग्रेस की सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों के लिए बहुत बढ़िया फैसला किया।

सभापति महोदय, गहलोत सरकार ने प्रशासन गांव के संग हो, चाहे प्रशासन शहरों के संग, पूरे प्रशासन को उनके द्वार भेजकर अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब और पिछड़े तबके के लोगों को महत्वपूर्ण लाभ दिया है। भला हो अदारणीय मुख्य मंत्रीजी का कि जिन्होंने 40 वर्षों से जिन गरीब लोगों के नामान्तरण अटके हुए थे, पटवारियों ने लूट-खसोट मचा रखी थी, अनुसूचित जाति, जनजाति का व्यक्ति पटवारखाने नहीं पहुंच पाता था, प्रशासन शहरों के संग, प्रशासन गांवों के संग उनकी जमीनों के नामांतरण खुलवाये। उनके पूर्वज जो चले गए, उनके बाद वर्तमान में जो उनके वारिस हैं उनके नाम पर नामान्तरण खुले। प्रशासन गांवों के संग में गहलोत सरकार के माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को इतना महत्वपूर्ण फायदा मिल पाया।

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

अनुसूचित जाति, जनजाति के पूरे राजस्थान के अन्दर 13 लाख लोगों को जाति प्रमाण पत्र दिये गये, इतना बड़ा महत्वपूर्ण फैसला मैं समझता हूं, पचास साल के इतिहास में नहीं हुआ। इसके लिए अनुसूचित जाति, जनजाति का समाज आदरणीय अशोक गहलोतजी के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता है।

सभापति महोदय, जहां गहलोत सरकार निरन्तर सभी कौमों के लिए महत्वपूर्ण कल्याणकारी फैसले कर रही है। वहीं आदरणीय मंत्रीजी को आपके माध्यम से कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा जिन सुझावों के द्वारा सुधार करके थोड़ी और राहत दी जाए, तो मैं समझता हूं, लोगों को लाभ मिलेगा। केकड़ी में अधूरा पड़ा हुआ छात्रावास है, मैं आदरणीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उसके लिए बजट आबंटित करके. उसको जरा पूर्ण करवा दें तो मैं समझता हूं कि किराये के भवन में अभी जो छात्रावास चल रहा है, नये छात्रावास भवन में वे स्थानान्तरित हो पाएंगे और बच्चों को उसका लाभ मिलेगा।

इसी प्रकार से सरवाड़ और सांपला में छात्रावास आज किराए के भवन में चल रहा है, मैं चाहता हूं कि इस वर्तमान बजट के अन्दर इस भवन को बनाने के लिए भी आप बजट आबंटित करें तो लोगों को लाभ मिलेगा।

सभापति महोदय, आरक्षित क्षेत्र से मैं चुनकर आता हूं, उस केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर सांवर में जहां छात्रों की क्षमता 25 है, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि 25 से बढ़ाकर उसको 50 किया जाए। रानेड़ा के अन्दर भी 25 की क्षमता है उसको बढ़ाकर 50 किया जाए। केकड़ी के अन्दर जो बच्चों की क्षमता 60 है उसको बढ़ाकर 100 किया जाए और सरवाड़ के अन्दर 25 बच्चों की क्षमता को बढ़ाकर 50 किया जाए। कम क्षमता के कारण से ज्यादा, दुगुने फार्म आते हैं और बच्चे छात्रावास से वंचित रह जाते हैं। हमारे समाज कल्याण मंत्रीजी बड़े दयालु हैं, मैं समझता हूं कि वह इस पर अपना बजट आबंटित करेंगे।

वर्तमान युग महंगाई का युग है, फिर हम अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों को पढ़ाना भी चाहते हैं, उनको सुविधा भी देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं, समाज कल्याण मंत्रीजी अपना जोरदार पक्ष मुख्य मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी के सामने रखें, छात्रों को जो छात्रवृत्ति मिलती है, सभापति महोदय, 675 रुपये बहुत कम है, इस महंगाई के युग में 675 को बढ़ाकर 1500 रुपए सालाना करें तो मैं समझता हूं कि इन लोगों को राहत दे पाएंगे। साथ ही साथ, यह जो छात्रवृत्ति है यह फरवरी और मार्च और दूसरा सत्र चालू होता है तब जाकर मिलती है। मैं चाहता हूं कि सत्र प्रारम्भ होते ही छात्रवृत्ति स्वीकृत करके जुलाई के पहले सप्ताह में ही छात्रों और छात्राओं को दे देनी चाहिए।

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

आदरणीय मंत्रीजी को इसके अन्दर पहल करके एक परिपत्र जारी करना चाहिए, यह मेरा आपसे निवेदन है।

सभापति महोदय, छात्रावास में प्रत्येक बच्चे के लिए नाश्ते और भोजन के लिए केवल 525 रुपए सालाना है। अब 20 रुपए एक डाइट के लगते हैं और सुबह-शाम की दो डाइटों का जोड़ें तो 50 रुपये होते हैं, नाश्ते और दूध सहित। हम चाहते हैं कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, लेकिन इसके लिए उनको जो सालाना मिलने वाली राशि है वह बहुत कम है। इसलिए मैं चाहता हूं कि छात्रावासों में जो छात्र अध्ययन कर रहे हैं, उनके नाश्ते, भोजन और पौष्टिक आहार के लिए सालाना कम से कम 10 हजार रुपए का प्रावधान करना चाहिए ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। गणवेश, साबुन, तेल, जूते-मोजे के लिए केवल 760 रुपए मिलते हैं यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इनके सर्वांगीण विकास के लिए इसको दो हजार रुपये सालाना किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों का शारीरिक, मानसिक विकास करने के लिए एक नया परिपत्र जारी करके इस प्रकार का प्रावधान करके उनको रियायत दी जानी चाहिए। छात्रावासों में मनोरंजन के लिए एक रंगीन टी.वी. उपलब्ध कराएं, खेलकूद की व्यायामशालाएं खोली जाएं। वहां एक वाचनालय का भी प्रावधान किया जाए ताकि उनका हर प्रकार से बौद्धिक विकास हो सके। आज पूरे राजस्थान के बहुसंख्यक समाज में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग हैं और हम राजनीतिक जमात के आदमी हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति कांग्रेस परिवार का एक वोट बैंक है, उनके प्रति अगर हम लोग महत्वपूर्ण फैसला लेंगे तो कांग्रेस के प्रति उनकी और गहरी आस्थ बढ़ेगी।

सभापति महोदय, राजस्थान में पहले ब्याज मुक्त राशि समाज कल्याण द्वारा जारी की जाती थी, वह अभी केन्द्र सरकार के कारण से बन्द हो गयी। मैं आदरणीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु छात्र-छात्राओं को जो 20 हजार रुपए सालाना ब्याज मुक्त ऋण मिलता था, उस योजना को पुनः चालू किया जाए।

सभापति महोदय, वर्तमान समय में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, रोस्टर प्रणाली के तहत, 50 साल से बैकलाग खाली पड़ा है, इसको भरा जाए। केन्द्र सरकार ने 1997 में जारी परिपत्र के अनुसार मूल पद को वरिष्ठता का आधार बनाकर पदोन्नतियों में आरक्षण कर दिया था। पूर्व में पदोन्नत कर्मचारियों की वरिष्ठता को संशोधित कर कनिष्ठ सामान्य वर्ग के लोगों को पदोन्नति दी जा रही है तथा आरक्षित वर्ग के लोगों को पदोन्नति या आगे की पदोन्नति से वंचित किया जा रहा है। उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाए। रिक्ति आधारित रोस्टर के स्थान पर पद

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

आधारित रोस्टर लागू करके उच्च श्रेणी की नौकरियों में अधिक प्रतिनिधित्व से आरक्षित वर्ग को रोका जा रहा है, जबकि निम्न श्रेणी की नौकरियों में आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधित्व को पूरा नहीं किया जा रहा है। अनुसूचित जाति, जनजाति समाज के साथ यह घोर अन्याय है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि सामान्य वर्गों को नियुक्तियों, पदोन्नति जारी रखकर, दलितों के साथ पदों पर विद्यमान कर्मचारियों को नये रोस्टर बिन्दुओं के आधार पर समायोजित करके आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधित्व की गणना करने हेतु पद आधारित रोस्टर पंजिकाएं तैयार की जाएं।

सभापति महोदय, केन्द्र सरकार विभागों का जिस प्रकार से निजीकरण करती जा रही है, दलितों को नौकरियों से वंचित किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि अमेरिका के डाइवर्सिटी सिद्धान्त की तरह निजी क्षेत्र में भी अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाए। सरकारी नौकरियां धीरे-धीरे समाप्त हो रही हैं तो निजी क्षेत्र के अन्दर एस.सी. के लोगों को आरक्षण मिले।

श्री सभापति : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : सभापति महोदय, दो मिनट।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि आरक्षित वर्ग के लगभग 60 हजार रिक्त पदों को विशेष भर्ती अभियान द्वारा समय सीमा निर्धारित करके भरा जाए। क्योंकि आदरणीय मंत्रीजी भी उसके अन्दर मैम्बर हैं इसलिए अनुसूचित जाति, जनजाति की हिमायत करते हुए इन पदों को भरा जाए। विभागीय पदोन्नति समितियों का समय पर आयोजन किया जाए, जिसमें एक सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति का होना भी सुनिश्चित किया जाए। इसी क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा पांचवें कार्यालय ज्ञापन को रद्द कर पदोन्नति का लाभ दिया जाए। जो वर्तमान में संविधान संशोधन हुआ 16(4) का, इससे पहले मनुवादी ताकतों ने मिलकर जिस प्रकार से पदोन्नतों को पदावनत किया, उस समय पूरे हिन्दुस्तान में राजस्थान पूरे 26 राज्यों में पहला राज्य था जिसने पहल करके पदोन्नतों को पदावनत किया। अभी जो संसद के अन्दर संविधान संशोधन 16(4)(ए) में हुआ, तीन महीने गुजर गये, जब हमने पहल करके पदोन्नतों को पदावनत किया तो हमें कोई गोल्ड मैडल नहीं मिला। आज तीन महीने बीत गये, जब हमारे हक में यह फैसला हुआ कि इनके 50 साल पुराने बैकलाग को भर दिया जाए। तीन महीने तक मनुवादी ताकतों के कारण उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेने तक का मौका दे दिया गया और अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के साथ में बड़ा भेदभाव किया गया। सभापति महोदय, अभी एस.सी., एस.टी. आयोग के आदरणीय चेयरमैन साहब ने बताया कि 8

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

तारीख को वह फैसला हो गया। तो मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से पहले पदोन्नतों को पदावनत करने में राजस्थान ने पहला कदम उठाया, इसी प्रकार से राजस्थान इसकी पहल करके पूरे हिन्दुस्तान में सबसे पहले 50 साल से खाली बैकलाग को भरे। मैं समझता हूं कि राजस्थान में अनुसूचित जाति, जनजाति को हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत लाभ पहुंचाएंगे।

श्री सभापति : अब बिराज जाएं।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : एक मिनट, सभापति महोदय, छोटा-सा और है।

जो "प्रशासन शहरों के संग" और "प्रशासन गांवों के संग" चला, उसमें लैण्ड कंवर्जन रूल्स, 1981 के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को कंवर्जन शुल्क में जो 50 प्रतिशत की छूट थी, किसी कारण से वह परिपत्र जारी नहीं हुआ। एक जून से जो हमारा अभियान वापस चलेगा भूमि आबंटन का, नियमन का तो जो 50 प्रतिशत की रियायत अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को पहले मिलती थी और जिसे भारतीय जनता पार्टी ने एक परिपत्र जारी करके पिछले नौ साल के कुशासन में रोक दिया था, मैं चाहता हूं कि एक्ट के अन्दर प्रावधान करके 50 प्रतिशत की रियायत दिलाई जाए।

सभापति महोदय, एक छोटा-सा और है। आज़ पूरे राजस्थान में अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग जो खेतों पर रहते हैं, ट्रैक्टर खरीदने की क्षमता नहीं रखते हैं। गांवों के अन्दर आपने देखा है कि एक बुग्गा चलता है जिसको हम जुगाड़ बोलते हैं, किसान गाड़ी बोलते हैं। जब वह पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है तो भ्रष्टाचार का रूप ले लेता है और उसके नट, बोल्ट, इंजन वगैरह खोल देते हैं। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि...

श्री सभापति : आज की मांग से तो इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। वैसे कहें, दूसरी बात है, आज की मांग से इसका सम्बन्ध नहीं है।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : यह सामाजिक सुरक्षा का मामला है। बुग्गा गाड़ी जिस पर डीजल इंजिन पम्प लगता है, वह आई.एस.आई. मार्का का होता है। उस पर रजिस्ट्रेशन नम्बर भी होता है, इंजन नम्बर भी होता है। मैं चाहता हूं कि डीजल इंजन से बनाई गयी उस किसान गाड़ी का, जुगाड़ का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए, एक अध्यादेश के द्वारा ऐसा कानून बना दिया जाए तो 40-45 हजार में बुग्गा गाड़ी तैयार हो जाती है, उन्हें घर से खेत तक आने-जाने में सुविधा मिल जाएगी। राजस्थान में इस तरह का प्रावधान किया जाए तो गरीब किसानों को फायदा मिलेगा।

श्री सभापति : आप बिराजिए, माननीय सदस्य। माननीय रतनाराम चौधरी।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : सभापति महोदय, एक मिनट। मेरा निवेदन था कि जो बजट के अन्दर धोने के साबुन पर चार प्रतिशत टैक्स को बढ़ाकर आठ प्रतिशत किया है, अनुसूचित जाति, जनजाति के गरीब तबके के लोग धोने के साबुने से ही नहाते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इन बातों का आज की मांग से कोई लेना-देना नहीं है, माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : अनुसूचित जाति, जनजाति के हित की बात है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : अनुसूचित जाति, जनजाति के जो लोग हैं वे धोने के साबुने से ही नहाते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि जो आठ प्रतिशत आपने बढ़ाया है उसे चार प्रतिशत किया जाए। दूसरा, समाज के अन्दर जो कुरीति फैली हुई है...

श्री सभापति : माननीय रतनारामजी, बोलिए।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : सभापति महोदय, दो मिनट लूंगा। (व्यवधान) एक जो सामाजिक कुरीति लाटरी है...

श्री रतनाराम चौधरी : सभापति महोदय के आदेश की पालना करें। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : सामाजिक सुरक्षा, सभ्य समाज की स्थापना करने के लिए यह जो सामाजिक कुरीति लाटरी है जिसको पुनः चालू किया जा रहा है, आपके माध्यम से निवेदन है कि इसको खतम किया जाए और इसको लागू नहीं किया जाए। आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : अब बिराजिए, माननीय सदस्य।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : सभापति महोदय, आज समाज कल्याण की मांग पर चर्चा होने जा रही है, समीक्षा होने जा रही है, उसमें मैं भी मेरे विचार रखना चाहता हूं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को पहले गांवों में कोई सरपंच, प्रधान, प्रमुख आदि बनने का अधिकार नहीं था, ज्यादातर दूसरी जाति के लोग ही सरपंच, प्रधान और प्रमुख बनते थे। परन्तु जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने आरक्षण देकर, कानून बनाकर, लोक सभा में पास हुआ, राज्य सभा में पास नहीं हुआ। बाद में नरसिंहरावजी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों और महिलाओं को आरक्षण देकर जनप्रतिनिधि बनने का अधिकार दिया, इसके फलस्वरूप आज गांवों में इन जातियों के लोग सरपंच, प्रधान और प्रमुख बन गये हैं।

(श्री रतनाराम चौधरी)

हमारे देश के नौजवान प्रधानमंत्री को बहुत वर्षों तक देश सेवा करने का अवसर मिलता, परन्तु कुछ घृणित लोगों ने उनकी निर्मम हत्या करवा दी और सदैव के लिए भारत को नेतृत्व से वंचित कर दिया। उनकी आत्मा आज गरीब, दलित लोगों को जनप्रतिनिधि के रूप में देखकर प्रसन्न हो रही होगी, मैं आज उस आत्मा को याद करना चाहता हूं और मेरी ओर से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं।

हमारे पश्चिमी राजस्थान में ज्यादातर लोग अनुसूचित जनजाति के हैं जिसमें जोधपुर जिले में ज्यादातर भील जाति के लोग हैं। भील जाति में आज तक पढ़ाई का अभाव रहा है और पढ़े-लिखे लोग बहुत कम हैं। पूर्वी राजस्थान में आरक्षण का लाभ अन्य लोगों को मिला, भील जाति के लोगों को कोई लाभ नहीं मिला।

अशोकजी गहलोत के नेतृत्व में जब से कांग्रेस सत्ता में आयी, उन्होंने राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला के नाम से राजस्थान के गांवों, ढाणियों, दूरदराज के इलाकों, पहाड़ों, धोरों और अनुसूचित जाति जनजाति के मोहल्लों में जो स्कूल खोले उसका लाभ गरीब जनता को मिल रहा है। 55 साल से जिनको लाभ नहीं मिल रहा था, आज मिल रहा है, गरीब बच्चे उन स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चे जो बारहवीं पास, बी.ए. पास हैं लेकिन ट्रेनिंगशुदा नहीं हैं, उनके विरुद्ध समाज के कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में जाकर अपील कर दी, रिट लगा दी। स्कूल खोले उस समय सभी जाति के लोगों का चयन हुआ शिक्षाकर्मी में, उसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का भी चयन हुआ और इन स्कूलों में उन बच्चों ने पढ़ाना शुरू कर दिया। बाद में घृणावश लोगों ने रिट लगाकर हाई कोर्ट में कि ट्रेनिंगशुदा बच्चों को ही शिक्षाकर्मी के रूप में चयनित करना चाहिए, रोक लगवा दी। इससे उन बच्चों का बड़ा भारी नुकसान हुआ।

श्री सभापति : माननीय चौधरी साहब, आज की मांग से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है, आज की मांग पर बोलिए। जो आज की मांग है उसके ऊपर बोलिए, शिक्षाकर्मी का आज की मांग से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री रतनाराम चौधरी : सभापति महोदय, समाज कल्याण में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का उत्थान कैसे हो, यही मैं कह रहा हूं। मांग तो यही है।

श्री सभापति : नहीं, यह नहीं है।

श्री रतनाराम चौधरी : इसलिए कृपया ट्रेनिंग का जो है...

श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर): सभापति महोदय, माननीय सदस्य, एक मिनट।

श्री सभापति : माननीय मोहन लालजी, इनको बोलने दीजिए, आपको समय देंगे बोलने का।

श्री मोहन लाल चौहान : सभापति महोदय, मैं बीच में निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान) राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं राजस्थान में हजारों की तादाद में खोली गयी हैं, लेकिन शिक्षा सहयोगी जो पैराटीचर्स लगाए हैं, उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षण नियमों की पालना नहीं की गयी हैं।

श्री रतनाराम चौधरी : यह बात होनी चाहिए, मैं भी इसके पक्ष में हूं कि होना चाहिए, बिलकुल ठीक बात है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पंचायतीराज की मांग आएगी उसमें इसको आप खुले रूप में कह दीजिए।

श्री रतनाराम चौधरी : यस सर, मैं शार्ट कट में कह देता हूं। उसमें आरक्षण होना चाहिए, जैसा हमारे बंधु ने कहा है, हमको कोई एतराज नहीं है। किन्तु सबसे बड़ी बाधा ट्रेनिंग की है, इस कानून में संशोधन करके आप हटा दीजिए। ट्रेनिंगशुदा मास्टर जो हाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं, माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, आप जाकर देख लीजिए। आप कोई कमेटी का गठन कर लीजिए, उसको जाकर देखिए कि कितने ढंग से पढ़ाते हैं और कम तनखाह में पढ़ाते हैं। पहले तो 1200 रुपए ही आप देते थे, अब 1600 रुपए उनका मानदेय आपने तय किया, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको।

जिस तरह अनुसूचित जाति के लोगों को बिजली कनेक्शन में प्रायोरिटी दी हुई है उसी तरह से अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, यह हमारी मांग है। (व्यवधान) नहीं मिल रही है, अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रायोरिटी नहीं मिल रही है। अनुसूचित जाति के लोगों को तो मिल रही है, अनुसूचित जनजाति के लोगों को नहीं मिल रही है। इसलिए आप आदेश जारी करके जिस तरह एस.सी. के लोगों को बिजली कनेक्शन में प्रायोरिटी दे रहे हैं, उसी तरह अनूसूचित जनजाति के लोगों को भी प्रायोरिटी दें, यह हमारी मांग है। (व्यवधान) सबका यह विचार है, हमारे सभी भाइयों की यही मंशा है। हमारे पश्चिमी राजस्थान में ज्यादातर संख्या इन्हीं की है और ये कांग्रेस के मेन वोटर हैं, इसलिए सबकी इच्छा है। माननीय मंत्री महोदय, आप सी.एम. साहब से और बिजली मंत्री से बात करके इस मांग पर विचार करके, जब आप जवाब दें उसमें यह आदेश दें कि जिस तरह अनुसूचित जाति के लोगों को बिजली कनेक्शनों में प्रायोरिटी मिलती है उसी तरह अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी बिजली के कनेक्शन में प्रायोरिटी दी जाएगी। हम जनता की भावना, जनता

(श्री रतनाराम चौधरी)

की मांग जो वहां उठ रही है, वह मांग आपके समक्ष रख रहे हैं। यही हमारी मांग है।

इस जाति के लोगों के पास आजादी के पहले बहुत कम खोदारी की जमीन उपलब्ध थी, परन्तु कांग्रेस की सरकार आने के बाद 55 साल में जहां कहीं भी बड़े-बड़े सामंतों की जमीन सीलिंग में छूटी उस सीलिंग की जमीन को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को देकर उनका भूमिहीन होने का जो कलंक था उसको मिटाया। इसलिए आज जिस तरह से मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे, कहीं भी कोई जमीन अलाटमेंट का सवाल हो, उसमें सबसे पहले वरीयता अनुसूचित जनजाति के लोगों को देनी चाहिए, यही हमारी मांग है।

जिस तरह से बच्चों की छात्रवृत्ति का सवाल है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी अनुसूचित जनजाति का छात्रावास नहीं है, बड़े दु:ख की बात है, जबकि सबसे ज्यादा संख्या उनकी है। इसलिए समाज कल्याण मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि मेरे पंचायत समिति हैडक्वार्टर, रानीवाड़ा और पंचायत समिति हैडक्वार्टर जसवन्तपुरा दोनों पंचायत समिति मुख्यालयों पर अनुसूचित जनजाति के छात्रावास की घोषणा करने की कृपा करें और बजट दिलावाएं। रानीवाड़ा में अनुसूचित जाति का छात्रावास तो है परन्तु भवन नहीं है। भवन नहीं होने के कारण लोग किराये में रहते हैं, किरायेदार अपना मनमर्जी किराया वसूलते हैं और कभी कभी धमकियां देते हैं कि तुम हमारा मकान खाली कर दो। इसलिए उनको बड़ी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए कृपया उन छात्रावासों के भवन के निर्माण का भी इन्तजाम करवाएं। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया...

श्री सभापति : बहुत धन्यवाद।

श्री रतनाराम चौधरी : मैं आपका आभारी हूं। अशोकजी गहलोत जब से सत्ता में आए हैं, इस जाति का विशेष ध्यान रखा है इसलिए...

श्री सभापति : मैं आपका भी आभारी हूं, बिराजिए आप।

श्री रतनाराम चौधरी : मैं अशोकजी का बहुत-बहुत आभारी हूं कि जिस तरह से आपने एक्सीडेंट के वक्त में, अन्य काम करते हुए अंगुली कटने पर पहले भा.ज.पा. के जमाने में कहां मिलता था ऐसे, कुछ भी नहीं मिलता था और आज... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आप तो यह बता दें कि आपके गहलोतजी ने आने के बाद कृषि उपज मण्डी से जो कृषक साथी योजना है, उसमें कितने रुपए बढ़ाये?

श्री रतनाराम चौधरी : यह बात तो ठीक है। हमारे क्षेत्र में कइयों को मैंने...

एक माननीय सदस्य : और बढ़ा देंगे।

श्री रतनाराम चौधरी : और बढ़ा देंगे। बाकी कइयों को सहायता दिलाई। अंगुली कटी हो, चाहे हाथ कटा हो, चाहे काम करते हुए एक्सीडेंट हो गया हो, पच्चीस-पच्चीस हजार रुपए दिलवा कर हम लोगों ने उनको राहत दिलवाई है। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय सभापति महोदय, आज यह सदन मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के अन्तर्गत इस देश के सदियों से शोषित, पीड़ित दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग की सामाजिक सुरक्षा, शैक्षणिक उत्थान, विकास और उसके लिए चलाई जा रही योजनाओं के सम्बन्ध में विचार कर रहा है। सबसे पहले तो, माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज इस सदन में केवल तीन सवर्ण जाति के सदस्य हैं एक माननीय रतनगढ़ से आने वाले पण्डित जयदेव प्रसादजी इन्दौरिया...

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : हुकुम, हाजिर हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : एक जैसलमेर से पधारने वाले गोवर्द्धन कल्ला और एक थानागाजी के हमारे भाई गंगावत साहब। मतलब दो सौ सदस्यों के सदन में यह सदन जब समाज के शोषित, दलित और पिछड़े वर्ग की समस्याओं पर चर्चा कर रहा है तो कितना इंटरेस्ट लोगों का है। केवल तीन सदस्य सवर्ण जाति के बैठे हैं, बाकी तो सब एस.सी.,एस.टी., ओ.बी.सी और मायनोरिटी के लोग ही यहां पर बिराजमान हैं। यह बड़ी दयनीय स्थिति है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आसन पर भी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, हम सभी सवर्ण जाति के हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आसन पर भी।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह मानसिकता को दर्शाता है कि लोगों की मानसिकता कैसी हो गई।

एक माननीय सदस्य : हरिसिंहजी महुवा, यह बैठे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आसन पर भी अन्य पिछड़ा वर्ग बैठा है। मैं यही तो कह रही हूं कि आसन पर भी पिछड़ा वर्ग है।

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, अन्य पिछड़ा वर्ग है आसन पर और वह तो आज एकमात्र ही है। चारों के सभापति पैनल में पूरा टाइम आज तो आप ही को समर्पित है, आपको भी धन्यवाद।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

आज जब हम एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और अन्य पिछड़ा वर्ग जिसमें अल्पसंख्यकों की भी करीब 27 बिरादरियां शामिल हैं, इनको बराबरी का दर्जा देने, इनके आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो आज के दिन हमको डाक्टर भीमराव अम्बेडकरजी जिन्होंने संविधान में हमको अधिकार दिया, चाहे पब्लिक सर्वेंट हो और चाहे पब्लिक रिप्रजेंटेटिव, जिस अधिकार से हम इस सदन में बैठे हैं वह उनकी देन है। आज के इस दिन मैं शिक्षा के क्षेत्र में अपना अविस्मरणीय योगदान देने वाले महात्मा ज्योतिबा फूलेराव तुलारामजी, देवनारायणजी, साहूजी महाराज, सर सैयद अहमदखां और राजस्थान के स्वर्गीय माणिक्य लालजी वर्मा जैसे लोगों को भी इस सदन में याद करना चाहूंगा कि जिनके अथक प्रयासों से ही इस वर्ग को कुछ बराबरी का हिस्सा देने के क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं। सभापति महोदय, आपने इस वर्ग को आरक्षण दिया 16 प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को, 12 प्रतिशत शिड्यूल्ड ट्राइब को और 21 प्रतिशत ओ.बी.सी. को, यह कुल मिलाकर 49 प्रतिशत होता है। आधे से ज्यादा लोगों ने तो इनके आरक्षण का विरोध किया, कुछ ने कहा, यह पचास प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस देश में हमारे सामने ऐसी नजीरें भी हैं चाहे वह तमिलनाडु की हो, चाहे कर्नाटक की हो, चाहे बिहार की हो, कि वहां सब वर्गों को मिलाकर 75-75 और 80 प्रतिशत तक भी आरक्षण दे रखा है। इनके आरक्षण देने की एक बात है, सभापति महोदय लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसका पालन कहां तक हो रहा है? कुछ लोग जो संकीर्ण मानसिकता के हैं या दलित विरोधी हैं, स्थिति यह है कि आपने एस.सी. को 16 प्रतिशत आरक्षण दे रखा है यानि सौ में से 16, चाहे पी.एम.टी. का मामला हो, चाहे आर.ए.एस. का हो, चाहे दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं का हो, कुछ लोग क्या करते हैं कि जो मैरिट में आ गया, मान लो 12 लोग, और चार रिजर्वेशन में आ गये, कहेंगे कि 100 में से 16 हो गये और यह एस.सी. का जो 16 प्रतिशत का आरक्षण का टारगेट था, यह पूरा हो गया। ऐसा नहीं है, माननीय सभापति महोदय। जो अपने टेलेन्ट से, अपनी योग्यता से आते हैं उनको तो हमको जनरल कैटेगरी में मानना चाहिए, बाकी जो आरक्षण उनका है उसको पूरा करना चाहिए चाहे वह एस.सी. का हो, चाहे एस.टी. का हो, चाहे ओ.बी.सी. का हो। इस पर अमल नहीं हो रहा है। कायदे-कानून बना गये देश के संविधान निर्माता, लेकिन उस पर अमल करना आज हमारी जिम्मेदारी है। अगर उसको अमली जामा नहीं

(मोहम्मद माहिर आजाद)

पहनाया जाएगा, जिनका यह वास्तविक हक है वह हक अगर उनको हम नहीं देंगे हम तो उनके साथ अन्याय कर रहे हैं।

सभापति महोदय, अभी परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, यह सही है कि आपने राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं खोलीं। उसमें आपने पैराटीचर्स लगाये, अब आप दूसरे भी उसमें लगा रहे हैं। लेकिन उसमें आपने एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. का जो आरक्षण का टारगेट था वह पूरा नहीं किया। इसको आपने बाकी रखा, यह आपने अनदेखी की है। लेकिन अभी भी समय रहते इसमें सुधार किया जा सकता है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं समाज कल्याण मंत्रीजी और माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इनमें से जो निर्धारित योग्यता रखते हैं, थर्ड ग्रेड टीचर की योग्यता रखते हैं, जब भी उनको आप प्रमोशन दें या परमानेंट करें तो उसमें एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के रिजर्वेशन को फुलफिल कराएं, वरना आप इनके साथ अन्याय करेंगे।

(15.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कह रहा हूं कि चाहे आरक्षण का लाभ हो और चाहे योजनाएं आपने इतनी सारी बना रखी हों, लेकिन इन योजनाओं का लाभ जो वास्तविक हकदार हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं उन जरूरतमंद लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जो खुद पहले से ही सम्पन्न हैं या जो तेज तर्रार या चालाक लोग हैं वे इन योजनाओं का लाभ उठा लेते हैं। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के आदिवासी क्षेत्रों में जो पहाड़ी में रह रहा है, जो ढाणियों और मजरों में, जंगलों में रह रहा है उस आदिवासी को लाभ मिले इसलिए ये योजनाएं बनायी गयी थीं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो वास्तविक हकदार हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक इनका लाभ पहुंचे तब हमारी इन योजनाओं की सार्थकता है। इसके लिए जो योजनाएं आपकी चल रही हैं उनका प्रभावी ढंग से आपको क्रियान्वयन करना चाहिए। उसकी मानीटरिंग भी आपको प्रभावी तरीके से करनी चाहिए। इसके अन्दर जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार को भी आपको रोकना चाहिए, ताकि जो पैसा जिसके लिए आप भेज रहे हैं वह पूरा शत-प्रतिशत उसके पास पहुंचे। ऐसा नहीं हो, जैसा स्वर्गीय राजीव गांधीजी कहते थे कि हम सौ रुपए भेजते हैं तो जाकर उस आदिवासी के पास, उस दलित के पास, उस गरीब के पास 15 प्रतिशत पैसा पहुंचता है। इसका भी नियंत्रण करने की और मानीटरिंग की जिम्मेदारी आपकी है।

वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग सहायता, ये सारे कार्यक्रम आपने लागू कर रखे हैं, माननीय समाज कल्याण मंत्री महोदय, मैं सभापति महोदय के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस

(मोहम्मद माहिर आजाद)

वृद्धावस्था पेंशन में 200 रुपए आप देते हैं। 75 रुपए तो भारत सरकार की तरफ से हैं और 125 रुपए आप देते हैं। जो भारत सरकार 75 रुपए देती है उसके लिए कोई शर्त नहीं है, जिसने अपनी आयु 65 वर्ष पूरी कर ली उसको आप ये 75 रुपए देते हैं। लेकिन आपने राज्य सरकार की तरफ से उसमें यह शर्त लगा दी कि उसका कोई वयस्क बालक नहीं होना चाहिए। अगर किसी के नालायक औलाद पैदा हो जाए और वह अलग होकर बाप को छोड़ दे कि तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भाग्य पर, उसका आप क्या करेंगे?

श्री बनवारी लाल बैरवा (समाज कल्याण मंत्री) : माननीय सभापतिजी, माननीय विधायकजी जो बात फरमा रहे हैं, दरअसल तो भारत सरकार 75 रुपए देती है और देती है वह 1 लाख 41 हजार के लिए, बाकी और जो हम दे रहे हैं वह तो हमारे अपने रिसोर्सेज से दे रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं भी यही कह रहा हूं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : और वह 4 लाख से ऊपर है। आज की तारीख में 1 लाख 41 हजार तक तो आप कह सकते हैं कि, साहब, उनकी यह भी शर्त नहीं होनी चाहिए। मान ली, लेकिन बाकी तो हम अपने रिसोर्सेज से दे रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं भी यही निवेदन, समाज कल्याण मंत्री महोदय, आपसे कर रहा हूं कि आप 125 रुपए राज्य सरकार की तरफ से देते हैं। आपने जिन लोगों को चिन्हित कर लिया है उनको 125 रुपए महीना आपने पेंशन दे दी, कई-कई साल तक दे दी। उसके बाद आपने अभियान चलाया, अभियान चलाकर ढिंढ़ोरा पीटा कि हम पेंशन इतने लोगों को देंगे। लोगों के आवेदन आपके पास आ गये, उन आवेदनों में जिन लोगों को आप पहले पेंशन देते थे, कोई आदमी अपनी रोजी-रोटी का खर्चा उसमें से निकालता था, किसी के घर पर लाइट नहीं है, वह दिया बत्ती, चिराग उस केरोसिन से जला लेता था, एक आशा की किरण राज्य सरकार की तरफ से उसकी झोंपड़ी में गयी थी। अब आपने जांच के नाम से, मैं माननीय सभापति महोदय, पूरी दृढ़ता और विश्वास के साथ, निश्चित तौर पर दावे के साथ आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सितम्बर, 2000 में आपने जांच प्रारम्भ की तब से लेकर आज तक, जिन लोगों को पहले आप यह पेंशन दे रहे थे उन लोगों को आज तक एक भी पैसा पेंशन का नहीं मिला है। अब आपने जांच कर ली, जांच करने में जो लोग सही पाये गये, जिनको पहले भी पेंशन मिलनी थी और आज भी सही हैं उनको क्या आप सितम्बर, 2000 से लेकर आज 31 मार्च, 2002 तक का पिछला एरियर भी देंगे? कहां से देंगे, क्या प्रावधान हैं?

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय सभापतिजी, दरअसल तो पिछली सरकार जो पेंशन देती थी वह 2 लाख 22 हजार लोगों को देती थी। उसके अन्दर राष्ट्रीय वृद्धावस्था के भी थे, राज्य वृद्धावस्था के भी थे, विधवाएं भी थीं, विकलांग भी थे, कुलमिलाकर यह था। हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जब यह फैसला किया कि इस पेंशन की राशि को बढ़ाया जाए और राशि बढ़ाकर उन लोगों को अपने तरीके से जाकर गांव-गांव में चिन्हित किया जाए, उनको पेंशन दी जानी चाहिए, उसके तहत पहला काम हुआ तो उसमें कुछ गलत तरीके से लोगों ने अपनी इंफोर्मेशन देकर पेंशन प्राप्त कर ली। लोगों की शिकायतें आयीं कि, साहब, जिन लोगों को नहीं मिलनी चाहिए थी, जो पात्र नहीं थे, उनको पेंशन दी जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे हकों के ऊपर कुठाराघात हो रहा है। सरकार के सामने इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था कि दुबारा सर्वे करवाती। दुबारा सर्वे कराया गया तो उस सर्वे के अन्दर 2, 13, 332 कोटे वाले इसके अन्दर इन्क्लूड नहीं हैं, इतने लोगों की पेंशनें इसलिए रद्द करनी पड़ीं कि वे पात्र नहीं थे, उन्होंने गलत इंफोर्मेशन दी थी। जहां तक सवाल इस बात का है कि जो लोग सही हैं, जिनकी पेंशन चालू हो गयी हैं तो उनका एरियर भी देंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : ठीक है, आप उनको एरियर का भुगतान कर देंगे और जो लोग वाजिब हकदार हैं उनको उनकी पेंशन वापस शीघ्र करा देंगे। इतना ही मेरा मकसद था।

मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहता हूं। अनुसूचित जाति-जनजाति विकास निगम के सहयोग से आपने दलित वर्ग के एस.सी.,एस.टी. के जो लोग थे उनको रिहायशी मकानों के साथ-साथ व्यावसायिक भू-खण्ड आबंटन करने की भी एक योजना चलायी। मेरे खुद के विधान सभा क्षेत्र नगर में लाटरी निकाली गयी, लोगों को आपने पट्टे दे दिये। आज वे पट्टे लेकर घूम रहे हैं, उनको फिजिबल पजेशन आज तक उस जमीन का नहीं दिया गया है। ऐसी की ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश की थी कि वहां पर पिछले कई सालों में दलित वर्ग के लोगों को हजारों एकड़ भूमि के पट्टे तो दे दिये थे लेकिन कब्जे नहीं दिये थे। जब सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री बनीं तब उन्होंने उस जमीन का फिजिबल पजेशन उन लोगों को देने का काम किया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे खुद के नगर की नगरपालिका में एस.टी., एस.सी. कारपोरेशन के सहयोग से जिन 8 जाटव और दलित वर्ग के लोगों को व्यावसायिक भू-खण्ड आबंटित किये गये थे, उन पट्टों को लेकर पिछले कई सालों से वे घूम

(मोहम्मद माहिर आजाद)

रहे हैं, उनको आज तक उस जमीन का कब्जा नहीं मिला है, आप उनको कृपा करके यह कब्जा दिलवाने का काम करें।

माननीय समाज कल्याण मंत्री महोदय, आपने इस साल के बजट में कोई नया समाज कल्याण छात्रावास खोलने का प्रस्ताव नहीं रखा है, मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि बजाय नये-नये छात्रावास खोलने के जो पहले के छात्रावास हमारे खुल रहे हैं उनको आप सुसज्जित करने का काम करें, उनकी कितनी दयनीय स्थिति बनी हुई है। मैं चूरू गया, चूरू के समाज कल्याण छात्रावास की स्थिति आप देखिये, खिड़की के अन्दर किवाड़ नहीं है, खुली पड़ी हुई है। लाइट का कनेक्शन कटा पड़ा है, उनके रहने के लिए बैड नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, पढ़ाई के लिए बिजली नहीं, लेट्रीन-बाथरूम की कोई व्यवस्था नहीं। कीकरों के जंगल के अन्दर वे शौच करने के लिए जा रहे हैं। उनकी कोचिंग की कोई व्यवस्था नहीं, वहां पर कोई लाइब्रेरी नहीं। मैस के अन्दर कुक नहीं। समाज कल्याण के छात्रावास एक साल आप मत खोलिये, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे दलित वर्ग के जो छात्र आकर अध्ययन कर रहे हैं, वे यह कष्ट भी सह लेंगे। लेकिन जो आलरेडी आपने बना रखे हैं, उनके लिए जो आपने मापदण्ड निर्धारित किया हुआ है, आपने जो योजनाएं बना रखी हैं उनका तो कम से कम आप क्रियान्वयन करवाएं, वे सुविधाएं तो उनको आप मुहैया कराएं।

पिछले साल इस अप्रैल, में ही मेरे विधान सभा क्षेत्र नगर में एक किसान सम्मेलन और पशु मेले के उद्घाटन में आप पधारे थे, आपको याद होगा। नगर के समाज कल्याण छात्रावास जिसकी स्वीकृत संख्या 25 है, आपने वहां पर घोषणा की थी कि इसको हम इसी वर्ष से 40 की कर देंगे। आज तक क्या हुआ, माननीय समाज कल्याण मंत्री महोदय, आपकी उस घोषणा पर? मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप योग्य आदमी हैं, काबिल आदमी हैं, लेकिन जो आप घोषणा करें, एक साल बीत जाए और उस पर अमल नहीं हो रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है?

आपने डे-केयर सेंटर खोलने का समाज कल्याण विभाग में प्रावधान रखा है कि जहां कहीं भी वृद्ध लोग हैं वे अपना टाइम पास करने के लिए एक जगह आ जाएं, डे-केयर सेंटर में बैठें। वहां एक चाय भी आप उनको देते हैं, वहां अखबार वगैरह भी होता है और वे सम्मान के साथ आपस में एक दूसरे से अपनी बातचीत भी कर लेते हैं। आज आपके कितने डे-केयर सेंटर बन्द पड़े हैं? आपके सवाईमाधोपुर के समाज कल्याण अधिकारी ने 4-4 प्रस्ताव भेज दिये कि आप वहां पर डे-केयर सेंटर खोलिये। आपने गंगापुर में उदय में जो खोला था, वह बन्द हो गया, बन्द करने की आपके पास सिफारिश

(मोहम्मद माहिर आजाद)

भेजी हुई है। कुलमिलाकर मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, माननीय समाज कल्याण मंत्री महोदय, कि सरकार की दलित वर्ग के लिए जो भी योजनाएं हैं इनका पालन ठीक ढंग से होना चाहिए।

इतनी सारी योजनाएं आपने इनके लिए बना रखी हैं, लेकिन, सभापति महोदय, आज इन वर्गों की स्थिति क्या है? मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, चाहे आप अपने गृह जिले टोंक में चले जाएं, चाहे आप भरतपुर में चले जाएं, चाहे नगर में चले जाएं, चाहे आगरा में चले जाएं, आपको किसी भी शहर के अन्दर जाकर यह पूछने की जरूरत महसूस नहीं होगी कि एस.सी. का मोहल्ला कौन-सा है, मीणा बस्ती कौन-सी है, पिछड़ों का मोहल्ला कौन-सा है, कि अकल्लीयत का, माइनोरिटी का मोहल्ला कौन-सा है। यह एक पहचान बना दी है, जैसे हाथ का पंजा कांग्रेस की पहचान है, कमल बी.जे.पी. की, हाथी बसपा की, ऐसे ही एक पहचान हो गयी है। यह कहा जाता है कि जिन मौहल्लों में आंखें फाड़-फाड़ कर देखने पर भी सड़क नाम की चीज दिखायी न दे, लट्टू तो लग रहा हो लेकिन जल नहीं रहा हो, हैण्ड पम्प हो लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा हो, नालियों में कीचड़ भरा पड़ा हों, कूड़े-कचरे के ढेर लग रहे हो, बकरा-बकरी और मुर्गा-मुर्गी घूमते दिखाई दें तो समझ लो यह एस.सी., एस.टी. या माइनोरिटीज का मोहल्ला है। यह पहचान बनाने का काम आप कर रहे हैं।

इतनी सारी योजनाएं और इतना पैसा खर्च करने के बाद भी आपने इन वर्गों को क्या सम्मान दिया, इनका क्या शैक्षणिक विकास किया, क्या सामाजिक विकास किया, क्या आर्थिक विकास किया, इस पर आपको रोशनी डालनी चाहिए। आपने यहां पर योजना बना रखी है, ऊर्जा मंत्री जी यहां बैठे हैं, कि हम एस.सी., एस.टी. के लोगों के लिए यह विद्युतीकरण का टार्गेट रखते हैं। आपने अपने वे टार्गेट पूरे किये क्या? जरा स्थिति उठाकर आप देखिये। मैंने बजट भाषण पर भी आपको उस समय एक बात कही थी कि आप 20 सूत्री कार्यक्रम की जो क्रियान्विति रिपोर्ट है, उसको उठाकर देखें। एस.सी. के टार्गेट आपने अचीव किये हैं 50 प्रतिशत, एस.टी. के टार्गेट आपने अचीव किये हैं 50 प्रतिशत और ओ.बी.सी. व अन्य पिछड़ा वर्ग के टार्गेट आपने अचीव किये हैं जीरो। आखिर यह स्थिति क्यों है? जिन लोगों का जो पैसा आ रहा है उस पैसे का सही उपयोग होना चाहिए। आज समाज कल्याण छात्रावास अधीक्षकों के और समाज कल्याण विभाग के कितने पद खाली पड़े हैं? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार माहिर आजाद और अमरारामजी जो नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कब से

(मोहम्मद माहिर आजाद)

खाली पड़े हैं? कब तक आप इन पदों को पूरा कर देंगे? प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है? आपकी डी.पी.सी. क्यों नहीं हो रही है? इन सारी योजनाओं के लिए आपको केन्द्र प्रवर्तित बजट कितना मिल रहा है, राज्य सरकार का आपका बजट कितना है और उस बजट में से कितना पैसा आपने यूटिवाइज किया है इन वर्गों के ऊपर? कितना पैसा आपका बाकी बच रहा है? आखिर आपको इस सम्बन्ध में भी कुछ सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपने अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण तो दे दिया लेकिन इसमें कितना अमल हुआ? आपका यह आरक्षण देने से पहले इन वर्गों के कुम्हार, नाई, खाती, स्वामी, रंगरेज, सोनी, मनिहार, जुलाहा, मंसूरी, अंसारी, इनके कितने लोग ग्रामों की ग्राम पंचायतों के अन्दर चुनकर आते थे, कितने लोग स्वायत्तशासी संस्थाओं में चुनकर आये थे, कितने लोग राज्य सेवा में आये थे? आज आपसे इनको आरक्षण देने के बाद इन वर्गों का प्रतिनिधित्व घटा है या बढ़ा है? यह आप ईमानदारी से बता दीजिए। एनेलिसिज कीजिए कि आज इन वर्गों की स्थिति क्या हो रही है। आरक्षण देने के बाद क्या हो रही है। कागजों में उनको आरक्षण देकर आप अपनी इतिश्री कर लें कि हमने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया, इससे आपका फर्ज पूरा नहीं होता है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इन वर्गों के लिए जो भी घोषणाएं की हैं, जो नीतियां बना रखी हैं उनका ईमानदारी से आप क्रियान्वयन करें। आप आज जाकर देखें डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्र में। आपके सारे जंगल कट गये, आपके उद्योग धंधे बन्द हो गये। आज उनकी रोज़ी-रोटी की स्थिति क्या है? वे 4-4, 5-5 परिवारों के बीच में मक्का को पीसकर पानी में भिगोकर एक थाली में खा लेते थे, पांच परिवारों के बीच में एक बाल्टी, पूरे गांव के बीच में एक बैल की जोड़ी होती थी। मेहनत मजदूरी करने के लिए गुजरात जाते थे। भला हो इन लोगों का, इन्होंने गुजरात को इस तरीके से साम्प्रदायिकता की आग में झोंक दिया कि आज वहां भी उनका रोजगार बन्द हो गया। आज उनके सामने रोजी-रोटी का संकट पैदा हो रहा है। आज हम जिस तरीके की बात करते हैं, जाकर ईमानदारी से उस दूर-दराज के इलाके में देखें कि उनके लिए जो योजनाएं आपने बनायी हैं उनका कितना प्रतिशत लोगों को लाभ मिला है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन योजनाओं का लाभ वास्तविक रूप से अगर आप देना चाहते हैं और आपकी जवाबदेह, पारदर्शी और संवेदनशील सरकार इस

(मोहम्मद माहिर आजाद)

दलित वर्ग के प्रति जरा भी सच्ची हमदर्दी रखती है तो दूर-दराज पहाड़ी में, जंगल में, ढाणी में, मजरे में जो एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. के लोग बैठे हैं उनको उनका वाजिब हक मिले और उनकी योजनाओं को सही तरीके से क्रियान्वित करें। इन वर्गों के जो लोग शैक्षणिक क्षेत्र में आगे आ रहे हैं उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था हो। भ्रष्टाचार बन्द हो। इन नीतियों का सफल तरीके से क्रियान्वयन हो, उसकी सही तरीके से मानीटरिंग हो। यही अगर आप करें तो इस दलित वर्ग के प्रति सच्ची हमदर्दी होगी। इतना ही निवेदन करके, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री रामचन्द्र सराधना। माननीय श्री मांगीलाल गरासिया। गरासियाजी है। हां, बोलिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार-विमर्श हो रहा है, मैं अपने आपको इस मांग में सम्मिलित करते हुए यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में 30 प्रतिशत एस.सी., एस.टी. और कुछ ओ.बी.सी. के भाई जहां पर रह रहे हैं, राजस्थान की भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान के बहुत बड़े भू-भाग पश्चिमी राजस्थान के साथ में उत्तरी राजस्थान के अंचल में आदिवासी भाई रहा करते हैं। मैं यह भी कहूंगा कि जहां पर घनी आबादी में आदिवासी भाई अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसकी ओर देखा जाए तो समाज कल्याण के रूप में हो, विकास के रूप में हो या फिर समुचित शिक्षा की बात हो, वह एरिया इस सबसे वंचित रहा है। सभापति महोदय, पूरे राजस्थान की भौगोलिक दृष्टि से यदि पूर्वी राजस्थान की पश्चिमी राजस्थान से तुलना की जाए और उत्तरी राजस्थान के रहने वाले भाइयों की अगर दक्षिणी राजस्थान में रहने वाले भाइयों से तुलना की जाए तो रात और दिन का अन्तर नजर आता है। मैं कहूंगा कि जहां पर राजस्थान की पठारी और उपजाऊ क्षेत्र है वहां पर आदिवासी भाइयों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और शिक्षा की स्थिति बहुत की सुदृढ़ और मजबूत है। लेकिन दूसरी ओर शिक्षा से वंचित रहा एरिया जहां की भौगोलिक स्थिति पहाड़ी और रेगिस्तान के रूप में है, वहां पर रहने वाले भाइयों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि इस भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए भी माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी को इस बारे में

(श्री मांगीलाल गरासिया)

बहुत गहराई से विचार करना पड़ेगा कि किस एरिया में सामाजिक उत्थान को बढ़ावा देना है कहां शिक्षा को बढ़ावा देना है या फिर आमूलचूल परिवर्तन समाज के कल्याण में, उत्थान में करना है।

सभापति महोदय, मैं अपने विचार रखता हूं कि जब तक मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सुविधाओं का विकेन्द्रीकरण नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण की बात करना मात्र एक औपचारिकता होगी। हम तमाम जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं हमारी सरकार को इस दिशा में बहुत गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। सभापति महोदय, हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम सुदूर ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों के लिए उच्च कोटि की शिक्षा के साथ सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिए सही ढंग से कोई अवसर दे रहे हैं या नहीं। हमें सोचना पड़ेगा कि दूर-दराज के आदिवासी अंचल में चिकित्सा के साथ सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा मिल पा रहा है या नहीं। और हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि हम ग्रामीणजन को ग्रामों में ही रोजगार दिये जाने की दिशा में कुछ कह रहे हैं वह पर्याप्त है क्या। कई तरह की विभिन्नता को देखते हुए हमें अपने आप में विचार करना पड़ेगा कि राजस्थान में सामाजिक स्थिति क्या है, समाज कल्याण की परिस्थिति क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है। राजस्थान सरकार ने इस हेतु बहुत बड़ा कदम उठाया है और आने वाले टाइम में समाज कल्याण पर आगामी वर्ष में 325 करोड़ 60 लाख रुपए व्यय करने का जो प्रस्ताव लिया है, उससे यह स्पष्ट होता है कि आदिवासी अंचल में रहने वाले लोगों का स्वावलम्बन होकर, उनके अपने पांव पर खड़े होकर कुछ करने की हिम्मत बनेगी। यह भी कार्य सही ढंग से होता है तो। यदि सही ढंग से आदिवासी अंचल में वह पैसा नहीं लगा तो हो सकता है कि जो प्रस्ताव लिया गया है, वह निरर्थक साबित हो। राज्य सरकार द्वारा पालियो निदान के लिए 10,000 से अधिक पोलियो करैक्शन आपरेशन की व्यवस्था पर सात करोड़ का प्रावधान रखा गया है, उससे भी असहाय भाई लोगों को सहारा मिलेगा। पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति में एक करोड़ रुपए का प्रावधान करते हुए आपने अतिरिक्त भी राशि देने का प्रावधान किया है, उससे भी हमें बढ़ावा मिलेगा।

सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने एक संवेदनशील सरकार होने के नाते समाज कल्याण एक दर्पण के रूप में शुभारम्भ किया है। शैक्षणिक विकास में छह आयामों को जोड़ा है, आर्थिक विकास में 11 आयामों को आपने प्रस्तुत किया

(श्री मांगीलाल गरासिया)

है और सामाजिक उत्थान और संरक्षण में 6 आयामों को, बाल कल्याण में पांच आयामों को जोड़ा है और उसके साथ महिला कल्याण के लिए पांच ऐसे बिन्दु रखे हैं जिन में महिलाओं का उत्थान है। यही नहीं, नि:शक्त जन कल्याण के लिए 20 प्रोग्रामों को आपने शुरू करने की मंशा जाहिर की है। सामाजिक सुरक्षा योजना में आपने 7 आयामों को प्रस्तुत किया है और सामाजिक सुधार के क्षेत्र के अन्य प्रयासों में भी आपने तीन आयामों को प्रस्तुत किया है। यही नहीं, हमारी राजस्थान सरकार के माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब की मंशा के आधार पर सामाजिक समाज कल्याण मंत्रीजी ने समाज के उत्थान में युवकों में नशे की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए बीयर बार बन्द करने का जो फैसला लिया, वह एक अनुकरणीय उदाहरण है। जहां युवा इससे अपनी दिशा भटका करते थे, अब वे सही दिशा में प्रगति पथ पर अग्रसर होने में कामयाब होंगे। पर मैं कहूंगा कि आप इसे सख्ती से लागू करें और उस पर पाबन्दी लगाने का काम भी करें। मैं मंत्री महोदय से यह जरूर कहूंगा कि ट्राइबल सब प्लान एरिया क्षेत्र में कम से कम नशा खोरी पर तो बिलकुल पाबन्दी लगाने के लिए आप सख्ती से कार्यवाही करें, तभी जाकर 6 आदिवासी अंचल में युवा वर्ग में कुछ जाग्रति, कुछ चेतना और चेतना के साथ में सही दिशा का बोध हो पाएगा। वरना हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वह एरिया आगे बढ़ पाएगा।

ऐसे ही मूक बधिर एवं अंध विद्यालयों में शत-प्रतिशत अनुदान देने का आपने जो निर्माण लिया है, वह अपने आप में एक नया कीर्तिमान उदाहरण है। अशक्तों को देय पेंशन को आपने 125 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए प्रति माह किया है। यही नहीं, उपेक्षित वृद्ध पुरुष की पेंशन राशि 100 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए की, जोइंट पेंशन राशि 300 रुपए की, उससे भी ग्रामीण अंचल में रहने वाले, दूरदराज अंचल में रहने वाले असहाय और वृद्धावस्था में रहने वाले लोगों को, बहुत बड़ा परिवार के ऊपर भार था, एक सहारे का सौभाग्य मिला है। पूरे राजस्थान में एक नई पहल करते हुए अच्छा काम करने में आपने अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत 16 करोड़ रुपए का प्रावधान और विकलांग एवं सफाई कर्मचारी, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग, एस.सी. एस.टी. के लिए 27 करोड़ रुपए की गारंटी योजना के अन्तर्गत आपने कुछ और बढ़ोतरी की है, जिससे भी इस अंचल में हमें फायदा होगा।

मैं इस बात में एक-एक नहीं जाना चाहता कि राजस्थान सरकार ने ऐसे कई कदम उठाकर दूरदराज में रहने वाले,

(श्री मांगीलाल गरासिया)

अंचल और ढाणी में रहने वाले लोगों को विकास की कड़ी को और सशक्त, और मजबूत करने का जिम्मा लिया है। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की समस्या पर थोड़ी दृष्टि डालते हुए निवेदन करूंगा। हमारे आदिवासी अंचल में भवन निर्माण की बात को लेकर मैं पहले भी माननीय समाज कल्याण मंत्री महोदय से निवेदन कर चुका हूं। समाज कल्याण छात्रावास सायरा, पिछले लम्बे समय से वहां पर बच्चे अध्ययन करते हैं होस्टल में रहकर। किराये का होस्टल है, वह बहुत छोटा पड़ता है, उनके लिए ठहरने, उठने-बैठने का समस्या होती है। वहां पर हमने गत वर्ष भूमि का आबंटन भी करवा दिया है, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, समाज कल्याण छात्रावास, सायरा का अगर भवन बन जाता है तो बहुत बड़ा सहारा मिल पाएगा। यही नहीं, आपने आवासन मण्डल को जो पैसा दिया है होस्टल निर्माण करने के लिए गोगुन्दा में, वहां भी अगर सही ढंग से आप क्रियान्विति करेंगे तो वहां पर भवन बन जाएगा और उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाएगा। सभापति महोदय, दोनों जगहों के भवन बनाने के लिए मैंने कई बार आपसे भी निवेदन किया, मुझे आशा है इस बार मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके आप आदेश देने की कृपा करेंगे। हमारे छाली क्षेत्र की बाउंडरीवाल भी अधूरी है। पीपला जो कोटड़ा पंचायत समिति का एरिया पड़ता है, पीपला और माद के लिए भी मैंने आपसे निवेदन किया था, उनके लिए मैं और निवेदन करूंगा कि ये दोनों हमारे स्वीकृतिशुदा होस्टल हैं। उनमें भवन अगर बन जाता है तो उन बच्चों को जो समस्या हो रही है वह नहीं हो, क्योंकि ट्राइबल एरिया में किराए पर भवन नहीं ले सकते हैं। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, पर मैं यह जरूर कहूंगा कि कन्या छात्रावास सुमेरपुर में इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं है और बालिकाएं दूरदराज से वहां आकर शिक्षा लेने का काम करती हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वहां तत्काल इलेक्ट्रिक कनेक्शन करवाने का काम करेंगे। कोटड़ा जैसे अंचल में गत वर्षों में माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी बैरवा साहब और परमार साहब भी पधारे थे, मैं यह कहूंगा कि वहां पर उन होस्टलों का रख-रखाव का काम, उन बच्चों की परवरिश करने का काम सही ढंग से नहीं होता है, आप सख्ती बरतते हुए उन्हें भी प्राथमिकता देंगे। इस बारे में, सभापति महोदय, दुर्भाग्य ही कहूंगा कि आदिवासी अंचल के लिए आपने प्रावधान नहीं रखा है कि हम होस्टल भी नये स्वीकृत करेंगे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से समाज कल्याण मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि

(श्री मांगीलाल गरासिया)

नये होस्टल बनाने के लिए आप स्वीकृति प्रदान करेंगे तो हमारे दूर-दराज अंचल में 18-18 और 20-20 पंचायतें इकतरफा पड़ती हैं, वहां पर ठहरने, उठने-बैठने के लिए समुचित सुविधा उन लोगों को नहीं मिल पा रही है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। सिवाड़िया पंचायत दादिया का मामला है, मोखल पंचायत क्षेत्र का मामला है या फिर मादरी छापर दूरदराज का मामला इस अंचल में है। आदिवासी अंचल में माडा क्षेत्र भी पड़ता है, पूरा का पूरा ट्राइबल एरिया है और छितरावास पंचायत मुख्यालय की स्थिति भी यही है।

इसी के साथ पंचायत समिति कोटड़ा में भूतवड़, मालवा का पूरा का पूरा एरिया वंचित एरिया है और ऐसे ही उधर का पूरा वाकल क्षेत्र पड़ावली खुर्द का एरिया है। माननीय सभापति महोदय, इस एरिया में आप प्राथमिकता देकर बच्चों के ठहराव के लिए समुचित व्यवस्था करने के बाबत एक नया कदम उठाते हुए नये होस्टल निर्माण करने का काम करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एरिया में आदिवासी बालक और बालिकाओं को शिक्षा में बढ़ावा मिलेगा, शिक्षा के माध्यम से उनकी उन्नति होगी। मैं इस मौके पर, माननीय सभापति महोदय, आपने जो बोलने का समय दिया, आपको धन्यवाद देते हुए यह कहूंगा कि इन बातों पर ध्यान देते हुए हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में माननीय बैरवा साहब और हमारे परमार साहब किसी बात की कमी नहीं होने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय रामस्वरूपजी मीणा।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या-33 जो सामाजिक सुरक्षा और न्याय, समाज कल्याण के बारे में है, उसमें मैं अपने आपको शरीक करते हुए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, दलितों, आज इनका कोई रखवाला है तो हमारी कांग्रेस पार्टी है। देश को आजाद कराया था कांग्रेस ने। देश को आजाद कराकर वे महापुरुष चले गये, लेकिन उन्होंने हमको जो आरक्षण दिया था, संविधान में जो आरक्षण रखा गया था, उस आरक्षण की देन है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े लोगों को आज ये अवसर प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले हम उनके बहुत-बहुत आभारी हैं। माननीय राजीव गांधीजी जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी थी, उनकी माता श्रीमती इन्दिरा गांधीजी जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी थी, इन्होंने तो पूरा जीवन अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए लगाया था। आदरणीय राजीव गांधीजी

(श्री रामस्वरूप)

ने जो आरक्षण दिया उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण, पंचायती राज संस्थाओं में, पंचायत समितियों में, पंचायतों में, जिला परिषद् में आज हमको आरक्षण प्राप्त है। उसके लिए हम उनके बहुत-बहुत आभारी हैं और हमेशा यह वर्ग उनका ऋणी रहेगा। आज हम सब लोग मिलकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए पंचायतों के अन्दर, पंचायत समितियों के अन्दर और जिला परिषदों में जो उनका आरक्षण कराया उससे हमारी बहनें जीत-जीत कर जिला परिषद् में जिला प्रमुख बनकर बैठी हैं। करौली के अन्दर हमारी नर्बदा देवीजी जो मीणा जाति, एस.टी. की हैं, आज वो जिला प्रमुख बनकर बैठी हैं, यह उन्हीं की देन है। टोडाभीम पंचायत समिति की प्रधान सुरेशी मीणा जो बनकर बैठी है, वो भी राजीव गांधीजी की देन है। इसी प्रकार टोडाभीम नगरपालिका का चेयरमैन आज एस.टी. का बनकर बैठा है, वह भी हमारे राजीव गांधीजी की देन है। यह सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने एस.सी., एस.टी. के उत्थान के लिए जो कुछ किया है उसके लिए हमारा समाज हमेशा उनका ऋणी रहेगा। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार जबसे आयी है राजस्थान के अन्दर...

श्री रामसिंह विश्नोई : आप जो एम.एल.ए. बने हैं वह भी।

श्री रामस्वरूप : यह भी उन्हीं की देन है, साहब। वह मैंने शुरू में ही निवेदन कर दिया था, आरक्षण जो रखा गया है उसी की देन है। आज हम एम.एल.ए., एम.पी. सारे पदों पर जो बैठे हुए हैं, बड़े-बड़े उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, यह उन्हीं की देन है। आज आई.ए.एस. बनकर बैठे हैं, यह भी कांग्रेस की देन है जिसने हमको आरक्षण दिलाया। कांग्रेस हमारी मां है और आज कांग्रेस की देन है कि हम यहां इस स्थिति में आकर बैठे हैं। (व्यवधान) सारे अफसर आ गये इसके अन्दर। आपका दिल क्यों जल रहा है इस बात से? आप तो शांत रहिए। आप तो मनुवादी लोग हैं, ऐसे ही कहोगे। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारी लोकप्रिय सरकार के नेता आदरणीय श्री गहलोतजी जो राजस्थान के हृदय सम्राट हैं, उन्होंने आकर राजस्थान के उत्थान के लिए बड़े-बड़े, अच्छे-अच्छे निर्णये लिए हैं। हमारे माननीय सदस्य जो आज मंत्रिमण्डल के मैम्बर हैं, उन्होंने अच्छे-अच्छे निर्णय लिए हैं, अपनी कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया है। कुछ हमारे जो निर्णय हैं उनको आपको निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : सुबह तो, माननीय सदस्य, आपने कहा था मैं मांग पर नहीं बोलूंगा। मैं आपकी बात ही याद दिला रहा हूं।

श्री रामस्वरूप : ठीक है, साहब। मांग पर अभी नहीं आया, साहब। वह तो आखरी में आऊंगा उसके ऊपर। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी लोक कल्याणकारी सरकार ने जो निर्णय किये हैं उनको निवेदन करना चाहता हूं। नम्बर एक, ऋण सुविधा। अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मी, नि:शक्त, सभी योग्य परिवारों को आसानी से ऋण सुलभ कराने हेतु राज्य सरकार ने 27 करोड़ रुपए की राज्य गारंटी बढ़ाकर 57 करोड़ रुपए की राज्य गारंटी दी है। इसके लिए हम बहुत-बहुत सरकार के आभारी हैं।

नम्बर दो। (व्यवधान) सुनें, अब हमारे विपक्षी तो यहां हैं नहीं, मैं उनको सुनाता, पर वे सुन रहे हैं। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा मिशन का गठन किया, इसके लिए भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं जिसके तहत हमारा विकास होगा।

तीसरा मेरा निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, इस वर्ष साढ़े आठ लाख असहाय, निराश्रित, वृद्धों, विधवाओं एवं नि:शक्तों को पेंशन सुविधा से लाभान्वित किया गया है। इस वर्ष साढ़े आठ लाख, बहुत बड़ा आंकड़ा है साढ़े आठ लाख का। यह हमारी लोक कल्याणकारी सरकार ने निर्णय लिया है, इससे हमको लाभान्वित किया है।

चौथा मेरा निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, समाज के कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों हेतु जर्मन सरकार के सहयोग से 10 आवासीय विद्यालयों का निर्माण का कार्य हमारी सरकार ने हाथ में लिया है, इसके लिए भी हम बहुत-बहुत हमारी सरकार के आभारी हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं।

पांचवां, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लगभग, मैं लगभग बोल रहा हूं, बात बढ़ भी सकती हैं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लगभग पांच हजार और छात्राओं को विभागीय छात्रावासों में प्रवेश दिये जाने की स्वीकृति जारी की गई है।

माननीय सभापति महोदय, 450 रुपए जो छात्रवृत्ति बी.जे.पी. के शासनकाल में मिलती थी अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों के लिए, मैं माननीय हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी, हमारे समाज कल्याण मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उसको बढ़ाकर 675 रुपए किया है और आशा करता हूं कि आज और भी बढ़ाकर करेंगे। इसके लिए बहुत धन्यवाद दिया जाएगा।

एक माननीय सदस्य : पहले 350 थे, आपने 450 कहा है।

श्री रामस्वरूप : हां, ठीक है 350. (व्यवधान) मैंने वह निवेदन किया जो हमारी लोक कल्याणकारी सरकार ने हमारे एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. पिछड़े वर्गों के लिए किया है।

(श्री रामस्वरूप)

माननीय सभापति महोदय, अब मैं हमारे माननीय समाज कल्याण मंत्री जो यहां बिराजमान हैं, उन्हें कुछ सुझाव भी अपनी ओर से देना चाहता हूं। हमारी सरकार आयी है, लोगों में आशाएं बढ़ी हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की, आपने देखा होगा, 99 परसेंट सीटें हैं जहां हमारे जीत कर आये हैं। एस.सी., एस.टी. की जो रिजर्व सीट हैं उन सारी पर जीत कर आये हैं। एक भी सीट पर नहीं हराया इस राजस्थान की जनता ने। तो आज कम से कम वहां की जनता आशा करती है, एस.सी., एस.टी. के लोग यह आशा करके बैठे हुए हैं कि हमारी सरकार जिस बहुमत से अबकी बार जीत कर आयी है, अगली बार हमारे लिए इतने भारी काम करेगी कि 153 नहीं पूरे 200 ही जीत कर आपके बीच में आएंगे। उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने नहीं किया उनकी दुर्गति हो गयी है। जो खाली पड़ी हैं आज सीटें, 33 बन कर रह गयी हैं। जो अच्छा करेगा वह अच्छा पाएगा। जनता न्यायालय है, जनता जनार्दन के न्यायालय में कार्यों के आधार पर निर्णय होते हैं, नीतियों के आधार पर निर्णय होते हैं। कांग्रेस ने जो पुण्य किया था अब तक, उसी पुण्य का परिणाम है कि लगातार 50 साल तक राज किया है उसने। और आने वाले वर्षों में अगर हमारे सुझावों के अनुसार कार्य करेगी तो निश्चित रूप से पचासों साल तक राज करेगी। इसके लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारी अनुसूचित जाति/जनजाति का जो बैकलाग है उसको नहीं भरा जा रहा है। पचास साल से जो हमारा बैकलाग चला आ रहा है, उसको नहीं भरकर बड़ा भारी अन्याय किया जा रहा है। चाहे बड़ी सीटों के लिए हो, चाहे वह छोटी सीटों के लिए हो, उनको क्यों नहीं भरा जाता है? माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी, आप इतने कमजोर क्यों हो रहे हैं? आप क्यों नहीं इस बात के लिए बोलते हो? हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री ने राजस्थान के अन्दर बड़े-बड़े निर्णय लिए हैं, राजस्थान के अन्दर हाई कोर्ट के फैसले की आज तक कोई भी सरकार पालना नहीं करा सकी थी, भारतीय जनता पार्टी ने पालना नहीं करायी, उन बरामदों को खाली करवाया। गरीबों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, बी.पी.एल. के चयनित परिवारों के लिए एक लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक अगर बीमारी में लगे तो हमारी सरकार देने को तैयार हो गयी है। हमारी सरकार ने बिजली में क्रांतिकारी कदम उठाये। बड़े-बड़े पावर हाउस खोले हैं और बिजली का उत्पादन बढ़ाया है। हर क्षेत्र में हमारी सरकार जो बढ़ रही है तो, माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी, आप क्यों चुप बैठे हो? ऐसी बढ़िया सरकार का

(श्री रामस्वरूप)

फायदा आप भी उठाइये। आप मेहरबानी करके पहले हमारे इस बैकलाग को भरवाइये। ये सारे अधिकारी लोग जो बैठे हुए हैं ये सब चुप बैठे हुए हैं। दिल्ली का फैसला और कोर्टों के फैसले होकर पड़े हुए हैं, ऐसे फैसलों में हमको आगे रहना चाहिए। जिन लोगों ने हमको भेजा है यहां पर जिता कर, जो रात-दिन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी कांग्रेस हमेशा जीतती रहे, जिनकी आत्मा में कांग्रेस आज भी समायी हुई है, मेहरबानी करके उन लोगों को जो आरक्षण की सुविधा दी है उस सुविधा को आप कम से कम कायम रखें। भारतीय जनता पार्टी ने बैकडोर से आरक्षण को खतम करने की सारी पालिसी बना ली थी। अगर जनता फैसला नहीं करती, अगर जनता उनको नहीं हराती, अगर जनता दुबारा कांग्रेस को नहीं लाती, और जिन आशाओं से कांग्रेस को लायी है वो यही आशाएं थीं, अगर भारतीय जनता पार्टी दुबारा आती तो आरक्षण को समाप्त कर देती। यह बैठ गयी थी लोगों के दिमाग में और उसी का परिणाम है कि हमारी कांग्रेस जीत कर आयी है। इसलिए आप मेहरबानी करके यह निर्णय कराएं और जल्दी से जल्दी जो फैसला हुआ है उसको यहां लागू करवाएं ताकि राजस्थान के एस.सी./एस.टी. को फायदा मिल जाए, आफिसरों को फायदा मिल जाए। तत्काल बैकलाग को आप इस तरह भरवाइये। हमारा पिछला बैकलाग सारा खाली चला आ रहा है उसकी पूर्ति के लिए आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हमारे लोग अब अच्छे-अच्छे पढ़े-लिखे अच्छी-अच्छी मैरिटों में आ रहे हैं और उसी आधार पर उन सीटों को मान लिया जाता है। मैं तो कहता हूं, आरक्षण की सीटें हमारी कहां गई? उनका क्या होगा? मेहरबानी करके आप उन पर अंकुश लगाएं और हमारे बैकलाग को भरवाएं।

दूसरा मेरा सुझाव है, माननीय मंत्रीजी, आपने एस.सी. का आयोग तो बना दिया, ये एस.टी. वाले भी उतने ही आपके लिए त्याग करते हैं, ये भी कांग्रेस को उतना ही वोट देते हैं तो मेहरबानी करके एस.टी. के लिए भी आयोग बना दीजिए आप। एस.सी., एस.टी. दोनों में भेदभाव मत बरतिये। ये दोनों भाई हैं। दोनों जाइंट हैं इसलिए आप मेहरबानी करके एस.सी., एस.टी. का आयोग...

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय सभापतिजी, जो आयोग बना है वो एस.सी. और एस.टी. दोनों का ही है।

श्री रामस्वरूप : इसके लिए धन्यवाद है, साहब, आपको। आपने यह घोषणा की है कि जिस प्रकार एस.सी. का भी आयोग का चेयरमैन होता है, ऐसे ही इसका भी चेयरमैन अलग से होगा आपका। अलग से होगा, मुझे भरोसा है इस बात का।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, क्या माननीय मंत्री महोदय इस आयोग में दो पद करके माननीय सदस्य को उसमें चेयरमैन नियुक्त करने की कोई भावना रखते हैं?

श्री सभापति : हां, चलिये माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप : एस.सी./एस.टी. के लिए माननीय मंत्रीजी बिराजमान हैं उदार हृदय के साथ, इसलिए मैंने उनसे निवेदन किया है।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, रामस्वरूपजी के लिए कमीशन चेयरमैन की कोई मांग नहीं है, मंत्री पद की मांग है, यह आप ध्यान में रखें।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : साहब, इनको पदावनत मत करो, मंत्री की वेटिंग लिस्ट में हैं ये, अब इनको पदावनत करके केवल चेयरमैन पर लाया जा रहा है।

श्री सभापति : बनाने वाले आज यहां नहीं हैं। हां, कहिये, रामस्वरूपजी।

श्री राजेन्द्र पारीक : कोई टेलीफोन या कोई सुविधा हो तो साहब मैसेज तो करें, सदन की भावना है।

श्री सभापति : यह काम आपके जिम्मे करते हैं।

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र की जनता ने राजस्थान में एक कीर्ति स्थापित की है, सारे जितने भी मेरे खिलाफ लड़े, सबकी जमानत जब्त करायी है, 39700 वोटों से मुझे जिताया है। उसकी कोई भी कीमत नहीं है? आज यह सब मैं जनता की तरफ से उसका आर्शीवाद मान कर चलता हूं। अगर आपकी मेहरबानी हुई, आपने अच्छे काम किये एस.सी., एस.टी. के लिए तो मंत्री क्या आपकी सरकार पुनः आएगी और आप हमारे मंत्री बनोगे, आप मुख्य मंत्री बनोगे और यह इसी प्रकार हमारी सरकार पुनः बनेगी, यह मेरी कामना है। मैं अकेला मंत्री बन जाऊं उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमेशा हमारी कांग्रेस बनती चले, जीते, तब मजा है। इसलिए आपसे निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, मैं जो सुझाव दे रहा

(15.46 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

था... माननीय उपाध्यक्ष महोदय पधार गये हैं इसलिए कुछ सुझाव मैं उनके लिए भी रख लेता हूं, वह विशेष ध्यान और देंगे, साहब।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : वो पधार गये तो आपको खतरा है।

एक माननीय सदस्य : घंटी बजेगी।

श्री रामस्वरूप : नहीं, कोई घंटी नहीं बजेगी।

(श्री रामस्वरूप)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था एस.सी. एस.टी. के लिए, क्योंकि मनुष्य वह है जो सबसे पहले अपने समाज, अपने परिवार, अपने राष्ट्र और विश्व के कल्याण के बारे में सोचे, तो मेरा भी यह धर्म बनता है कि एस.सी., एस.टी. जिनके आर्शीवाद से हम यहां आकर बैठे हैं, उनके बारे में भी कुछ कहा जाए। और आपने मुझे अवसर दिया है, मैं सुझाव दे रहा था।

दूसरा मेरा सुझाव है, माननीय विद्युत मंत्री भी यहां बिराजमान हैं। आप बहुत प्रसन्न हो रहे हैं और मुझे आपकी प्रसन्नता का लाभ भी उठाना है और आपकी मेहरबानी भी रही है, हमारे क्षेत्र के ऊपर आप विशेष ध्यान दे रहे हो। कांग्रेस जब पहले थी, अबकी बार नहीं, इससे पहले जब कांग्रेस थी तो आप पांच लट्ठे फ्री दिया करते थे हमको। एस.सी., एस.टी. के किसानों के लिए पांच लट्ठे फ्री आपकी तरफ से हुआ करते थे और कनेक्शन में आप प्रायोरिटी देते थे एस.टी. के लोगों को भी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वो सुविधा कहां चली गयी? आप बहुत अच्छे मंत्री हैं, मैं मानता हूं इस बात को। आपने विद्युत का भी उत्पादन बहुत बढ़ा लिया। अभी सुमित्राजी नाराज हो जाएंगी, नहीं मैं और बताता। आंकड़े भी बता सकता हूं, लेकिन यह कहती हैं कि आप हमेशा चापलूसी करते हो उनकी। मैं कहता हूं कि चापलूसी नहीं, आपके टाइम में एक मेगावाट बिजली का उत्पादन नहीं हुआ। आज आपने बिजली का उत्पादन बढ़ाया है। सच को कहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो बात है वह यह है कि एस.सी. एस.टी. के लोग आज इस बात से नाराज हैं, माननीय मंत्रीजी, वो चर्चा करते हैं गांव में बैठ कर। अब थोड़ा समय और हमारा है जिसके अन्दर हमको कुछ अच्छे निर्णय लेने चाहिए। उसमें एक यह निर्णय है कि हमारे एस.सी., एस.टी. का कोटा इसमें होना चाहिए। आप निश्चित कर दो कि सौ कनेक्शन देंगे तो उसके अन्दर 60 कनेक्शन एस.सी., एस.टी. के दिये जाएंगे। करिये घोषणा। माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी बिराजमान हैं, यह आपको कहने वाली बात है। आप बात करिये मंत्रीजी से, वे तैयार बैठे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इस बार कनेक्शन बहुत कम कर दिये हैं इन्होंने। आपने देखा नहीं, इस बार कनेक्शन बहुत कम हो गये हैं। 15 हजार ही हैं, 25 हजार हुआ करते थे। हां, बहुत कम हुए हैं इस बार।

श्री रामस्वरूप : हां, मैं बढ़ाने की कह रहा हूं, साहब। मैं कम ही नहीं कह रहा हूं, बढ़ाने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं। माननीय समाज कल्याण

(श्री रामस्वरूप)

मंत्रीजी बिराजमान हैं, आप मेहरबानी करके माननीय मंत्रीजी से सम्पर्क करें और हमारे इस कोटे को दुबारा से कायम कराएं। पांच लट्ठे जो फ्री दिये जाते थे उनको चालू करवाया जाए। (व्यवधान)...पांच लट्ठे एक ही बात है।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी, मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे गांव में आबादी के अन्दर जो बिजली लगायी जाती थी उस बिजली में समाज कल्याण की तरफ से मदद होती थी, समाज कल्याण विभाग फाइल भरवाता था। माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी, मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं, बहुत गम्भीर मसला है, एस.सी., एस.टी. की बस्तियां होती थीं उन बस्तियों के अन्दर आपके यहां से फाइल भरायी जाती थी कनेक्शन की और फ्री आप सारे मोहल्ले में बिजली लगवाते थे। पूरे मोहल्लों में आपकी तरफ से बिजली होती थी। माननीय मंत्रीजी, आप मेहरबानी करके सदन को यह अवगत कराएं कि क्या यह योजना आपकी समाप्त हो गयी है, या है? अगर चल रही है तो उसको आप क्यों नहीं क्रियान्वित करवा रहे हैं? और क्रियान्वित कराया है तो कितने गावों को आपने उसके तहत अब तक बिजली दी है? नहीं दी है तो कब दे रहे हैं और कितनी दे रहे हैं?

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप गये कब थे उस क्षेत्र में?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, और मेरा निवेदन है कि इन्दिरा आवास हमारी सरकार ने खूब देने शुरू किये हैं। गरीबों के लिए इन्दिरा आवास दे रहे हैं आप। एस.सी., एस.टी. के लोगों के लिए इन्दिरा आवास दे रहे हैं आप। लेकिन उनको आप देते कितना पैसा हैं? मुश्किल से 10 या 20 हजार रुपए आप उनको देते हैं जिसमें एक कोठरी भी पूरी नहीं बन सकती। कई बार तो इन्दिरा आवास वालों की छत भी रह जाती है। इसलिए मेहरबानी करके इस योजना में कम से कम उनको एक लाख रुपया दिया जाए, यह मेरा निवेदन है। सर्वसम्मति से आज सदन से इसको पारित कराया जाए कि एक लाख रुपया इन्दिरा आवास योजना में एस.सी./एस.टी. के लोगों को दिया जाए। इससे एक अच्छा भवन हमारे गांव में बन सकता। (व्यवधान) सारा सदन इस प्रस्ताव को पारित करके भेजे। मेरा निवेदन है, क्या प्रस्ताव पास हुआ... (व्यवधान) ठीक है, चलो कोई बात नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, आखिर में मैं दो बात और कहना चाहूंगा।

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय सदस्य, इन्दिरा आवास का पैसा कहां से आता है?

श्री रामस्वरूप : मेरा निवेदन है कि हमारी सरकार ने सारे अच्छे काम किये, लेकिन एक निवेदन और है। मैंने पहले भी निवेदन किया था। माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी थोड़ी देर के लिये चले गये हैं, उनकी जगह हमारे दूसरे मंत्रीजी बिराजमान हैं। राजस्थान के विश्वविद्यालय में जो आरक्षण है उसकी अनदेखी की जा रही है। मैंने आज सुबह भी उसके बारे में निवेदन किया था कि विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की मांग को लेकर सहायक अध्यापकों ने उप कुलपति का घेराव किया था और वे जोधपुर के जो पहले वाइस चांसलर रहे हैं उनके लिये मांग कर रहे थे कि श्याम लालजी ने आदेश फरमा दिये जाएं। उसके आदेश फरमा दिये गये, उपाध्यक्ष महोदय, उसकी कापी भी मेरे पास मौजूद है। श्याम लालजी के आदेश किये हैं उसकी कापी भी मैं सदन को दिखा रहा हूं। ये आदेश वाइस चांसलर माननीय कमलजी ने कर दिये थे और इस आदेश के तहत उन्होंने उनको विश्वास दिया था...

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, यह श्याम लालजी कौन हैं?

श्री रामस्वरूप : यह पहले जोधपुर के वाइस चांसलर रहे हैं। इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी जाए, इस बात के लिये निवेदन किया था। कमलजी ने हां कर ली थी इस बात के लिये कि यह कमेटी बना दी जाएगी। ये उनके दस्तखत हैं, मैं यह कागज दिखा रहा हूं। उसके बावजूद भी उनको दुबारा मना कर दिया गया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यहां कागज दिखाया नहीं जाता, सदन के पटल पर रखा जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह बात आप पर्ची पर भी बता चुके हैं, अब आप रिपीट कर रहे हो उसी बात को।

श्री रामस्वरूप : ठीक है, साहब। उसी के बारे में निवेदन कर रहा हूं माननीय मंत्रीजी से कि अभी तक वे आदेश जारी नहीं हुए हैं। मेहरबानी करके आप उन आदेशों को जारी कराएं, यह मेरा निवेदन है।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, मजबूरी यह है कि श्याम लालजी इनके साढू भाई हैं, आज घर में यह तय हुआ है कि इस कागज को आज कम से कम 10 बार दिखाएंगे। अब आपको देखना है कि तीन बार तो यह दिखा चुके हैं और सात बार किसी न किसी बहाने से इस कागज को सदन में दिखाएंगे क्योंकि मामला साढू भाई का है।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, एस.सी., एस.टी. के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। पारीकजी को इस बात का दु:ख हो रहा है। मैं बार-बार इसके लिये

(श्री रामस्वरूप)

कहता हूं तो पारीकजी को दु:ख होता है। यह तो धन्य है कांग्रेस को जिसने जबरदस्ती आरक्षण कर दिया, नहीं तो ये लोग करने देते क्या? आज इनका दिल जल रहा है जब हम उसकी बातें कहते हैं। हमारे लोग आज अफसर बन गये, आज हमारे आई.जी., डी.आई.जी., एस.पी. सारे अफसर बन-बन कर बैठे हैं, इनका दिल जल रहा है। आरक्षण का नाम लेता हूं तब यह जलते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप तो न्याय की कुर्सी पर बिराजमान हैं, समाज कल्याण विभाग के बारे में केवल दो बातें और कहनी हैं मुझे और वह मैं मेरे क्षेत्र से सम्बन्धित कह रहा हूं। बस आखिरी बात है, मैं मेरे क्षेत्र पर आ गया जिस क्षेत्र की मेहरबानी से मैं यहां आया हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति वर्ष 2002 से मार्च, 2002 तक कहां-कहां पर छात्रावासों में दी जा चुकी है एवं कहां कहां बकाया है? माननीय मंत्रीजी यह बताएं कि टोडाभीम की छात्रवृत्ति अभी तक क्यों नहीं दी गई है एस.टी., एस.सी. के लड़कों को?

श्री राजेन्द्र पारीक : पहले फैमिली प्लानिंग वाला तो बताना चाहिए। एस.टी., एस.सी. पर फैमिली प्लानिंग कितनी लागू हुई, कम से कम उस पर आप प्रकाश डालिए।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा निवेदन है कि क्या विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के विद्यालय के छात्रों की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है? यदि हां, तो कब तक उसको आप दे दोगे? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें, यह मेरी उनसे मांग है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी लोक कल्याणकारी सरकार जिसने एस.टी. के लिये हमेशा भले की बात सोची है, अब तक जिन नीतियों पर चलती चली आ रही है, एस.टी., एस.सी., ओ.बी.सी. के भले के लिये इन्होंने जो संघर्ष अब तक किया है, हमेशा इनके कल्याण के लिये कोशिश करती आ रही है, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को और हमारी कांग्रेस पार्टी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे इन प्रस्तावों को माना और एस.टी., एस.सी. और ओ.बी.सी. के कल्याण के लिये बजट और बढ़ाया, उनके लिये नये-नये छात्रावास खोले, उनके बैकलाग को भरोगे, उनके आरक्षण की पूर्ति करोगे तो एस.सी., एस.टी. हमेशा कांग्रेस के साथ रही है और रहेगी। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : श्री करण सिंह यादव।

श्री शैलेन्द्र जोशी : प्रेस वाले तो एक भी नहीं हैं, इसको कौन छापेगा?

श्री उपाध्यक्ष : इनको इस बात का ध्यान नहीं रहा।

श्री राजेन्द्र पारीक : इनका कनेक्शन सीधा ऊपर से ही है, प्रेस के जाते ही यह भी बन्द होते हैं।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सुखद संयोग है कि जिस दिन हम समाज कल्याण विभाग की सामाजिक सुरक्षा की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सबसे अग्रणी, क्रान्तिकारी विचारक, शिक्षक, चितंक रहे बाबा ज्योतिबा राव फूले की आज जयन्ती है, जिनके परम शिष्य अम्बेडकरजी ने सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया। यह भी बहुत हर्ष का विषय है कि राजस्थान की वर्तमान सरकार की उपलब्धियां जब गिनी जाएंगी तो सोशियल सैक्टर में उनके कार्य को सदैव एप्रिशिएट किया जाएगा। चाहे वह चिकित्सा का क्षेत्र हो, जहां पर जीवन रक्षा कोष और मुख्य मंत्री सहायता कोष जैसी ऐसी योजनाएं की गईं जिनसे सैकड़ों, हजारों लोगों को जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले थे, उनको दुर्लभ बीमारियों से लड़ने का, आपरेशन करवाने का मौका मिला। चाहे वह आरक्षण की बात हो, आरक्षण के इम्प्लीमेंटेशन की बात हो, चाहे अनुसूचित जाति और जनजाति के मेडिकल कालेज और इंजीनियरिंग कालेज में आरक्षण को दुगना करने की बात हो। विधान सभा में आने से पूर्व सवाई मानसिंह अस्पताल में काम करते हुए, सरकारी नौकर रहते हुए भी मैं आम तौर पर जन आन्दोलन किया करता था सामाजिक न्याय की आरक्षण की मांगों को लेकर। यद्यपि राजस्थान में पूर्ववर्ती राज्यपाल महोदय श्री बलीरामजी भगत ने राष्ट्रपति शासन के दौरान यहां पर नौकरियों में आरक्षण लागू कर दिया था, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बहुत बड़ी कमी थी जिस बात को लेकर इन वर्गों के लोग सदैव आंदोलित रहते थे। यह श्रेय जाता है इस वर्तमान सरकार को, माननीय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत साहब को जिन्होंने चाहे मेडिकल कालेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कालेज हो, चाहे पोलीटैक्निक कालेज हो, चाहे बी.एड. कालेज हो, इन कालेजेज में जितने भी व्यवसायोन्मुखी पाठयक्रम थे सब में आरक्षण लागू किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वर्तमान सरकार को जिन्होंने इसी वर्ष यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में और यूनिवर्सिटी के एडमिशन में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण की सुविधा दी है। यहां पर सिर्फ एक स्पेशलिटी जो सरकार की नजरों से अनदेखी रह गई है, उसका ध्यान दिलाना चाहूंगा।

मेडिकल कालेज के पोस्ट ग्रेजुएट में जहां एम.डी., एम.एस. और डिप्लोमा कोर्सेज हैं, एम.बी.बी.एस. करने के बाद उनमें अनुसूचित जाति, जनजाति के लिये आरक्षण है। आल इण्डिया इंस्टीट्यूट में, देश की बड़ी संस्थाओं में ओ.बी.सी. के

(डा. करण सिंह यादव)

लिये आरक्षण है लेकिन राजस्थान में आज भी अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री में आरक्षण नहीं है। यह विषय है, यह स्पेशलिटी अभी छूटी हुई है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे और शीघ्र ही इस बारे में भी आदेश जारी करे जिससे कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण मिल सके।

शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण मिलने से जहां इन वर्गों को आशा की किरण जगी थी कि उनको बहुत लाभ मिलेगा, पर उपाध्यक्षजी, इम्प्लीमेंटेशन में खामियां होने की वजह से जितना लाभ मिलना चाहिये उतना लाभ नहीं मिल रहा। माननीय माहिर आजादजी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि आज भी इन वर्गों के वे लोग जो सामान्य मैरिट से आते हैं, जो अपनी खुद की योग्यता के आधार पर आते हैं, उनको भी आरक्षित कोटे में काउंट किया जाता है। केन्द्रीय लोक सेवा चयन आयोग राजस्थान की पब्लिक सर्विस कमीशन इनमें जितने भी अभ्यर्थी इन वर्गों के एपीयर होते हैं

(16.00 बजे)

अपनी मैरिट से अच्छा स्थान, वरीयता में ऊपर लाते हैं तो उनको जनरल कोटे की सीट पर गिना जाता है जबकि राजस्थान के अन्दर अनुसूचित जाति, जनजाति या ओ.बी.सी. का ऐसा छात्र जो अपनी मैरिट से भी अगर अच्छे नम्बर से पास होता है तो वह जनरल की सीट आक्यूपाई नहीं करके अपने रिजर्वेशन कोटे की सीट को आक्यूपाई करता है। उदाहरण देकर मैं यह बताना चाहता हूं कि जैसे 21 प्रतिशत ओ.बी.सी. का आरक्षण है, अगर 21 लड़के ओ.बी.सी. के सलैक्ट होकर आ गये तो वे 21 का कोटा पूरा करेंगे, रिजर्वेशन का कोटा पूरा करेंगे न कि जनरल सीट का कोटा पूरा करेंगे। यह एक ऐसी विसंगति है जिसके कारण से आरक्षित वर्ग को जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा।

मेडिकल कालेजेज के अन्दर आम तौर पर, मैंने पिछली बार भी इस बात को सदन में रखा था, कि कोर्ट केसेज का हवाला देकर विभाग और ला डिपार्टमेंट इस तरह की नीति लिए बैठा हुआ है कि नहीं, साहब, यह तो 21 प्रतिशत का आरक्षण आपको मिलेगा 21 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण जब मिल सकता है जब इन वर्गों के अभ्यर्थियों का परसेंटेज जनरल मैरिट का लोएस्ट है, उससे ऊपर हो। उपाध्यक्ष महोदय, जब उसका प्रतिशत सामान्य वर्ग के विद्यार्थी से ऊपर है तो फिर इसमें सरकार आरक्षण क्या दे रही है? क्या देकर एहसान कर रही है, जब वह अपनी योग्यता से ही चयनित होकर आ रहा है? यह बहुत बड़ी विसंगति है जिसको जांचा-परखा जाना चाहिए। वे लोग जो अपनी खुद की योग्यता से चुनकर

(डा. करण सिंह यादव)

आते हैं उनको जनरल कोटे में रखें और बाकी लोगों को आरक्षण का मिले तब जाकर आरक्षण का पूरा फायदा मिलेगा।

एक आध जगह भूल-चूक से अभी पिछले दिनों नर्सिंग के एडमिशन हुए, जिसमें इस तरह का किया भी गया पर उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत खामीजनक रहा। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान ऐसे केसेज की तरफ दिलाना चाहूंगा जहां पर हमारे क्षेत्र की हरिजन बालिका जिसने एस.सी. के अन्दर अपना फार्म भरा, उसके अच्छे नम्बर आये थे, उसको एडमिशन दे दिया गया जनरल कोटे में। जनरल कोटे के हिसाब से तो उसकी मैरिट नीचे थी, एस.सी. के अन्दर हो सकता है उसकी मैरिट सबसे ऊपर रहती। उसको जनरल कोटे में मानकर श्रीगंगानगर के कालेज में एडमिशन दे दिया गया। उस लड़की का कहना है कि मैंने अपना फार्म एस.सी. के कोटे के अन्दर भरा है, मैं अलवर में रहना चाहती हूं। मेरे नम्बर एस.सी. कोटे में अलवर में सब अभ्यर्थियों से ज्यादा हैं। लेकिन जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उन्होंने यह इम्प्लीमेंट कर दिया कि आपका तो नाम जनरल कोटे में कर दिया। आपका बहुत सम्मान कर दिया। आपको एस.सी. से निकाल कर जनरल में रख दिया, आपको जनरल कोटे के अन्दर श्रीगंगानगर में सीट मिलेगी।

यही नहीं, मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि कई ऐसे केसेज हैं जहां पर कम प्रतिशत के लड़के का फ्री में एडमिशन हो गया और ज्यादा परसेंटेज वाले लड़के का पैड सीट के ऊपर एडमिशन हुआ है। माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपके विभाग के अन्दर बहुत सारी गतिविधियां हैं, सारे समाज कल्याण के जितने भी विषय हैं वे आपके साथ में हैं। आपके विभाग में अन्य पिछड़ा वर्ग के और एस.टी., एस.सी. के जो रिजर्वेशन हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रापरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी मानीटरिंग करने के लिए अन्य विभागों से तालमेल बिठाने के लिए अलग से एक अधिकारी हो या अलग से सेल हो जो इस चीज को देखे। क्योंकि जब मेडिकल की बात आती है तो मेडिकल वाले उसमें अपना अलग से लेकर बैठ जाते हैं। डी.ओ.पी. वाले उसका इंटरप्रिटेशन कुछ और लेते हैं, ला वाले कुछ और इंटरप्रिटेशन लेते हैं। एक विभाग के अन्दर आरक्षण दिया जा रहा है वह टोटल सीटों के परसेंटेज पर दिया जा रहा है, एक विभाग में आरक्षण दिया जा रहा है वह फ्रेगमेंटेड दिया जा रहा है।

आपने जिस तरह से विकलांगों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण रखा है, राजस्थान में 600 मेडिकल सीटे हैं। 3 प्रतिशत के हिसाब से 20 लड़कों को आरक्षण मिलना

(डा. करण सिंह यादव)

चाहिए। लेकिन जब 600 सीटों का जनरल कैटेगरी एस.सी. कैटेगरी, एस.टी. कैटेगरी, ओ.बी.सी. कैटेगरी, एस.सी. महिला, एस.टी. महिला, जनरल महिला, अलग अलग बांटकर करते हैं तो यही आरक्षण घटकर 20 की जगह 15 हो जाता है, फ्रेगमेंट होकर। जहां आपको 3 प्रतिशत आरक्षण रिजर्वेशन कैटेगरी को देना चाहिए वह 3 प्रतिशत नहीं होकर ढाई-दो प्रतिशत के आसपास ही बैठता है। मैं चाहूंगा कि आप इस बात की जानकारी करें। आप अगर इस साल के मेडिकल कालेज के एडमिशन मंगवाकर देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप 3 प्रतिशत आरक्षण सरकार की मंशा के बावजूद भी नहीं दे पाये। आम तौर पर होता क्या है, इसके पीछे मानसिकता यह रहती है कि जब भी कोई आरक्षण का कोटा फिलअप नहीं करें, चाहे एस.सी. नहीं करें, एस.टी. नहीं करें, ओ.बी.सी. नहीं करें, विकलांग नहीं करें तो अन्त में एक लाइन लिखी जाती है कि फिल्ड बाई द जनरल कैटेगरी। उस जनरल कैटेगरी के अन्दर कई ऐसे प्रभावशाली लोग बैठे होते हैं जो इस बात की ताक में रहते हैं कि कैसे आरक्षण का कोटा पूरा कम्प्लीट नहीं हो जिससे कि हमारे बच्चे का नम्बर आ जाए।

विकलांग आरक्षण 3 प्रतिशत किया, इस बारे में भी आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि जो आदमी अंधा है, देखकर कह दें कि विकलांग है। जिस आदमी का जन्म से एक हाथ कटा हुआ है, जिसको विकलांग का 40 प्रतिशत से अधिक का मिला हुआ है, उसको विकलांग मानने के लिए तो मेडिकल कालेज के प्रशासन को, वहां के डाक्टर्स को बोर्ड बैठाने पड़े कई बार कि यह डाक्टर बन सकता है या नहीं बन सकता। मैं यह बताना चाहता हूं कि इस बार मेडिकल कालेज में ऐसे लोगों का एडमिशन हो गया जो आपकी 40 प्रतिशत विकलांगता की श्रेणी में नहीं आते। उन्होंने फार्म पर तो पहले लिख दिया कि विकलांग कैटेगरी में एडमिशन चाहते हैं लेकिन फार्म के साथ लेकिन सर्टिफिकेट नहीं दिया। रिजल्ट निकलने के बाद सर्टिफिकेट नहीं दिया, काउंसिलिंग करने गये उस दिन भी सर्टिफिकेट नहीं दिया। उनको किसी प्रभाव के कारण से मेडिकल कालेज में एडमिशन दे दिया गया। सात दिन बाद जाकर हनुमानगढ़ से और एक सज्जन उदयपुर से ऐसा मैनेज्ड मैनीपुलेटेड सर्टिफिकेट लेकर आते हैं कि अगर आप उन सर्टिफिकेट्स की जांच कराएं तो आपको पता लग जाएगा कि ये वह लोग नहीं हैं जिनको आरक्षण मिलना चाहिए था। उनको देने की बजाए जो नीचे लोग रह जाते हैं, जो वास्तव में विकलांग हैं, जिनके एक हाथ नहीं है, जिनके एक पांव नहीं है ऐसे लोग रह जाते हैं। तो यह बात सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि जब हम

(डा. करण सिंह यादव)

विकलांगों को दे रहे हैं तो उनका कोटा भी पूरा हो और उनको यह लाभ भी मिले। ऐसा नहीं हो कि कोई आदमी छोटा-मोटा पोलियो का सर्टिफिकेट बनाकर अपने प्रभाव से कोई सर्टिफिकेट देकर उस सीट का फायदा उठा ले।

एक निवेदन मैं करना चाहूंगा, राजस्थान विश्वविद्यालय की बात अक्सर सदन में आती रहती है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, इस बात की संविधान निर्माताओं ने तो सदैव कल्पना की होगी, यही कारण है कि आज पब्लिक सर्विस कमीशन, चाहे वह यूनियन पब्लिक कमीशन हो, चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो उसके अन्दर एस.सी. का रिप्रजेंटेटिव भी होगा, एस.टी. का भी होगा, जनरल कैटेगरी का भी होगा, ओ.बी.सी. का भी होगा। इसके पीछे भावना यह रही है कि वहां जो लोग बैठे हुए हैं वे इन वर्गों के लोगों के इंटरेस्ट को भी वाच करें। लेकिन विश्वविद्यालय के जो सलेक्शन बोर्ड हैं या दूसरे सलेक्शन बोर्ड हैं उनमें यह प्रावधान नहीं है। मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस बात को सुनिश्चित करें कि स्टेट के अन्दर रिक्रूटमेंट हो-चाहे पुलिस में हो, चाहे अन्य भर्तियों में हो, चाहे सबार्डिनेट सर्विसेज में हो, उन भर्तियों के अन्दर इन वर्गों के अधिकारी भी मौजूद रहें जो बैठकर इन वर्गों के कल्याण के बारे में विचार कर सकें।

मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस बार आपने अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए एक करोड़ रुपए की राशि छात्रवृत्ति के रूप में रखी। साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि ओ.बी.सी. निगम पिछले वर्ष ही गठित हुआ है जिसका चेयरमैन सम्माननीय विजय सिंह जी को बनाया गया है, उस निगम को फाइनेंशियल गारंटी दिलवाएं जिससे इन वर्गों के छात्रों को, इन वर्गों के बेरोजगार युवकों को सुविधा मिल सके। आगे अपना व्यापार करने के लिए, छोटा-मोटा धन्धा करने के लिए, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज में पढ़ने वाले लड़कों को ऋण लेकर आगे अपनी पढ़ाई पूरी करने का मौका मिल सके।

मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि ओ.बी.सी. सर्टिफिकेट नार्मली तहसीलदार द्वारा दिया जाता है। मेडिकल और पी.एम.टी. के फार्म हैं उनके अन्दर यह बाध्यता डालते हैं कि आप एस.डी.एम. से उस फार्म पर दस्तखत कराकर लाइए। हर बार फार्म भरो तब हर बार दस्तखत कराओ, दो-दो, तीन-तीन बार देने पड़ते हैं। तो इसका भी आप कोई न कोई सरलीकरण जरूर करें।

शिक्षा के प्रति आज समाज के उपेक्षित वर्गों में भी बहुत भारी रुचि हो रही है। राज्य सरकार ने जहां अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए छात्रावासों की विशेष व्यवस्थाएं की हैं, वैसी व्यवस्थाएं अन्य

(डा. करण सिंह यादव)

पिछड़ा वर्गों के लिए अभी नहीं हैं। मैं समझता हूं कि अन्य पिछड़ा वर्ग की अनेकों ऐसी जातियां हैं जिनमें इस बात के लिए होड़ लगी हुई है कि वे अपने बच्चों के लिये मुख्यालयों पर जहां पर कालेज और यूनिवर्सिटी की शिक्षा उपलब्ध है, वहां पर वे अपने लड़कों और लड़कियों के लिये छात्रावास बनाएं। इस मामले में मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आप इन वर्गों की जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जिनकी अपनी पृष्ठभूमि रही है, जो अच्छा काम करती हैं उनको कम से कम लड़कों और लड़कियों के छात्रावास बनाने के लिये नि:शुल्क या आरक्षित दरों का 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, उस आधार पर जमीन आबंटित करें जिससे कि ये लोग अपने वर्गों के लिये और काम कर सकें।

मैं मुख्य रूप से इन्हीं 2-3 बिन्दुओं पर अपनी बात कहना चाहता था, आपने और सचेतकजी ने मुझे समय दिया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सोहन नायक।

श्री सोहन नायक (रायसिंहनगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर इस पवित्र सदन में चर्चा हो रही है, इसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करते हुए माननीय मंत्री महोदय का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर समाज कल्याण विभाग के द्वारा चलाये जा रहे छात्रावासों की जो स्थिति है, वह मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी चर्चा की। समस्त छात्रावासों की कबूतरखानों की तरह स्थिति बनी हुई है। न तो बिजली की व्यवस्था है, न कहीं खिड़कियां हैं। उनमें देश के कर्णधार जो छात्र रह रहे हैं, वे कैदियों की स्थिति में रह रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार ने प्रदेश के अन्दर कबूतरखानों को साढ़े छह सौ करोड़ रुपए अनुदान देकर हैरिटेज होटल बनाया, इसी प्रकार समाज कल्याण विभाग के द्वारा चलाये जा रहे समस्त छात्रावासों का निर्माण अच्छी तरह किया जाए जिससे इसके अन्दर रहने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्र अपने आपको हीन भावना से ग्रसित न समझें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि जो भी आपके विभाग द्वारा चलाये जा रहे समाज कल्याण छात्रावास हैं, उनके अधीक्षक छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को यह एहसास कराते हैं कि आप हमारी दया के पात्र हैं, आप हमारी दया के आधार पर यहां प्रवेश पाये हैं। तो यह सुनिश्चित करें कि वहां पढ़ने वाले छात्र अपने आपको हीनभावना से ग्रसित न समझें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह भी निवेदन

(श्री सोहन नायक)

करूंगा कि समाज कल्याण के कन्या छात्रावास जो हैं, वे बहुत ही संवेदनशील होते हैं। उनमें महिला छात्रावास अधीक्षकों का रहना अति आवश्यक है। अक्सर प्रदेश के अन्दर जितने भी समाज कल्याण छात्रावास हैं उनके जो अधीक्षक हैं, विशेषकर कन्या छात्रावासों के, वे छात्रावासों में नहीं रहते हैं। उनके पास 2-2, 3-3 छात्रावासों के चार्ज हैं जिसके कारण से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो बच्चियां हैं, वे अपने आपको असुरक्षित महसूस करती हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करूंगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की भूमि पर सामान्य वर्ग के जो कब्जे हैं उनको भी हटाने का विशेष प्रबन्ध करें। इसके अलावा मैं मंत्री महोदय का अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों की जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं बिजली, पानी और रहने की, उनकी व्यवस्था पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसके साथ माननीय जलदाय मंत्री महोदय का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि अनुसूचित जाति-जनजाति की बस्तियों में, जलदाय विभाग द्वारा विशेष पाइपों की व्यवस्था की गयी। आपके माध्यम से मैं ऊर्जा मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मोहल्ले एवं बस्तियां आज देश की आजादी के 50 साल बाद भी बिजली की सुविधाओं से महरूम हैं। उन्होंने विद्युत का सुख कैसा होता है, वह नहीं देखा है। क्योंकि ये लोग ग्रामीण क्षेत्र में दूरदराज ढाणियों में रहते हैं। या गांवों में आबादी क्षेत्र में रहते हैं तो दूर एक साइड में एक किनारे पर रहते हैं। बी.पी.एल. परिवार और मजदूरी करने वाला अनुसूचित जाति का जो परिवार है वह आज की जो अमानत राशि है, उसे वहन करने में असमर्थ है। तो मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऐसे मजदूर और बी.पी.एल. चयनित परिवारों को विद्युत कनेक्शन में विशेष रियायत दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन परिवारों को आरक्षित दर पर भूमि का आबंटन करवाया जाए, कृषि भूमि का, रिहायशी प्लाटों का, क्योंकि वर्तमान में कृषि योग्य भूमि का विशेष आबंटन किया जा रहा है और विशेष आबंटन अनुसूचित जाति और जनजाति के गरीब परिवार करवाने में असमर्थ हैं। मैं आपसे सदन के माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि उन भूमिहीन परिवारों को आरक्षित दर पर भूमि आबंटित करवायी जाए।

(श्री सोहन नायक)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करूंगा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों जो कृषि योग्य भूमि खरीदते हैं, उनका पंजीयन शुल्क डी.एल.सी. रेट के आधार पर लिया जाता है, उसमें एक विसंगति है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेष कर गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले की बात करूंगा। वहां डी.एल.सी. रेट उदाहरण के तौर पर प्रति बीघा 60 हजार है जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की कृषि भूमि की बाजार दर 30 हजार रुपए है। सामान्य वर्ग के लिये भी पंजीयन शुल्क उसी डी.एल.सी. रेट से लिया जाता है जो कि 60 हजार है और वहां सामान्य वर्ग की कृषि भूमि का रेट एक लाख के आसपास है। इस प्रकार की जो विसंगति है उससे अनुसूचित जाति के परिवारों पर दोहरी मार पड़ती है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उसको कम किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण द्वारा चलायी जा रही विशेष सामाजिक योजनाएं-विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और अन्य जो योजनाएं हैं उनमें अक्सर किसी अधिकारी, कर्मचारी या किसी व्यक्ति के द्वारा गलत सूचना के आधार पर शिकायतें होती हैं। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के उस अधिकारी-कर्मचारी की गलत सूचना के कारण 4 लोग तो गलत प्रकार से चयनित होते हैं और उनके साथ सैकड़ों की संख्या में लोग सफर करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि जो इसमें दोषी हों उन लोगों पर ठोस कार्यवाही की जाए। अन्त में मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सीमांत क्षेत्र के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जो मजदूर वर्ग के हैं, हर समय जब भी सैनिक गतिविधियां होतीं हैं बहुत परेशान होते हैं। या सीमांत क्षेत्र के लोगों पर जब भी कोई समस्या आती है उनको परेशान होना पड़ता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सीमांत क्षेत्र के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए राजस्थान सरकार विशेष प्रकार का सहायता पैकेज दे जिससे सीमांत क्षेत्र की सैनिक गतिविधियों के कारण वे अपना जीवनयापन सही ढंग से कर सकें। इसके साथ आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री बनवारी लाल बैरवा (समाज कल्याण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज उन सभी माननीय विधायकों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया और अपने महत्वपूर्ण सुझाव यहां पर रखे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले यह उल्लेख करना मुनासिब समझूंगा कि आज यह सुखद संयोग है कि महात्मा ज्योतिबा फूले की जयन्ती है और समाज कल्याण की मांग,

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

सामाजिक सुरक्षा की मांग यहां पर पारित होने जा रही है जिसके लिए वह पूरे जीवनभर संघर्षरत रहे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का और माननीय वित्त मंत्रीजी का आभारी हूं कि उन्होंने इस बजट में सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण के लिए 325 करोड़ का प्रावधान किया जो पिछले वर्ष से 102 करोड़ ज्यादा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार की सोच का इस बात से पता लगता है, हमारी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक निर्बल, अशक्तजन, वृद्ध, महिलाएं इनकी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में इस सरकार की कितनी गम्भीर सोच है इस बात से ही उसका पता लगता है कि हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो चार मिशन अपने राज्य में स्थापित किये उनमें से एक सामाजिक सुरक्षा और समाज कल्याण है। यह हमारी प्रतिबद्धता का द्योतक है, यह हमारी गम्भीरता का द्योतक है। हम चाहते हैं कि जिनको चिन्हित किया है उन वर्गों के लिए जो भी योजनाएं हैं उनका ठीक से क्रियान्वयन हो, उनकी ठीक से समीक्षा हो। किसी तरीके से उसके अन्दर कोई लेकूना न रह पाए, इसके लिए यह मिशन तैयार किया गया है। उसके ऊपर त्वरित गति से काम किया जाए इसके लिए हमारे बजट के अन्दर 80 लाख रुपए का प्रावधान भी विशेष रूप से किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कहना मुनासिब समझूंगा कि हमारी सरकार ने इन वर्गों के कल्याण के लिए कुछ आयोग बनाये। एस.सी., एस.टी. का आयोग गठित किया और हमारे अध्यक्ष को, जो एस.टी., एस.सी. के आयोग के अध्यक्ष हैं उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। उसी तरीके से निःशक्त जन जिनके बारे में पूरा सदन भी कई बार बहुत गम्भीर हो जाता है, उन निःशक्तजनों के लिए एक आयोग की जनप्रतिनिधियों के अन्दर से नियुक्ति की गई, वह बहुत गम्भीरता से उस काम को देख रहे हैं। इसी तरीके से हमारे माइनोरिटी के आयोग स्थापित हैं, महिला आयोग स्थापित है और ह्यूमन राइट्स के आयोग स्थापित हैं। इन सबका इसीलिए गठन हुआ है कि ये अपने-अपने क्षेत्रों के अन्दर अपनी जो विशेष योजनाएं हैं, जनकल्याण की जो योजनाएं हैं उनके ऊपर अपना ध्यान केन्द्रित करके उनमें किसी तरीके की कमी न रहने दें, उनको सम्पन्न कराएं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र के अन्दर अनेक समूह आते हैं, अनेक वर्ग आते हैं उनमें विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति आती है। उसके लिए हमारी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं तैयार कीं और उनका क्रियान्वयन बहुत सफल तरीके से कर रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सबसे पहली आवश्यकता उनकी शिक्षा की है। शिक्षा के लिए उनको दूसरी क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक छात्रवृत्तियों के विभिन्न तरीकों के प्रावधान

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

हैं। उसके पास समूह विभाजित किये हुए हैं और उनके अन्दर जो-जो फिट बैठते हैं उनको उसी तरीके की छात्रवृत्ति है। दूसरी क्लास से लगा कर पांचवीं क्लास तक, छठी से लगा कर दसवीं तक, दसवीं से लगा कर बारहवीं तक, इस तरीके से उनकी अलग-अलग स्कीमें हैं जिनमें उनको पैसा दिया जाता है। एक जो प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति है वह तो सीधा ही समाज कल्याण विभाग का पैसा शिक्षा विभाग को चला जाता है। वह सीधा उनको देते हैं जो उनको स्कूलों के अन्दर वितरित हो जाता है। उसके बाद जो पोस्ट मैट्रिक शिक्षा है, समाज कल्याण विभाग स्वयं उस काम को देखता है। उसके तहत इस साल के अन्दर एक लाख सत्ताइस हजार छात्रों को लाभान्वित किया गया है जिसके लिए 22 करोड़ रुपए की राशि खर्च करनी पड़ी है। उसके ऊपर और भी छात्र आएंगे पढ़ने के लिए, उसमें हम कभी कमी महसूस नहीं करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एस.सी और एस.टी. के छात्रों को यह असुविधा सदैव रही है कि शहर के अन्दर वह इतने महंगे किराये के मकान नहीं ले सकते, इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते। आसानी से मकान मिलते भी नहीं। कुछ लोग पुरानी सामाजिक मान्यता के हिसाब से उनको नहीं देते। सरकार को उनके लिए छात्रावास खोलने पड़े हैं। आज की तारीख में समाज कल्याण के जनजाति क्षेत्र के 778 छात्रावास चल रहे हैं, उनके अन्दर गत वर्ष से पहले 31 हजार छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। हमारी सरकार ने गत वर्ष में छात्रावास तो नहीं खोले लेकिन छात्रावासों के अन्दर पढ़ने वाले छात्रों की संख्याओं में वृद्धि की है जो पांच हजार की है और जो काफी होती है। पांच हजार छात्रों को हम 25-25 प्रति छात्रावास के हिसाब से गिनें तो वे तो शायद दो सौ छात्रावास के अन्दर इसमें समाहित होंगे। तो दो सौ छात्रावासों की पूर्ति हमने पिछले साल में एक वर्ष के अन्दर ही कर दी है। आज की तारीख में 36 हजार हमारे अनुसूचित जाति के, जनजाति के 36 हजार छात्र हमारे छात्रावासों के अन्दर अध्ययन कर रहे हैं।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्षजी, हमारी एक योजना और है। जो प्रतिभावान छात्र हैं, 55 प्रतिशत से अधिक मार्क्स जिनके परीक्षा में आ जाते हैं उनको हम पब्लिक स्कूल्स में भेजते हैं और उनका पूरा खर्चा समाज कल्याण बरदाश्त करता है। हमारे इस राज्य के अन्दर 38 ऐसे नव प्रतिष्ठित स्कूल हैं, पब्लिक स्कूल हैं जिनके अन्दर उन बच्चों को पढ़ाया जाता है। उनमें से जब वे पढ़ कर निकलते हैं तो उनकी गुणवत्ता भी काफी अच्छी होती है, इसके अन्दर कोई दो राय नहीं है। पहले पूर्ववर्ती जो सरकार थी वह 388 छात्रों को छात्रवृत्ति देती थी, हमारी सरकार ने इस वर्ष उसको बढ़ा कर 1100 छात्र किया है। 1100 छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा रही है।

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

माननीय उपाध्यक्षजी, इसके अलावा एक हमारी आवासीय विद्यालय की योजना है, उस आवासीय विद्यालय योजना के तहत अभी एक छात्रावास अटरू में चल रहा है लड़कों का और एक छात्रावास लड़कियों के लिए टौंक के अन्दर चल रहा है। उनके बहुत अच्छे परिणाम हैं। मुझे बहुत खुशी है यह बात कहते हुए कि अटरू के आवासीय विद्यालय का जो परिणाम आया है वह उस जिले के ही नहीं, राजस्थान की नामी-गिरामी जो शालाएं हैं उनसे बढ़ चढ़कर उसका परिणाम आया है। तो हम यह मानते हैं कि ऐसे आवासीय विद्यालय और खोले जाने चाहिए।

इसके अलावा जर्मन सहयोग से के.एफ.डब्ल्यू. के माध्यम से, तीन छात्रावास तो इस साल ही बनकर तैयार हो गये हैं जो निकट भविष्य के अन्दर खोल दिये जाएंगे। उसमें एक जालौर है, एक डूंगरपुर है और एक बांसवाड़ा है। तीन छात्रावास तो अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए होंगे। इसी तरीके से अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उस ट्राइबल एरिया विशेष के अन्दर चार छात्रावास बनकर तैयार हो गये, जिसमें से कोटड़ा का उद्घाटन तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछले दिनों कर दिया था। शेष प्रतापगढ़, सलूम्बर और खैरवाड़ा ये तीन छात्रावास और हैं जिनको भी इसी साल चालू किया जाएगा। इस तरीके से ये छह छात्रावास आवासीय विद्यालय के तौर पर नये चालू किये जाएंगे। इसके अन्दर एक छात्रावास की लागत तकरीबन चार करोड़ रुपए आती है, और इसमें चार सौ छात्र पढ़ सकते हैं एकमुश्त। यह बहुत बड़ी योजना है और इससे अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं उनको बहुत लाभ होगा और वे भी हमारी मेन स्ट्रीम है सोसाइटी की उसके अन्दर बाकायदा खड़े होकर चल सकेंगे। उनके अन्दर इतनी काबिलीयत पैदा हो जाएगी।

श्री परसादी लाल : बाकी जिलों का क्या होगा?

श्री बनवारी लाल बैरवा : बाकी जिलों का भी कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : हां, यही पूछ रहा था मैं भी, बाकी का क्या होगा?

श्री बनवारी लाल बैरवा : ऐसा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये तो मैंने जो आपको बताया, ये तो बनकर तैयार हो गये हैं। चार अभी निर्माणाधीन हैं, उनके अन्दर, नागौर है, जोधपुर है, पाली है और सवाईमाधोपुर है। इसके अलावा तीन और छात्रावास हैं जिनके लिए स्थान चिन्हित हो गये हैं और उनका भी शिलान्यास निकट भविष्य में हो जाएगा। जोधपुर के अन्दर जिस समय...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कौन-कौन से हैं, यह तो बता दो। वह कौनसे हैं, यह तो बता दो।

श्री बनवारी लाल बैरवा : एक भीलवाड़ा है उनमें।

श्री उपाध्यक्ष : हां, वह आ गया है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : एक भीलवाड़ा है, एक दौसा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर यह चर्चा आई थी कि ये कुछ जिलों के अन्दर हो जाएंगे और शेष जिले इसमें वंचित हो जाएंगे। तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बात को बहुत गम्भीरता से लिया है और आज वह मैटर उनके विचाराधीन है कि शेष जिलों के अन्दर भी ये व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण काम यह किया कि आरक्षण तो दे रखा था, लेकिन आरक्षण के साथ में अगर कैंडिडेट उपलब्ध नहीं है तो क्या आरक्षण होगा? टैक्निकल एजुकेशन के अन्दर आरक्षण हमारा बहुत कम था। अनुसूचित जाति का आठ था और अनुसूचित जनजाति का छह था। उसको बढ़ाकर हमारी सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्रीजी की सोच के अनुकूल 8 को तो 16 किया और 6 को 12 किया और जो पिछड़ी जाति के लिए नहीं था उसको 21 परसेंट किया है। अभी बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य डाक्टर साहब जिक्र कर रहे थे कि उसका बहुत अच्छा लाभ हुआ है। तो भी वे एक बात की कमी महसूस कर रहे थे कि मेडिकल की जो पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज हैं, उनके अन्दर ओ.बी.सी. का रिजर्वेशन अभी नहीं हुआ है। मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी को इसके बारे में अवगत कराया है और वह मैटर उनके विचाराधीन है, निकट भविष्य में उसका फैसला करेंगे।

माननीय उपाध्यक्षजी, हाउस के अन्दर जो चर्चा हुई, हम भी अपने शुरूआत के जीवन में यह समझते थे कि अनुसूचित जाति, जनजाति से सम्बन्धित जितने भी मामलात हैं वे सब समाज कल्याण देखता है। चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे मकान का हो, चाहे जमीन देने का हो, चाहे पढ़ाई का हो, ये तमाम वे मामलात थे जिसको यह मानकर चलते थे कि ये समाज कल्याण से सम्बन्धित हैं। उस वक्त उसमें हुए भी, लेकिन कालान्तर में क्या हुआ कि जो विकासीय विभाग हैं उन्होंने अपनी-अपनी राशि अपने विभागों के अन्दर समाहित कर ली। उससे बड़ी हम लोगों के सामने एक स्थिति गड़बड़ाई। जब माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस बात की जानकारी हुई, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मंत्रिमण्डल में लेकर इस बात का फैसला किया कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का जो पैटर्न है उस पैटर्न के ऊपर यह जो एस.ए.पी. की योजना है इसकी एक अलग से मांग रखी जाए और इसके आफिसेज सब विभागों के अन्दर खोले जाएं। तो वह हमारी सरकार ने तय कर लिया है और वह इस समय प्रक्रियाधीन है। वह हो जाने के बाद में यह बिलकुल सुनिश्चित हो जाएगा कि कहां अनुसूचित जाति के मोहल्लों में पानी आना चाहिए, बिजली लगनी चाहिए। समाज कल्याण उसके अन्दर दखलन्दाजी कर

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

सकेगा। कहां पर बिजली लगनी है, यह तय कर सकेगा। कहां पर पानी जाना है, कहां पर सड़क जानी है, ये जो विकास की व्यवस्थाएं हैं, वे सब उसके अधीन आ जाएंगी। ये ऐसे हमारे विचाराधीन मैटर चल रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि एजुकेशन के साथ-साथ में फिर यह बहुत जरूरी है कि पढ़-लिखकर तैयार हो जाएं तो करें क्या? उसके लिए सर्विसेज के अन्दर आरक्षण है, जहां-जहां पर उपलब्धता होती है उसमें जाते हैं। लेकिन सबको तो सर्विसेज नहीं मिलती हैं। उसके लिए हमारे कारपोरेशन बनाये गये। एस.सी., एस.टी. का जो कारपोरेशन है, उसमें ओ.बी.सी. के में और माइनोरिटी के में जब हमारी सरकार आई तो 9 करोड़ रुपये की स्टेट गारंटी थी कि जो राष्ट्रीय करपोरेशन है उसके पास हम यहां से अपनी सिफारिश करके भेज दें और वहां से उनको रकम आ जाए और स्टेट उसकी गारंटी देगी। लेकिन हमने आते ही जब यह बात मुख्य मंत्रीजी के सामने कही तो उन्होंने बहुत गम्भीरता से उस बात को लिया और 9 का 27 किया। 27 करोड़ रुपए हुए। उसके बाद में आज बढ़कर वे सब 57 के ऊपर चले गये हैं, जिसमें 12 करोड़ का तो एस.सी. का हो गया, 10 करोड़ का एस.टी. का अलग से हो गया, 16 करोड़ की गारंटी ओ.बी.सी. की हो गई, 8 करोड़ की गारंटी माइनोरिटी की हो गई, 5 करोड़ की गारंटी विकलांगों के लिए हो गई और 5 करोड़ की गारंटी स्वच्छकारों की हो गई। उसके तहत इन सबको कर्जे दिलाये जा रहे हैं, जो-जो भी काम जैसा चाहते हैं, उस तरीके से काम उनको इसके अन्दर दिलाये जाकर भेजा जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। गठन तो पहले ही था लेकिन उसको एक तरीके से पुनर्जीवित किया। यहां पर 54 जातियां उसके अन्दर थीं, उनमें 25 जातियां और बढ़ाकर आज की तारीख में 79 जातियां उसमें इनक्लूड हो गई हैं और जो लाभ ओ.बी.सी. को मिलना चाहिए वह सभी को मिल रहा है। और वह मिलना चाहिए। नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने इसका एक प्रश्न उठाया था कि यह दिखवाया जाए कि मुस्लिम समाज में से जो जातियां ओ.बी.सी. में आई हैं, क्या उनको वह लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? उनको मैं यह विश्वास दिला रहा हूं कि मैं जानकारी करके आपको पूरी स्थिति से अवगत कराऊंगा।

आपने इस ओर भी संकेत किया कि नगर में आपके साथ मुझे जाने का मौका मिला था और मैंने वहां पर संख्या बढ़ाई थी छात्रों की। मुझे यह जानकारी हुई है कि जहां पर 25 थे, 25 के 35 हो गये लेकिन चूंकि मैंने 40 कहे थे, मैं उनकी 40 की घोषणा करता हूं कि 40 की संख्या उसमें बढ़ा दी जाएगी।

श्री परसादी लाल : 35 तो पहले ही हो गये थे, साहब।

श्री बनवारी लाल बैरवा : पांच और बढ़ा दिये जाएंगे। पांच का ही उन्होंने फरमाया था।

श्री हरिसिंह (महुवा) : पांच में ही राजी हो गये?

मोहम्मद माहिर आजाद : हमने तो 50 की कहा था तब वह यह 40 की घोषणा करके आये थे। तब हमने कहा था कि आपने जो घोषणा की वह पूरी नहीं हुई है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : नहीं, नहीं, वह पूरी हो गई। पूरी हो गई अब।

मोहम्मद माहिर आजाद : हमने तो 50 की मांग की थी।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ओ.बी.सी. के लिए इस साल से एक योजना हमने और चालू की है, उनके अन्दर बी.पी.एल. के अन्दर के जो परिवार हैं, उनके बच्चों को स्कालरशिप देने का हम लोगों ने कार्यक्रम तय किया है। अभी उसके अन्दर नियम बनना बाकी है, लेकिन उसके लिए राशि का हमने बजट के अन्दर प्रावधान कर दिया है और इस साल से उनमें से कुछ छात्रों को हम चालू करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है और उसके अन्दर अध्यक्ष की भी नियुक्ति हो गई। ओ.बी.सी. के अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय मंत्रीजी, इसके मैम्बर तो आपने नहीं बनाये अभी तक भी। केवल एक अध्यक्ष बनाकर, कमरा देकर बैठा दिया। न इसके अन्दर आपने कोई बजट एलोकेट किया है। अब तक एक भी अल्पसंख्यक को इस आयोग से अगर कोई कर्जा मिला हो या कोई सुविधा मिली हो तो वह बताएं आप।

श्री बनवारी लाल बैरवा : वह मिला है, साहब। वह तो मिला है। कर्जा इनको मिला है, साहब। ओ.बी.सी. को भी मिला है, एस.सी. को भी मिला है, एस.टी. को भी मिला है, माइनोरिटी को भी मिला है।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं मिला।

श्री बनवारी लाल बैरवा : नहीं, मिला है, साहब। वह मैं लिखकर आपको भेजता हूं।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): बाद में बता देंगे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : बाद में बता देना। मेरी जानकारी है कि नहीं (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा 181 लाख रुपए 488 व्यक्तियों को दिये गये।

मोहम्मद माहिर आजाद : राष्ट्रीय...

श्री बनवारी लाल बैरवा : वहीं से मिलता है वह पैसा तो। स्टेट गारंटी तो हमारी होती है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : वह तो उसके अध्यक्ष आये थे, कारी मोहम्मद मियां मजरी की चीफ मिनिस्टर से जब वार्ता हुई, हम भी उसमें शामिल थे। उन्होंने दस करोड़ की सहायता की बात वहां से की थी और राजस्थान सरकार ने उसमें दस करोड़ मैचिंग देने की बात की थी। आपने अभी तक एक पैसा भी नहीं दिया उसमें।

श्री बनवारी लाल बैरवा : हमारी तरफ से आठ करोड़ की गारंटी है। इसी तरीके से अनुसूचित जाति के लिये दस करोड़ 60 लाख...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह तो सही है। खाली माइनोरिटी की बताओ।

श्री बनवारी लाल बैरवा : मैं सभी बता देता हूं। पिछड़ा वर्ग को 351 लाख, माइनोरिटी में 181 लाख, स्वच्छकारों को 130 लाख और विकलांगों को 196 लाख, यह पैसा इनको डिस्बर्स हो चुका है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हमारे इसके अन्दर निःशक्तजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है सोसाइटी का, जिसके बारे में लोगों की कभी कोई सोच इतनी गम्भीर नहीं रही, जितनी इस दौर से अन्दर हुई। उनके कल्याण के लिये, उनकी सुरक्षा के लिए सैंट्रल का एक एक्ट है उसके तहत एक आयुक्त की नियुक्ति की जाती थी। पहले तो सरकारी अफसर होते थे, लेकिन सरकारी अफसर के लिये यह महसूस किया गया कि वे इतना खुलकर इनकी वकालत नहीं कर पाते जितना कि हमारे जन प्रतिनिधियों में से या जनता में से कोई व्यक्ति कर सकेगा। उसके तहत ही हमने निःशक्तजन आयुक्त की नियुक्ति की और तब से सभी लोग यह महसूस करते हैं कि अब काम काफी अच्छे तरीके से हो रहा है, सशक्त तरीके से हो रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने बारह हजार से अधिक निःशक्तों को उपकरण और उनके जो कृत्रिम अंग हैं वे दिलवाये हैं। इसके अलावा जो एक बहुत मनहूस बीमारी है पोलियो की, वैसे तो अब उसकी काफी रोकथाम हो गयी है, बच्चों को दवा पिलाते हैं तो अब तो पोलियो नहीं हो रहा है, लेकिन जो पहले ही पोलियो से ग्रसित हो चुके हैं उनके बारे में इस सरकार का यह सोच रहा है कि ये भी पोलियो से मुक्त होने चाहिये। लिहाजा उनके लिये पोलियो करैक्शन के शिविर लगाये गये। उसके अन्दर आठ हजार से अधिक लोगों का आपरेशन हुआ और उनको बाकायदा उसका लाभ हुआ है। उसके तहत हमारी सरकार ने सात करोड़ का प्रोविजन इस साल और रखा है ताकि जो शेष रह गये, उनको भी पोलियो से मुक्ति दिलायी जा सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाउस बहुत गरमा जाता है पेंशन के मामलात को लेकर, इस सम्बन्ध में मैं विशेष रूप से

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

यह निवेदन करना चाहता हूं कि पेंशन चार तरीके की है। एक तो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन है, एक राज्य वृद्धावस्था पेंशन है, एक विधवा पेंशन है और एक विकलांग पेंशन है। हमारी पूर्ववर्ती सरकार के जमाने के अन्दर 100 रुपए तो मिलते थे राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन वाले को और विधवा को 125 मिलते थे और विकलांग को 125 रुपए मिलते थे। हमारी सरकार के आने के बाद में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने देखा कि यह तो बहुत गम्भीर मामला है, तो उन्होंने उसको बढ़ाकर 100 का 200 किया। 75 रुपए भारत सरकार देती है, लेकिन वह देती है कुल 1,41,000 के लिये। शेष उससे आगे जो बढ़े हैं, उसके लिये पूरा पैसा राजस्थान सरकार दे रही है, राजस्थान सरकार खर्च कर रही है। हमारी कोई कोताही उसकी तरफ से नहीं है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सम्बन्धित मंत्री को और माननीय प्रधान मंत्रीजी को अपने पत्र लिखकर भेजे हैं कि आप इसके अन्दर राशि में भी इजाफा करो और संख्या में भी इजाफा करो। लेकिन उनकी तरफ से अभी कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है। लेकिन चूंकि हमने कदम बढ़ा लिया है तो हम उसके अन्दर किसी तरीके से कोई कोताही नहीं बरत रहे और आज की तारीख में मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि 7,20,116 लोगों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। उसमें 401, 286 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के हैं, 1,41,000 अगर निकाल लिये जाएं तो ढाई लाख तो हमारे हो गये उसके अन्दर, 89,857 राज्य वृद्धावस्था पेंशन हैं, 1,71,896 विधवा पेंशन हैं और 67077 विकलांगों की पेंशन है। इसमें कहीं उलझन पड़ती थी तो यह पड़ती थी कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के अन्दर बड़े बेटे के लिये या घर में कोई व्यक्ति कोई बाधा नहीं थी, यह बात आप ठीक कह रहे हैं। इस बाधा को यहां भी हटाने की कोशिश की थी और यही सोचकर कोशिश की थी कि बहुत सारे ऐसे लायक बेटे पैदा हो जाते हैं जो अपने मां-बाप की सेवा नहीं करते, उनको बिलकुल दरगुजर कर देते हैं और वे बड़ी परेशानी के अन्दर हो जाते हैं। इसलिए उसको ड्राप करके कहा कि जो लोग शपथ पत्र दे दें कि मेरी सेवा नहीं हो रही है तो उनका किया जा सकता है। उसके लिये, उपाध्यक्ष महोदय, इतने फार्म आये और फार्म के साथ-साथ शिकायतें आयीं लोगों की कि, यहां पर इसके 100 बीघा जमीन है और एप्लाई कर दिया है। इसके चार बेटे हैं, इसके चार बहुएं हैं। इसके ट्रैक्टर है। इसके पक्का मकान है। यह जमीन है, जायदाद है। ये पेंशन के हकदार हैं। तो सरकार को मजबूरन उस पर दुबारा सोच करना पड़ा। और सोच करनें के बाद यह कहा कि इसका सर्वे कीजिये और सर्वे करने के बाद जो पात्र हैं उनको तो आप पेंशन लेने दीजिये और जो पात्र नहीं हैं उनकी रद्द कर दीजिये। इसके लिये 1.4.1999

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

से 31.1.2000 तक जो निरस्त किये गये हैं पी.पी.ओज. उनकी संख्या है 2,13,321 इसमें कोटा इनक्लूड नहीं है, इसमें कोटा के फिगर नहीं आ पाये हैं। लेकिन इसके बावजूद भी 7,20,000 लोगों को आज पेंशन मिल रही है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस सरकार की है। आप यूं ही देख लीजिये कि पूर्ववर्ती जो सरकार थी उसके वक्त में 2,20,000 व्यक्तियों को पेंशन मिलती थी सभी वर्गों के अन्दर वह बढ़कर 7,20,000 हो गयी। तो तिगुनी तो यह हो गयी, बल्कि तिगुनी से ज्यादा हो गयी। और उधर राशि के अन्दर आप बढ़ोतरी देख लें, जहां पर 22 करोड़ कुछ पेंशन अदा करते थे, आज हमारे 1.43 करोड़ रुपए इस पर खर्च हो चुके हैं और आगे भी हम यह समझते है कि इसके अन्दर और इजाफा होगा।

अभी प्रशासन गांवों के संग, ''प्रशासन शहर के संग'' जो हमारा प्रोग्राम चला, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। जनहित के प्रोग्राम थे। उनमें विशेष रूप से पेंशन के अन्दर यह व्यवस्था की गयी कि वहां मौके पर ही उनको सर्टिफिकेट मिल जाएं और उनको वहां पर पेंशन की फाइनल स्वीकृति हो जाए। पिछले दिनों एक सवाल यह भी आया था कि उन लोगों को पैसा नहीं मिला है। हमने चैक-अप करा लिया है कि उनके अन्दर पी.पी.ओ. जारी होने में थोड़ी देरी हो रही थी इस वजह से वह दिक्कत सामने आयी है। अब सबको ताकीद कर दिया गया है कि तत्काल वे पी.पी.ओ. जिनकी स्वीकृतियां हो गयी हैं, उनको जारी करें और उनको पैसा वक्त के ऊपर मिल जाए। पैसे की उसके अन्दर कोई कमी नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में निराश्रित, निःशक्त बालक बालिकाओं के लिये आवास हैं उनके लिये जैसा हमारे आश्रम छात्रावासों में 350 रुपए दिये जाते थे और समाज कल्याण के जो छात्रावास थे उनमें 450 रुपए दिए जाते थे मैस अलाउंस के, उसको बढ़ाकर हमारी सरकार ने 675 किया। उसी तरीके से यह सोच आया कि जो निराश्रित बालक-बालिकाएं हैं ये किसके पास जाएंगे? हमारे वो चाहते तो अपने घर पर भी चले जाएंगे, ये किसके पास जाएंगे? इनका पैसा कम था, उसको बढ़ा कर हमारी सरकार ने 675 किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं के बारे में पूरा समाज ही बहुत गम्भीर रहता है, चिंतातुर रहता है। इसके अन्दर सरकार भी शामिल है। बहुत सारे घर, परिवार ऐसे हैं जिनके अन्दर किन्हीं कारणों से लड़कियां भटक जाती हैं, निकल जाती हैं घर से और बेसहारा हो जाती हैं। ऐसी महिलाओं के लिए हमने महिला सदन बनाये हुए हैं। एक महिला सदन यहां जयपुर में था, हमारी सरकार ने यह तय किया कि ऐसे महिला सदन हर सम्भागीय स्तर पर, हर सम्भागीय मुख्यालय पर कायम किये जाएं। उनका निर्माण चालू हो गया है और उनकी स्थापना हो रही है।

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

इसी तरह से 13 कामकाजी महिला छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है। दस आपातग्रस्त महिलाओं के अल्पावास गृह का निर्माण किया जा रहा है और ऐसे ही अपराधी किशोरियों हेतु भी 5 गृहों का निर्माण किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस समय यह भी कहना मुनासिब समझूंगा कि जैसे इन महिलाओं के लिए, बालकों के लिए, बालिकाओं, के लिए व्यवस्था की जा रही है, वृद्धों की भी अपनी एक समस्या है कि पूरी जिन्दगी तो अच्छी गुजर जाती है, लेकिन, वृद्धावस्था तो सब की आती है, घर के अन्दर जिस तरीके का आदर-सम्मान सदियों तक मिलता रहा है उसमें कहीं कमी आ जाती है, थोड़े वो विकल होते हैं। इसके लिए हमारी सरकार ने डे-केयर सेंटर की स्थापना की है। दिन के अन्दर जाकर वे वहां बैठें, बैठ कर अखबार पढ़ें, वहां पर पत्रिकाएं पढ़ें, कुछ खेल खेलें, कुछ चाय-नाश्ता करें। इस तरह से वे डे-केयर सेंटर हमने कायम किये हुए हैं। इससे पूर्व जो डे-केयर सेंटर थे, 32 जिलों के अन्दर 22 थे। शेष 11 जिलों के अन्दर अब और किये जा रहे हैं, उनके आदेश जारी कर दिये गये हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : सवाईमाधोपुर में खोल रहे हो या नहीं?

श्री बनवारी लाल बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से बच्चों को कभी कोई परेशानी आ जाए तो वे उसके लिए किस को पुकार करें? उसके लिए हमारी सरकार ने चाइल्ड सर्विस की स्थापना की है। 1098 कोई भी डायल करेगा तो उसके लिए जो फौरी इमदाद उस बच्चे को चाहिए वह उसको तत्काल प्रभाव से मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आज अनेक महानुभावों ने, हमारे विधायक साथियों ने बहुत महत्वपूर्ण विचारों से हमको लाभान्वित किया। कुछ छात्रावासों के बारे में बात कही गयी, उनके हालात तो बहुत अच्छे नहीं हैं लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार इस मामले के अन्दर काफी गम्भीर है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय मंत्रीजी, एक मिनट।

मोहम्मद माहिर आजाद : अभी खतम हो रहा है पांच मिनट में।

श्री उपाध्यक्ष : एक मंत्री और हैं, अभी खतम क्या हो रहा है?

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के पारित होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : मांग संख्या-33 पारित होने तक समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या-33 पर विचार

श्री बनवारी लाल बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, अभी आश्रम छात्रावासों के वास्ते सवाल आया था कि वहां उनके हालात कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं। मुझे यह कहते हुए खुशी है, पिछली सरकार में तो महाराष्ट्र पैटर्न के बारे में बहुत चर्चाएं हुईं, कई बार उन्होंने आश्वासन दिये लेकिन वो उसको लागू नहीं कर पाये, लेकिन हमारी सरकार ने महाराष्ट्र पैटर्न लागू कर दिया। इस तरह से एकमुश्त रकम आदिवासी क्षेत्र को आबंटित की है टी.एस.पी. एरिया को। उसके विकास के जो काम हैं, उन विकास के कामों में वहां की परिषद् से विचार-विमर्श करके टी.एस.पी. विभाग उन कामों को सम्पन्न करेगा। मैं विशेष रूप से मेरे आफिसर्स को यह हिदायत दूंगा कि इन छात्रावासों के सुधार के लिए, इनको ठीक से चलाने के लिए बजट का उसमें आबंटन करें।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर जो कारपोरेशंस बने हैं उन कारपोरेशन से, हमारी यह मान्यता है कि उन लोगों को एक तो आर्थिक संसाधन उपलब्ध हो जाएं, दूसरा उसको ट्रेनिंग और दक्षता प्राप्त हो जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन विशेष स्थानों के लिए चाहिए, वह उनको उपलब्ध हो जाए। इस मान्यता और इस विश्वास के साथ में इन कारपोरेशंस की स्थापना की गयी है। उसमें जो भी पात्र व्यक्ति हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं उन पर गम्भीरता से विचार करके उनको सही किया जाता है। मान्यवर, अनुदान की जो राशि है वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 6000 रुपये की है। अब शेष और के लिए तो नहीं उपलब्ध कर पाये, लेकिन उनके अन्दर इन वर्गों को ब्याज दरों के अन्दर काफी इसमें कमी है। इसलिए उस तरफ आकर उससे लाभान्वित होना चाहते हैं।

इसके लिए मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी बहुत-सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनसे हमारे राज्य की जनता, राज्य के लोग जो उनसे सम्बन्धित हैं, वे लाभान्वित हों। इतनी बात कह कर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि हमारी जो मांग है उसको पारित करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्रीजी।

श्री मोहन लाल चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाज कल्याण मंत्रीजी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो, बिराजो।

श्री मोहन लाल चौहान : नहीं, साहब, मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो, बिराजो पहले। पहले इनको बोलने दो।

श्री मोहन लाल चौहान : पहले समाज कल्याण मंत्रीजी से मैं पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप पूछ लेना बाद में, बैठो तो सही। आप बैठो पहले।

श्री मोहन लाल चौहान : पूछने दो साहब, मेरे को। नहीं, साहब मैं पहले समाज कल्याण मंत्रीजी से...

श्री उपाध्यक्ष : पहले इनको बोल लेने दो फिर बाद में पूछ लेना।

श्री मोहन लाल चौहान : अच्छा।

श्रीमती जकिया (महिला एवं बाल विकास मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-33 का रिप्लाई करने में मैं अपने आप में फख्र महसूस कर रही हूं क्योंकि यह वूमैन एण्ड चाइल्ड वैलफेयर से जुड़ा हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, औरत का समाज में मुकाम तो हर जगह बहुत अहम है मगर स्थिति बहुत दयनीय है। वह किसी भी रूप में हो-मां के रूप में, पत्नी के रूप में या बहन के रूप में, भूमिका बहुत अहम है मगर स्थिति बहुत जीर्ण शीर्ण है। एक कहावत है- The hand that rocks the cradle rules the world. मगर स्थिति यह है, मैं दो लाइन बोलूंगी।

''मयखाने को हमने ही तो मयखाना बनाया
और मेरी ही किस्मत में जाम नहीं है।''

वही हालत इस समाज में औरत की है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए इस डिपार्टमेंट की स्थापना हुई है। औरतों की मानसिकता, शारीरिक और आर्थिक स्थिति ऊपर उठाये बिना समाज में किसी किस्म का विकास नहीं किया जा सकता।

मैं पहले शुरू करूंगी शारीरिक विकास से। मां की सबसे बड़ी भूमिका उसके बच्चे को सही तरीके से निकाल कर समाज को समर्पित करना है जिससे देश भी गौरव कर सके। इसलिए विभाग में जब बच्चा मां के वूम्ब में रहता है उस वक्त से उसकी केयर करना शुरू करते हैं जो 6 साल तक की जाती है। न्यूट्रिशन पाइंट आफ व्यू से जो बैलेंस डाइट के नाम पर होता है, 300 कैलोरी से लेकर 700 कैलोरी और 14 परसेंट प्रोटीन से 16 परसेंट प्रोटीन की डाइट, इसमें विटामिन भी सम्मिलित होती है, शुगर भी होती है, केन्द्र पर जो 1000 की आबादी पर है, और इस वक्त 27 हजार केन्द्र संचालित हैं, उसमें 27 लाख बच्चों को हमने लाभान्वित किया है और मुझे उम्मीद है कि यह जो न्यूट्रिशन है, कुछ समय के बाद समाज में दिखता हुआ महसूस किया जाएगा। फिर अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर एक गोष्ठी हुई जिसमें यह महसूस किया गया कि यह जो न्यूट्रिशन दिया जा रहा है यह जीरो से सिक्स ईयर्स के बच्चों के लिए नाकाफी है। उन बच्चों के लिए जो जीरो से थ्री ईयर्स के बच्चे हैं, उनका न्यूट्रिशन में मिल्क और विटामिंस की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए।

(17.00 बजे)

(श्रीमती जकिया)

तो गवर्नमेंट आफ इण्डिया 30 प्रतिशत सब्सिडी और 70 प्रतिशत लोन, मैं राज्य सरकार की आभारी हूं कि उसने लोन की ओर कदम बढ़ाये हैं और इसका प्रतिशत हमने एचीव किया है, पांच लाख बच्चों में 99.52 प्रतिशत। यह तो हुई भोजन की व्यवस्था। इसमें लैक्टेटिंग मदर्स और प्रैगनेंट मदर्स को भी दिया जाता है। साठ एक केन्द्र पर दिये जाते हैं जिसमें से चालीस बच्चे होते हैं और तीस महिलाएं होती हैं जो लैक्टेटिंग और प्रैगनेंट होती हैं। जब बच्चा तीन साल का हो जाता है और छह साल तक हमारे केन्द्र पर रहता है तो उसके मानसिक विकास की जरूरत होती है तो वहां, उपाध्यक्ष महोदय, प्री-स्कूल एजुकेशन की भी व्यवस्था है। मुझे यह कहते हुए फख्र है कि हमारे आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चे जब स्कूलों में जाकर एडमिशन लेते हैं तो वहां ड्राप आउट का प्रतिशत जीरो है।

दूसरी यह है कि वे बच्चियां जो किसी भी वजह से 11 से 18 साल के बीच स्कूल नहीं जा सकीं और उनका स्कूल जाने का कोई प्रोग्राम भी नहीं है, जो जिन्दगी के किसी भी आयाम से परिचित नहीं हैं और न आगे बढ़कर कुछ कमा सकने की स्थिति में हैं, उन बच्चियों के लिए गवर्नमेंट आफ इण्डिया की एक स्कीम है किशोर बालिका शक्तिकरण योजना जिसमें इस वक्त एक लाख बच्चियां हैं। ये अभी आयी हैं एक साल पहले। एक लाख वे बच्चियां हैं जो किसी वजह से 11 साल से 18 साल के बीच में स्कूल नहीं जा सकीं, उनको हम लोग पढ़ना-लिखना सिखाते हैं। उन्हीं स्टेजेज में उनके शारीरिक, हार्मोनल और दिमागी तौर पर जो चेंजेज आते हैं उनको भी हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समझाती हैं और कुछ हद तक उनको प्रोफेशनल लाइन ताकि वे कुछ कमाकर अपनी जिन्दगी में अपने आपको सिद्ध कर सकें, ऐसी भी ट्रेनिंग देते हैं। ऐसी लगभग एक लाख लड़कियां राजस्थान में सेंटर्स पर जोड़ी गयी हैं।

बच्चों में विटामिन की ड्राप्स, और ये जो लड़कियां हैं इनमें एनीमिया की शिकायत होने की वजह से आयरन टेबलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है जिसमें छह लाख सत्तर हजार लड़कियां लाभान्वित हुई हैं। बच्चों को जो ड्राप पिलाया गया है वह 98 प्रतिशत है एक वर्ष में पहले स्टेज में, और दूसरे स्टेज में 97 प्रतिशत।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सैल्फ हैल्प ग्रुप कहते ही ऐसी लगता है कि मेरी जितनी भी मेहनत है वह सब सफल हो गयी है। इस वक्त राजस्थान में सैंतीस हजार सैल्फ हैल्प ग्रुप अस्तित्व में हैं। एक ग्रुप में दस से पन्द्रह औरत जुड़ी हुई हैं। इनको हम ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद जोइंनिंग करायी जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत गर्व है कि

(श्रीमती जकिया)

टौंक जैसे गरीब शहर में सवा करोड़ की बचत है और सवा करोड़ की लोनिंग है। और इसी के स्टेट्स पर राजस्थान में तकरीबन दस ग्यारह जिले हैं। यह सब महिलाओं का है। मैंने जो सवा करोड़ बोला यह उनके अपने बैंक खातों में है, और लोनिंग सवा करोड़ जो है उससे वे बिजनस कर रही हैं। अगले साल उसको दुगना करने का टारगेट है। हर आंगनबाड़ी केन्द्र पर एक सैल्फ हैल्प ग्रुप है। अगले साल तक यह दुगना या तिगुना करने की योजना है।

सामूहिक विवाह जो एक सामाजिक कुरीति है, उसको दूर करने के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एक कदम उठाया है। दस जोड़े होने पर पचास जोड़े होने तक एक हजार रुपए दिया जाता है। आपने बजट में सुना होगा, इसमें प्रोविजन एक करोड़ का किया है। मैं वित्त मंत्रीजी की आभारी हूं। विधायकों को शिकायत भी नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जिला महिला सहायता समिति एक ऐसी समिति है; जिसका महत्व भले नाम से नहीं लगता हो मगर जिस औरत पर यह बीतती है, उस वक्त जब उसको सहायता मिलती है तो उसे एक नयीं जिन्दगी मिल जाती है। अचानक ही जब वह घर से लावारिस होकर बाहर आती है और उसके पास शैल्टर भी नहीं होता और उसको कोई मदद करने वाला भी नहीं होता तो दूसरा रास्ता उसको प्रोस्टीट्यूट बनने के सिवाय कोई नहीं रह जाता अकेली औरत को। तो एक जिला सहायता समिति जिसका कलक्टर अध्यक्ष होता है, उनके पास एक लाख रुपया होता है कि अचानक ऐसी कोई विपदा में कोई औरत आए तो उसको तुरन्त सहायता करें, शार्ट स्टे होम में रखे और कोई बन्दोबस्त किया जा सके। ऐसी तकरीबन 3691 महिलाओं को राहत दी गयी है।

स्वयंसिद्धा योजना, यह नयी योजना सेंटर ने लांच की है जो सत्ताईस सेंटर्स पर लांच हुई है। यह भी औरत को सशक्त बनाने के लिए और लोनिंग करने के लिए ट्रेनिंग देकर की है। हम लोगों ने यहां से बाईस रैफर किये हैं जो लोन देती हैं और आप अपना बिजनस खुद लेती हैं। मानसिक रूप से औरत को सशक्त बनाने के लिए जो कच्ची बस्ती के पट्टे हैं, लैण्ड लैस को जो भूमि दी जाती है उनमें पत्नी का नाम जोड़ना अनिवार्य किया गया है। स्कूल में भी जब बच्चे का दाखिला होता है तो पिता के साथ माता का नाम भी जोड़ना जरूरी है। मैरिज रजिस्ट्रेशन का मामला तकरीबन आखिरी स्टेज पर है।

अभी सीकर जिले से आने वाले माननीय सदस्य पूछ रहे थे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं से इतने कम पैसे

(श्रीमती जकिया)

में काम क्यों और कैसे लेती हैं। माननीय सदस्य, यह सेंटर स्पोंसर्ड स्कीम है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं था। मगर हम लोगों ने उनसे रिक्वैस्ट की थी, मेरे पास आज ही फैक्स आया है कि प्लानिंग कमीशन ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पांच सौ की जगह एक हजार रुपए और दो सौ पचास की जगह पांच सौ करने की मंजूरी दे दी है। मगर वित्त विभाग के पास अभी एप्रूवल के लिए गयी हुई है, इसलिए इसको घोषणा नहीं मानें। वरना लागू कब से होगा... (व्यवधान) इसको अनाउंसमेंट न माने।

श्री अमराराम (धोद) : खजाना तो खाली है।

मोहम्मद माहिर आजाद : फिर आपको यह बताना ही नहीं चाहिए था। अब यह तो अनाउंसमेंट हो गया। जब तक वित्त विभाग से इसकी एप्रूवल नहीं आवे, अनाउंसमेंट का मतलब ही नहीं निकलता। नहीं-नहीं, आपको नहीं बताना चाहिए था। (व्यवधान)

श्रीमती जकिया : एक मिनट सुन लें मेरी बात को। (व्यवधान)

श्री नगराज : फाइनेंस विभाग ने स्वीकृति नहीं दी तो आप काहे को बोल रहे हैं? फिर बोलना ही नहीं चाहिए न।

श्रीमती जकिया : आप एक मिनट सुन लें मेरी बात। सैंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री ने आज इण्डिया के प्रोविंसेज को, कोई मुझे ही नहीं भेजा है, आल इण्डिया के प्रोविंसेज को यह फैक्स भेजकर कंडीशनल कहा है कि महिलाओं को कार्य प्रेरणा के लिए इसका अनाउंसमेंट करें। और यह तकरीबन हो जाएगा, इसमें दो राय नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : कब तक?

श्रीमती जकिया : जल्दी हो जाएगा।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : मंत्री महोदय, मयखाने को तहखाना मत बनाओ। इसका भ्रष्टाचार तो मिटाओ। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : जल्दी का मतलब तो दो साल भी होता है और दस साल भी होता है। (व्यवधान)

श्रीमती जकिया : फाइनेंस में जा चुका है।

श्री अमराराम (धोद) : इसका मतलब तो सौ साल में, पचास साल में हो जाएगा तो जल्दी हो जाएगा। पचास साल जल्दी हो जाए।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मिर्धाजी ने कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। आप सुन लें पहले।

श्री नगराज : मंत्री महोदय, मैं कुछ जानना चाहूंगा। मुझे कोई छोटी-सी जानकारी चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुन लें, बाद में बोलना। बिराजो।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, आपने अभी कहा है। कोई बात कही है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो प्लीज।

श्री रामस्वरूप : आपने कहा है कि इसमें भ्रष्टाचार फैल रहा है। मैं निवेदन करूं, नहीं फैल रहा है, साहब। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, बिराजें। इनको बोलने दीजिए।

श्री रामस्वरूप : मैं तो बैठ जाऊंगा लेकिन इन्होंने कहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक दफा इनको बोल लेने दो। इनको डिस्टर्ब मत करो। बाद में पूछ लेना आप।

श्रीमती जकिया : भ्रष्टाचार कहां फैल रहा है? महिला को महिला बनाने वाली खुद महिला होती है। उसका डिटर्मिनेशन उसको ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। इन दो लाइनों के साथ "इतना तो होश रहे एजाजे-बेनजर, महफिल में बैठ जाएं, तन्हा दिखा ही नहीं।" धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : अब पूछ लो, क्या पूछ रहे हैं?

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने जो शुरू में सुनाया था...

श्री उपाध्यक्ष : माहिर आजादजी, बिराजिए। पहले वह बोलेंगे, आप बिराजिए।

श्री मोहन लाल चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण मंत्रीजी से मैं आपकी मार्फत पूछना चाहूंगा कि पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति और उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति यह कब से आपकी दरें हैं? बहुत पुरानी हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को...(व्यवधान) छात्रवृत्ति जो दी जा रही है, उसमें छात्रवृत्ति की दरें पुरानी हैं, उसको आप बढ़ाइये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या बात है यह?

श्री बनवारी लाल बैरवा : मैंने नोट कर लिया है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : खाली एक शेर सुना रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल लिये हैं। (व्यवधान)

मांग संख्या-33 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,21,89,44,000/- (पांच अरब इक्कीस करोड़ नवासी लाख चवालीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 12 अप्रैल, 2002 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.11 बजे, 12 अप्रैल, 2002 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या–372 की सूची)

सहकारी विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : फा. 46(23) सविरा/बैंक–2/99 दिनांक : 5.3.1999

विषय : सहकारी ऋण वितरण व्यवस्था में सहकारी किसान कार्ड योजना लागू करने बाबत।

विषयान्तर्गत आपका ध्यान आकर्षित कर लेख है कि सहकारी ऋण वितरण व्यवस्था को और अधिक सरल बनाने की राज्य सरकार की मंशा को कार्यरूप में परिणित करते हुए राज्य की प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी संस्थाओं के कृषक सदस्यों को सहकारी किसान कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इस योजना में ऋण वितरण हेतु जारी किये गये दिशा निर्देशों की पुस्तिका संलग्न कर लेख है कि भविष्य में आप द्वारा दिये जाने वाले सभी ऋण सहकारी किसान कार्ड पर ही उपलब्ध कराये जायेंगे। अत: आप अपने क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप "सहकारी किसान कार्ड" सहकारी मुद्रणालय से प्राप्त कर समितियों में भिजवाकर निर्देशों के अनुसार पूर्ण कराकर सदस्यों को उपलब्ध कराये। सहकारी कृषक मित्र व कृषक ज्योति योजनाओं के ऋण भी इसी कार्ड पर उपलब्ध करायें जायेंगे। ध्यान रहे कि भविष्य में कोई भी ऋण पुरानी पास बुक्स पर नहीं दिये जाएंगे। कृषक सदस्यों को उपलब्ध कराये गये किसान कार्डों की पाक्षिक प्रगति से विभाग व शीर्ष बैंक को अवगत करायें। कार्ड उपलब्ध कराने का कार्य हर हालत में मार्च, 1999 में पूर्ण किया जावे ताकि प्रथम अप्रैल, 1999 से इस योजना का लाभ कृषक सदस्यों को मिलना आरम्भ हो जावे।

ह०/–

(आर. के. मीणा)

रजिस्ट्रार

परिशिष्ट–2

परिशिष्ट "अ"

(तारांकित प्रश्न संख्या–374 की सूची)

पंचायत समिति केशोरायपाटन के अधीन संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	क्र.सं.	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम
1	2	1	2
1.	लाखेरी खुर्द	20.	रडी
2.	केशवनगर	21.	चडी
3.	निमोदा	22.	इन्द्रपुरिया
4.	पटोलिया	23.	हालिहेड़ा
5.	गुडला	24.	सुनगर
6.	लेसरदा 1	25.	भीया 1
7.	लेसरदा 2	26.	भीया 2
8.	ईश्वर नगर	27.	अरनेठा 1
9.	मायला	28.	अरनेठा 2
10.	छरकवाड़ा	29.	भिण्डी
11.	चितावा	30.	जेथल 1
12.	गुढ़ली	31.	जेथल 2
13.	माधोराजपुरा	32.	जलोदा
14.	कोडीजा	33.	श्रीपुरा
15.	विजयनगर	34.	आनन्दपुरा
16.	करवाला	35.	पादड़ा
17.	छोड़ेदा	36.	बुढ़िया
18.	केशोरायपाटन ग्रामीण	37.	समदपुरिया
19.	नयागांव	38.	बलखासा 1

1	2	1	2
39.	खरेड़ का पिपल्दा	62.	पचीपला
40.	रोटेदा 1	63.	गेण्डोली कलां
41.	रोटेदा 2	64.	जगन्नाथपुरा
42.	बालोद	65.	गोठड़ा
43.	बोरादामाल	66.	फोलाई
44.	हिंगोनिया	67.	रेबारपुरा
45.	अरणिया	68.	देही खेड़ा 1
46.	हस्तिनापुर	69.	देही खेड़ा 2
47.	दोताना	70.	कंवरपुरा
48.	बलकासा 2	71.	आजन्दा
49.	अरनेठा 3	72.	कोडक्या
50.	गेण्डोली 1	73.	कोटड़ी
51.	गेण्डोली 2	74.	घाट का बराना 1
52.	अमरपुरा	75.	घाट का बराना 2
53.	बोरदा काछियान	76.	नीताडा
54.	बोतरा का खेड़ा	77.	धरावन
55.	करवाला की झोपड़ी	78.	मालिकपुरा
56.	कोडक्या बालाजी	79.	चहिचा
57.	भेण्डोली	80.	कोटा खुर्द
58.	हरीपुरा	81.	लबान 1
59.	झालीजी का बराना 1	82.	लबान 2
60.	झालीजी का बराना 2	83.	गुहाटा
61.	झालीजी का बराना 3	84.	प्रतापगढ़

1	2	1	2
85. ढगरिया		108. पाखीदा	
86. खरायता		109. पीपलदा थाख	
87. डपटा		110. बडावली	
88. चरडाना		111. कांकरा डूंगर	
89. देहिखेड़ा 3		112. सुमेरगंज मण्डी 1	
90. लबान 3		113. सुमेरगंज मण्डी 2	
91. बाजडली		114. खेडली माफी	
92. जपायता		115. दौलतपुरा	
93. अरडाना		116. नयागांव	
94. लाखेरी ग्रामीण		117. नवलपुरा	
95. पापड़ी		118. नान्ता	
96. जाडला		119. चाणदा खुर्द	
97. बड़ाखेड़ा 1		120. हरदेव गंज	
98. बड़ाखेड़ा 2		121. बलवन 1	
99. कांकरा मेज		122. बलवन 2	
100. बसवाड़ा		123. कंवरपुरा	
101. चमावली		124. अभयपुरा	
102. अतराना		125. कोलापुरा	
103. बण्डगवार		126. पापडा	
104. सखावदा		127. झिडा	
105. छत्रपुरा		128. जयनगर	
106. मोहनपुरा 1		129. बाबई	
107. मोहनपुरा 2		130. बेलनगंज	
		131. अंधोरा	

परिशिष्ट "ब"

वर्ष 2001-2002 में आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु आबंटन व व्यय राशि का विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	आबंटित राशि	व्यय राशि
1	2	3	4
1.	मानदेय	11,50,000	11,49,887
2.	यात्रा भत्ता	40,000	29,348
3.	पोषाहार परिवहन	75,000	71,979
4.	प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना बेबी मिक्स परिवहन	28,500	28,463
5.	खाद्यान्न व्यय (ईंधन व भण्डारण)	1,19,000	1,18,581
6.	आंगनबाड़ी आवर्तक	78,100	78,014
	योग	**14,90,600**	**14,76,272**

परिशिष्ट–3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

वन क्षेत्र देवगढ़ एवं प्रतापगढ़ की प्रबंध समिति के सदस्यों की आय

375. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 1998-99 से पूर्व गठित रेंज देवगढ़ एवं प्रतापगढ़ में वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों को वन उपज, लघुवन उपज, जलाऊ लकड़ी व इमारती लकड़ी से सरकार एवं समिति सदस्यों की किस अनुपात में आय हुई? वर्षवार एवं समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक किस-किस वन सुरक्षा समिति ने वन उपज का संकलन कितना-कितना किया तथा किसे विपणन किया? समितिवार/वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों में कितने गैर आदिवासी सदस्य हैं? देवगढ़ व प्रतापगढ़ क्षेत्र की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सांझा वन प्रबन्ध सम्बन्धी राज्यादेश दिनांक 17.10.2000 के अनुसाद घास एवं अन्य लघु वन उपज (बांस को छोड़कर) वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों को नि:शुल्क दी जाती है।

वर्ष 1998-99 से पूर्व गठित रेंज देवगढ़ एवं प्रतापगढ़ की वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों द्वारा जिन वृक्षारोपणों की सुरक्षा एवं प्रबन्ध किया जा रहा है अन्तिम विदोहन की स्थिति योग्य नहीं होने से समितियों को कोई आय प्राप्त नहीं हुई है।

कुछ सुरक्षा समितियों के सदस्यों के द्वारा वृक्षारोपण से प्राप्त की गई घास का शुल्क वसूल कर समिति के खाते में जमा करायी है जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक रेंज प्रतापगढ़ एवं देवगढ़ की कुछ वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों द्वारा वन उपज के रूप में घास नि:शुल्क प्राप्त की गई है। जिसे सदस्यों द्वारा अपने स्वयं के घरेलू उपयोग में लिया गया है।

कुछ समितियों के सदस्यों द्वारा वृक्षारोपणों से प्राप्त की गई घास का शुल्क वसूल कर समिति के खाते में जमा कराया है।

(राज्य मंत्री, वन)

समितियों द्वारा एकत्रित की गई घास एवं उससे प्राप्त आय का रेंजवार एवं समितिवार विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) देवगढ़ व प्रतापगढ़ की कुल 79 वन प्रबन्ध एवं सुरक्षा समितियों में कुल 17 समितियों में ही गैर आदिवासी सदस्य हैं जिनकी सदस्य संख्या 191 है।

समितियों की गैर आदिवासी सदस्यों की संख्या का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ग' के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

परिशिष्ट "क"

वर्ष 1998-99 से पूर्व गठित रेंज देवगढ़ एवं रेंज प्रतापगढ़ में वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों द्वारा घास से प्राप्त आय का विवरण

(अ) रेंज देवगढ़ की समितियां

क्र.सं.	नाम वन सुरक्षा समिति	वर्ष	घास की मात्रा (क्विंटल में)	आय (रुपयों में)
1.	आडावेला	1998-99	30	5490
2.	चिकलाड	1998-99	40	3800
3.	सीजन खेड़ा	1998-99	30	1500
4.	महुड़ीखेड़ा	1998-99	50	1750
5.	भूतियावाड़	1998-99	200	2900
6.	कानामाता	1998-99	30	1000
7.	त्रिवेणी महादेव	1998-99	30	2200
		योग	410	18640

(ब) रेंज प्रतापगढ़

रेंज प्रतापगढ़ की वर्ष 1998-99 से पूर्व की किसी समिति के सदस्यों द्वारा एकत्रित घास का शुल्क वसूल कर जमा नहीं कराये जाने से समिति के खातों में कोई आय जमा नहीं हुई।

परिशिष्ट "ख"

वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 की अवधि में रेंज प्रतापगढ़ में गठित वन प्रबन्ध एवं सुरक्षा समितियों द्वारा संकलित की गई घास की मात्रा (नि:शुल्क वितरण नहीं किया गया)

रेंज प्रतापगढ़ की समितियों का विवरण

घास के संकलन का समितिवार विवरण					
क्र.सं.	नाम समिति	घास की मात्रा (क्विंटल में)			
		1999-2000	2000-2001	2001-2002	योग
1.	कालकामाता	25	20	50	95
2.	कोतवाल	83	70	–	153
3.	मेहन्दीखेड़ा	115	90	45	250
4.	मामदा	31	25	–	56
5.	दनियार	115	85	65	265
6.	पण्डाया	63	35	–	98
7.	राणपुरा	17	15	–	32
8.	नान्दीखेड़ा	–	10	–	10
9.	हमीरपुर	–	30	25	55
10.	गुवाली	18	15	10	43
11.	मालियों का खेड़ा	25	10	–	35
12.	सादड़ियों का माल	18	10	–	28
13.	पतेलिया	25	15	–	40
14.	नयाखेड़ा	60	90	150	300
15.	आम्बीराग	60	–	–	60
	योग	655	520	345	1520

नोट : समितियों के सदस्यों के द्वारा एकत्रित की गई घास घरेलू उपयोग में नि:शुल्क लिये जाने से समिति के खातों में आय जमा नहीं करवाई गई है।

रैंज देवगढ़ की समितियों का विवरण

क्र.सं.	नाम समिति	वर्ष 1999-2000		वर्ष 2000-2001		वर्ष 2001-2002		योग	
		घास की मात्रा (क्विंटल में)	आय (रुपयों में)	घास की मात्रा (क्विंटल में)	आय (रुपयों में)	घास की मात्रा (क्विंटल में)	आय (रुपयों में)	घास की मात्रा (क्विंटल में)	आय (रुपयों में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आडावेला	45	3900	60		150	9770	255	13670
2.	टीला	145		670	6500	150	700	965	7200
3.	चिकलाड	45				290	10400	335	10400
4.	खूटगढ़	40	2540	38	3900	135	2970	213	9410
5.	धारणी	85		200	1800	100		385	1800
6.	धोलीमगरी	50		50		50	500	150	500
7.	सेवरा	75		20	1750	20		115	1750
8.	सीजगखेड़ा	40	2850	20		10		70	2850
9.	महूडीखेड़ा	100	3200	410	3100	120	4280	630	10580
10.	भूतियावाड़	200	1250	700	7000	220		1120	8250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	धावडिया	70		20		20	1000	110	1000
12.	नकोरखेड़ी	200	9567	262	95764	440	24754	902	130085
13.	शम्भपुरा	35	600	330		80		445	600
14.	बान्दनखीरा			350	2000	150	3500	500	5500
15.	बजरंग	35	4200	15	1000	12		62	5200
16.	त्रिवेणी महादेव	25	1300	10	1000	15	1500	50	3800
17.	गमेत	94		98		150		342	
18.	केसरपुरा	58		22		10		90	
19.	खण्डाइखेड़ा	25		15		15		55	
20.	ऊटाखेड़ा	115		30		30		175	
21.	हरमरफला	75				30		105	
22.	बूझारा गांव	75		300		80		455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	तलाया	40		15		10		65	
24.	पडाखोरा	25		20		60		105	
25.	ठीकणिया	9		5		10		24	
26.	चिरवा	65		35		30		130	
27.	बिहारा	20		200		50		270	
28.	कुण्डालिया	35		25		50		110	
29.	सावन्तपुरा	45		25		10		80	
	योग	1871	29407	3945	123814	2497	59374	8313	212595

नोट : रेंज देवगढ़ की कुछ समितियों के द्वारा सदस्यों से प्राप्त की गई घास का शुल्क निर्धारण कर उससे प्राप्त राशि समितियों के खातों में जमा करवाई गई है। जबकि कुछ समितियों के द्वारा अपने सदस्यों को घास निःशुल्क वितरित किये जाने का निर्णय लिये जाने से समिति को आय नहीं हुई है।

परिशिष्ट "ग"

रेंज देवगढ़ एवं प्रतापगढ़ की वे वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियां जिनमें गैर आदिवासी सदस्य हैं (संख्यावार) विवरण

(अ) रेंज देवगढ़

क्र.सं.	नाम समिति	गैर आदिवासी सदस्यों की संख्या
1.	राणपुर	1
2.	साबाखेड़ा	4
3.	केसरपुरा (झातला)	9
4.	बजरंग	107
5.	कानामाता	4
6.	त्रिवेणी महादेव	15
7.	भमैरिया	6
8.	झातला	12
	योग	158 कुल सदस्य

(ब) रेंज प्रतापगढ़

क्र.सं.	नाम समिति	गैर आदिवासी सदस्यों की संख्या
1.	कोतवाल	4
2.	गामदा	1
3.	वनियार	4
4.	पण्डावा	6
5.	पटेलिया	8
6.	आम्बिया (वीरपुर)	2
7.	कालिकामाता (वीरपुर)	2
8.	नारदा	2
9.	कुण्डला	4
	योग	33
	महायोग	191 कुल सदस्य

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में दर्ज अभियोग संख्या 30/2000 की जांच में अनियमितताएं

376. **श्री राजेन्द्र पारीक** (सीकर) एवं **श्री मांगीलाल डांगा** (मेड़ता) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में प्राथमिक जांच संख्या पी. 30/2000 दिनांक 17.4.2000 को दर्ज की गई थी? क्या उक्त प्राथमिक जांच का अन्तरिम तथ्यात्मक प्रतिवेदन ब्यूरो के उप अधीक्षक पुलिस द्वारा दिनांक 25.4.2000 से 30.4.2000 तक जिला मुख्यालय एवं अन्य क्षेत्रों का दौरा कर, रिकार्ड का अवलोकन कर, बयान लेकर क्रमांक 513 दिनांक 8.5.2000 को प्रेषित किया? यदि हां, तो आरोपवार अन्तरिम तथ्यात्मक प्रतिवेदन का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अन्तरिम तथ्यात्मक प्रतिवेदन में उप अधीक्षक द्वारा फव्वारा संयंत्रों की दरों, सम्बन्धित डीलरों को फायदा पहुंचाने का आरोप, दूरस्थ खसरों पर ऋण अनुदान दुरुपयोग सम्बन्धी आरोप अप्रमाणित पाये गये?

(3) क्या यह सही है कि प्राथमिक जांच पी. 30/2000 के अन्तरिम तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 8.5.2000 क्रमांक 513 की प्रस्तुति के उपरान्त, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अन्य पुलिस उप अधीक्षक श्री शशीकान्त ने प्राथमिक जांच रिपोर्ट दी है? यदि हां, तो कब? क्या उक्त उप अधीक्षक ने जिला मुख्यालय पर जाकर बिना मौका देखें, दोनों पक्षकारान के बिना रिकार्ड देखे एवं बयान लिये, बिना कृषकों के बिना बयान लिये ही प्राथमिक जांच कर मुकदमा क्रमांक 185/2001, 186/2001, 187/2001, 188/2001, 189/2001, 190/2001, 191/2001, 192/2001, 197/2001, 198/2001, 199/2001 परिवादी बनकर दर्ज कराये? यदि हां, तो क्यों? क्या उक्त मुकदमे पक्षपात एवं दबाव में दर्ज कराये? यदि नहीं, तो मुकदमे दर्ज करने से पूर्व दोनों पक्षकारान को क्यों नहीं सुना?

(4) क्या यह भी सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पर दबाव था कि उक्त पुलिस उप अधीक्षक को निर्देश देकर जबरन बिना जांच किये ही मुकदमे दर्ज करवाने पड़े? यदि नहीं, तो उक्त मुकदमे किसके द्वारा दर्ज करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि परिवादी श्री शशीकान्त द्वारा दर्ज समस्त मुकदमात में अनुसंधानकर्ताओं/पुलिस उप अधीक्षकों ने अनुसंधान पूर्ण कर तात्विक प्रतिवेदनों पर कानूनी राय ली है? क्या कानूनी राय के अनुसार उक्त सभी अनुसंधानकर्ताओं ने कानूनी राय के मुताबिक आक्षेपों का निराकरण कर निराकरण टिप्पणियां अथवा

(श्री राजेन्द्र पारीक)

आक्षेप पूर्ति कर समस्त तात्विक प्रतिवेदन ब्यूरो मुख्यालय अथवा पुलिस उप महानीरिक्षक, जोधपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दिनांक 28 फरवरी, 2002 तक प्राप्त हो गये हैं?

(6) क्या यह सही है कि उक्त प्राप्त तात्विक प्रतिवेदनों को दबाव चलते निरस्त कर अधिकारी/कर्मचारी विशेष के विरुद्ध पी.सी. एक्ट में जैसे-तैसे आरोप बनाने की कवायद ब्यूरो ने शुरू की है? यदि हां, तो क्यों?

(7) उक्त समस्त अनुसंधानों में कितने कृषकों के बयान लिये गये हैं? उक्त में से कितने कृषकों में किस-किस ने बैंक अधिकारी को रिश्वत देने की बात कही है व कितने कृषकों ने जबरदस्ती अथवा धोखे से ऋण दिये जाने का आरोप लगाया है तथा कितने कृषकों ने बयानों में स्वीकार किया है कि ऋण से उन्हें फायदा हुआ है और कितने कृषकों ने घटिया पाइप दिये जाने की शिकायत बयानों में की है? बयानों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या यह सही है कि अनुसंधान में फव्वारा संयंत्रों की फोटोग्राफी हुई? यदि हां, तो क्या संयंत्र आई.एस.आई. के पाये? क्या उक्त अनुसंधान में फव्वारा ऋण वितरण से बैंक को लाभ प्राप्त होने की बात उजागर हुई है?

(9) क्या यह भी सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में परिवाद संख्या 53/2001 दर्ज है? यदि हां, तो किस अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध? क्या उक्त परिवाद में निरीक्षक पुत्र की फर्मों के द्वारा ही फव्वारा संयंत्र मिलीभगत से पूर्ति करने का आरोप है? क्या कृषकों का ट्यूबवैल खुदाई में फर्मों द्वारा शोषण का आरोप परिवाद में उठाया है? यदि हां, तो समस्त आरोपों का विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या यह सही है कि सरकार दबाव के कारण आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती है? यदि नहीं, तो अब तक मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही क्यों नहीं की गई? क्या सरकार अब कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। उप अधीक्षक पुलिस ने अपने पत्र क्रमांक 513 दिनांक 8.5.2000 के द्वारा केवल एक बिन्दु पर अपनी राय दी है अन्य बिन्दुओं पर जांच अधिकारी ने विस्तृत जांच करने की अभिशंसा की है। जो अन्वेषाधीन है।

(2) अभी प्रकरण अन्वेषाधीन है।

(3) जी हां। श्री शशीकान्त, उप अधीक्षक पुलिस द्वारा प्राथमिक जांच रिपोर्ट क्रमांक 741 दिनांक 12.3.2001 के द्वारा प्रस्तुत की है। श्री शशीकान्त जोशी, उप

(गृह मंत्री)

अधीक्षक पुलिस द्वारा बैंक के अधिकारियों/कर्मचारियों के बयान व सम्बन्धित रिकार्ड प्राप्त किया था जिनकी रिपोर्ट के आधार पर उक्त प्राथमिक जांच में कुल 11 प्रकरण क्रमशः 185/2001 से 192/2001 व 197/2001 से 199/2001 तक दर्ज किये गये हैं। क्योंकि जांच के दौरान लिये गये रेकार्ड, बैंक अधिकारी/कर्मचारियों के बयानों के आधार पर मुकदमा दर्ज करने के प्रथम दृष्ट्या अनुसंधान हेतु पर्याप्त आधार होने के कारण ही 11 प्रकरण दर्ज किये गये। जी नहीं, चूंकि अनुसंधान अभी कानूनी राये के बाद ज़ैर तफतीश है। उक्त मुकदमे दर्ज करने में कोई पक्षपात एवं दबाव नहीं था।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां। किन्तु विभिन्न बिन्दुओं पर अपूर्ण अन्वेषण के कार्य पूर्ति को पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्पन्न कराया जा रहा है और विधिक अपेक्षा में संदिग्ध के स्पष्टीकरण के लिए मांगे गये समय की समाप्ति तक जवाब आना और उसका परीक्षण शेष है।

(6) जी नहीं। अभी अग्रिम अनुसंधान जारी है।

(7) अभी अग्रिम अनुसंधान जारी है।

(8) अभी अग्रिम अनुसंधान जारी हैं। निर्णय व निष्कर्ष नहीं लिया गया है। कुछ प्रकरणों में फोटोग्राफी कराई गई है। अभी अग्रिम अनुसंधान जारी है।

(9) जी हां। श्री सुरेश चारण तत्कालीन प्रबन्धक निदेशक, जैसलमेर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, जैसलमेर के विरुद्ध था।

जी हां।

जी हां। किन्तु परिवाद की जांच करने पर ट्यूबवैल खुदाई में फर्मों द्वारा शोषण का आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने पर परिवाद नत्थीबद्ध किया गया है।

जी नहीं। अपितु आरोप आधारहीन पाये जाने के कारण कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है।

पुष्कर से अजमेर, फायसागर वाया खरखेड़ी की स्वीकृत सड़क

377. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पुष्कर से अजमेर आवागमन के लिए पुष्कर से फाइसागर वाया खरखेड़ी सड़क की स्वीकृति हुई है?

(2) क्या उक्त सड़क मार्ग को दो हिस्सों में बांटा गया है? क्या उक्त का प्रथम भाग पुष्कर से खरखेड़ी 6 किलोमीटर, द्वितीय भाग खरखेड़ी से फायसागर 6 किलोमीटर है?

(श्री रमजान खान)

(3) क्या यह सही है कि उक्त सड़क के दोनों भागों को पूर्ण करने के लिए प्रथम भाग सार्वजनिक निर्माण विभाग के तहत तथा द्वितीय भाग कृषि विपणन बोर्ड के तहत निर्मित किया जाना है?

(4) क्या यह भी सही है कि प्रथम भाग को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने वर्ष 1998 में ही पूर्ण कर दिया था तथा द्वितीय भाग अभी तक अपूर्ण है? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या सरकार द्वारा द्वितीय भाग को पूर्ण करने के लिए राशि की स्वीकृति जारी की गई है और उसके टेण्डर भी हो गये? यदि हां, तो अभी तक इस सड़क का कार्य शुरू नहीं करने के क्या कारण रहे हैं और अब कब तक उक्त कार्य को शुरू कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं। कृषि उपज मण्डी समिति, अजमेर (अनाज) के अन्तर्गत एक सड़क फायसागर से खरखेड़ी की स्वीकृति की गई थी, जिसकी लम्बाई 6.00 किमी. व अनुमानित लागत 22.80 लाख रुपये की स्वीकृति की गई थी। उक्त स्वीकृति में पुष्कर से फायसागर जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति, अजमेर को केवल फायसागर से खरखेड़ी की 6.00 किमी. सड़क स्वीकृत की गई थी।

(3) फायसागर से खरखेड़ी 6.00 किमी. सड़क निर्माण की ही स्वीकृति कृषि उपज मण्डी समिति, अजमेर (अनाज) के अन्तर्गत स्वीकृति की गई थी, जो कि कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बनाई जानी थी।

(4) कृषि उपज मण्डी समिति, अजमेर को प्राप्त स्वीकृति के अधीन 6.00 किमी. सड़क के निर्माण हेतु कार्यादेश राशि रुपये 17,93,108.00 का जारी किया गया, लेकिन यह डुब क्षेत्र में आने के कारण यह निर्णय लिया गया कि इस सड़क पर कोई व्यय नहीं किया जावे, इस कारण कार्य अभी अधूरा ही है।

(5) आर.आई.डी.एफ. (पंचम) द्वितीय फेज योजना के तहत इस कार्य के लिए 48.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। इसी अनुसार निविदा भी आमंत्रित कर ली गई थी, तत्पश्चात् राज्य सरकार के निर्णय दिनांक 9.5.2000 के अनुरूप आर.आई.डी.एफ. द्वितीय चरण में स्वीकृत सड़कों का निर्माण ऋण लेकर नहीं कराने के फलस्वरूप बोर्ड द्वारा निविदा निरस्त करने के आदेश जारी किये गये।

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के छात्रों को छात्रवृत्ति

378. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अनुसूचित-जाति एवं जन जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति वर्ष 2002 से मार्च, 2002 तक कहां-कहां पर छात्रावासों में दी जा चुकी है एवं कहां-कहां पर बकाया है? उक्त बकाया का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के विद्यालय के छात्रों की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है? यदि हां, तो इनको कब तक दे दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अनुसूचित जाति एवं जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत संचालित छात्रावासों में लगभग भुगतान हो चुका है जिसकी राशि रुपये 420.97 लाख है जिसमें वर्ष 2000-2001 की बकाया राशि रुपये 71.39 लाख का भुगतान भी सम्मिलित है। शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचनानुसार राज्य सरकार द्वारा उनके विभाग को 90 प्रतिशत बजट भुगतान बकाया रहा जिसमें निम्न चार विद्यालय हैं :-

1. विद्या भवन, उदयपुर	2.48 लाख
2. बाल सी.मा.वि., कोटा	3.50 लाख
3. महेश सी.मा.वि., जोधपुर	4.34 लाख
4. सेंट जेवियर स्कूल, जयपुर	0.64 लाख
योग	**10.96 लाख**

भुगतान किये जाने वाले समस्त विद्यालयों की सूची मय स्वीकृत राशि के संलग्न है।

उक्त का भुगतान बजट प्राप्त होते ही कर दिया जाएगा।

(2) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम से सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) करौली को उनकी मांग के अनुसार पर्याप्त बजट दिनांक 12.3.2002 को आबंटित किया जा चुका है। इनके द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृत कर दी गयी है। जिसका भुगतान माह अप्रैल, 2002 में कर दिया जायेगा।

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर

वर्ष 2000-2001 अन्तर्गत प्रतिष्ठित विद्यालयों के बकाया छात्रवृत्ति व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2001-2002 में जारी की गई

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	बकाया राशि (स्वीकृति 2001-02 में जारी)	
		अनु. जाति	अनु. जनजाति
1	2	3	4
1.	आलोक इंगलिश मिडियम स्कूल, उदयपुर	–	22,660
2.	विद्या निकेतन बिरला पब्लिक स्कूल, पिलानी (झुंझुनूं)	–	2,30,400
3.	चौपासनी सी.मा. विद्यालय, जोधपुर	–	50,255
4.	सेंट जेवियर स्कूल, जयपुर	45,051	31,082
5.	महेश सी.मा.वि., जोधपुर	16,92,640	3,59,700
6.	एम.जी.डी. गर्ल्स स्कूल, जयपुर	–	4,79,019
7.	जानकी देवी मंडेलिया होम साइंस स्कूल, पिलानी (झुंझुनूं)	3,38,039	2,54,461
8.	श्री सांईनाथ विद्या मंदिर, बडावली, (नागौर)	26,950	–
9.	वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली (टोंक)	43,000	–
10.	बाल सी.मा.विद्यालय, कोटा	–	7,45,850
11.	विश्वम्भर लाल उ.मा.वि. बगड़, (झुंझुनूं)	6,14,763	2,93,929

1	2	3	4
12.	विश्वम्भर लाल उ.मा.वि. बग्गड़, (झुंझुनूं)	2,10,494	1,64,115
13.	महिला विद्यापीठ सी.मा.वि. भूपासर, (भरतपुर)	2,14,524	2,93,864
14.	आदर्श विद्या मंदिर, जयपुर	–	8,030
15.	राजस्थान पब्लिक बालिका उ.मा.वि., झुंझुनूं	–	9,13,495
16.	जमनादास माथाली उ.मा.वि., यड़गदा	12,335	–
17.	सरस्वती बालिका उ.मा.वि., जयपुर	54,543	34,247
	योग	**32,53,339**	**38,86,107**

ह०/–

सहायक निदेशक (माध्यमिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,

बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर

वर्ष 2001-2002 अन्तर्गत प्रतिष्ठित विद्यालयों के व्यय की स्वीकृति का विवरण

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	स्वीकृत की गई राशि 2001-02	
		अनु. जाति	अनु. जनजाति
1	2	3	4
1.	जमनादास माधवजी उ.मा.वि., बगड़दा (डूंगरपुर)	13,621	26,790
2.	बी.आर.जे.डी. पब्लिक स्कूल, भौरूग्राम (चूरू)	16,62,120	21,48,711
3.	बगड़िया बाल निकेतन, लक्ष्मणगढ़ (सीकर)	11,60,130	10,65,627
4.	लाला कमलापत सिंघानिया शिक्षण संस्थान, गोटन (नागौर)	49,210	2,61,197
5.	ग्राम भारती विद्यापीठ उ.मा.वि. कोठ्यारी, (सीकर)	1,48,910	1,29,607
6.	बिरला सी.मा.वि. (जू.सै.) पिलानी (झुंझुनूं)	8,69,950	4,08,290
7.	वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली (टोंक)	–	25,615
8.	सरस्वती बालिका सी.मा. विद्यालय, जयपुर	51,760	34,490
9.	जानकी देवी मंडेलिया होम साइंस स्कूल, पिलानी (झुंझुनूं)	5,69,221	3,87,481
10.	आदर्श विद्या मंदिर, जयपुर	3,34,448	25,064
11.	बिरला बालिका विद्यापीठ, पिलानी (झुंझुनूं)	1,11,000	2,77,513
12.	बीकानेर बायज स्कूल, बीकानेर	12,060	21,450
13.	विश्वम्भर लाल उ.प्रा. विद्यालय, बग्गड़ (झुंझुनूं)	1,07,280	1,07,280
14.	विश्वम्भर लाल उ.मा. विद्यालय, बग्गड़ (झुंझुनूं)	[illegible],16,180	2,80,790

1	2	3	4
15.	महेश सी.मा. विद्यालय, जोधपुर	20,77,220	1,72,850
16.	महिला विद्यापीठ, भूसावर (भरतपुर)	2,59,831	4,17,989
17.	पीरामल बालिका उ.मा.वि. बग्गड़ (झुंझुनूं)	2,29,080	1,17,329
18.	बाल सी.मा. विद्यालय, कोटा	8,91,650	9,52,110
19.	एम.जी.डी. गर्ल्स स्कूल, जयपुर	3,73,850	4,14,803
20.	राजस्थान पब्लिक बा.सी.मा.वि. (झुंझुनूं)	8,26,620	7,32,718
21.	मरुधर बालिका विद्याबाड़ी, रानी (पाली)	1,65,730	54,871
22.	बिरला विद्या निकेतन, पिलानी (झुंझुनूं)	–	2,89,700
23.	बी.एस. पब्लिक उ.मा.वि., भरतपुर	5,70,010	6,86,928
24.	राजस्थान बाल मंदिर, बीकानेर	9,77,680	4,98,394
25.	चौपासनी उ.मा.वि., जोधपुर	1,24,100	16,940
26.	भोपाल सिंह आर्य सी.मा.वि., श्रीगंगानगर	2,38,100	58,020
27.	राजस्थान पब्लिक बा.सी.मा.वि., झुंझुनूं	1,76,341	24,080
28.	बिरला सी.मा.वि., पिलानी (झुंझुनूं)	3,56,371	2,06,875
29.	बी.एस. पब्लिक सी.मा.वि., भरतपुर	9,08,533	10,96,533
30.	राजस्थान बाल मंदिर, बीकानेर	15,25,072	7,73,671
31.	वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली (टोंक)	1,38,000	1,66,750
32.	श्री सांईनाथ विद्यापीठ, बडायली (नागौर)	8,78,175	1,97,800
33.	विद्या भवन सी.मा.वि. उदयपुर	35,30,195	32,39,819
34.	विवेक विद्या मंदिर, उदयपुर	9,955	–
35.	आलोक शिक्षा संस्थान, उदयपुर	–	23,460
	योग (ब)	**196,53,982**	**153,04,374**
	कुल योग (अ + ब)	**229,07,821**	**191,90,481**

ह०/–
सहायक निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

सुराणा मल्टीप्लैक्स जयपुर के निर्माण की प्राप्त शिकायत

379. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) एवं डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सुराणा मल्टीप्लैक्स के लिए 68,650 वर्ग गज कृषि भूमि को 30 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ नियमित की गई? क्या उक्त में से 5000 वर्ग गज भूमि के नियमन की दर 180 रुपये प्रति वर्ग गज रखी गई? यदि हां, तो इस प्रकार अन्य वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किस-किस भूमि को नियमित कर आबंटित किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सुराणा मल्टीप्लैक्स को नियमित की गई कृषि भूमि में खसरा नम्बर 173, 153, 156, 157, 158, 161 एवं 162 ऐसी भूमि है जिसको पूर्व में सरकार ने अवाप्त कर खातेदारों को अवार्ड जारी कर दिये थे? यदि हां, तो अवाप्तशुदा कृषि भूमि का नियमन वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किस नियम के तहत किया गया? नियमन के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सुराणा काम्पलैक्स के निर्माण से पूर्व उन्हें एयरपोर्ट अथोरिटी से एन.ओ.सी. प्राप्त कर मानचित्र अनुमोदित करवाना था? यदि हां, तो एयरपोर्ट अथोरिटी का अनापत्ति प्रमाण तथा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित मानचित्र सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि सुराणा मल्टीप्लैक्स का निर्माण बिना मानचित्र के अनुमोदन की शिकायत प्राप्त होने पर तहसीलदार जयपुर विकास प्राधिकरण ने निर्माण कार्य बन्द करवा दिया था? यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य पुन: किसके आदेश से प्रारम्भ किया गया?

उत्तर

(1) जी नहीं। चार कम्पनियां (पिंकसिटी गार्डंस प्रा.लि., पंचरत्ना मोटल्स एण्ड रिसोर्ट प्रा. लि., तनमय गार्डंस प्रा. लि., प्रेरणा एग्रीकल्चरल फार्मस प्रा. लि.) की हाइकोर्ट के फैसलों के अनुसार अवाप्ति से मुक्त खातेदारी की कृषि भूमि 68650 वर्ग गज का रूपान्तरण राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 13.9.2000 के अनुसार पर्यटन इकाई होटल, एक्यूजमेंट पार्क/मनोरंजन गतिविधियां/सिनेमा/ मल्टीप्लैक्स प्रयोजनार्थ किया गया है।

(2) जी नहीं। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 8.5.1975 के जरिये इन खसरों की अवाप्ति प्रोसीडिंग क्वेश की गई थी।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(3) जी हां। एयरपोर्ट अथोरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र व अनुमोदित मानचित्र प्रस्तुत है।

(4) हां। तहसीलदार के नोटिस की पालना स्थगित करते हुए 10 दिन में नक्शों पर निर्णय करने के अंतरिम आदेश प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा दिया गया।

(संलग्नक विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

स्थगित-प्रश्न
दिनांक 20 मार्च, 2002

पार्वती नदी पर काजवे का निर्माण

36. **श्री शिवराम सिंह कुशवाह** (धौलपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भनिया बसई नबाव रोड पर आने वाली पार्वती नदी पर काजवे निर्माण की स्वीकृति दी गई है? यदि हां, तो उक्त स्वीकृति कब दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त निर्माण कार्य शुरू किया गया था? यदि हां, तो कार्य कितना हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त निर्माण कार्य एक वर्ष से बन्द है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि नदी में पानी बताकर निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया है जबकि उसी नदी पर उक्त काजवे के साथ दूसरे काजवे का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण किया जावेगा?

(5) क्या उक्त कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त स्वीकृति दिनांक 22.5.1999 को दी गयी। स्वीकृति की प्रति प्रपत्र ''अ'' में संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त कार्य में अपस्ट्रीम हैडवाल का लगभग 100 मीटर लम्बाई बैड लेवल तक निर्माण किया जा चुका है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। संवेदक के द्वारा वर्षा से पानी आने का कारण बताकर निर्माण कार्य माह 6/2001 से बन्द कर दिया गया। उक्त कार्य वित्तीय वर्ष 2002-2003 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(5) जी नहीं। विभाग के अधिकारी लगातार संवेदक को नोटिस देकर पानी के बहाव को बदलने/रोकने के लिए अनुबन्ध में लिए गए आइट्म को सम्पादित कर कार्य को पूर्ण करने के लिए निर्देशित करते रहे है। इसके अतिरिक्त विभाग के द्वारा संवेदक के विरुद्ध 2% (प्रतिशत) अन्तरिम क्षतिपूर्ति भी आरोपित की गई है। कार्य को पुन: प्रारम्भ कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रपत्र "अ"

Order No. F. 2(51)/PW/AS/Part-A/98 dated 22.5.1999 received Secy. to Govt., PWD, Rajasthan, Jaipur addressed to Chief Engineer (Roads-I), PWD, Rajasthan, Jaipur

Sub : Administrative and financial sanction for construction of New Roads, works under Basic Minimum Service Programme in various districts of Rajasthan during the Year 1999-2000 Phase.

Sir,

I am directed to convey Administrative and financial sanction of the Government for Construction of Road under Basic Minimum Service Programme (BMSP) (Rural Road Area) in various districts or Rajasthan of Rs. 1433.31 lacs as per details contained in the enclosed statement during the current financial year 1999-2000.

The expenditure will be charged to the Budget Head– "5054–Capital outlay on Roads and Bridges–04–Districts and other Roads–800–Other Expenditure–(0010)–Basic Minimum Service Programme–01–Rural Roads (Plan Expenditure)" and expenditure shall be restricted within the overall Plan ceiling of road sector during the year 1999-2000 and subsequent year.

This bear with the concurrance of planning and finance (Exp. III) Department vide their I.D. No. 483/SS/Plan/99 dated 26.4.1999 and I.D. No. 440/F.D./Exp. III/99 dated 18.5.1999 respectively.

प्रपत्र "अ"

पत्र क्रमांक एफ. 2(5) पी.डब्ल्यू./ए.एस./पार्ट-ए/98 दिनांक 22.5.1999 का संलग्न पत्र बी.एस.एस.पी. के कार्य, वर्ष 1999-2000 फेस-प्रथम

क्र.सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	लागत (रुपये लाखों में)	जॉब नं.
	जिला-धौलपुर			
1.	बाडी सेपाऊ सड़क कि.मी. 23 पर पार्वती नदी पर वेंटेड काजवे का निर्माण	सी.डी.	35.00	482/5054/बी. एम.एस. पी./प्लान/2000
2.	मनीया वसाई नवाब सड़क किमी. 6 पर पार्वती नदी पर वेंटेड काजवे का निर्माण	सी.डी.	38.00	483/5054/बी. एम.एस. पी./प्लान/2000
	योग	—	73.00	

विधान सभा क्षेत्र खारची के लम्बित विद्युत कनेक्शन

380. श्री केसाराम चौधरी (खारची): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में कितने घरेलू उपभोक्ता की डिमाण्ड नोटिस की राशि कब से जमा है? ग्रामवार जमा राशि की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में ऐसे कितने ग्राम हैं, जिसमें उपभोक्ताओं द्वारा डिमाण्ड राशि जमा करा दी और विभाग द्वारा सामान भी दे दिया है किन्तु अभी तक उनके विद्युत कनेक्शन नहीं किए हैं?

(3) क्या यह सही है कि गुडाचुतरा में उपभोक्ताओं के कनेक्शन हेतु 38 व्यक्तियों की डिमाण्ड राशि भी जमा है तथा सामान भी एक वर्ष पूर्व दे दिया था? यदि हां, तो उक्त के कनेक्शन नहीं करने के क्या कारण रहे तथा अब कनेक्शन कब तक कर दिये जावेंगे?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची के अन्तर्गत 68 गांवों में घरेलू कनेक्शन हेतु 377 आवेदकों के मांग पत्र की राशि जमा हैं, जिसका ग्रामवार, अवधिवार विवरण परिशिष्ट 'अ' सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) उक्त क्षेत्र में 20 ग्राम ऐसे हैं, जिसमें घरेलू कनेक्शन देने हेतु आवश्यक सामान उपलब्ध करवा दिया गया है परन्तु आपसी असहमति एवं विवाद के कारण कनेक्शन जारी नहीं किये जा सके हैं।

(3) ग्राम गुडाचुतरा में 43 आवेदकों के मांग पत्र की राशि जमा है। इन आवेदकों को कनेक्शन देने के लिए ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाना है परन्तु स्थान के बारे में विवाद के कारण अभी तक ट्रांसफार्मर स्थापित नहीं हो पाया है, इसलिए कनेक्शन लम्बित चल रहे हैं। आपसी विवाद को हल करने के प्रयास किये जा रहे हैं, जिसका समाधान होने पर ट्रांसफार्मर स्थापित कर कनेक्शन जारी किये जा सकेंगे।

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र खारची में लम्बित घरेलू उपभोक्ताओं की
डिमाण्ड राशि जमा की ग्रामवार संख्या सूची निम्नानुसार है

क्र.सं.	गांव का नाम	डिमाण्ड राशि जमा की संख्या	मांग पत्र जमा तिथि
1	2	3	4
1.	हेमलियावास खुर्द	5	7.1.2002 से 14.1.2002
2.	बिठौड़ा खुर्द	6	11.5.1998 से 18.1.2002
3.	रेवड़िया	1	12.2.2002
4.	तालका	2	27.10.2001
5.	बाडसा	3	10.3.2000
6.	खारची	7	18.1.2001 से 26.2.2002
7.	बाजार खारची	1	1.2.2002
8.	काराड़ी	10	11.1.1998 से 25.10.2001
9.	अरबावास	3	26.11.1999 से 29.11.1999
10.	हेमलियावास कलां	2	28.3.2000 से 20.7.2000
11.	जोड़ दूदौड़	3	14.2.2000 से 7.3.2000
12.	दूदौड़	4	28.11.2001 से 3.12.2001
13.	चवाड़िया	5	6.5.2000 से 30.2.2000
14.	बिठौड़ा कलां	2	29.11.2000
15.	लोलावास	3	16.5.2000 से 24.5.2000
16.	सिरींयारी	8	29.10.2001 से 5.2.2002
17.	चेलावास	3	26.7.2000

1	2	3	4
18.	मरनसाबावड़ी	3	1.10.2001
19.	राजावास	6	28.1.2002 से 15.3.2002
20.	सारण	3	13.3.2002
21.	ढाल	1	11.2.2002
22.	गुड़ा दुर्जन	3	1.12.1999 से 8.1.2001
23.	चिरमढ़िया	2	15.1.2001
24.	चौकड़िया	1	7.5.2001
25.	ठाकुरवास	1	23.9.2000
26.	बोरीमादा	13	21.11.2001 से 3.12.2001
27.	अंगदोज	2	21.10.2000 से 23.10.2000
28.	गुढ़ा केसर सिंह	12	4.1.2000 से 15.10.2001
29.	गुडा नवा	6	27.6.1998 से 16.3.2002
30.	फुलाद	12	15.4.1999 से 5.9.2000
31.	गुडा सूरसिंह	5	14.12.2000 से 4.1.2001
32.	रडावास	6.	12.11.1999 से 15.10.2001
33.	गुडा रामसिंह	3	27.7.2000
34.	बोगला	30	31.12.1998 से 10.8.1999
35.	आसन डाकणिया	32	18.9.1998 से 18.9.1998
36.	जागुन्दा	5	28.9.2001 से 14.3.2002

1	2	3	4
37.	जेतपुरा	4	13.1.1999 से 20.8.2001
38.	गुडा भजया	4	1.10.1997 से 18.10.2001
39.	धामली	8	4.7.2001
40.	बाड़िया	1	22.12.2001
41.	धनला	6	25.4.1998 से 19.10.2000
42.	ईसाली	3	11.10.2001
43.	बासनी	2	3.11.2001
44.	बरन्ता	3	14.9.2001 से 1.10.2001
45.	भीमालिया	6	15.7.1999 से 27.7.1999
46.	देवली	4	25.10.2001
47.	जोजावर	9	12.9.2000 से 22.10.2001
48.	आऊंवा	22	7.4.2000 से 1.11.2001
49.	भगोड़ा (गुडाचुतरा)	43	18.9.1998 से 12.12.2001
50.	गुडा भोपढ़	6	28.9.1993
51.	गुडा भाया	14	4.10.1993 से 7.10.1993
52.	मगसिंहपुरा	9	16.11.1999 से 9.12.1999
53.	सिनला	1	31.7.1998
54.	जाडन	3	29.7.1998
55.	जांचेडिया	1	22.9.1998

1 2	3	4
56. बड़ी	1	17.10.1997
57. गुडा गंगा	1	3.3.1997
58. बोपारी	1	21.12.1996
59. खारडी	1	16.1.1999
60. डायलाना कलां	1	9.11.2002
61. लांपी	1	31.8.2001
62. यनोता	1	12.6.2001
63. गुडा आसकरण	1	11.9.2001
64. गांधी	1	8.1.2002
65. गुडा आंराज	1	1.3.2002
66. पिलावना	1	मार्च, 2002
67. कुडा ठाकुरजी	2	दिसम्बर, 2000
68. निम्बली	1	16.10.2000
योग	377	

विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में अवैध वाहनों के संचालन पर रोक

381. **श्री हीरालाल सहरिया** (किशनगंज): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के राजमार्गों पर निजी बसों का संचालन हो रहा है? यदि हां, तो किस-किस मार्ग पर?

(2) क्या सरकार निजी वाहनों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो, क्या एवं कब तक?

(3) क्या सरकार क्षेत्र के अन्य नये मार्गों पर भी राज्य पथ परिवहन निगम की बसें चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) निजी वाहनों के परमिट शर्तो के उल्लंघन में अवैध संचालित होते हुए पाई जाने पर इनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाती है एवं भविष्य में भी की जावेगी।

(3) जी हां। नियम द्वारा परिवहन विभाग को निम्न मार्गों के अनुज्ञा पत्रों के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए हैं जिनके स्वीकृत होने पर बस सेवाओं का संचालन आरम्भ हो सकेगा :

1. बारां से रामगढ़
   (वाया छीनोद-पीपल्दा-रेलावन-पार्वती नदी)
2. बारां से गरड़ा
   (वाया छीनोद-रामपुरिया-उम्मेदपुरा-करणपुरा-पार्वती नदी)

विधान सभा क्षेत्र बाड़ी की स्वीकृत अपूर्ण सड़कें

382. **श्री जसवंत सिंह** (बाड़ी) एवं **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2000-2001 व 2001-2002 में कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में राज्य मद से किया गया था? उक्त अवधि में कितनी सड़कों की मरम्मत व संधारण किया गया? व्यय की गई राशि की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत उक्त विधान सभा क्षेत्र में विगत 2 वर्षों में कितनी सड़क स्वीकृत हुई? कितनी सड़कों की निविदा आमंत्रित कर सड़क निर्माण प्रारम्भ किया गया? वर्तमान में कितनी सड़कें अपूर्ण हैं तथा क्या सरकार अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) बाड़ी खण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2000-2001 व 2001-2002 में राज्य मद से विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में निम्न किमी. सड़कों का निर्माण कार्य हुआ है:

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

वर्ष (सड़क)	किमी.	राशि (लाख व्यय)
2000-2001	2	7.68
2001-2002	4.5	30.73
मरम्मत व संधारण कार्य		
2000-2001	12 नं. सड़क	72.19
2001-2002	5 नं. सड़क	28.14

(2) बाड़ी खण्ड के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में विगत दो वर्षों में 6 सड़कों की स्वीकृति हुई। इन सड़कों की निविदाएं आमंत्रित कर कार्य संवेदकों को आबंटित कर दिया गया है। वर्तमान में सभी 6 सड़कें अपूर्ण हैं। जिनको वर्ष 2002-2003 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

तहसील मुख्यालय चौमूं (जयपुर) में ए.डी.जे. न्यायालय की स्थापना

383. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जयपुर जिले में ए.डी.जे. न्यायालय कार्यरत हैं? यदि हां, तो किस किस स्थान पर?

(2) क्या तहसील मुख्यालय चौमूं (जयपुर) में ए.डी.जे. न्यायालय खोलना प्रस्तावित है? यदि हां, तो क्या माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान ने अपनी सहमति दे दी है?

(3) क्या सरकार चौमूं में ए.डी.जे. न्यायालय इसी सत्र में खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर जिला न्याय क्षेत्र में कुल पांच ए.डी.जे. न्यायालय निम्न स्थानों पर कार्यरत हैं :

क्र.सं.	न्यायालय का नाम एवं स्थान
1.	ए.डी.जे. न्यायालय संख्या-1, एम.ए.सी.टी., जयपुर जिला, जयपुर
2.	ए.डी.जे. न्यायालय सं. 2, जयपुर जिला, जयपुर
3.	ए.डी.जे. न्यायालय, कोटपूतली (जिला जयपुर)
4.	ए.डी.जे. न्यायालय, साम्भर (जिला जयपुर)
5.	ए.डी.जे. न्यायालय, शाहपुरा (जिला जयपुर)

(2) चौमूं में ए.डी.जे. न्यायालय की स्थापना/सृजन के सम्बन्ध में राज्य सरकार तथा माननीय विधायक महोदय से प्राप्त प्रस्ताव माननीय उच्च न्यायालय में नये न्यायालयों के सृजन हेतु गठित माननीय कमेटी के समक्ष विचारार्थ लम्बित है।

(3) चौमूं (जिला जयपुर) में नवीन ए.डी.जे. न्यायालय स्थापित करने के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/स्वीकृति प्राप्त होने पर न्यायालय स्थापित करना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न संख्या–384

(प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) के सदन से निलम्बन के कारण प्रश्न को सूची से पृथक किया गया)

तहसील खानपुर (झालावाड़) में भैरूंपुरा से तारज तक की चारदीवारी निर्माण में अनियमितता

385. **श्री नाथूलाल गुर्जर** (हिण्डौली) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील खानपुर (झालावाड़) में भैरूंपुरा से तारज तक वन विभाग द्वारा रनिंग मीटर में कितनी चारदीवारी कब-कब बनाई गई थी तथा उक्त पर कितना खर्चा किया गया था?

(2) उक्त चारदीवारी में से रनिंग मीटर में कितनी मौके पर मौजूद है तथा कितनी रनिंग मीटर चोरी हो गई हैं? चोरी गई चारदीवारी की लागत वर्तमान में कितनी है?

(3) उक्त चारीदीवारी का निरीक्षण किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब किया गया था, निरीक्षण के समय क्या स्थिति थी?

(4) उक्त चारदीवारी की चोरी हेतु कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध अभी तक क्या कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या जिला वन अधिकारी झालावाड़ को उक्त सम्बन्ध में कुछ लोगों ने शिकायत की थी? यदि हां, तो शिकायत के बाद जांच के निष्कर्ष क्या थे? क्या शिकायत की जांच अभी तक नहीं की है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) तहसील खानपुर (झालावाड़) में भैरूंपुरा से तारंज तक वन विभाग द्वारा वर्ष 1989-1990 से वर्ष 1999-2000 की अवधि में 53701 रनिंग मीटर सूखे पत्थरों की दीवार बिना चुनाई के वृक्षारोपण क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु बनायी गयी।

पत्थर की दीवार को बनाने पर कुल 14.90 लाख रुपये का व्यय हुआ है।

बनायी गयी पत्थर की दीवार का वर्षवार विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" में दर्शाया गया है।

(2) बनायी गयी पत्थर की दीवार में से 19414 रनिंग मीटर दीवार मौके पर मौजूद है तथा 34287 रनिंग मीटर दीवार के पत्थर मौके पर मौजूद नहीं हैं।

मौके पर जो दीवार मौजूद नहीं है उसकी निर्माण लागत 9.75 लाख रुपये है।

(3) तहसील खानपुर (झालावाड़) में भैरूंपुरा से तारज तक समय-समय पर

(राज्य मंत्री, वन)

करवाये गये वृक्षारोपण कार्यों का वर्तमान में पदस्थापित निरीक्षणकर्ता अधिकारियों का दिनांकवार विवरण संलग्न परिशिष्ट "ख" पर दर्शाया गया है।

मौके से दीवार के पत्थर चोरी छुपे ले जाने वालों के विरुद्ध कर्मचारियों द्वारा वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध कर नियमानुसार कार्यवाही की गई है साथ ही पुलिस थानों में भी प्रकरण दर्ज करवाये गये हैं।

(4) उक्त चोरी गयी दीवार के सम्बन्ध में समय-समय पर वन अधिकारियों द्वारा वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई है।

विभागीय स्तर पर पत्थर उठाकर ले जाने के 395 वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध कर 387 प्रकरणों में 6.90 लाख रुपये मुआवजा राशि वसूली की गयी है तथा 8 प्रकरणों में सक्षम न्यायालय में इस्तगासे प्रस्तुत किये गये हैं।

दीवार चोरी के 10 मामले पुलिस थाने में पत्थर ले जाने वालों अपराधियों के विरुद्ध दर्ज करवाये गये हैं। पुलिस थाना खानपुर द्वारा भी उनके स्तर से 23 प्रकरण पत्थर ले जाने वालों के विरुद्ध दर्ज किये जाकर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये गये हैं।

(5) मण्डल वन अधिकारी, झालावाड़ को सीधे रूप से कोई शिकायत नहीं की गई है परन्तु ग्राम सूमर, चौकली, नयागांव बांजारान, पुर्जनपुरा, चौकसी, नयागांव ठाकुरान पिपलाज, बहावदा, बैसार के ग्रामवासियों द्वारा जंगलों के कोट से अवैध पत्थर बेचने बाबत शिकायत जिला कलक्टर, झालावाड़ एवं वन संरक्षक, पूर्वी वृत, कोटा के माध्यम से दिनांक 27.2.2002 को मण्डल वन अधिकारी, झालावाड़ को प्राप्त हुई है।

इन शिकायतों की जांच मण्डल वन अधिकारी, झालावाड़ द्वारा किये जाने पर कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया है।

एक अन्य शिकायत हाल ही में श्री लखनलाल गुर्जर पंचायत समिति सदस्य क्षेत्र बैसार सूमर की प्राप्त हुई है जिसकी जांच वन संरक्षक, अजमेर द्वारा की जा रही है।

परिशिष्ट "क"

तहसील खानपुर (झालावाड़) में भैरूंपुरा से ताराज तक वर्ष 1989-90 से 1990-2000 तक विभिन्न वृक्षारोपण क्षेत्रों में बनाई गई पत्थर की दीवार का विवरण

क्र.सं.	नाम वृक्षारोपण	वर्ष	कुल पत्थर की दीवार (रनिंग मीटर में)
1	2	3	4
1.	वारापाटी वापावर-I	1989-90	1867
2.	वारापाटी वापावर-II	1991-92	2020
3.	नयागांव	1991-92	3336
4.	पिपलाज	1991-92	2080
5.	जगदीशपुर	1991-92	2655
6.	नीमपुर	1991-92	3465
7.	शिवनगर ढाणी	1991-92	1717
8.	हथोला अकखद-I	1991-92	2280
9.	हथोला अकखद-II	1991-92	3480
10.	मूतराडा	1991-92	4031
11.	कोटडा वीरान	1992-93	2424
12.	सरेडीमाता-I	1992-93	2457
13.	सरेडीमाता-II	19[illegible]-93	2190

1	2	3	4
14.	माटाफा पड़ाव	1992-93	2187
15.	आनन्दपुरा	1992-93	2224
16.	बीकली	1993-94	1340
17.	बैसार	1993-94	2642
18.	बोरखेड़ी	1993-94	2223
19.	धोली घाटी	1993-94	2047
20.	सुखरेडी-I	1993-94	2225
21.	बारापाटी	1994-95	2186
22.	बारापाटी वापावर	1994-95	2125
23.	पाटाजी महाराज	1997-98	330
24.	सोजपुर	1997-98	170
		योग	**53701**

परिशिष्ट "ख"

तहसील खानपुर (झालावाड़) में भैरूंपुरा से तारज तक वन विभाग द्वारा करवाये गये कार्यों के वर्तमान में पदस्थापित अधिकारियो के निरीक्षण दिनांक का विवरण

क्र.सं.	अधिकारी का पद	निरीक्षण दिनांक
1.	क्षेत्रीय वन अधिकारी, खानपुर	3.1.1996, 5.5.1996, 17.6.1996, 6.1.1997, 15.1.1997, 15.3.1997, 5.7.1997, 13.11.1997, 1.4.1998, 24.4.1998, 10.7.1998, 12.1.1999, 12.5.1999, 22.11.1999, 25.11.1999, 20.4.2000, 15.12.2000, 20.8.2001, 28.8.2001, 21.3.2002
2.	मण्डल वन अधिकारी, झालावाड़	2.3.2001, 1.8.2001, 20.8.2001, 19.9.2001, 10.10.2001 एवं 6.3.2002

नोट : इसके अतिरिक्त पूर्व में पदस्थापित मण्डल वन अधिकारियों, क्षेत्रीय वन अधिकारियों द्वारा भी उक्त क्षेत्र के निरीक्षण समय-समय पर किये जाते रहे हैं।

जिला बाड़मेर में सीमा पार से तस्करी

386. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर में पुलिस ने जनवरी, 2002 में भारी मात्रा में आर.डी.एक्स., हथियार व हेरोइन बरामद कर तस्करों को गिरफ्तार किया है? यदि हां, तो कब व कितनी मात्रा में? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गिरफ्तार तस्कर उक्त माल कहां से लाये, इन्हें किसे दिया जाना था तथा आतंकवाद फैलाने की क्या योजना रची गई थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अब तक कौन-कौन से तस्कर पकड़े नहीं गये जिनका पुलिस पीछा कर रही है?

(4) क्या यह सही है कि उक्त तस्करों में से कुछ तस्कर सेना एवं सीमा सुरक्षा बल के सोर्स से हैं?

(5) तारबंदी के बावजूद सीमा पार से तस्करी क्यों हो रही है, उक्त के पीछे क्या-क्या कमियां हैं? उक्त कमियों को दूर करने के लिए क्या सरकार ने केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया है? यदि हां, तो उक्त के बारे में क्या प्रगति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) गिरफ्तार तस्करों में वांछित अपराधियों की पिछली पृष्ठभूमि क्या है?

उत्तर

(1) जी हां। जिला बाड़मेर की पुलिस ने माह जनवरी, 2002 में तीन हथियार, 25.500 कि.ग्रा. आर.डी.एक्स. व 27.300 किलोग्राम हेरोइन बरामद कर तस्करों को गिरफ्तार किया है। विवरण परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

(2) गिरफ्तार तस्कर उक्त माल पाकिस्तान से लाये थे जिनको विभिन्न आतंकवादी संगठनों द्वारा प्रयोग में लाये जाने की योजना थी तथा इस बारे में अनुसंधान जारी है।

(3) अब तक जिन तस्करों की गिरफ्तारियां नहीं हुई वे हैं :-

1. अमरिया पुत्र अलदाद निवासी भभूते की ढाणी पुलिस थाना-बिजराड, जिला बाड़मेर।
2. मीरा पुत्र अकलू निवासी बादरे की गफत पुलिस थाना बिराड़, जिला बाड़मेर।
3. मुबारक पुत्र हाजी हमीरा, निवासी नगरड़ा पुलिस थाना शिव, जिला बाड़मेर।

उक्त तस्करों के बारे में अनुसंधान एवं गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

(4) अब तक के अनुसंधान से इस बारे में कोई प्रमाण नहीं पाये गये हैं।

(5) तारबन्दी के बावजूद सीमा पार से तस्करी होने के पीछे निम्न कारण हैं:-

(गृह मंत्री)

1. विकट भौगोलिक स्थिति।
2. एक जैसी भाषा व वेशभूषा।
3. सीमा चौकियों के बीच अधिक दूरी होना।
4. तारबन्दी में विद्युत प्रभाव नहीं होना इत्यादि।

उक्त कमियों को दूर करने के लिए तथा सीमा सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य एवं केन्द्रीय सुरक्षा ऐजेंसियों को शामिल करते हुए गठित "स्टेट लेवल स्टैंडिंग कमेटी" की आगामी बैठक में भी इस सम्बन्ध में भी विचार-विमर्श कर ध्यान आकर्षित किया जायेगा।

(6) गिरफ्तार तस्करों की पिछली पृष्ठभूमि का विवरण व्यक्तिवार परिशिष्ट "ब" में अंकित है।

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	मु.नं. धारा/ दिनांक धारा	गिरफ्तार अपराधी	बरामद माल
1	2	3	4
1.	10/दिनांक 10.1.02 धारा 7/25 आर्म्स एक्ट, 5 वि. पदार्थ अधि. 120बी, थाना सदर बाड़मेर, जिला बाड़मेर	उम्मेद अली पुत्र सलामु जाति मुसलमान, नि. धानेड़ा थाना सदर, बाड़मेर	1. एक ए. के. 47 2. दो खाली मैगजीन 3. 109 जिन्दा कारतूस

नोट : मु. नं. 10/02 थाना सदर बाड़मेर के अनुसंधान के दौरान गिरफ्तार अपराधी उम्मेद अली की सूचना पर मगाराम पुत्र मालाराम मेघवाल, निवासी बीरमाणी थाना झिझानियाली जिला जैसलमेर को गिरफ्तार किया जिसका विवरण मु. नं. 1/02 थाना झिझानियाली जिला जैसलमेर में अंकित है।

2.	मु.नं. 1/दि. 13.1.02 धारा 7/25(1)क आर्म्स एक्ट, 4/5 वि.प.अधि. 5/9 भा.वि.प. अधि. 3/6(1)क, भारतीय तार बेतार अधि स्वयं 120बी भादसं थाना झिझानियाली जिला जैसलमेर।	1. मगाराम पुत्र मालाराम जाति मेघवाल नि. बीरमाणी थाना झिझनियाली जिला जैसलमेर।	1. एक रिवाल्वर छह राउण्ड 2. 86 जिन्दा कारतूस रिवाल्वर 3. दो खाली मैगजीन रिवाल्वर

1	2	3	4
			4. 380 जिन्दा कारतूस ए.के. 47 राइफल 5. 7 खाली मैगजीन ए.के. 47 की 6. एक वायरलैस हैण्ड सैट मेड इन जापान 7. वायरलैस के दो एंटिना सैट 8. 31 इलैक्ट्रानिक डेटोनेटर विभिन्न रंगों में 9. प्यूज विभिन्न रंगों के रिमोट टाइमर–5 10. टाइम स्वीच 22 नग मय टाइम सारिणी के 11. पेंसिल सैल 12 नग 12. आर.डी.एक्स कुल 25.500 किलोग्राम
3.	मु.नं. 7/दि. 17.1.02 धारा 4/5 वि. अधि. 5/9 भा.वि. अधि. 3/6(1)क भारतीय वायरलैस एवं टेलीग्राफ एक्ट एवं 120बी भादस. थाना बीजराड़, जिला बाड़मेर	जाकिया पुत्र मलार जाति मुसलमान, नि. भुगरिया थाना बिजराड़, जिला बाड़मेर 2. आचरिया पुत्र पांधी मुसलमान नि. मुगरिया थाना बिजराड़, जिला बाड़मेर	1. एक वायरलैस सैट (हैण्ड सैट) 2. 500 ग्राम उच्च शक्ति का प्लास्टिक विस्फोटक
4.	मु.नं. 10/दि. 20.1.02 धारा 8/22, 23 एन.डी.पी.एस. एक्ट 7/25(1)क आर्म्स एक्ट थाना बिजराड़, जिला बाड़मेर	1. नाभिया पुत्र दोसू जाति मुसलमान, नि. भभूते की ढाणी थाना बिजराड़ 2. सोटीया पुत्रहाजी महेन्द्रा मुसलमान भभूते की ढाणी ाना बिजराड़, जि. बाड़मेर	1. 26 थैलियों में 27 के.ग्राम 300 ग्राम हेरोइन 2. एक विदेशी चीन निर्मित पिस्टल एक मैगजीन व 7 जीवित कारतूस

परिशिष्ट "ब"

वर्ष 2002 में गिरफ्तार तस्करों की पिछली पृष्ठ भूमि का विवरण

(1) उम्मेद अली पुत्र सलामु मुसलमान निवासी धनोड़ा, थाना सदर बाड़मेर

1. अ.सं. 2/85 धारा 3, 4, 5 टाडा एक्ट 3/6 आई.पी.पी.आर., सम थाना, जैसलमेर
2. मु.नं. 23/85 धारा 307 भा.द.स. थाना झिझनियाली, जिला जैसलमेर–चालान
3. मु.नं. 197/92 धारा 5 टाडा एक्ट थाना सूरसागर जिला जोधपुर–चालान
4. मु.नं. 222/96 धारा 147, 148, 149, 307, 323, 448 ता. हि. थाना सदर बाड़मेर- चालान

(2) आचारिया पुत्र पांधी मुसलमान निवासी भुगारिया थाना बिजराड़, जिला बाड़मेर

1. मु.नं. 9/93 धारा 147, 148, 149, 302 भा. द. स. थाना बिजराड़, जिला बाड़मेर–चालान।
2. मु.नं. 19/93 धारा 3/6 आई.पी.पी.आर. थाना बिजराड़, जिला बाड़मेर–चालान
3. मु.नं. 45/99 धारा 3/6 आई.पी.पी.आर. 188 ता. हि. थाना बिजराड़, जिला बाड़मेर

(3) नाथिया पुत्र दोसू मुसलमान निवासी भभूते की ढाणी थाना बिजराड़ जिला बाड़मेर चालान

1. मु.नं. 66/90 धारा 3/6 आई.पी.पी.आर. थाना बिजराड़ चालान
2. मु.नं. 44/92 धारा 3/6 आई.पी.पी.आर. थाना बिजराड़ चालान
3. मु.नं. 20/94 धारा 3/6 आई.पी.पी.आर. थाना बिजराड़ चालान
4. मु.नं. 19/95 धारा 3/6 आई.पी.पी.आर. थाना बिजराड़ चालान

(4) जाकिया पुत्र मलार मुसलमान निवासी भुगरिया पुलिस थाना बिजराड़

1. मु.नं. 9/93 धारा 147, 148, 149, 302 आई.पी.सी. थाना बिजराड़

(5) कल्ला पुत्र बिलाल जाति मुसलमान नोहड़ी मुसलमान निवास मापुरी थाना गाडरा रोड बाड़मेर

1. मु.नं. 38/76, 4/5, 3/6 आई.पी.पी.आर. थाना रामसर, जिला बाड़मेर

(6) सोठिया पुत्र हाजी महेन्द्र मुसलमान निवासी भभूते की ढाणी बिजराड़ जिला बाड़मेर के विरुद्ध पूर्व में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है

(7) मगाराम पुत्र मालाराम जाति मेघवाल निवासी वीरभाणी थाना झिझनियाली जिला जैसलमेर

1. मुकदमा नं. 6/89, U/S, 408, 468 आई.पी.सी.आर. थाना झिझनियाली, जिला जैसलमेर
2. मुकदमा नं. 1/92, U/S, 379 आई.पी.सी. पुलिस थाना झिझनियाली, जिला जैसलमेर

राज्य की वार्षिक योजनाओं में कटौती

387. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1991 से 2001 की वार्षिक योजनाओं में कितनी-कितनी राशि निर्धारित की गई?

(2) उक्त राशि निर्धारण के पश्चात् उक्त योजनाओं में से कितनी-कितनी राशि की कटौती की गई? उक्त कटौती कुल वार्षिक योजना की कितनी प्रतिशत है?

(3) क्या कटौती के कारण योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे वे पूरे हुए? यदि नहीं, तो लक्ष्यों में कितनी प्रतिशत की कमी हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या वर्ष 1995 से 1998 तक में भी वार्षिक योजना राशि में कटौती की गई है? यदि हां, तो कितनी?

उत्तर

(1) वर्ष 1999 से 2001 के बीच वार्षिक योजनाओं में मूल रूप से निम्नानुसार राशि योजना आयोग द्वारा अनुमोदित की गई थी :-

वर्ष	राशि (करोड़ रु.)
1990-2000	4750.00
2000-2001	4146.15

(2) वर्ष 1999-2000 की वार्षिक योजना में निम्नानुसार संशोधन किया गया:-

(राशि करोड़ रुपयों में)

1. मूल योजना	4750.00
2. संशोधित	3855.14
3. अन्तर	894.86
4. प्रतिशत अन्तर	18.84

उक्त संशोधन योजना आयोग से अनुमोदित है।

(3) वार्षिक योजना 1999-2000 में संशोधन के अनुरूप कुछ मदों में मूल भौतिक लक्ष्यों की अपेक्षा उपलब्धियां कम रही हैं। भौतिक उपलब्धियां अलग-अलग मदों में प्रतिशत में दिया जाना सम्भव नहीं है। भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियों की सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(4) जी नहीं।

परिशिष्ट–1

Table 06

Annual Plan 1999-2000 Rajasthan

Physical Targets and Achievements

Item	Unit	Target 1999-2000	Achievement upto March, 2000
1	2	3	4
I Agriculture & Allied Activities			
A. Agriculture Department			
Agriculture Production			
1. Area under Food Crops			
i. Kharif			
a. Rice	Lac Ha.	1.35	2.00
b. Jowar	Lac Ha.	7.50	5.56
c. Maize	Lac Ha.	9.00	9.30
d. Bajra	Lac Ha.	44.00	39.30
e. Small Millets	Lac Ha.	0.20	0.14
f. Pulses and Arhar	Lac Ha.	20.20	17.91
Total-i		**82.25**	**74.21**
ii. Rabi			
a. Wheat	Lac Ha.	23.50	22.51
b. Barley	Lac Ha.	2.00	2.16
c. Gram & Pulses	Lac Ha.	15.40	10.81
Total-ii		**40.90**	**35.48**
Total Area under Food Crops		**123.15**	**109.69**

1	2	3	4
2. Production of Food Crops			
i. Kharif			
a. Rice	Lac Tonnes	1.75	2.52
b. Jowar	Lac Tonnes	3.20	1.73
c. Maize	Lac Tonnes	10.60	9.64
d. Bajra	Lac Tonnes	21.25	12.99
e. Small Millets	Lac Tonnes	0.05	0.01
f. Pulses and Arhar	Lac Tonnes	5.40	1.48
Total-i		**42.25**	**28.37**
ii. Rabi			
a. Wheat	Lac Tonnes	68.00	64.04
b. Barley	Lac Tonnes	4.00	4.11
c. Gram & Pulses	Lac Tonnes	12.25	10.07
Total-ii		**84.25**	**78.22**
Total Production of Food Crops		**126.50**	**106.59**
3. Commercial Crops			
(1) Area under Oil seeds			
i. Kharif			
a. Sesamum	Lac Ha.	4.50	2.12
b. Groundnut	Lac Ha.	2.50	2.74
c. Castor Seed & Soyabean	Lac Ha.	6.60	5.42
Total-i		**13.60**	**10.28**

1	2	3	4
ii. Rabi			
a. Rape & Mustard	Lac Ha.	23.60	24.28
b. Linseed	Lac Ha.	0.20	0.17
c. Tarameera	Lac Ha.	1.20	1.00
Total-ii		**25.00**	**25.45**
Total Area under Oil Seeds		**38.60**	**35.73**
(2) Production Oil Seeds			
i. Kharif			
a. Sesamum	Lac Tonnes	0.85	0.16
b. Groundnut	Lac Tonnes	2.50	2.64
c. Castor Seed & Soyabean	Lac Tonnes	8.05	6.73
Total-i		**11.40**	**9.53**
ii. Rabi			
a. Rape & Mustard	Lac Tonnes	24.50	26.00
b. Linseed	Lac Tonnes	0.10	0.12
c. Taramira	Lac Tonnes	0.70	0.38
Total-ii		**25.30**	**26.50**
Total Production of Oil Seeds		**36.70**	**36.03**
(3) Cotton			
i. Area	Lac Ha.	5.80	4.64
ii. Production	Lac Bales	15.00	11.04
(4) Sugarcane			
i. Area	Lac Ha.	0.20	0.20
ii. Production	Lac Tonnes	10.00	12.15

1	2	3	4
(5) Gaur			
i. Area	Lac Ha.	19.00	26.48
ii. Production	Lac Tonnes	5.00	2.32
4. HYV Programme			
i. Area Covered			
a. Paddy	Lac Ha.	0.50	0.50
b. Jowar	Lac Ha.	0.40	0.48
c. Maize	Lac Ha.	0.33	0.72
d. Bajra	Lac Ha.	16.50	15.21
e. Wheat	Lac Ha.	16.00	16.80
Total-i		**33.73**	**33.71**
ii. Seed Distribution			
a. Paddy	'000 Qtls	2.20	0.95
b. Jowar	'000 Qtls	4.20	0.97
c. Maize	'000 Qtls	7.50	14.01
d. Bajra	'000 Qtls	48.00	50.30
e. Wheat	'000 Qtls	210.00	305.23
Total-ii		**271.90**	**371.46**
5. Other Improved Seed Distribution			
i. Kharif			
a. Moong	'000 Qtls	7.00	7.60
b. Tur	'000 Qtls	0.90	0.85

1	2	3	4
c. Urad	'000 Qtls	1.70	1.27
d. Cowpea	'000 Qtls	0.85	0.73
e. Moth	'000 Qtls	0.80	0.37
f. Sesamum	'000 Qtls	1.50	0.86
g. Ground Nut	'000 Qtls	6.50	2.54
h. Soyabean	'000 Qtls	17.50	12.05
i. Castor Seed	'000 Qtls	1.00	2.19
j. Cotton	'000 Qtls	42.00	44.39
k. Guar	'000 Qtls	1.50	5.46
Total-i		**81.25**	**78.31**
ii. Rabi			
a. Barley	'000 Qtls	3.20	10.91
b. Gram	'000 Qtls	16.00	11.38
c. Rape & Mustard	'000 Qtls	35.00	51.77
d. Lin Seed	'000 Qtls	0.20	—
Total-ii		**54.40**	**74.06**
Total Improved Seed Distribution		**135.65**	**152.37**
6. Fertiliser Consumption			
i. Kharif	Lac Tonnes	3.84	3.93
ii. Rabi	Lac Tonnes	6.13	4.27
Total Fertiliser Consumption		**9.97**	**8.20**

1	2	3	4
7. Compost Development			
i. Urban Compost	Lac Tonnes	7.20	6.04
ii. Rural Compost	Lac Tonnes	56.00	39.96
ii. Green Manuring	Lac Ha.	0.72	0.51
8. Plant Protection Measures			
i. Area Covered			
a. Kharif	Lac Ha.	41.00	46.55
b. Rabi	Lac Ha.	38.00	37.00
ii. Technical Grade Material Used			
a. Kharif	000 Tonnes	0.83	0.86
b. Rabi	000 Tonnes	2.43	1.50
9. Quality Control			
i. Seed Samples Analysed	000 Nos	5.00	3.26
ii. Fertiliser Samples Analysed	000 Nos	6.00	4.35
ii. Pesticide Samples Analysed	000 Nos	1.20	1.35
10. Soil & Water Sample analysed	Lac No.	2.48	2.05
B. Horticulture Development			
1. Plantation of New Orchards	Ha.	10000	9019
2. Rejuvination of Old Orchards	Ha.	1500	1460

1	2	3	4
3. Distribution of fruit Plants	Lac No.	40.00	32.48
4. Drip Installation	Ha.	1600	1177
5. New Area brought under Vegetables	Ha.	10000	9347
6. Distribution and Demonstration of Onion Veg. to SC Farmers	No.	250	162
7. Assistance on P.P. measures to farmers	No.	400	560
C. Soil-Conservation			
1. Forest Department			
i. Soil Conservation Works in Ravine/Hilly Areas Plantation	Ha.	400	400
2. Indo Swis (PAWADI) Treatment of Land	Ha.	580	135
D. Animal Husbandry			
1. Artificial Insemination	Lac No.	9.22	6.38
2. Castration	Lac No.	6.39	6.00
3. Fertility Camps	No.	15696	17294
4. Opening of veternary Hospitals	No.	100	100
5. Opening of veternary Sub-Centres	No.	400	400
E. Sheep & Wool			
1. Extension Works			
i. Sheep Doses	Lac No.	99.62	120.96
ii. Sheep Castration	Lac No.	8.00	8.80

1	2	3	4
iii. Sheep Vaccination	Lac No.	60.00	76.79
iv. Spray of Sheep	Lac No.	46.00	67.01
v. Sheep Treatment	Lac No.	11.00	17.75
2. Cross Breeding Programme			
i. Through Exotic Rams	Lac No.	0.30	0.32
ii. Through Cross Breed Rams	Lac No.	1.04	0.59
Total Cross Breeding Programme		**1.34**	**0.91**
3. Lamb Born			
i. Half Breed	Lac No.	0.15	0.20
ii. Quarter Breed	Lac No.	0.52	0.31
Total Lamb Born		**0.67**	**0.51**
4. Wool Analysis Lab. - Wool Samples Analysed	No.	25000	25568
5. Training Camps Orgnised	No.	20	20
6. Training Institute - No. of trained persons from all courses	No.	600	540
F. Dairy Development			
1. Distribution of Cattle Feed	000 M. Tonnes	70.00	84.92
2. Orga. of Dairy Coop. Societies	No.	N.F.	5595
3. Membership of DCS	Lac No.	N.F.	4.15
4. Milk Collection			
i. Total	Lac Liters	2555.00	2847.00
ii. Average per day	Lac Liters	7.00	7.80

1	2	3	4
5. AI & NS Done	000'No.	140	171
G. Fisheries			
1. Fish Seed Production	Million No.	270.00	238.51
2. Fish Production	000 Tonnes	18.00	12.97
H. Forestry			
1. Fuel Wood & Fodder Scheme-Plantation	Ha.	3000	3000
2. Reforestation of degraded forest-Plantation	Ha.	1500	1500
3. Commercial Plantation	Ha.	500	500
4. World Food Programme-Distribution of Food Unit	Lac No.	24.45	17.08
5. Farm Forestry Seedling	Lac No.	50.00	50.00
6. Aravalli Afforestation Project Plantation on Community Land	Ha.	2550	2550
7. Forestry Development Project			
i. Advance Actions	Ha.	4000	4000
ii. Plantation	Ha.	12493	12532
iii. Raising of Seedlings	Lac No.	150.00	150.00
8. Under 20 Point Programme			
i. Plantation	Ha.	32037	36298
ii. Distribution of Plants	Lac No.	250.00	310.72
I. Cooperation			
1. Short Term Loan	Rs. in Crore	900.00	868.68
2. Medium Term Loan	Rs. in Crore	127.03	88.80
3. Long Term Loan	Rs. in Crore	250.00	243.34
J. SHORTAGE & WAREHOUSING-Construction of Godown - Storage Capacity	M.T.	—	32700

1	2	3	4
II. RURAL DEVELOPMENT			
A. Integrated Rural Development/SGSY			
i. No. of SHGs providing with revolving fund	No.	—	91
ii. No. of Swaroj Garies Trained	No.	—	15419
iii. No. of Swaroj Garies Received Subsidy/Loan	No.	—	31017
B. Women Development Programme - Self Helf Groups	No.	1000	3913
C. J.G.S.Y.			
i. Employment Generated	Lac Mandays	97.16	104.22
ii. Indra Awas			
a. Const. of New Houses	No.	17245	31682
b. Up-grading	No.	8622	5758
D. Employment Assured Scheme	Lakh Mamdays	—	90.93
E. DPAP-No. of Watershed Projects	No.	176	178
F. MLALAD-No. of Works Completed	No.	NF	5225
G. Panchayati Raj			
i. Rural sanitation programme	No.	6450	32
ii. Constt. of Improved Chullas	No.	75000	87503
iii. Allotment of Plots	No.	30000	24262
H. D.D.P. - Watershed Project (Sanctioned)	No.	841	917
I. Mewat Board	No. of Work	—	44
J. Dang Area Development	No. of Work	—	154
K. Rural Growth Centre	No. of Work	—	379
L. Batties Zila Batties Kaam	No. of Work	—	1207
M. United Fund	No. of Work	—	833
N. Apana Gaon Apana Kaam	No. of Work	—	1311
O. Bio Gas- Plants Installed	No.	1000	1012

1	2	3	4
III. IRRIGATION AND FLOOD CONTROL			
A. Irrigation			
1. Irrigation Potential Created			
i. Multipurpose Projects - Mahi	Ha.	888	445
ii. Major Projects			
a. Gurgoan Canal	Ha.	500	—
I. IGNP			
a. Stage I	Ha.	4000	2000
b. Stage II	Ha.	48000	28000
II. Bisalpur	Ha.	2500	500
Sub-Total-ii		**54500**	**30500**
III. Medium Projects			
1. Som Kamla Amba	Ha.	—	57
2. Panchana	Ha.	1000	—
3. Parwan Lift	Ha.	2500	2531
4. Chhapi	Ha.	7000	2500
Sub-Total-iii		**10500**	**5088**
IV. Modernisation Projects			
1. Gambhiri	Ha.	100	225
2. Jai Samand	Ha.	1000	106
Sub-Total-iv		**1100**	**331**
V. Minor Irrigation - Flow Schemes	Ha.	9200	6236
Total Irrigation Potential Created		**76188**	**42600**

1	2	3	4
2. IGNP			
Lining of Distributory System			
a. Stage I	Kms.	20.00	4.95
b. Stage II			
i. Flow	Kms.	180.00	77.85
ii. Lift	Kms.	125.00	120.22
Total (b)		**305.00**	**198.07**
3. Mahi Bajaj Sagar Project Unit-II			
a. Earth Work	L. Cum.	1.57	0.36
b. Lining	L.Sqm.	1.03	0.83
c. Pucca Work	No.	587	37
B. Ground Water Department			
1. Inventory of Wells	No.	4300	5460
2. Collection of Water Samples	No.	3675	4264
3. Chemical analysis of water Samples	No.	3675	4810
4. Geophysical sounding	No.	320	331
C. Command Area Development			
1. IGNP			
i. Constt. of Village Roads	kms.	33.00	5.57
ii. Detailed Soil Survey	'000 Ha.	25.00	24.09
iii. Constt. of Diggies	No.	20	14
iv. On Farm Development			
a. Survey & Planning	'000 Ha.	100.00	115.00
b. Constt. of Water Course Lining	'000 Ha.	80.00	47.02

1	2	3	4
2. Chambal Project			
i. Irrigation Works			
1. Canal Lining	Kms.	1.60	1.68
2. Canal Structures	Nos.	44	50
3. Earth work (Including Canal Capacity)	Cu.M.	84000	91412
4. Road Repair (New WBM)	Kms.	3.00	7.00
5. Outlets	Nos.	75	86
ii. Drainage Works			
Special Repair of Drains	Km.	—	17.45
iii. On Farm Development			
1. Surveys	Ha.	3000	3003
2. Planning & Design	Ha.	3000	3195
3. Construction	Ha.	3000	1807
3. Mahi Bajaj Sagar Project CAD			
i. Constt. of Water Courses	Ha.	1000	267
ii. Constt. of Lining	Km.	10.50	11.31
iii. Constt. of Rapids	Km.	4.50	0.88
iv. Constt. of Structures	No.	75	49
4. Development of Mandies in IGNP Area			
i. Sale of Plots by Mandi Committee, Bikaner	No.	150	237

1	2	3	4
ii. Sale of Plots by Mandi Committee, Hanumangarh	No.	450	536
iii. Sale of Plots by Mandi Committee, Jaisalmer	No.	350	120
F. Colonisation			
i. Allotment of Land	Lac Ha.	1.00	0.88
ii. Beneficiaries	No.	N.F.	16528
V. POWER DEVELOPMENT			
A. R.S.E.B.			
1. Installed Capacity			
i. Total Level	MW	3364.21	3689.49
2. During the year			
I. With Own			
a. Uprating at Pong BRB	MW	8.22	—
b. Suratgarh TPS	MW	—	250.00
II. Central Sector (Uchahar + RAPP)	MW	—	81.50
III. Private Project (RSPCL)	MW	—	2.00
3. Transmission Lines-220 KV			
Total during the year		**8.22**	**333.50**
i. Lines Length (S/C)	CKms	325.00	184.42
ii. Sub-Station	MVA	400.00	500.00

1	2	3	4
4. Transmission Lines-132 KV			
i. Lines Length (S/C)	CKms	250.00	216.12
ii. Sub-Station	MVA	162.50	125.00
5. Capacitors	MVAR	300.00	323.97
6. Sub Transmission Lines-33 KV			
i. Lines Length (S/C)	Km	1030.00	867.30
ii. Sub-Station	MVA	370.00	441.90
7. Rural Electrification			
i. Villages Electrified	No.	700	540
ii. Wells Energised	No.	30000	22942
B. Rajasthan Energy Dev. Agency			
1. Sale of Solar Lantern	No.	300	150
2. Domestic Lights	No.	3800	3800
3. Street Lights	No.	300	300
4. Strengthning of Domestic Lights	No.	12000	12063
5. Village Electrified	No.	60	126
VI. INDUSTRY AND MINERALS			
A. Industry			
1. Industry Department			
i. Registration of SSI Units	No.	4000	4027
ii. Reg. of Artisan Units	No.	5000	5067
iii. Group Insurance for H.L. Weaver	No.	7500	4574

1	2	3	4
iv. Subsidy for Reg. with BIS	No.	25	32
v. Workshed cum Housing Construction of Common Workshed	No.	600	615
vi. Subsidy for D.G. Set	No.	300	249
vii. Training for Leather Development	No.	140	160
viii. P.M.R.Y. (Person Benefitted)	No.	16100	15996
2. Khadi and Village Industry			
i. Production			
a. Woollen Khadi	Rs. in crores	30.00	22.61
b. Cotton Khadi	Rs. in crores	20.00	13.32
c. Village Industries	Rs. in crores	450.00	442.85
ii. Additional Employment			
a. Khadi Industry	Lac. No.	0.12	0.09
b. Village Industry	Lac. No.	0.25	0.20
iii. Assistance to Village Ind.	No.	2000	3206
3. Raj. Handloom Dev. Corp.			
i. Training to Weavers	No.	300	286
ii. Employment to Weavers	No.	1000	362
4. R.S.I.C.			
1. Air Cargo Complex Sanganer	M.T.	1250	1408
2. Inland Container Depo	TEU's No.	15500	13181
3. Old Age Pension to Master Craftsmen	No.	30	32

1	2	3	4
4. Group Insurance Scheme	No.	12000	14480
5. State Award for Master Craftsmen	No.	30	29
6. Training Programme			
i. Artisans Assistance Programme			
a. Centre	No.	10	8
b. Trainies	No.	300	164
ii. Camel Hide Training Centre			
a. Centre	No.	1	8
b. Trainies	No.	8	5
5. R.F.C.			
i. Units Assisted	No.	2000	1429
ii. Loan Sanctioned	Rs. in crores	150.00	204.54
iii. Loan Disbursement	Rs. in crores	125.00	127.80
6. RIICO			
i. Term Loan Sanctioned	Rs. in crores	90.00	93.56
ii. Term Loan Disbursed	Rs. in crores	60.00	44.32
iii. Equity Sactioned	Rs. in crores	1.00	0.63
iv. Equity Disbursed	Rs. in crores	0.50	0.63
v. Interest Free Sales Tax Loan-Sanctioned	Lac Rs.	500.00	265.38
vi. Interest Free Sales Tax Loan-Disbursed	Lac Rs.	500.00	137.00
vii. Plot Alloted	No.	1500	1006

1	2	3	4
viii. Central/State Subsidy Sanctioned	Lac Rs.	—	33.54
ix. Central/State Subsidy Disbursed	Lac Rs.	75.00	120.91
7. State Enterprises			
i. Salt Trading	Mt. Tonnes	1000	—
ii. Crude Sodium Sulphate	Mt. Tonnes	2500	—
B. Minerals			
1. Mines & Geology Department			
i. Intensive Prospecting & Mineral Survey Scheme			
a. Reconnaisance (RMS)	Sq. Km.	5600	6232
b. Regional Geological Mapping	Sq. Km.	695	721
c. Detailed Geol. Mapping	Sq. Km.	52	53
d. Drilling	'000 Meters	14.03	15.68
2. Rajasthan State Mineral Development Corporation			
i. Production of Rock Phosphate	Lac M.Ton.	0.84	1.45
ii. Sale of Rockphosphate	Lac M.Ton.	1.40	1.43
iii. Production of Gypsum	Lac M.Ton.	11.40	16.96
iv. Sale of Gypsum	Lac M.Ton.	11.50	16.73
v. Production of Lime Stone	Lac M.Ton.	8.41	8.13

1	2	3	4
vi. Sale of Lime Stone	Lac M.Ton.	8.41	8.29
vii. Production of Lignite	Lac M.Ton.	3.00	2.22
viii. Sale of Lignite	Lac M.Ton.	3.00	2.22
VII. TRANSPORT			
1. Roads			
a. Roads Construction (Level)	Km.	86358	85450
b. Roads Const. during the year			
i. Tribal Area (MNP)	Km.	50	18
ii. General (MNP)	Km.	320	115
iii. Rural Roads (MNP)	Km.	30	10
iv. BMS	Km.	390	91
v. NABARD	Km.	560	208
Total-(b)		**1350**	**442**
c. Village Connected with BT Roads (As per 1991 Census)			
i. 1500 and above	No.	135(5738)	48(5651)
ii. 1000-1500	No.	202(2983)	82(2863)
iii. 1000 and below	No.	43(6868)	30(6855)
Total-(c)		**380(15589)**	**160(15369)**
d. Panchayat Head Quarter Connected with BT Road	No.	265(7860)	104(7699)

1	2	3	4
2. Agriculture Marketing Board- Road Construction	Km.	1000	1525
3. R.S.R.T.C.			
i. Purchase of New Busses	No.	500	215
ii. Total Buses at the end of year			
a. Corp. Buses	No.	4713	4326
b. Hired Buses	No.	225	231
c. Operated Km.	Crore Km.	50.50	50.00
d. Fleet Utilisation	%	90	90
e. Vehicle Utilisation per day per bus	Km.	283	289
f. Load Factor	%	67.00	65.80
g. KMPL	Km.	4.78	4.77
VIII. Science & Technology - Environment Education and Awareness Programme	No.	153	—
IX. Economic Service			
A. Tourism			
1. Development of Tourist Sites	No.	23	6
2. Fairs & Festival Organised	No.	10	21
X. Social & Community Services			
A. Education			
1. Elementary Education			
i. Class I-V (age group 6-11)			

1		2	3	4
a.	Total Enrolment			
i.	Boys	000 No.	4598	4868
ii.	Girls	000 No.	3150	2676
	Total-a		**7748**	**7544**
b.	Percentage of Enrolment			
i.	Boys	%	129.41	137.00
ii.	Girls	%	73.11	62.11
	Total-b		**117.71**	**108.77**
c.	Enrolment of SC			
i.	Boys	000 No.	795	781
ii.	Girls	000 No.	403	318
	Total-c		**1198**	**1099**
d.	Percentage of Enrolment			
i.	Boys	%	130.97	128.66
ii.	Girls	%	70.09	55.08
	Total-d		**101.35**	**92.97**
e.	Enrolment of ST			
i.	Boys	000 No.	553	559
ii.	Girls	000 No.	246	225
	Total-e		**799**	**784**
f.	Percentage of Enrolment			
i.	Boys	%	128.90	130.30
ii.	Girls	%	58.57	53.57
	Total-f		**94.11**	**92.34**

1	2	3	4
ii. Class VI-VIII (age group 11-14)			
a. Total Enrolment			
i. Boys	000 No.	2042	1690
ii. Girls	000 No.	913	637
Total-a		**2955**	**2327**
b. Percentage of Enrolment			
i. Boys	%	102.77	85.05
ii. Girls	%	48.33	33.72
Total-b		**76.24**	**60.04**
c. Total Enrolment SC			
i. Boys	000 No.	354	301
ii. Girls	000 No.	128	89
Total-c		**482**	**390**
d. Percentage of Enrolment			
i. Boys	%	101.12	85.98
ii. Girls	%	39.75	27.64
Total-d		**72.81**	**58.91**
e. Total Enrolment ST			
i. Boys	000 No.	254	216
ii. Girls	000 No.	91	61
Total-e		**345**	**277**
f. Percentage of Enrolment			
i. Boys	%	105.83	90.00
ii. Girls	%	38.89	26.07
Total-f		**72.78**	**58.43**

1	2	3	4
iii. Opening of Rajeev Gandhi Pathshala	No.	16000	12160
iv. Upgradation of PS to UPS	No.	1000	1000
v. Non Formal Centre	No.	(17600)	(17600)
vi. Sarswati Yojana	No. of Centres	(550)	(550)
vii. Free Uniform for Students	Lac No.	1.11	1.11
viii. Free Books for Students	Lac No.	60.00	60.00
2. Secondary Education			
i. Expansion of Facilities			
a. Upgradation of UPS to SS	No.	400	400
b. Upgradation of SS to Sr. SS	No.	200	200
c. Hostles	No.	(4)	(4)
d. Telant Scholarship for SC/ST Girls Students of Rural Area in Class X	No.	320	100
e. Incentive to Minority Girls Students	No.	5000(7834)	2524(5358)
f. State Insurance for Students	Lac No.	55	55
g. Teachers for Minority Language	No.	200	200
3. Adult Education			
i. Enrolment			
a. Total Literacy Compaign (TLC)	LacNo.	12.71	39.70

1	2	3	4
b. Post Literacy Compaign (PLC)	Lac No.	51.18	35.20
c. Continuing Education (CE)	Lac No.	16.11	4.02
Total		**80.00**	**78.92**
4. College Education			
i. Introduction of New Subjects	No.	15	26
ii. Upgradation/Opening of New Colleges	No.	14	14
iii. N.S.S. Students	No.	44500	44500
5. Technical Education			
i. Polytechnics			
a. Institutions	No.	1(23)	(22)
b. Intake Capacity-Diploma	No.	80(1990)	40(1950)
B. Medical & Health			
1. Opening of Sub Centres	No.	75	75
2. Opening of PHC			
i. Rural	No.	12	12
ii. Urban	No.	5	5
3. Opening of Accidental Care Unit	No.	1	—
4. Family Welfare Programme			
i. Sterlisation	Lac No.	N.F.	2.26
ii. IUD Insertions	Lac No.	N.F.	2.36
iii. OP Users	Lac No.	N.F.	5.11
iv. CC Users			

1	2	3	4
5. Ayurved			
Opening of Ayurvedic/ Unani Dispensaries	No.	150	11
C. P.H.E.D.			
Drinking Water - Village to be covered			
1. Main Habitation	No.	40	18
2. Other Habitation	No.	2560	2207
3. P.C. to F.C.	No.	3400	3933
D. Housing & Urban Development			
1. Low Income Group Housing Scheme - Houses	No.	450	60
2. Middle Income Group Housing Scheme - Houses	No.	400	444
3. Housing Board - Construction of Houses	No.	4894	3092
4. Conversion of dry Latrines into Flush Latrines	No.	12121	10000
5. Swarn Jyanti Shahari Rojgar Yojana			
i. USEP - Persons Benefitted	No.	5680	5690
ii. USEP - Persons Trained	No.	1928	2410
iii. UWEP	Lakh Mandays	2.95	3.07

1	2	3	4
E. Labour and Labour Welfare			
1. Craftsmen Training			
i. Industrial Training Institutes - (ITIs)	No.	5(109)	1(105)
ii. Intake Capacity	No.	536(10292)	348(10104)
iii. Vocational Training-cum-Production Centres			
a. Centres	No.	(4)	(4)
b. Total Seats	No.	(240)	(240)
2. Bonded Labour Rehabilitated	No.	NF	71
3. Inspection of Factories	No.	2550	2927
F. Welfare of Backward Classes			
1. Welfare of SC			
i. Post Matric Scholarship	No.	51090	48650
ii. Maintenance of Hostels	No.	56	—
iii. Book Bank	No.	38	38
iv. Construction of Boys Hostels	No.	63	13
v. Scholarship to the Children of Family Engaged in uncleaned occupations	No.	21150	15392
vi. Integrated Development for Sambal Villages	No.	37	—

1	2	3	4
2. Welfare of ST			
i. Post Matric Scholarship	No.	43850	40700
ii. Pre-exam. Trag. Centres	No.	37	37
iii. Construction of Boys Hostels	No.	8	8
3. Welfare of O.B.C.			
1. Assistance to Gadia Luhar for raw material - persons	No.	200	78
2. Residencial School under EAP	No.	4	4
3. Pre-Matric Scholarship	No.	200	200
4. Post-Matric Scholarship	No.	100	100
G. Social Welfare			
1. Assistance for Prosthetic Aid-Persons	No.	7870	4300
2. Handicapped Scholarship	No.	29000	19564
3. Polio Correction Camp	No.	1000	1100
4. Assistance for Marriage of Widow's Daughter	No.	1000	893
H. Nutrition			
1. ICDS Beneficiaries	Lac No.	16.35	11.76

अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण प्रतिशत में वृद्धि

388. श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग को विभक्त करने के लिये कई सामाजिक संगठन जगह-जगह धरने प्रदर्शन, आम सभा कर रहे हैं? क्या अन्य पिछड़ा वर्ग में पुरानी पिछड़ी जातियों तथा नई जोड़ी गई जातियों की सरकार अलग श्रेणी बनाये जाने की कोई योजना बना रही है? यदि हां, तो क्या?

(2) क्या सरकार सरकारी सेवाओं में जितनी जिसकी संख्या भारी, उतनी उसकी भागीदारी वाले नारे पर आरक्षण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने पिछड़ा वर्ग की सूची को तीन भागों में विभाजित करने एवं उनको अलग-अलग आरक्षण प्रतिशत निश्चित करने की सिफारिश राज्य सरकार को आपने नवें प्रतिवेदन (जुलाई, 2001) में की थी, उसे राज्य सरकार ने स्वीकार नहीं किया है।

(2) राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु क्रमशः 21 प्रतिशत, 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया हुआ है। राज्य सरकार इस स्थिति में परिवर्तन का विचार नहीं रखती है।

नगरपालिका बारां में धर्मशाला के मुख्य द्वार के पास दुकान पर अतिक्रमण

389. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा), **श्री जगन्नाथ** (मनोहरथाना) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगरपालिका बारां में धर्मशाला मुख्य प्रवेश के आसपास बनी हुई दुकान संख्या 5 दिसम्बर, 2000 तक किसको किराये पर दी गई थी और वर्तमान में उक्त दुकान किस-किस के नाम है?

(2) क्या उक्त दुकान किसी अन्य को किराये पर दी गई या बिना किराया दिये ही कोई वर्तमान में अन्य किरायेदार जबरदस्ती उस दुकान का उपयोग कर रहा है? यदि नहीं, तो पूर्व किरायेदार ने क्यों खाली की? क्या उपरोक्त दुकान को पुनः किराये पर देने हेतु कोई प्रचार प्रसार किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान किरायेदार नगरपालिका का वार्ड पार्षद है? यदि हां, तो उसके नाम व पते की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त नगरपालिका व किरायेदारों के बीच में क्या लिखा-पढ़ी किन शर्तों

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

पर कितनी अवधि के लिये हुई? क्या दुकानें किराये पर दी गई थीं? यदि हां, तो उक्त सम्बन्धी सभी दस्तावेजों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या नगरपालिका किरायेदार द्वारा आगे किरायेदार को दुकान स्थानान्तरित करने की अनुमति देती है? यदि हां, तो किन आदेशों व निर्देशों के तहत की गई? यदि नहीं, तो उक्त दुकान क्यों स्थानान्तरित की गई? उक्त सम्बन्धी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगरपालिका बारां में धर्मशाला की दुकान नं. 5 श्री रामचन्द्र पुत्र श्री गणपत लाल के नाम दिसम्बर, 2000 तक किराये पर थी तथा वर्तमान में श्री मुस्तकीम पुत्र श्री अब्दुल बहीद तालाब पाडा के नाम किरायेदारी पर दर्ज है।

(2) जी हां। उक्त दुकान अन्य को किराये पर दी गई है, लेकिन इस मामले में अनियमितताएं होने के तथ्य ध्यान में आये हैं। इसलिए जांच कराई जा रही है।

(3) जी नहीं।

(4) नगरपालिका व किरायेदारों के बीच हुई लिखा-पढ़ी व अनुबन्ध की प्रतियां सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(5) इस बिन्दु का उत्तर प्रश्न के भाग संख्या-2 के उत्तर में निहित है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

जिला श्री गंगानगर के अनुसूचित जाति एवं चयनित परिवारों को विद्युत कनेक्शन

390. श्री सोहन नायक (रायसिंहनगर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार बी.पी.एल. सर्वे सूची में चयनित परिवारों एवं अनुसूचित जाति के लोगों को कम अमानत राशि पर विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) जिला श्री गंगानगर में कितने अनुसूचित जाति एवं चयनित परिवारों को विद्युत की सुविधा उपलब्ध नहीं है? क्या सरकार उक्त व्यक्तियों को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध करवाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा संचालित कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. सर्वे सूची में चयनित परिवारों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को एक प्रकाश बिन्दु घरेलू कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान किया हुआ है जिसमें

(ऊर्जा मंत्री)

अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा कनेक्शन सम्बन्धित व्यय का पुनर्भरण किये जाने की प्रक्रिया अपनाये जाने से इन परिवारों को निःशुल्क कनेक्शन देने की सुविधा प्रदान कराई हुई है। बी.पी.एल. सर्वे सूची में अन्य चयनित परिवारों से कनेक्शन की अमानत राशि न्यूनतम 100/- रुपये ही लिये जाने का प्रावधान किये जाने से फिलहाल इसमें कोई रियायत दिये जाने का विचार नहीं है।

(2) जिला गंगानगर में राज्य सरकार के अभिलेखानुसार 40281 बी.पी.एल. परिवार चिन्हित हैं। जिनमें से माह मार्च, 2002 तक 5211 परिवारों को कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा चुका है व शेष 35070 परिवार इस योजना से लाभान्वित हेतु प्रतिक्षारत हैं जिन पर आगामी वर्षों में उपलब्ध प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

विधान सभा क्षेत्र दूदू के ग्रामों में बस सुविधा

391. श्री बाबूलाल नागर (दूदू): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र दूदू के गांवों को आवागमन के साधनों से जोड़ने हेतु जयपुर से छोटा नरेना वाया हबसपुरा, सीतारामपुरा, जावली होते हुए बस लगाने का विचार रखती है? क्या सरकार जयपुर से रसीली वाया गाडौता, कडबोकाबास, मौजमाबाद होते हुए भी बस लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के कितने पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं जहां पर डामर सड़क बनी हुई है लेकिन आवागमन की सुविधा के लिए बसों का संचालन नहीं किया जा रहा है? क्या सरकार जनहित में ऐसे स्थानों पर बसें लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में इन दोनों मार्गों को खोलने अथवा इन पर बस चलाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जनता या वाहन स्वामियों की ओर से प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार मार्ग खोलने एवं बस चलाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में ऐसे 15 पंचायत मुख्यालय हैं जो डामर की सड़कों से जुड़े हुए हैं लेकिन वहां बसों का संचालन नहीं है। इन पंचायत मुख्यालयों के लिए भी जनता या वाहन स्वामियों की ओर से प्रस्ताव प्राप्त होने पर मार्ग खोलने व बस चलाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

तहसील हिण्डौन के ग्राम झारेडा से अलीपुरा की स्वीकृत सड़क

392. **श्री भरोसी लाल** (हिण्डौन): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है तहसील हिण्डौन के ग्राम झारेडा से अलीपुरा सड़क के लिए दिनांक 13.6.1995 को राशि स्वीकृत की गई थी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सड़क की राशि का उपयोग कितने किलोमीटर के लिए हुआ और कितनी राशि खर्च की गई? क्या उक्त सड़क पूर्ण हो चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सड़क की राशि अधिकारियों की मिलीभगत से अन्य जगह खर्च कर दी गई? यदि हां, तो क्यों? उक्त राशि को अन्यत्र खर्च करने में कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं और उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

(4) क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। स्वीकृति आदेशों की प्रति प्रपत्र ''अ'' में संलग्न है।

(2) उक्त राशि में से 18.01 लाख रुपए व्यय हुये तथा 300 मीटर लम्बाई में सीमेन्ट कंकरीट की सड़क, 2.55 किमी. लम्बाई में डब्ल्यू.बी.एम., 1 किमी. लम्बाई में ओवरसाइज मेटल का कार्य हुआ। इस सड़क की स्वीकृत राशि अन्य कार्यों पर व्यय किये जाने के कारण यह सड़क अपूर्ण है।

(3) जी हां। दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। दोषी अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

(4) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्राथमिकता पर आने पर इस सड़क का डामरीकरण किया जायेगा।

प्रपत्र 'अ'

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
PUBLIC WORKS DEPARTMENT

From : The Addl. Secty. to Govt.,
PWD. Rajasthan, Jaipur

To : The Chief Engineer (R-I)
PWD. Rajasthan, Jaipur

No. F.2 (18) PW/AS/95/D-209/S Dated : 13.6.1995

Sub. : Administrative and financial sanction for construction of New Road works in Rural Areas in various Distt. of Rajasthan during the year 1995-96.

Sir,

I am directed to convey Administrative and financial sanction of the Governor for construction of New Road Rural Areas in various Districts of Rajasthan at an estimated cost of Rs. 1000.00 loan as per details contained in the enclosed statement under Rural Road during the Current financial year, 1995-96.

The expenditure will be charged to the Budget Heard 5054 Capital Outlay on Roads and Bridge-04-Distt. & other Roads-800 other expenditure (ii) other Roads Programme-PI-Rural Roads (Plan Expenditure) and expenditure shall be restricted within the over all plan ceiling of Road sector, during the year 1995-96 and subsequent year.

This issue with the concurrence of Planning & Finance (Exp. I Department vide their I.D. No. 453/SS/Plan/94 dated 5.6.1995 and I.D. No. 1019 dated 9.6.1995 respectively.

Your Faithfully
Sd/-
(Dy. Secretary Works)

ग्रामीण सड़कों के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 के कार्यों की सूची

जिला-सवाईमाधोपुर

क्र. सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	स्वीकृत राशि (लाख में)	जोन नम्बर
1	2	3	4	5
1.	हिण्डौन महुवा सड़क से सम्पर्क सड़क रेवई (1061/81)	1.50	6.65	245/5054/ग्रा.स./प्लान/1995-96
2.	हिण्डौन-झारेड़ा सड़क से अलीपुरा (1318/81)	4.00	18.00	246/5054/ग्रा.स./प्लान/1995-96
3.	राज्य मार्ग 229 से सम्पर्क सड़क जुवाड़ (1252/81)	1.50	6.65	247/5054/ग्रा.स./प्लान/1995-96
4.	सम्पर्क सड़क कुरेड़ी (1110/81)	1.50	6.75	248/5054/ग्रा.स./प्लान/1995-96
5.	सम्पर्क सड़क प्यारयकलां (1334/81)	2.00	9.00	249/5054/ग्रा.स./प्लान/1995-96
6.	सम्पर्क सड़क बरोड़ (1047/81)	2.00	9.00	250/5054/ग्रा.स./प्लान/1995-96
7.	सम्पर्क सड़क खानपुर (930/81)	5.00	17.50	251/5054/ग्रा.स./प्लान/1995-96
8.	सम्पर्क सड़क वीरपुर (906/81)	4.00	18.00	252/5054/ग्रा.स./प्लान/1995-96
9.	सम्पर्क सड़क चांदनोली (1005/81)	3.00	5.00	253/5054/ग्रा.स./प्लान/1995-96
10.	सम्पर्क सड़क खादुपुरा (1103/81)	2.00	3.00	254/5054/ग्रा.स./प्लान/1995-96

1	2	3	4	5
11.	सम्पर्क सड़क कराई (603/81)	2.00	19.00	255/5054/ग्रा.स./ प्लान/1995-96
12.	सम्पर्क सड़क सिघनजाट (476/81)	3.00	16.00	256/5054/ग्रा.स./ प्लान/1995-96
13.	सम्पर्क सड़क सनेट (2156/81)	3.00	7.50	257/5054/ग्रा.स./ प्लान/1995-96
14.	सम्पर्क सड़क खेड़ी हेवत (1951/81)	2.00	5.00	258/5054/ग्रा.स./ प्लान/1995-96
15.	सम्पर्क सड़क जलवाखेड़ी (611/81)	22.00	10.00	259/5054/ग्रा.स./ प्लान/1995-96
16.	सम्पर्क सड़क मोरीजा मोरोल (823/81)	3.00	16.00	260/5054/ग्रा.स./ प्लान/1995-96
17.	सम्पर्क सड़क रावड़ा (425/81)	3.00	15.00	261/5054/ग्रा.स./ प्लान/1995-96
	योग	**44.50**	**178.05**	

राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ का पुनर्गठन

393. **श्री रघुवीर सिंह** (सराड़ा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ का गठन कब एवं क्यों हुआ था? उक्त के क्या-क्या उद्देश्य थे? उक्त संघ का कार्यकाल कब तक रहा एवं क्या कार्य किये?

(2) क्या यह सही है कि वन श्रमिक सहकारी संघ लि. बोर्ड को भंग कर दिया गया है? क्या उक्त में प्रशासक नियुक्त कर रखा है? यदि हां, तो कब से और क्यों?

(3) उक्त संघ की कितनी क्या-क्या एवं कहा-कहां सम्पत्ति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त में अब तक कितने प्रशासक, अवसायक एवं महाप्रबन्धक नियुक्त किये गये?

(5) क्या यह सही है कि, वन श्रमिक सहकारी संघ लिमिटेड पर किसी भी बैंक अथवा सहकारी विभाग का कोई कर्जा नहीं था फिर इस बोर्ड को भंग क्यों किया गया?

(6) सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति के बाद संघ को कितना मुनाफा अब तक हुआ है? संघ का क्या कार्य चल रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या सरकार उक्त संघ को पुन: जीवित करने का विचार रखती है? क्या सरकार उक्त संघ में कार्य कर रही सहकारी समितियों को पुन: अस्तित्व में लाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ लिमिटेड का गठन दिनांक 17.3.1960 को संघ के पंजीकृत उप नियम संख्या-4 की पूर्ति के लिए किया गया, उद्देश्यों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। संघ 17.3.1960 से (अवसायन अवधि दिनांक 11.10.1995 से 13.6.1999 को छोड़ कर) लगातार कार्यरत है एवं संघ द्वारा जंगल कूप कटाई, कोयला, जलाऊ लकड़ी, कत्था, लघुवन उपज, शहद आदि को विपणन करना आदि कार्य किया गया है।

(2) जी हां। संघ के निर्वाचित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 36 (1-ख) के अन्तर्गत दिनांक 16.3.1992 को प्रशासक नियुक्त किया गया था। उसके पश्चात् संस्था दिनांक 11.10.1995 से दिनांक 13.6.1999 तक अवसायन में रही। अवसायन से दिनांक 14.6.1999 को पुनर्जीवित होने से लेकर अब तक पुन: संस्था में प्रशासक कार्यरत है।

(3) संघ की अचल सम्पत्तियों का विवरण निम्नप्रकार है :-

क्र.सं.	स्थान	क्षेत्रफल	विवरण
1.	जयपुर	2526.50 वर्ग गज	भूमि एवं भवन
2.	अलवर	23760.00 वर्ग गज	भूमि एवं भवन
3.	बारां	1563.00 वर्ग गज	भूमि एवं भवन
4.	उदयपुर	2717.00 वर्ग गज	भूमि एवं भवन
5.	बांसी	4616.00 वर्ग गज	भूमि एवं भवन

(4) संघ में अब तक रहे प्रशासकों, अवसायकों एवं महाप्रबन्धकों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(5) जी हां। संघ में निर्वाचित संचालक मण्डल का कार्यकाल पूर्ण हो जाने के कारण राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 36 (1-ख) के प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 16.3.1992 को प्रशासक की नियुक्ति की गई।

(6) संघ वर्ष 1970-71 से निरन्तर संचित हानि में रहा है। वर्ष 1988 में राष्ट्रीय वन नीति में परिवर्तन होने के पश्चात् संघ एवं उससे जुड़ी हुई संस्थाओं में व्यवसाय की कमी हो जाने के कारण प्रति वर्ष हानि की स्थिति ही रही है। प्रशासक/अवसायक के कार्यकाल में हुई हानि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	वर्ष	वार्षिक हानि (लाखों में)
1.	1992-93	2.36
2.	1993-94	2.09
3.	1994-95	2.09
		(अवसायन काल दिनांक 11.10.1995 से)

वर्ष 1994-95 के बाद संस्था के अवसायन में आ जाने के कारण बाद के वर्षों का अंकेक्षण सम्पन्न नहीं हो सका था, जो कि अब करवाया जा रहा है। वर्तमान में संघ में केवल शहद विपणन का ही कार्य किया जा रहा है।

(7) संघ को दिनांक 14.6.1999 को पुनर्जीवित किया जा चुका है। जी हां यथासम्भव।

परिशिष्ट-1

राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ लिमिटेड

पंजीकृत उप नियमानुसार संस्था के उद्देश्य निम्न हैं

उप नियम संख्या-4 संघ के उद्देश्य निम्न लिखित होंगे

1. आदिवासियों एवं वन श्रमिकों की आर्थिक दशा सुधारने एवं वन उपज के ठेकों में इनका शोषण समाप्त करने हेतु उनकी सहकारी समितियों का गठन एवं संचालन करना।

2. सदस्य समितियों को वनों एवं वन सम्पत्ति के ठेके प्राप्त कराने व क्रियान्वित कराने में सहायता करना तथा ऐसी दशा में जबकि प्राथमिक समिति, ठेके न ले सके अथवा प्राथमिक समितियों के द्वारा ऐसे ठेके लेना उनकी सामर्थ्य के बाहर हो तो ऐसी विशेष परिस्थितियों में ठेके लेना व उनको क्रियान्वित करना।

3. उत्पादित माल के संवारने (प्रोसेसिंग), बेचने का प्रबन्ध करना। इस हेतु संघ के बिक्री केन्द्र एवं कल-कारखानों की स्थापना करना।

4. सदस्यों की कार्य विधि में सुधार एवं उनके लिये आवश्यक सुधरे हुए औजारों की व्यवस्था करना।

5. सदस्यों के हित, उनकी आर्थिक उन्नति तथा सुचारू रूप से संचालन के लिये समस्त कार्य करना।

6. वनों का संरक्षण तथा उनके प्रसार के लिये उपाय करना।

7. आवश्यकतानुसार शाखाएं एवं एजेंसियां स्थापित करना।

8. सदस्य समितियों को वन कार्य हेतु कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने का प्रबन्ध करना।

9. सदस्य समितियों के उत्पादित एवं संग्रहित माल की बिक्री हेतु गोदाम निर्माण

करना, खरीदना, किराये पर लेना तथा माल को ढोने हेतु वाहनों की खरीद करना अथवा प्रबन्ध करना।

10. सदस्य समितियों की आवश्यकताएं जुटाने हेतु थोक खरीद करना एवं सदस्यों में वितरित करना।

11. आदिवासियों एवं श्रमिकों की आर्थिक उन्नति एवं सामाजिक सुधार हेतु कल्याणकारी कार्य करना सदस्य समितियों के कार्य की योजना बनाना एवं खाली समय में रोजगार का प्रबन्ध करना।

12. सदस्य समितियों के सुचारू रूप से संचालन करने हेतु उनके कार्य का समन्वय, नियंत्रण एवं मार्गदर्शन करना।

13. उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक ऋण लेना एवं देना एवं संघ की आर्थिक दशा सुधारने हेतु कल-कारखानों, बिक्री केन्द्रों एवं शाखाओं को लाभदायी तरीके से चलाना।

14. उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति एवं सहकारिता के प्रसार के लिये समस्त कार्य करना।

ह०/–

परिशिष्ट-2

राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ लिमिटेड

संघ में लगाये गये सहकारी अधिकारियों का विवरण

(1) प्रशासक

क्र. सं.	आदेश क्रमांक दिनांक	पदेन/ नामजद	नाम अधिकारी	अवधि —से —तक
1	2	3	4	5
1.	फा 15 (8) सविरा/ नियम/शीर्ष/86 दिनांक 16.3.1992	उप रजिस्ट्रार उपभोक्ता	1. श्री महेश जैन	17.3.1992–27.5.1992
			2. श्री खूबीराम शर्मा	28.5.1992–28.12.1992
			3. श्रीमती शोभा कौशिक	29.12.1992–23.2.1994
			4. श्रीमती शशि कन्या शर्मा	24.2.1994–21.3.1994
			5. श्री पूरणमल गहलोत	22.3.1994–30.3.1994
			6. श्रीमती शशि कला शर्मा	31.3.1994–7.6.1994
			7. श्री रमेश चन्द्र शर्मा	8.6.1994–30.12.1994
			8. श्री महेश चन्द जैन	31.12.1994–21.3.1995
			9. श्रीमती त्रिवेणी शर्मा	22.3.1995–30.7.1995
			10. श्रीमती शशि कला शर्मा	31.7.1995–4.8.1995
			11. श्री हरकीरत सिंह	5.8.1995–10.10.1995

1	2	3	4	5
2.	फा 223 (15) सविरा/ उद्योग/961/72 पार्ट-II 196 दिनांक 14.6.1999	नामजद संयुक्त रजि. (मार्केटिंग)		
			12. श्री ताराचन्द	14.6.1999–26.6.2000
3.	सम संख्यक दिनांक 9.7.1999	नामजद महाप्रबन्धक रा.औ.सह. बैंक	13. 14. 15.	
4.	फा 4 (4) सविरा/ नियम/68 दिनांक 3.6.2000	संयुक्त रजि. स.स., उदयपुर	16. श्री दीपक सरकार	27.6.2000–25.7.2000
			श्री शांतिलाल शर्मा	20.7.2000–23.7.2000
			श्रीमती मंजरी भांति	24.7.2000–19.9.2000
5.	फा 4 (4) सविरा/ नियम/68 दिनांक 11.9.2000	समवर्ती अंकेक्षक रा. राज्य स.भू.वि. बैंक, जयपुर	17. श्रीमती शौभा कौशिक	20.9.2000–22.11.2000
6.	फा 4 (2) सह/ 2000 दिनांक 21.11.2000	नामजद	18. श्री आर.सी. शर्मा	23.11.2000–18.1.2001
7.	फा 4 (4) सविरा/ नियम/60 दिनांक 19.4.2001	नामजद	19. श्री आर.के. पुरी	19.4.2001–16.7.2001
8.	सम संख्यक दिनांक 17.7.2001	समवर्ती अंकेक्षक	20. श्रीमती शौभा कौशिक	17.7.2001–21.8.2001
9.	सम संख्यक दिनांक 1.9.2001	नामजद	21. श्री भानुप्रकाश व्यास	22.8.2001–से निरन्तर

1	2	3	4	5
(2) अवसायक		नामजद	1. श्री सुरेश चन्द्र पारीक रा.रजि.वि.स.	11.10.1995–7.11.1995
			2. श्री बंशीवाल चौमीया उप रजि. प्रोसेसिंग	8.11.1995–23.1.1997
			3. श्री ताराचन्द उप रजि. नियम	24.1.1997–20.5.1997
			4. श्री के.एल. यादव से.नि.अति.रजि.	21.5.1997–1.7.1998
		पदेन संयु. रजि. मार्के.	5. श्री खूबीराम शर्मा	2.7.1998–3.9.1998
		,,	6. श्री ताराचन्द	4.9.1998–16.11.1998
		नामजद	7. श्री के.पी. रावत सेवा निवृत्त स. रजि.	17.11.1998–13.6.1999
(3) **महाप्रबंधक**				
1.	सविरा/डी.ए./ संस्थापन/90 पार्ट–2	नामजद	श्री शशि कुमार (स. रजि.)	20.3.1992–3.5.1992
2.	संस्था स्तर पर	नामजद	श्री गिरिजा शंकर पांड्या (संस्थापन लिपिक)	4.5.1992–6.7.1992
3.	सम संख्यक दिनांक 30.6.1992	नामजद	श्री बृज भूषण	7.7.1992–5.7.1993

1	2	3	4	5
4.	सम संख्यक दिनांक 27.3.1992	नामजद	श्री सुरेश चन्द्र पारीक स रजि. (विस)	6.7.1993–4.3.1994
5.	सम संख्यक दिनांक 2.3.1994	नामजद	श्री अब्दुल मजीद खान स रजि. विजिलेंस	5.3.1994–29.3.1994
6.	सम संख्यक दिनांक 28.3.1994	नामजद	श्रीमती त्रिवेणी शर्मा स रजि.	30.3.1994–20.7.1994
7.			श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ स रजि.	21.7.1994–10.10.1995
8.	संस्था स्तर से दिनांक 19.6.1999	नामजद	श्री के.पी. रावत के.नि.स. रजि	15.6.1999–29.7.1999
9.	प. 04(2)सह/99/ जयपुर 29.7.1999	नामजद	श्री आर. के. पुरी संयुक्त रजि.	30.7.1999–27.7.2000
10.	प. 04(2)सह/2000 दिनांक 15.7.2000	नामजद	श्री रामसहाय मीणा रजि.	28.7.2000–31.10.2000
11.	संस्था स्तर से	नामजद	श्री भंवरलाल शर्मा संस्था स्तर से	1.11.2000–23.4.2001
12.	फा. 02(2) सविरा/ विद्या/ब–1/2000 दिनांक 19.4.2001	नामजद	श्री शांतिलाल शर्मा उप रजिस्ट्रार क्षे.अं.अ., उदयपुर	24.4.2001 से निरन्तर

ह०/–

वन मण्डल प्रतापगढ़ एवं चित्तौड़गढ़ द्वारा वृक्षारोपण की जांच

394. श्री नगराज (लसाड़िया): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 1990 से 2001 तक वन मण्डल, प्रतापगढ़ एवं चित्तौड़गढ़ द्वारा बान्सी, धरियावद एवं रेन्ज सीतामाता अभ्यारण्य में कितने-कितने हैक्टेयर में वृक्षारोपण के कार्य स्वीकृत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत वृक्षारोपण में कितने-कितने वृक्ष लगाने का प्रावधान था तथा स्वीकृति के अनुसार कितने वृक्ष लगाये गये व कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विवरण वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त वृक्षारोपण में कितने वृक्ष अब तक जीवित हैं तथा कितने सूख गये हैं? संख्या सूची क्षेत्रवार सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में लगाये गये वृक्ष करीब-करीब सूख गये हैं? यदि हां, तो क्यों? जीवित वृक्षों के रख-रखाव की क्या व्यवस्था की गई है?

(5) क्या सरकार उक्त प्रकार के अवांछित वृक्षारोपण की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 1990 से 2001 की अवधि में बान्सी, धरियावद एवं सीतामाता अभ्यारण्य रेंजों के क्षेत्रों में 12130 हैक्टेयर में कार्य स्वीकृत किये गये।

स्वीकृत वृक्षारोपण का रेंजवार विवरण संलग्न परिशिष्ट ''क'' के अनुसार सदन की मेज पर रखा दिया गया है।

(2) इन वृक्षारोपणों में 84.97 लाख पौधों लगाने का प्रावधान था एवं प्रावधानुसार ही 84.97 लाख पौधे लगाये गये।

इन वृक्षारोपणों पर 12 करोड़ 38 लाख 4 हजार नौ सौ रुपए व्यय किए गये लगाये गये पौधों एवं उन पर व्यय की गई राशि का वर्षवार विवरण संलग्न परिशिष्ट ''ख'' के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) इन वृक्षारोपण क्षेत्रों में जीवित पौधे का रेंजवार विवरण संलग्न परिशिष्ट ''ग'' अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) यह सही नहीं है कि उक्त अवधि में लगाये गये पौधे करीब-करीब सूख गये हैं। लगाये गये पौधे में से लगभग 56 प्रतिशत पौधे अभी भी जीवित हैं।

जीवित पौधों की सुरक्षा हेतु वृक्षारोपण स्थलों में वृक्षपालकों द्वारा सुरक्षा की जा रही है। साथ ही ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के द्वारा भी सुरक्षा का कार्य किया जा रहा है।

(5) जीवित पौधों का प्रतिशत संतोषप्रद होने से किसी प्रकार की जांच करवाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

परिशिष्ट-"क"

वर्ष 1990 से 2001 तक वन मण्डल, प्रतापगढ़ एवं चित्तौड़गढ़ द्वारा बान्सी धरियावद एवं रेंज सीतामाता अभ्यारण्य क्षेत्र में स्वीकृत कार्यों का क्षेत्रफल वार विवरण

क्र.सं.	नाम रेंज	वृक्षारोपण के स्वीकृत कार्यों का क्षेत्रफल (हैक्टेयर्स में)
1	2	3
1.	बान्सी	2915
2.	धरियावद	4895
3.	सीतामाता अभ्यारण्य	4320
	योग	12130

परिशिष्ट ''ख''

वन मण्डल प्रतापगढ़, एवं चित्तौड़गढ़ द्वारा बान्सी, धरियावद एवं रेंज सीतामाता अभ्यारण्य में वर्ष 1990 से 2001 की अवधि में किये गये वृक्षारोपणों पर स्वीकृति अनुसार लगाये गये पौधों तथा व्यय राशि का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	स्वीकृति अनुसार लगाये जाने वाले पौधों की संख्या (लाखों में)	स्वीकृति उपरान्त लगाये गये पौधों की संख्या (लाखों में)	व्यय राशि (लाखों में)
1	2	3	4	5
1.	1990	5.59	5.59	51.516
2.	1991	3.07	3.07	40.644
3.	1992	5.70	5.70	53.073
4.	1993	8.05	8.05	88.207
5.	1994	10.75	10.75	131.902
6.	1995	17.97	17.97	263.900
7.	1996	16.58	16.58	241.890
8.	1997	3.90	3.90	75.247
9.	1998	7.26	7.26	144.140
10.	1999	3.05	3.05	71.690
11.	2000	1.00	1.00	27.660
12.	2001	2.05	2.05	46.180
	योग	84.97	84.97	1238.049

परिशिष्ट "ग"

1990-2001 के मध्य रेंज बान्सी, धरियावाद एवं सीतामाता अभ्यारण्य में लगाये गये एवं जीवित पौधों का विवरण

क्र. स.	नाम रेंज	जीवित पौधों की स्थिति											
		विभाग के नियंत्रण में जो वृक्षारोपण है उनमें जीवित पौधों की संख्या (लाखों में)			पंचायत को सम्भलाये गये वृक्षारोपणों में उनको सम्भलाते समय जीवित पौधों की संख्या (लाखों में)			ग्रामीण सुरक्षा समितियों को प्रबन्धन हेतु सम्भलाये गये वृक्षारोपण में जीवित पौधों की संख्या (लाखों में)			योग		
		लगाये गये पौधों की संख्या	जीवित पौधों की संख्या	प्रतिशत	लगाये गये पौधों की संख्या	जीवित पौधों की संख्या	प्रतिशत	लगाये गये पौधों की संख्या	जीवित पौधों की संख्या	प्रतिशत	लगाये गये पौधों की संख्या	जीवित पौधों की संख्या	प्रतिशत
1.	बान्सी	18.37	11.26	61%	0.22	0.15	68	1.54	1.06	68	20.13	12.47	62
2.	धरियावद	30.57	16.30	53%	2.69	1.65	61	–	–	–	33.26	17.95	54
3.	सीतामाता अभ्यारण्य	31.58	16.96	54%	–	–	–	–	–	–	31.58	16.96	54
	योग	80.52	44.52	55%	2.91	1.80	62	1.54	1.06	68	84.97	47.38	56

जिला बांसवाड़ा में जन प्रतिनिधियों के विरुद्ध दर्ज मुकदमें

395. श्री जीतमल खांट (बागीदौरा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बांसवाड़ा में वर्ष 1998 से मार्च, 2002 तक भूतपूर्व एवं वर्तमान जन प्रतिनिधियों के विरुद्ध कौन-कौन सी घटनाओं में किन-किन धाराओं के तहत कब-कब मुकदमें दर्ज किये गये? नाम-पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मामलों में पुलिस अनुसंधान में कितनों का चालान किया गया और कितनों की अन्तिम रिपोर्ट दी गई? उक्त जन प्रतिनिधियों का किन-किन राजनैतिक पार्टीयों के सम्बन्ध है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा में वर्ष 1998 के मार्च, 2002 के मध्य भूतपूर्व एवं वर्तमान जन प्रतिनिधियों के विरुद्ध कुल 54 अभियोग पंजीबद्ध हुए हैं। जन प्रतिनिधियों के विरुद्ध अभियोगों का अभियोगवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर है जो संलग्न है।

(2) उक्त अभियोगों में बाद अनुसंधान 30 में चालान, 20 में अन्तिम रिपोर्ट दी गई एवं 4 अभियोग अनुसंधानधीन है। उक्त जन प्रतिनिधियों में 20 कांग्रेस, 32 भाजपा, 17 जनता दल, 2 निर्दलीय एवं शिवसेना राजनैतिक पार्टी से सम्बन्धित है। अभियोगवार विवरण परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, पाली के विरुद्ध प्राप्त शिकायत

396. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति, पाली के सचिव के विरुद्ध व्यापारियों द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायतें की गई थी?

(2) क्या यह सही है कि जांच अधिकारी अतिरिक्त कलक्टर, पाली एवं प्रशासक मण्डी समिति, पाली ने अपनी जांच में सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति को भ्रष्ट आचरण हेतु दोषी पाया? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

(3) क्या यह सही है कि अतिरिक्त कलक्टर एवं प्रशासक कृषि उपज मण्डी समिति पाली, के निदेशक, कृषि विपणन को उक्त सचिव के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु पत्र लिखे? यदि हां, तो उक्त पत्रों की प्रति सहित की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या अतिरिक्त कलक्टर द्वारा की गई जांच एवं निदेशक को लिखे गये पत्रों पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सचिव, कृषि उपज मण्डी, पाली के विरुद्ध अध्यक्ष अनाज व्यापार संघ, पाली एवं शुगर मर्चेन्ट एसोसिएशन पाली (मारवाड़) की शिकायत प्राप्त हुई।

(2) जी हां। अतिरिक्त कलक्टर पाली, एवं प्रशासक, कृषि उपज मण्डी समिति, पाली द्वारा विधिवत एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच नहीं कर जानकारी के आधार पर जांच प्रतिवेदन प्रेषित किये हैं। जिसकी प्रतियां परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर संलग्न है।

(3) जी हां। जांच प्रतिवेदन की प्रति उक्तानुसार संलग्न है। इस प्रकरण में निदेशक, कृषि विपणन को पुन: जांच करने के आदेश दिये गये हैं।

(4) जी हां। निदेशक, कृषि विपणन से जांच कराई जा रही है।

परिशिष्ट "अ"

गोपनीय रजिस्टर्ड

राजस्थान सरकार

कार्यालय, जिला कलक्टर, पाली

क्रमांक : एडीएम/पीए/प.2/3/2002/88 दिनांक : 05.2.2002

प्रेषित

श्री सी. आर. चौधरी,
निदेशक, कृषि विपणन,
पंत कृषि भवन, जयपुर।

विषय : श्री दशरथ सिंह, सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, पाली द्वारा खुल्लमखुला भ्रष्टाचार।

सन्दर्भ : आपका पत्रांक प. 12 (2) प्रा. जांच/जे./शिकायतें/2002/56701-2 दिनांक 25.01.2002।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके उक्त सन्दर्भित पत्र के सम्बन्ध में निवेदन है कि अध्यक्ष, ग्रेन मर्चेन्ट एसोसिएशन, पाली के द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन दिनांक 29.12.2001 में (जो कि आप द्वारा उक्त सन्दर्भित पत्र के साथ संलग्न किया जाकर जांच हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाया गया है) व्यापारियों ने श्री दशरथ सिंह, सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, पाली पर जो आरोप लगाये गये हैं, उनके सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जानकारी करने पर आरोप सही पाये गये हैं। श्री दशरथ सिंह, सचिव द्वारा व्यापारियों को डरा-धमकाकर, उन्हें आतंकित कर एवं बिना वजह परेशान कर चौथ वसूली (घूंस) की कार्यवाही की जा रही है।

अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में गुड़ खांडसारी एवं अन्य व्यापारियों के साथ दिनांक 13.12.2001 को बैठक हुई थी, जिसमें श्री दशरथ सिंह, सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, पाली भी उपस्थित थे। इस बैठक में सर्वसम्मति

से सचिव एवं व्यापारियों के समक्ष सार्वजनिक तीन निर्णय लिये जाने के बाद व्यापारियों द्वारा सचिव को घूस देने से मना कर दिये जाने पर सचिव ने बैठक के कार्यवाही विवरण पर, सचिव एवं प्रशासक के हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात् दुर्भावनापूर्वक इस आशय का नोट अंकित कर दिया कि वे कार्यवाही विवरण में लिये गये निर्णय से सहमत नहीं है। बैठक में सचिव स्वयं उपस्थित थे एवं यदि वे किसी बिन्दु पर असहमत थे, तो अपनी असहमति उसी दौरान व्यक्त कर सकते थे। उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण की फोटो प्रति आपके अवलोकनार्थ इस पत्र के साथ संलग्न की जाकर प्रस्तुत की जा रही है।

अतः उक्तानुसार श्री दशरथ सिंह, सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, पाली के विरुद्ध अध्यक्ष ग्रेन मर्चेन्ट एसोसिएशन, पाली द्वारा की गयी शिकायत सही पायी गयी है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार (तीन पृष्ठ)

भवदीय,

Sd/-

(टीकम चन्द बोहरा)

अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली एवं

प्रशासक, कृषि उपज मण्डी समिति, पाली

बैठक कार्यवाही

दिनांक 13.12.2001

आज दिनांक 13.12.2001 को श्रीमान् (ADM) प्रशासक महोदय की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निम्नांकित व्यापारीगण उपस्थित हुए :-

क्र.सं.	नाम फर्म	प्रतिनिधि	हस्ताक्षर
1.	श्री नरसिंह इण्डस्ट्रीज	श्री गजानन्द	
2.	श्री रामसुख प्रीति	श्री अमर चन्द	
3.	श्री अली एण्ड कम्पनी	श्री राजकुमार	
4.	श्री नरेन्द्र कुमार एण्ड कम्पनी	श्री नरेन्द्र कुमार	
5.	श्री मानमल नितेश कुमार	श्री श्याम कुमार	
6.	श्री विनोद ट्रेडर्स	श्री विनोद कुमार	

उपरोक्त व्यापारियों द्वारा निम्नलिखित समस्याओं से प्रशासक महोदय को अवगत कराते हुए निम्नलिखित मांगे रखी–

1. मुख्य मण्डी यार्ड से नियमित कृषि जिन्सों का निकासी के समय नकल की प्रति व गेट पास दोनों ही दिये जा रहे हैं। इससे व्यापारियों को काफी परेशानी होती है। कारण कि अधिकांश माल परचून एक एक दो दो नगों के रूप में बिकता है। इसके अलावा व्यापारी नियंत्रण कृषि जिन्सों के साथ–साथ अन्य वस्तुओं का भी व्यापार करते हैं। जैसे दालें, चावल एवं तेल तथा पशु आहार आदि।

   अत: व्यापारियों द्वारा यह मांग रखी गयी कि मण्डी यार्ड से माल गेट पास से बिल नं. अंकित कर मण्डी यार्ड से बाहर (निकासी हेतु) जाने दिया जावे एवं गेट पास पास के साथ बिल की प्रति नहीं ली जावें। पूर्व में भी बिल की प्रति गेट पास के साथ नहीं ली जाती थी। माल गेट पास में बिल नं. अंकित किया जाता था।

2. व्यापारियों द्वारा मण्डी पैड माल भी मंगाया जाता है। नियमानुसार मण्डी पैड माल को मण्डी यार्ड में लाने की जरूरत नहीं है। अत: उक्त कृषि जिन्सों को शहर गोदामों में ले जाने दिया जावे।

3. जिन कृषि जिन्सों पर 17 (7) के देने का प्रावधान है। उन्हें 17(7) पेश करने के बाद मण्डी पैड माना जावे।

4. सभी व्यापारियों द्वारा अपने शहर स्थित गोदामों की सूचियां पूर्व में कार्यालय में दे चुके है। अत: नियमानुसार उनका गोदामों का पंजीयन किया जावे। तत्पश्चात् सचिव ने अवगत कराया कि श्रीमान् अति. निदेशक महोदय के पत्रांक निकृवि/सस/18712 दि. 15.5.2001, क्रमांक प. 14(7)114/निकृवि/सस/23717 जयपुर दिनांक 23.6.2001 एवं क्रमांक निकृवि/सतर्कता/48868 जयपुर दिनांक 1.12.2001 को श्रीमान् प्रशासक महोदय को अनुपालना हेतु अवलोकन कराया गया।

1. खांडसारी पर आवक जावक पर पूर्णतया नियंत्रण रखा जावे।
2. मुख्य मण्डी यार्ड के मण्डी गेट पर आने वाली सभी कृषि जिन्सों के प्रवेश पत्र काटे जावे एवं जावक के समय भी बिलों पर जावक मोहर लगायी जावे।
3. समय समय पर उक्त मिलान भी किया जावे।
4. खांडसारी एवं नियंत्रित कृषि जिन्सों का व्यापार पूर्ण स्थानान्तरण मुख्य मण्डी प्रांगण में ही किया जावे।
5. मण्डी समिति में एक गुड़ शक्कर के व्यापारी श्री सोहन राज गरोलिया द्वारा मण्डी यार्ड में व्यापार स्थानान्तरित कराने बाबत शहर स्थित गोदामों का पंजीयन नहीं करने बाबत श्रीमान् निदेशक महोदय, जयपुर सहायक निदेशक महोदय, जोधपुर, श्रीमान् जिलाधीश महोदय, पाली व अतिरिक्त जिलाधीश महोदय, पाली व श्री माननीय मंत्री महोदय श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, कृषि राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार को भी पत्र जारी किये गये। तत्पश्चात् (ADM) प्रशासक महोदय, कृषि उपज मण्डी समिति, पाली द्वारा निम्न निर्णय दिया गया।

1. मण्डी टैक्स पैड माल की मण्डी प्रांगण से निकासी हेतु गेट पास पर बिल नं. अंकित करने के पश्चात् बिल की अनिवार्यता नहीं रखी जावे व मण्डी यार्ड से शहर स्थित गोदाम में जाने वाली कृषि जिन्स का गेट पास की जगह लेटर पैड पर लिख कर देगा।
2. कृषि जिन्सों का व्यापार मण्डी प्रांगण से बाहर पाया जावे तो इसे मण्डी यार्ड में स्थानान्तरित करने हेतु नियमानुसार समुचित कार्यवाही की जावे।
3. मण्डी पैड का माल का विक्रय निगम 64 के अनुरूप पुन: खुली नीलामी से मण्डी यार्ड में विक्रय करना अनिवार्य नहीं है। अत: मण्डी पैड माल अन्य मण्डियों से मंगवाई जाती है तो उसका इन्द्राज मण्डी गेट चेक पोस्ट पर करवाया जाना आवश्यक रहेगा तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

Sd/-	Sd/-
सचिव	प्रशासक
कृषि उपज मण्डी समिति	कृषि उपज मण्डी समिति
पाली–मारवाड़	पाली–मारवाड़

बैठक के निर्णय से मैं असहमत हूं क्योंकि निर्णय निदेशालय के उपरोक्त वर्णित पत्रों के अनुसार नहीं है। अत: निदेशालय को बैठक कार्यवाही अनुमोदनार्थ भिजवाई जावे।

Sd/-
सचिव

परिशिष्ट "ब"

गोपनीय रजिस्टर्ड

टीकमचन्द बोहरा
अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं
प्रशासक कृषि उपज मण्डी समिति,
पाली

अ.शा. पत्रांक : एडीएम/पीए/2002/81
दिनांक 29.1.2002

विषय : सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, पाली (श्री दशरथ सिंह मनोहर) के भ्रष्ट आचरण एवं ईमानदार व्यापारियों के साथ तानाशाही पूर्ण रवैया बाबत।

सन्दर्भ : आपका पत्र पत्रांक प. 12 (2) निकृवि/प्रा. जांच/जे. 234/01/52317 दिनांक 3.1.2002 एवं अ.शा. पत्रांक : प. 12 (2) प्रा. जांच/जे. 54506 दिनांक 10.1.2002।

आदरणीय,

आपके उक्त सन्दर्भित पत्रों के क्रम में निवेदन है कि श्री दशरथ सिंह मनोहर, सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, पाली के विरुद्ध समय–समय पर व्यापारियों, विभिन्न संगठनों एवं जन प्रतिनिधियों से मौखिक एवं लिखित शिकायतें अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त होती रही है। इनके सम्बन्ध में मेरे द्वारा विभिन्न स्रोतों से जानकारी करायी जाने पर यह पाया गया कि श्री सिंह का कार्य व्यवहार उचित नहीं है। ये व्यापारियों को किसी न किसी बहाने/कारणों से अनावश्यक रूप से परेशान करते रहते हैं और उनका कार्य व्यवहार दम्भपूर्ण है। व्यापारियों को उनके द्वारा ब्लैक मेल किए जाने की शिकायतें भी प्राप्त हुई है। इनके द्वारा व्यापारियों को इस आशय की धमकी भी दी गई है कि इनके विरुद्ध कोई बयान इत्यादि दिये गये, तो उस व्यापारी का व्यापार बरबाद कर देगा। इस कारण से व्यक्तिगत तौर पर (Indiviually) कोई व्यापारी बयान देने की स्थिति में नहीं है। यही नहीं, इनके द्वारा गुड़ खांडसारी की दुकानों का व्यक्तिगत लाभ एवं लालच से मण्डी से बाहर पंजीयन करने हेतु प्रेरित किया गया और इस हेतु अनुचित रूप से चौथ वसूली (घूंस) की मांग की गई। मण्डी समिति की मेरे द्वारा ली गई बैठक में इस आशय का निर्णय सचिव एवं व्यापारियों के समक्ष सार्वजनिक रूप से लिया गया

था, किन्तु व्यापारियों द्वारा सचिव को घूंस देने से मना कर दिये जाने पर उन्होंने बैठक के कार्यवाही विवरण पर सचिव एवं प्रशासक के हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात् दुर्भावनापूर्वक अनावश्यक रूप से इस आशय का नोट अंकित कर दिया कि वे कार्यवाही विवरण में लिये गये निर्णय से सहमत नहीं है, जबकि सचिव स्वयं इस बैठक में उपस्थित थे और किसी भी प्रकार की असहमति होने से वे बैठक के दौरान व्यक्त कर सकते थे।

सचिव श्री दशरथ सिंह मनोहर को मेरे द्वारा कई बार इस आशय की हिदायतें दी गई कि वे व्यापारियों एवं जन प्रतिनिधियों से सद्व्यवहार करें और व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से कोई दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही नहीं करें, किन्तु समय-समय पर दी गई हिदायतें के बावजूद उनके कार्य व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया है और यदि इनका कार्य व्यवहार इसी तरह जारी रहा तो मण्डी व्यापारियों द्वारा इनके विरुद्ध सामुहिक रूप से व्यापार बन्द करने, धरना देने व प्रदर्शन करने को विवश होना पड़ेगा, जिससे कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और मण्डी समिति एवं काश्तकारों के हितों को नुकसान होगा।

अतः निवेदन है कि श्री दशरथ सिंह मनोहर को सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, पाली के पद से स्थानान्तरित कर किसी अन्य का पदस्थापन शीघ्रातिशीघ्र करने का कष्ट करावें।

भवदीय

Sd/-

(टीकम चन्द बोहरा)

श्री सी. आर. चौधरी
निदेशक, कृषि विपणन,
पंत कृषि भवन, जयपुर।

अन्तरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन हेतु देय सहायता

397. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य सरकार जातीय, उपजातीय, सामाजिक संगठनों की आयोजित बैठकों में मंत्रियों/सरकारी अधिकारियों के भाग लेने पर रोक लगाने का विचार कर रही है?

(2) क्या सरकार जाति एवं उपजाति के नाम पर चल रही शैक्षणिक व अन्य संस्थाओं को सरकारी मान्यता व आर्थिक सहयोग बन्द करने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार जातिवाद को मिटाने के लिए अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन के लिये विवाहित दम्पत्तियों व इस दिशा में कार्यरत संस्थाओं के लिये कोई सहयोग करने पर विचार कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। संस्थाओं को मान्यता एवं अनुदान राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 में विहित प्रावधानों की पूर्ति करने पर दिया जाता है।

(3) छूआछूत उन्मूलन के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के युवक-युवतियों द्वारा स्वर्ण जाति के युवक-युवती से विवाह करने पर दम्पत्ति को रुपये 5000/- की प्रोत्साहन राशि विभाग द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। इस दिशा में कार्यरत संस्थाओं के लिये कोई योजना संचालित नहीं है।

अधिशासी अधिकारी नगरपालिका झुंझुनूं द्वारा भू-खण्डों की नीलामी

398. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या नगरपालिका, झुंझुनूं द्वारा मान नगर आवासीय बस्ती में सार्वजनिक निर्माण विभाग के क्वार्टर के (जी. 117) के पीछे भू-खण्ड क्रमांक-2 व 3 की नीलामी की गई है? यदि हां, तो कब किस दर पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिला कलक्टर, झुंझुनूं ने पत्र क्रमांक 720/9.3.2000, 1779/22.3.2000 व पत्र क्रमांक 2045/27.3.2000 के द्वारा भू-खण्ड संख्या-2 की नीलामी रद्द करने हेतु लिखा था? यदि हां, तो फिर तत्कालीन अधिशासी अधिकारी ने उक्त भू-खण्ड नीलाम क्यों किया और पट्टा जारी कर तुरत-फुरत तहसील में पंजीयन क्यों कराया गया?

(3) क्या भू-खण्ड संख्या-3 एवं 2 बराबर एक ही जगह वाके हैं? यदि हां, तो फिर इनकी दर में (नीलामी दर में) इतना भारी अन्तर क्यों है?

(मोहम्मद माहिर आजाद)

(4) क्या भू-खण्ड संख्या-2 की नीलामी अधिशासी अधिकारी ने बिना जिला कलक्टर के प्रतिनिधि की उपस्थिति के जिला कलक्टर के नीलामी रद्द करने के आदेशों की अवहेलना करके सस्ती दर पर अपनी जेब भरने के लिए नगरपालिका, झुंझुनूं को लगभग 13 लाख रुपये का नुकसान पहुंचाया है? यदि हां, तो सरकार उक्त दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। भू-खण्ड संख्या-2 दिनांक 27.1.2000 को 2696/-रुपये व भू-खण्ड संख्या 3 दिनांक 25.5.2000 को 5920/-रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से नीलाम किये गये।

(2) जिला कलक्टर, झुंझुनूं द्वारा उक्त पत्रों से नीलामी प्रक्रिया की अनुपालना नहीं होने से अनुमोदन नहीं किया। तत्कालीन अधिशासी अधिकारी द्वारा उक्त भू-खण्ड नीलाम करने एवं राशि जमा करने के मामले में जिला कलक्टर, झुंझुनूं के निर्देशानुसार पालिका के पत्र दिनांक 22.9.2001 द्वारा पुलिस कोतवाली झुंझुनूं में प्राथमिकी संख्या 302/01 दर्ज कराई गई, जो वर्तमान में अन्वेषणाधीन है।

(3) जी हां। नीलामी दर में अन्तर होने के कारण पुलिस के अन्वेषणाधीन है।

(4) प्रथम दृष्टया प्रकरण संदेहास्पद होने के कारण दोषी अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 16 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

जिला बीकानेर में मैसर्स कडवासरा वूलन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड को क्षतिपूर्ति अनुदान

399. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बीकानेर के खारा ग्रोथ सेन्टर में कडवासरा वूलन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वूलन मिल कब स्थापित की गई थी और उसके द्वारा व्यापारिक उत्पादन कौन सी तारीख को शुरू कर दिया गया था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त इकाई में व्यापारिक उत्पादन शुरू होने के पश्चात् उक्त इकाई निरन्तर कितने वर्ष कितने माह तक उत्पादन करती रही? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त अवधि में उक्त इकाई को पिछड़े क्षेत्र में उद्योग लगाने का अनुदान (सब्सिडी) उपलब्ध करा दिया था? यदि नहीं, तो क्यों? साधारणतया सब्सिडी व्यापारिक उत्पादन से कितनी अवधि में उपलब्ध करा दी जाती है?

(4) उक्त इकाई राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये मानदण्ड व नियमों के तहत कितनी सब्सिडी अनुदान पाने की अधिकारिणी थी?

(श्री मानिक चन्द सुराना)

(5) क्या यह सही है कि खारा ग्रोथ सेन्टर की अनेक इकाइयां दिनांक 22.8.2000 को चक्रवात की चपेट में आ गई थी? यदि हां, तो क्या रीको द्वारा ग्राम खारा में स्थित इकाइयों के नुकसान का सर्वे कराया गया? यदि हां, तो उक्त सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या उक्त सर्वे के आधार पर रीको द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त इकाई को कोई क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान दिया गया? यदि हां, तो कितना–कितना व नहीं, तो सर्वे कराने का उद्देश्य क्या था?

उत्तर

(1) जिला बीकानेर के खारा ग्रोथ सेन्टर में कडवासरा वूलन मिल्स प्रा. लि. को रीको द्वारा दिनांक 27.3.1996 को भू-खण्ड आबंटित किया गया था तथा व्यापारिक उत्पादन दिनांक 11.1.1997 से शुरू किया गया।

(2) दिनांक 11.1.1997 को व्यापारिक उत्पादन में आने के पश्चात् उक्त इकाई दिनांक 22 अगस्त, 2000 अर्थात् 3 वर्ष 7 माह तक उत्पादनरत रही।

(3) जी हां। राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना, 1990 के अन्तर्गत इस इकाई को दिंनाक 4.9.1997 को रुपये 15 लाख का अनुदान उपलब्ध करा दिया गया था। इकाई द्वारा राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जारी किये जाने वाले सहमति पत्र प्रस्तुत न कर पाने के कारण शेष 5 लाख रुपये का अनुदान वितरित नहीं किया गया।

अनुदान के वितरण की समयावधि इकाई के निवेदन की तिथि तथा अनुदान योजना की शर्तों की पूर्ति पर निर्भर करती है।

(4) राज्य स्तरीय स्थायी सहमति ने अपनी बैठक दिनांक 5.3.1997 में इस इकाई को मध्यम स्तर की उन आधारित इकाई मानते हुए 35.00 लाख रुपये का अनुदान इस शर्त के साथ स्वीकृत किया कि यह इकाई अनुदान योजना अवधि में उत्पादन प्रारम्भ करने वाली राज्य की प्रथम तीन नयी वूल आधारित इकाइयों में से एक होनी चाहिये।

आयुक्त, उद्योग ने पत्र दिंनाक 26.7.1997 के द्वारा इस निर्णय से अवगत कराया कि प्रथम तीन इकाइयों की पहचान अभी नहीं हो पाने के कारण उक्त इकाई को मध्यम स्तर की संसाधन आधारित इकाई मानते हुए राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना 1990 के अन्तर्गत 20 प्रतिशत या अधिकतम 20 लाख रुपये, जो भी कम हो, अनुदान राशि का नियमानुसार वितरण कर दिया जाये। राज्य में प्रथम 3 इकाइयों की पहचान होने पर अतिरिक्त अनुदान के भुगतान के सम्बन्ध में जिसका भुगतान रूडा द्वारा किया जाना है, आदेश अलग से प्रसारित कर दिये जावेंगे। राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 31.10.2001 में

(उद्योग मंत्री)

लिये गये निर्णय के अनुसार कडवासरा वूलन मिल प्रा. लि., खारा को रूडा के माध्यम से दी जाने वाली 15 लाख रुपये की विशेष अनुदान राशि के लिये पात्र नहीं माना गया। अत: इकाई 20.00 लाख रुपये का अनुदान पाने की ही अधिकारी थी जैसाकि खण्ड-3 के सत्तर में अंकित है। प्रदूषण मण्डल का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर 5 लाख रुपए का अनुदान वितरित नहीं किया गया।

(5) जी हां। यह सही है कि दिनांक 22.8.2000 की खारा ग्रोथ सेन्टर में कई इकाइयां चक्रवात की चपेट में आयी थी। परन्तु रीको द्वारा खारा में चक्रवात से प्रभावित इकाइयों के नुकसान का कोई सर्वे नहीं कराया था। इकाइयों द्वारा नुकसान के सम्बन्ध में उपलब्ध कराई गई सूचना को सूचीबद्ध किया गया था।

(6) जी नहीं। रीको के नियमानुसार इस प्रकार हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु कोई प्रावधान नहीं है। इकाई की सम्पत्तियां बीमित थी एवं क्षतिपूर्ति का दावा इकाई द्वारा सीधा बीमा कम्पनी को ही पेश किया जाना था।

कोटा आगार में ग्रीन कार्ड योजना से आय में वृद्धि

400. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जनवरी, 2002 से राजस्थान राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में ग्रीन कार्ड योजना प्रारम्भ की गई? यदि हां, तो इससे कितना आर्थिक लाभ हुआ है?

(2) उक्त योजना से कोटा डिपो में कितनी आय में वृद्धि हुई है और किस-किस व्यक्ति को कितनी-कितनी प्रोत्साहन राशि दी गई?

(3) कर्मचारियों को प्रोत्साहन हेतु राशि देने के अलावा उन्हें क्या पदोन्नति भी दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। निगम की संचालन आय में वृद्धि करने की यह योजना एक प्रयोग है और इस प्रयोग से होने वाली आय की अलग से गणना की जाकर हानि/लाभ का आकलन करना शेष है।

(2) कोटा डिपो के उक्त योजना अन्तर्गत जिन चालक एवं परिचालकों ने अपने मार्गों के निर्धारित लक्ष्यों पर लाभ दिया है उनकी माह जनवरी एवं फरवरी, 2002 का निर्धारित लक्ष्य, उपलब्धि एवं प्रोत्साहन राशि भुगतान का विवरण परिशिष्ट-"1" पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। क्योंकि यह योजना निगम को वित्तीय लाभ देने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने का एक अभिप्रेरणीय प्रयास है।

परिशिष्ट "1"

माह जनवरी, 2002 में कोटा आगार के चालक/परिचालकों को दी गई प्रोत्साहन राशि का विवरण

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पद	निर्धारित लक्ष्य	अर्जित आय	लाभ	लाभांश राशि
1.	श्री मेघश्याम शर्मा	परिचालक	148720	172794	+24074	6319
	(अ) श्री छोटूसिंह	चालक				1149
	(ब) श्री त्रिलोक चन्द्र	चालक				958
					कुल	8426

माह फरवरी, 2002 में कोटा आगार के चालक/परिचालकों को दी गई प्रोत्साहन राशि का विवरण

1.	श्री मेघश्याम शर्मा	परिचालक	163200	217895	+54695	14357
	(अ) श्री छोटूसिंह	चालक				2275
	(ब) श्री त्रिलोक चन्द	चालक				2429
	(स) श्री ओ. पी. भटनागर	चालक				82
2.	श्री बिरदी चन्द सैनी	परिचालक	181500	193231	+11731	3079
	(अ) श्री बलबीर सिंह	चालक				319
	(ब) श्री दिनेश सिंह	चालक				198
	(स) श्री बहादुर सिंह	चालक				238
	(द) श्री रामनारायण	चालक				271
3.	श्री शिव कुमार शर्मा	परिचालक	88550	91978	+3428	894
	(अ) श्री रामस्वरूप गोचर	चालक				168
4.	श्री प्रेमप्रकाश गोयल	परिचालक	99016	102068	+3052	801
	(अ) श्री कैलाश यादव	चालक				108
	(ब) श्री हेमराज	चालक				144
	(स) श्री हफीजुदीन	चालक				12
5.	श्री चांदमल	परिचालक	108000	108937	+937	246
	(अ) श्री बहादुर सिंह	चालक				20
	(ब) श्री अर्जुन लाल	चालक				61
					योग	25702

जिला अलवर की क्षतिग्रस्त सड़कें

401. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत 3 वर्षों में विभाग की ओर से अलवर जिले हेतु कुल कितनी राशि आबंटित की गई थी? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त बजट में जान-बूझकर पक्षपात किया गया? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सड़कों एवं भवनों के निर्माण में कोई समयावधि गारंटी एवं वारंटी निर्धारित की हुई है? यदि हां, तो समय से पूर्व क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए किसी अधिकारी या ठेकेदार के विरुद्ध क्या सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में विभाग की ओर से अलवर जिले हेतु 2066.18 लाख की राशि आबंटित की गई थी। विधान सभा क्षेत्रवार सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। सड़कों एवं भवनों के निर्माण हेतु समयावधि गारंटी एवं वारंटी निर्धारित की हुई है। सरकार द्वारा समय से पूर्व सड़क क्षतिग्रस्त होने पर सम्बन्धित ठेकेदार व अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

विधान सभा क्षेत्रवार निर्माण कार्य हेतु आबंटित राशि का विवरण
(जिला अलवर)

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र	क्षेत्रवार राशि आबंटन (लाखों में)			
		1998-99	1999-2000	2000-2001	कुल योग
1.	अलवर	102.38	54.69	34.38	191.45
2.	राजगढ़	173.68	110.68	23.65	308.01
3.	लक्ष्मणगढ़	74.26	49.28	69.29	192.81
4.	कठूमर	30.22	19.53	41.59	91.34
5.	थानागाजी	98.97	71.39	34.71	205.07
6.	खैरथल	49.22	38.10	48.01	135.33
7.	बानसूर	62.16	49.77	44.84	156.77
8.	बहरोड़	67.07	96.35	70.09	233.51
9.	तिजारा	55.88	83.70	49.17	188.75
10.	रामगढ़	36:40	36.52	18.23	91.15
11.	मुण्डावर	40.29	57.05	174.65	271.99
				कुल योग	**2066.18**

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-669 का विवरण)

कार्यालय नगर परिषद्, अजमेर (राज.)

अजमेर शहर में स्थित ईंटों के भट्टों के मालिकों की सूची का विवरण

क्र. सं.	ईंट भट्टों के मालिक का नाम व पता	भट्टा जब से स्थित है	बन्द कराने का विचार है या नहीं
1	2	3	4
1.	मोहनदास/फतेह सिंह, दीवान ईंट का भट्टा	लगभग 15 वर्ष से स्थापित है	आबादी में होने से स्थानान्तरण करवाया जाना अनिवार्य है
2.	दीपक कुमार/सोहन लाल साहू, साहू ईंट का भट्टा	लगभग 10 वर्ष से स्थापित है	,,
3.	बहादुर/देवाकीता, ईंटों का भट्टा, रानीडांग, वैशालीनगर	2 माह से वर्तमान में बन्द है	,,
4.	मंगल सिंह/गंगादीन, पायल ईंटों का भट्टा, रीजनल कालेज के सामने	लगभग 15 वर्ष से स्थापित है	,,
5.	अकील भाई/अयूब खां, ईंटों का भट्टा, फायसागर रोड, अजमेर	लगभग 10 वर्ष से स्थापित है	,,
6.	प्रो. श्री भगवान सिंह पालड़िया/ श्री हीरालाल, गढ़ीमा लियान रोड, अजमेर	लगभग 12 वर्ष से स्थापित है	,,
7.	श्री बेनीप्रसाद प्रजापति/ श्री गंगादीन, बकरा मण्डी के पीछे, ब्यावर रोड	लगभग 7 वर्ष से स्थापित है	आबादी से दूर

1	2	3	4
8.	श्री मानसिंह/श्री मंगनाराम, शिवाजी कालोनी, खानपुरा तालाब	लगभग 10 वर्ष से स्थापित है	आबादी क्षेत्र में स्थानान्तरण जरूरी
9.	श्री मंगल सिंह/श्री गंगादीन प्रजापति, कृष्णा कालोनी, गढ़ीना लिधान	लगभग 10 वर्ष से स्थापित है	"
10.	श्री टीकम चन्द/श्री बन्सीलाल आर्य, गढ़ी मालियान	लगभग 10 वर्ष से स्थापित है	"
11.	श्री रमजान/श्री छोटेलाल, जादूगर	लगभग 7 वर्ष से स्थापित है	"
12.	श्री जगत/वतराजी, कृष्णा कालोनी, अजमेर	लगभग 8 वर्ष से स्थापित है	"
13.	गुजराती बिस्स, गुलाब शाह का तलिया, पटेल नगर की बस्तियां	लगभग 7-8 वर्ष से स्थापित है	"

ह०/–

स्वास्थ्य अधिकारी,

नगर परिषद्, अजमेर

परिशिष्ट ''अ''

परिशिष्ट–5

(अतारांकित प्रश्न संख्या–674 की सूची)

वार्ड संख्या–35

वर्ष–1999

क्र.सं.	पंजीबद्ध दस्तावेज संख्या	नगर परिषद् नम्बर	क्षेत्र
1.	1049/1999	18/181=20/442 35/347	डिग्गी बाजार
2.	3599/1999	5/581=131291/= 17/20 = 265/35	पन्नीराम चौक
3.	3600/1999	5/581 = 131291/= 17/20 = 265/35	पन्नीराम चौक
4.	2549/1999	262/19 पुराना 76/35 नया	घसेटी मोहल्ला
5.	4172/1999	267/19 पुराना 81/35 नया	घसेटी मोहल्ला
6.	5179/1999	269/19 पुराना 83/35 नया	घसेटी मोहल्ला
7.	3475/1999	41/35 पुराना 19/229 नया	रंगात्या गली

ह०/–

उप पंजीयक, अजमेर

वार्ड संख्या-35

वर्ष-2000

क्र.सं.	पंजीबद्ध दस्तावेज संख्या	नगर परिषद् नम्बर	क्षेत्र
1.	4842/2000	35/376	गूर्जर मोहल्ला
2.	5742/2000	35/382	गूर्जर मोहल्ला
3.	5743/2000	35/382	गूर्जर मोहल्ला
4.	188/2000	261/35	पन्नीग्राम चौक
5.	961/2000	20/35	पन्नीग्राम चौक
6.	813/2000	35/315	शेखा मोहल्ला
7.	2250/2000	19/396	नला बाजार
8.	3675/2000	35/12	नला बाजार
9.	2652/2000	5/514 पुराना 35/191 नया	छोटा चौधर मौहल्ला
10.	5338/2000	19/391	हेडा गली
11.	1613/2000	179/19 पुराना 94/35 नया	रंगत्या गली
12.	2635/2000	5/312 पुराना 34/35 नया	रंगत्या गली
13.	2853/2000	5/312 पुराना 243/35 नया	रंगत्या गली

ह०/-

उप पंजीयक, अजमेर

वार्ड संख्या-35

वर्ष-2001

क्र.सं.	पंजीबद्ध दस्तावेज संख्या	नगर परिषद नम्बर	क्षेत्र
1.	15/2001	417/19 पुराने	नला बाजार
2.	3463/2001	390/91 पुराने 397/35 नये	नला बाजार
3.	6605/2001	13/35	नला बाजार
4.	601/2001	417/19 पुराने 186/35 नये	छोटा चौधर मोहल्ला
5.	3851/2001	189/35	छोटा चौधर मोहल्ला
6.	3434/2001	393/19	हेडा गली
7.	5726/2001	393/19	हेडा गली
8.	3222/2001	372/19	रंगत्या गली
9.	3435/2001	192/19	रंगत्या गली
10.	3327/2001	241/35	लटूरिया स्वामी गली
11.	3356/2001	236/35	लटूरिया स्वामी गली
12.	6224/2001	224/35	लटूरिया स्वामी गली
13.	2862/2001	435/35	उत्तार घसेटी
14.	3175/2001	422/35	उत्तार घसेटी
15.	6809/2001	510/35	हिन्दू मौची मोहल्ला

ह०/-

उप पंजीयक, अजमेर

वार्ड संख्या-35

वर्ष-2002

क्र.सं.	पंजीबद्ध दस्तावेज संख्या	नगर परिषद नम्बर	क्षेत्र
1.	51/2002	17/220 पुराना 19/237 नया	नया बाजार
2.	81/2002	220/17	नया बाजार
3.	679/2002	451/20	डिग्गी चौक
4.	76/2002	14/16 =22/308= 32/284 = 33/275 ए	डिग्गी चौक
5.	95/2002	276/20 पुराना 734/32 नया	डिग्गी चौक
6.	376/2002	22/304 = 7/98 14/216	डिग्गी चौक
7.	387/2002	20/446	डिग्गी चौक
8.	464/2002 463/2002	102/33 81/20	डिग्गी चौक
9.	168/2002	708/28 पुराना 741/25 नया	खटीक मोहल्ला
10.	172/2002	25/886 पुराना 28/906 नया	खटीक मोहल्ला
11.	572/2002	690/25 पुराना 912/28 नया	खटीक मोहल्ला
12.	758/2002	13/217 पुराना 20/25 नया	पन्नीग्राम चौक
13.	764/2002	5/608=20/46 36/282	शाखा मोहल्ला

ह०/-

उप पंजीयक, अजमेर

परिशिष्ट-6

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-675 की सूची)

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

जनवरी, 2001 से फरवरी, 2002 तक जिन व्यक्तियों को मकान आबंटित करने सम्बन्धी मामले प्राप्त हुए हैं उनकी सूची

क्र. सं.	आवदेक/ आबंटी का नाम	आवास संख्या	योजना का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1.	श्री प्रताप सिंह	6/358	मालवीय नगर	–
2.	श्री चन्द्रकान्त चतुर्वेदी	4-क-24	आनासागर, अजमेर	–
3.	श्री सीताराम अग्रवाल	117/19	मानसरोवर	–
4.	श्री रामनिवास शर्मा	38/216	मानसरोवर	–
5.	श्री भवानी शंकर डारिया	–	कोटा	वृत्त कार्यालय, कोटा द्वारा क्रियान्विति अपेक्षित
6.	श्री देवकी नन्दन गुप्ता	–	कोटा	उपरोक्तानुसार
7.	श्री देवेन्द्र भार्गव	–	कोटा	उपरोक्तानुसार
8.	श्री जसपाल सिंह	4/400 एवं 2/484	अलवर	वृत्त कार्यालय, अलवर में क्रियान्विति अपेक्षित
9.	श्रीमती सरोज मित्तल	3/7 एवं 4/123 में एक	अलवर	उपरोक्तानुसार
10.	श्री शनिसप्टीन	53/212	मानसरोवर	–
11.	श्री मोहन कुन्टे	7-डी-27	कोटा	–
12.	श्री सन्तोष मालाकार	121/111	मानसरोवर	–
13.	श्री रामलाल	121/90	मानसरोवर	–
14.	श्री सुधीन्द्र मोहन	119/258	मानसरोवर	–

1	2	3	4	5
15.	श्री अशोक कुमार	121/186	मानसरोवर	–
16.	श्री रतन लाल शर्मा	121/41	"	–
17.	श्री ओमप्रकाश	121/41	"	–
18.	श्री ब्रम्हेश्वर लाल	123/26	"	–
19.	श्रीमती उर्मिला	–	"	वृत कार्यालय द्वारा क्रियान्विति अपेक्षित
20.	श्री श्रीराम मीणा			धारा–8 ''ए'' में निदेशित राज्य सरकार की रोक के कारण निर्णय अपेक्षित। क्र.सं. 20 से 28 तक
21.	श्री हेमन्त गुप्ता			
22.	श्री रमेश कुमार पथरिया			
23.	श्री निजाम मोहम्मद			
24.	श्री बाघसिंह			
25.	श्री एम. एल. जैन			
26.	श्रीमती ममता			
27.	श्री श्याम रोहिड़ा			
28.	श्री हरक चन्द			
29.	श्री कैलाश चन्द गौतम	4–एफ–33	रंगबाड़ी, कोटा	–
30.	श्री के. के. शर्मा	82/1	सांगानेर	–
31.	श्रीमती सुमन वर्मा	82/2	सांगानेर	–
32.	श्रीमती प्रेमकुमारी	4/84	एसडब्ल्यूबी, अलवर	–
33.	श्रीमती चेचम्मा	104/139	मानसरोवर	–
34.	श्रीमती नीलम मालिक	104/138	मानसरोवर	–

1	2	3	4	5
35.	श्री सुवालाल सिंगादिया	–	मानसरोवर	
36.	श्रीमती शांति देवी	–	,,	
37.	श्री अर्जुन सिंह	–	,,	
38.	डा. संजीव सांघवी	–	चौपासनी, जोधपुर	
39.	श्री निर्मल कुमार जैन	–	मानसरोवर, जयपुर	
40.	श्रीमती सुनिला सोनी	–	मानसरोवर, जयपुर	
41.	श्री शंकर लाल शर्मा	–	मानसरोवर, जयपुर	
42.	श्री माणिक लाल शुक्ला	–	,,	
43.	सुश्री ललिता द्रविड़	–	,,	
44.	श्री नरेन्द्र कुमार द्रविड़	–	,,	
45.	श्रीमती सुधा जैन	–	,,	
46.	श्री चन्द्रप्रकाश पुरोहित	–	,,	
47.	श्रीमती शीलजा शर्मा	–	,,	
48.	श्री सत्यप्रकाश जैन	–	,,	
49.	श्री कमल नयन मल्होत्रा	–	,,	
50.	श्री बलदेव मालिक	–	,,	
51.	श्री ताराचन्द	–	कुड़ी भक्तासनी, जोधपुर	
52.	श्री पैरूमल	–	मानसरोवर, जयपुर	
53.	श्रीमती प्रेमवती जैन	–	,,	
54.	श्रीमती लादी देवी	–	,,	

1	2	3	4	5
55.	श्री सतीश कोचर	–	"	
56.	श्री नरेश अग्रवाल	–	"	
57.	श्री सुरेश चन्द्र शर्मा	–	"	
58.	श्री अरुण जैन	–	"	
59.	श्री राम निवास शर्मा	–	"	
60.	श्री ओम प्रकाश अग्रवाल	5	सांगानेर	
61.	श्रीमती शांति देवी	–	महावीर नगर, कोटा	
62.	श्री सन्तोष मोदी	5	"	
63.	श्री शिव नारायण	–	"	

नोट : क्रम संख्या–35 से 63 तक के प्रकरण दिनांक 28.1.2002 को पी.ए.सी. कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे। जिसके निर्णयानुसार इन प्रकरणों को पी.ए.सी. की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

Sd/-
Secretary Rajasthan Board,
Jaipur

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-680 की सूची)

अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों पर होने वाले अत्याचार/उत्पीड़न के अन्तर्गत बलात्कार पीड़ित महिलाओं को प्रदान की गयी आर्थिक सहायता का जिलेवार विवरण जनवरी, 1999 से फरवरी, 2002

	व्यक्ति/परिवार का नाम जिसको अत्याचार सहायता दी गयी	स्थायी पता	जाति	अत्याचार एवं उत्पीड़न की किस्म	सहायतार्थ दी गयी राशि
	1	2	3	4	5
जिला-अजमेर					
1.	सुश्री रमीला पुत्री श्री हेमला	रेलवे क्वार्टर, लाडपुरा थाना गेगल	भील	बलात्कार	5000/-
2.	श्रीमती लाली देवी पत्नी श्री बद्री	ग्राम चूंदड़ी, पो.पाटन, थाना किशनगढ़	बैरवा	बलात्कार	5000/-
3.	श्रीमती प्रेमदेवी पत्नी श्री शंकर लाल	नि. पालिया फेमिली क्वार्टर थाना ब्यावर सिटी	रैगर	बलात्कार	5000/-
4.	श्रीमती लीला पत्नी श्री शम्भूलाल	नि. कपाहेली, पीएस मसूदा	भील	बलात्कार	5000/-
5.	श्रीमती मन्जू पत्नी श्री गोपाल	नि. कालेसरा पीएस पीसांगन	नायक	बलात्कार	5000/-
6.	श्रीमती संतरा पत्नी श्री किशना	नि. भदूण पी.एस रूपनगढ़	खटीक	बलात्कार	5000/-
जिला-अलवर					
7.	श्रीमती सुमन पत्नी श्री बाबूलाल	नि. दरबारपुरा (मुण्डावर)	जाटव	बलात्कार	5000/-
8.	कुमारी मोहनी पुत्र श्री रमेश चन्द्र	नि. ग्राम सोडावास, (मुण्डावर)	कंजर	बलात्कार	5000/-

1		2	3	4	5
9.	चावली बेवा श्री कान्हाराम	निवासी जोधावास, तहसील थानागाजी	बलाई	बलात्कार	5000/-
10.	श्रीमती संतोष देवी पत्नी श्री विजय सिंह	निवासी शेरपुर	चमार	बालात्कार	5000/-
11.	श्रीमती संतोष देवी पत्नी श्री सीताराम	निवासी लपाला तहसील तिजारा	चमार	बलात्कार	25000/-
12.	कु. मंजु पुत्री बबलू	नि. कुम्हारों के सामने कोली मोहल्ला कठूमर	कोली	बलात्कार	25000/-
जिला–बारां					
13.	श्रीमती जानकी बाई पत्नी श्री रघुनाथ	ग्राम सेमला	चमार	बलात्कार	5000/-
14.	श्रीमती मंगली बाई पत्नी श्री नेनकराम	निवासी कोयला थाना बारां	सहरिया	बलात्कार	5000/-
15.	रामदुलारी पुत्री श्री हरिलाल	निवासी बेंटा	सहरिया	बलात्कार	5000/-
16.	बाली बाई पुत्री श्री केसरी लाल	निवासी पुरानी बस्ती	सहरिया	बलात्कार	5000/-
17.	श्रीमती प्रेमबाई पत्नी श्री रतन लाल	लान की झोपड़िया, तहसील अटरू	कोली	बलात्कार	5000/-
18.	श्रीमती मांगीबाई पत्नी श्री रामस्वरूप	निवासी माथना तहसील बारां	मेघवाल	बलात्कार	5000/-
जिला–बाड़मेर					
19.	श्रीमती सुआ देवी पत्नी श्री तेजा राम	निवासी पायला खुर्द	मेघवाल	बलात्कार	5000/-

1	2	3	4	5
20. पंकु पुत्री पोलाराम	नि. पादरू	मेघवाल	बलात्कार	5000/-
21. केसरी पुत्री लालाराम	नेहरू नगर, बाड़मेर	मेघवाल	बालात्कार	5000/-
22. श्रीमती मूल पत्नी श्री (स्व. मूलाराम)	निवासी निम्बल कोटा	मेघवाल	बलात्कार	5000/-
23. लीला पुत्री श्री खेमाराम	निवासी धुंधवा	मेघवाल	बलात्कार	5000/-
24. श्रीमती नेनू पत्नी श्री बागाराम	निवासी ढोक चौहटन	भील	बलात्कार	5000/-
25. श्रीमती समझू पत्नी श्री कसूराम	निवासी पनेला	मेघवाल	बलात्कार	50,000/-
जिला-भरतपुर				
26. श्रीमती सुक्खी पत्नी श्री रूप सिंह	निवासी सिकंदरा थाना बयाना	कोली	बलात्कार	5000/-
27. श्रीमती विद्या देवी पत्नी श्री बाबूलाल	नि. मोरोली कलां थाना उद्योग नगर	जाटव	बलात्कार	5000/-
28. श्रीमती रेशी उर्फ रेशमा पत्नी राम बाबू	निवासी मो. गोपालगढ़	जाटव	बलात्कार	5000/-
जिला-भीलवाड़ा				
29. सुश्री सीमा पुत्री श्री मांगीलाल	नि. मालीखेड़ा पिथास तहसील माण्डल	भील	बलात्कार	5000/-
जिला-बीकानेर				
30. सुश्री सकु पुत्री श्री कुम्भा राम	निवासी गोगासर	मेघवाल	बलात्कार	5000/-

1	2	3	4	5
31. परमा पुत्री श्री नरसा राम	ग्राम सोढवाली त. लूणकरणसर	मेघवाल	बलात्कार	5000/–
32. श्रीमती मानी उर्फ परमेश्वरी पत्नी आदूराम	नि. सररूपदेसर जिला बीकानेर	मेघवाल	बलात्कार	5000/–
जिला-बून्दी				
33. श्रीमती रामकन्या बाई पत्नी श्री गुदराम	निवासी शंकरपुरा तहसील हिण्डौली	कंजर	बलात्कार	5000/–
जिला-चित्तौड़गढ़				
34. हुडी पत्नी श्री कनीराम	नि. बिलोट थाना डूंगला	मेघवाल	बलात्कार	5000/–
35. सुश्री सुगना पुत्री श्री शंकरलाल	नि. ठाठर माला थाना निम्बाहेड़ा	भील	बलात्कार	5000/–
36. श्रीमती गीता पत्नी श्री मुकुट बिहारी	नि. कवायड़ा, जि. बारां (प्रकरण थाना पारसोली का)	मेघवाल	बलात्कार	5000/–
37. श्रीमती कान्ता पत्नी श्री घनश्याम	एकलिंगपुरा त. रावतभाटा	मेघवाल	बलात्कार	5000/–
38. श्रीमती गीता पत्नी श्री अम्बालाल	सांवता त. कपासन	रैगर	बलात्कार	5000/–
39. सुश्री निर्मला पुत्री श्री रामलाल	वरमण्डल त. प्रतापगढ़	ढोली	बलात्कार	5000/–
40. श्रीमती नारायणी उर्फ रामकन्या पुत्री मोहनलाल	बागेड़ा घाटा त. निम्बाहेड़ा	रैगर	बलात्कार	5000/–

	1	2	3	4	5
41.	श्रीमती जसोदा पुत्री श्री मोहन लाल	बागेड़ा घाटा त. निम्बाहेड़ा	रैगर	बलात्कार	5000/-
42.	श्रीमती रत्नी उर्फ रेशमी पुत्री नारायण	गिलुण्ड राजसमन्द त. रेलमगरा (प्रकरण थाना भदेसर का)	खटीक	बलात्कार	5000/-
43.	श्रीमती गीता पत्नी श्री नारायण	नि. नाहरगढ़ त. भदेसर	रैगर	बलात्कार	5000/-
44.	सुश्री गुड्डी पुत्री श्री मोडाराम	निवासी अखेपुर थाना प्रतापगढ़	मीणा	बलात्कार	5000/-
45.	सुश्री कमली पुत्री श्री गौतम	निवासी धौलापानी थाना धौलापानी	मीणा	बलात्कार	5000/-
46.	श्रीमती सखीबाई पत्नी श्री किशोर	निवासी दोवनी तहसील रशमी	चमार	बलात्कार	5000/-
47.	सुश्री मनभर पुत्री श्री पन्नालाल	निवासी गंगरार थाना गंगरार	ढोली	बलात्कार	5000/-
48.	श्रीमती बादामी उर्फ रेखा पत्नी श्री नारायण	निवासी जाशमा	सालवी	बलात्कार	5000/-
49.	श्रीमती रूकमा पत्नी श्री गणेश	नि. बड़ी का वाडिया थाना माण्डल हाल निम्बाहेड़ा	सालवी	बलात्कार	5000/-
50.	सुश्री बाली पुत्री श्री मोहन	निवासी बोलोरिया थाना सुहारपुरा	मीणा	बलात्कार	5000/-
51.	सुश्री संतोष पुत्री श्री मोहन	निवासी विलिया थाना गंगरार	बलाई	बलात्कार	5000/-

	1	2	3	4	5
52.	श्रीमती कमला पत्नी श्री नन्दकिशोर	निवासी समेलिया थाना रावतभाटा	भील	बलात्कार	5000/-
जिला-चूरू					
53.	श्रीमती मोहनी पत्नी श्री तोलाराम	निवासी गिरवासर तहसील सुजानगढ़	नायक	बलात्कार	5000/-
54.	श्रीमती सुन्दरदेवी पत्नी श्री रूपाराम	निवासी नाहरसरा तहसील सरदारशहर	मेघवाल	बलात्कार	5000/-
55.	श्रीमती शीलू पत्नी श्री रेडाराम	ग्राम गुसाईसर तहसील डूंगरगढ़	मेघवाल	बलात्कार	1,00,000/-
56.	श्रीमती सुलोचना पत्नी श्री ईश्वर सिंह	ग्राम लांलेकी तहसील राजगढ़	चमार	बलात्कार	1,00,000/-
57.	श्रीमती छोटूदेवी पत्नी श्री सोमाचन्द	निवासी डिग्गा वास तहसील श्री डूंगरगढ़	मेघवाल	बलात्कार	1,00,000/-
58.	कु. तारामणी/पोकर	नि. साहबा (तारानगर)	चमार	बलात्कार	5000/-
जिला-दौसा					
59.	श्रीमती मन्नीदेवी पत्नी श्री कजोड़	नि. श्यालावास कला	बैरवा	बलात्कार	5000/-
60.	कु. रजनी पुत्री श्री रामस्वरूप	निवासी मोहनपुरा तहसील बस्सी	रैगर	बलात्कार	1,00,000/-
जिला-जयपुर					
61.	श्री सेडूराम पुत्र श्री भैरूराम	ग्राम नागलतलाई कच्ची बस्ती म.नं. 30, सुरपोल मण्डी	खटीक	पुत्री के साथ बलात्कार के कारण	5000/-

	1	2	3	4	5
62.	श्री धर्मसिंह पुत्री श्री बाबूलाल	नि. किरायेदार मकान नूरजहां नागतलाई अनाज मण्डी कच्ची बस्ती	जाटवा	पत्नी के साथ बलात्कार के कारण	5000/-
63.	श्री रिछपाल पुत्र श्री कालूराम	नि. ए-11 विकास नगर, मुरलीपुरा	बलाई	लड़की के साथ बलात्कार के कारण	5000/-
64.	श्रीमती शहनाज पत्नी श्री मुनीम खां	झालाना डूंगरी कच्ची बस्ती	नायक	बलात्कार	5000/-
65.	श्रीमती झामरी देवी पत्नी श्री भूरिया	ग्राम जामडोली हाल बालाबाला	बावरिया	बलात्कार	5000/-
66.	श्रीमती संतोष पत्नी श्री महावीर	हाल सुशीलपुरा पुलिया के पास	बलाई	बलात्कार	5000/-
67.	श्रीमती कान्ता देवी	नि. 162 बी महेश नगर	बैरवा	बलात्कार	5000/-
68.	श्रीमती गुड्डी पत्नी श्री अनोपनाथ	दूदू	कालबेलिया	बलात्कार	5000/-
69.	श्रीमती सीता पत्नी श्री हरजीलाल	निवासी सवाई माधोसिंहपुरा थाना फागी	मीणा	बलात्कार	5000/-
70.	सुश्री उर्मिला उर्फ बिला पुत्री श्री कन्हैयालाल	नि. नींदड़ मोड थाना हरमाड़ा	रैगर	बलात्कार	5000/-
71.	कुमारी रेणु पुत्री कल्याण	म.नं. ए.1, मजदूर नगर	हरिजन	बलात्कार	5000/-
72.	श्रीमती छोटीदेवी पत्नी श्री घासीराम	नि. ढाणी ऊंचा मगरा छीतरोली	रैगर	बलात्कार	5000/-

	1	2	3	4	5
73.	श्री राधेश्याम (पीड़िता नानगी नाबालिक पुत्री)	ग्राम जयरामपुरा तहसील आमेर	रैगर	बलात्कार	5000/–
74.	श्रीमती सुप्यार पत्नी श्री श्रवण कुमार	नि. ईसरावाला थाना हरमाड़ा	मीणा	बलात्कार	5000/–
75.	कु. नीतू पुत्री श्री डालचन्द	नि. प्लाट नं. बी–418, महेशनगर	रैगर	बलात्कार	5000/–
76.	श्रीमती मथुरा देवी पत्नी श्री गंगाराम	नि. बूथरों का मोहल्ला झोटवाड़ा	बावरिया	बलात्कार	1,00,000/–
77.	श्री मांगीलाल उर्फ मांगू पुत्र श्री गौरू	नि. खवारानी जमवारामगढ़	रैगर	पुत्री के साथ बलात्कार के कारण	1,00,000/–
	जिला–जैसलमेर				
78.	श्रीमती मीमो पत्नी श्री तोगाराम	ग्राम पावनासर पो.डांगरी पु.था. सांगड़	मेघवाल	बलात्कार	5000/–
79.	श्रीमती दरिया पत्नी श्री नरपत राम	नि. जावध नबी पुलिस थाना	मेघवाल	बलात्कार	50,000/–
	जिला–जालौर				
80.	प्रार्थिया तीजा पुत्री दौला	खेतला वास पु.था. सायला	मेघवाल	बलात्कार	5000/–
81.	हंसा पुत्री सवाराम	नि. बोसरा हाल होडी जी तालाब	बागरी	बलात्कार	1,00,000/–
82.	गीता पुत्री भीमाराम	नि. सामारानी पु.था करडा त. रानीवाड़ा	बागरी	बलात्कार	1,00,000/–

1	2	3	4	5
जिला-झालावाड़				
83. श्रीमती मांगी बाई पत्नी रामप्रसाद	तिनायका थाना अकलेरा	चमार	बलात्कार	5000/-
84. सुश्री चेतना भानू पुत्री श्री देवी लाल	नि. हरीगढ़ त. खानपुर	भानु	बलात्कार	1,00,000/-
जिला-झुंझुनूं				
85. विमला पुत्री श्री कुरडा राम	नि. भीखाराम का कुआं	बलाई	बलात्कार	5000/-
86. श्रीमती सुमन पुत्री श्री गोरधन	नि. समसपुर जिला झुंझुनूं	चमार	बलात्कार	5000/-
87. श्रीमती माफी देवी पत्नी स्व. मुकेश कुमार	नि. बसई	मीणा	बलात्कार	50,000/-
88. श्रीमती विमला पत्नी श्री ईश्वर सिंह	नि. दोसी आरक्षी केन्द्र खेतड़ी	चमार	बलात्कार	50,000/-
जिला-कोटा				
89. श्रीमती मण्डी बाई पत्नी श्री राधेश्याम	नि. बड़ौदिया (लाडपुरा)	बैरवा	बलात्कार	5000/-
90. सुश्री गणपति बाई पुत्री श्री देवी लाल	नि. ढाणी मवासा	भील	बलात्कार	5000/-
91. श्रीमती अनिता पत्नी श्री रामविलास	नि. लसोडिया हाल बापू कालोनी	बाल्मीकी	बलात्कार	5000/-
92. सुश्री कन्या बाई पत्नी श्री कालूलाल	नि. कनवास (सांगोद)	हरिजन	बलात्कार	5000/-

1	2	3	4	5
93. श्रीमती भरती बाई पत्नी श्री पप्पू	नि. रूपारेल की ढाणी थाना केथून (लाडपुरा)	सहरिया	बलात्कार	5000/–
94. श्रीमती बजरंगी बाई पत्नी श्री धनश्याम	नि. लुवद	मीणा	बलात्कार	5000/–
जिला–नागौर				
95. किस्तूरी पुत्री श्री किशनाराम	नि. मंगलाना	रैगर	बलात्कार	5000/–
96. जैतूही पत्नी श्री प्रहलाद राम	नि. सेवा पुलिस थाना मौलासर	नायक	बलात्कार	1,00,000/–
जिला–पाली				
97. श्रीमती पूनी पत्नी श्री दोताराम	नि. भीमामी त. बाली	गरासिया	बलात्कार	1,00,000/–
जिला–सीकर				
98. श्रीमती कोयली पुत्री श्री कालू	नि. बलाईयों की ढाणी वन परसरामपुरा	बलाई	बलात्कार	5000/–
जिला–सिरोही				
99. कु. ज्योत्सना पुत्री भीमाराम	नि. जनापुर पिंडवाड़ा	सरगड़ा	बलात्कार	1,00,000/–
100. श्रीमती मन्जु पुत्री श्री लसाराम	निवासी अरठवाडा तहसील शिवगंज	गुरू	बलात्कार	5000/–
जिला–टोंक				
101. कु. राजी उम्र 7 वर्ष द्वारा प्रेमदेवी पत्नी श्री सीताराम (राजकी की मां)	निवासी हिसामपुर थाना देवली	बलाई	बलात्कार	5000/–

1	2	3	4	5
102. श्रीमती गलक पत्नी श्री भवानी	नि. नया टीला थाना पीपली	बैरवा	बलात्कार	5000/-
103. कु. अन्नू पुत्री श्री रमेश	नि. सोनवा	खंगार	बलात्कार	1,00,000/-
जिला-हनुमानगढ़				
104. कु. भागवन्ती उर्फ नीतू पुत्री मनोराम	नि. नहलोल नगर त. हनुमानगढ़	मेघवाल	बलात्कार	50,000/-
जिला-उदयपुर				
105. सुश्री रीता पुत्री श्री किशोरी लाल	बोहरवाड़ी थाना धानमण्डी गिर्वा	मोची	बलात्कार	5000/-
106. श्रीमती मीरा	केसरीयाजी हाल सज्जनगढ़ कच्ची बस्ती	मीणा	बलात्कार	5000/-
107. सुश्री गोर की पुत्री श्री भेरा	कालिया घाटी ओगणा झाड़ौल	गमेती	बलात्कार	5000/-
108. श्रीमती कुमकू पत्नी श्री शंकर	निवासी करमाल थाना कुरावड	मीणा	बलात्कार	5000/-
109. श्रीमती रमली पत्नी श्री लक्ष्मी लाल	निवासी मारूवास, थाना ढोक	भील	बलात्कार	5000/-
110. श्रीमती नर्मदा	निवासी समोड़ा तहसील सलूम्बर	मीणा	बलात्कार	5000/-
111. श्रीमती शंकरी पत्नी श्री मोहन लाल	गडली थाना फतेह नगर हाल धामणिया	मेघवाल	बलात्कार	5000/-
112. सुश्री जीजा पुत्र अमरा मीणा	निवासी ओडवास थाना ऋषिदेव, त. खेरवाड़ा	मीणा	बलात्कार	1,00,000/-

परिशिष्ट-8

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-684 की प्रति)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

बुक नं. 4182

1. जिला टोंक, थाना पीपल, वर्ष 2002

   प्र.इ.रि.सं. 30/2002, दिनांक 7.3.2002

2. (I) अधिनियम ता.हि., धाराएं 342, 323 ता.हि.

   (II) अधिनियम– धाराएं –

   (III) अन्य अधिनियम एवं धाराएं – – –

   (IV) अन्य अधिनियम एवं धाराएं – – –

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 212, समय 6.30 पी.एम.

   (ब) अपराध के घटने का दिन गुरुवार, दिनांक 7.3.2002, समय दोपहर बाद

   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 7.3.2002, समय 6.30 पी.एम.

4. सूचना की किस्म : लिखित/मौखिक पर्चा बयान

5. घटनास्थल : दुकान शंकरलाल साहू ग्राम बनवाड़ा

   (अ) पुलिस थाना बजानिब उत्तर व फासला : 10 कि.मी. थाना से

   (ब) पता : उपरोक्त

   वा.न. : 6/2002, बीट संख्या : ओ.पी. बनवाड़ा, मोहल्ला : 53 सी

   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

   पुलिस थाना : जिला :

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :

   (अ) नाम : कैलाशचन्द

   (ब) पिता/पति का नाम : श्री नारायण कोम बरैवा

(स) जन्म तिथि/वर्ष : 38 साल

(द) राष्ट्रीयता : भारतीय

(य) पासपोर्ट संख्या : जारी होने की तिथि :

जारी होने की जगह :

(र) व्यवसाय : काश्तकारी

(ल) पता : साकिन ग्राम अमृतसर, थाना पीपलू, जिला टोंक

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तकों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयां :

श्री शंकरलाल साहू साकिन बनवाड़ा थाना पीपलू	खुलासा मुलजिम ने मुस्तगीस को पकड़ कर ले जाकर अपनी दुकान में बैठा दिया व थाप मुक्कों से मारपीट की जुर्मधारा 342, 323 ता. हि.

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :

....

....

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पत्र लगायें):

....

....

....

....

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्य :

11. पचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) :

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाएं): बयान श्री कैलाशचन्द पुत्र श्री नारायण कोम बैरवा उम्र 38 साल निवासी अमृतनगर भूतपूर्व सरपंच ग्राम बनवाड़ा थाना पीपलू दिनांक 7.3.2002 ने बयान

किया कि आज दिनांक 7.3.2002 को समय करीब दोपहर बाद श्योजी ब्राह्मण साकिन बनवाड़ा की दुकान पर बैठा था व मैं पानी पी रहा था। इतने में शंकरलाल साहू वर्तमान सरपंच आये और मेरा हाथ पकड़ लिया, मैंने छुड़ाने की कोशिश की तो जबरन हाथ पकड़ कर अपनी दुकान पर ले जाकर बैठा दिया और कहा कि तुम यहां से तो नहीं जाओगे। जाओगे तो मेरे पैसे देकर जाओगे शंकरलाल ने मेरे से लगभग 32 हजार रुपये व ब्याज मांगा, जबकि मेरे में परचूनी सौदे के लगभग साढ़े तीन हजार रुपये आते हैं। जो मुझे देने है। इसके अलावा और कोई पैसे नहीं है, उसके बाद मुझे अपनी दुकान में बैठा दिया व पानी पेशाब करने नहीं जाने दिया। मैं दुकान में बैठा रहा सरपंच शंकरलाल ना मालूम कहां चला गया। मेरे साथ कोई मारपीट नहीं की। बांधने के लिए कहां, बांधा नहीं शंकरलाल ने अपनी औरत से कहां कि रस्सा ला, इसे बांधू व शंकरलाल ने मुझे कहां कि पैसे तो मैं जहां भी मिलेगा वसूल करके रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। शाम दाम दण्ड उसके बाद मैंने मेरे बच्चे को थाने पर भेजा कि तू थाने पर जाकर कह कि मेरे पिताजी को शंकरलाल ने बैठा रखा है। इसके बाद मेरा लड़का थाने पर चला गया। एस.डी. पांचू लाल शर्मा, सहायक उप निरीक्षक थाना पीपलू कैम्प बनवाड़ा, दिनांक 7.3.2002 समय 4.30 पी.एम., एस.डी. कैलाशचन्द 7.3.2002 कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पर्चा बयान श्री कैलाशचन्द पुत्र श्री नारायण जी कोम बैरवा उम्र 38 साल साकिन अमृतनगर थाना पीपलू ने बमुकाम बनवाड़ा में मन ए.एस.आई. को दर्ज कराये जिसके बोले अनुसार लब्ज ब लब्ज लेखा किये गये। पढ़कर सुनाये, सुन समझ सही मान अपने हस्ताक्षर किये मजमून पर्चा बयान से मामला 342, 323 ता.हि. का घटित होना पाया जाता है अतः मन ए.एस.आई. पांचूलाल शर्मा मौके पर मसरूफ तफतीश करता हूं। वापसी थाने पर अभियोग दर्ज किया जावेगा। दरियाफत पर बताया कि मेरे साथ धक्का मुक्की हुई है। शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं है। एस.डी. पांचूलाल शर्मा ए.एस.आई. थाना पीपलू कैम्प बनवाड़ा दिनांक 7.3.2002 समय 4.35 पी.एम.एस.डी. कैलाशचन्द।

नोट : वापसी थाना पर उपरोक्त पर्चा बयान पर मु.नं. 30/2002 धारा 342, 323 ता.हि. कायम कर मन ए.एस.आई. पांचूलाल आई/ओ थाना मसरूफ, तफतीश हुआ। प्रतियां एफ.आई.आर. नियमानुसार जारी की गई। पार्दात पर मुकदमा नम्बर अंकित किये गये।

13. पुलिस कार्यवाही :

उपरोक्त रिपोर्ट क्रम संख्या 2 के आधार पर जो अपराध घटित हुआ, उसे पंजीकृत किया तथा उसका अनुसंधान प्रारम्भ किया/ पांचूलाल शर्मा स.उ.नि. को अनुसंधान प्रारम्भ करने का निर्देश दिया। सम्बन्धित पुलिस थाना पीपलू जिला टोंक को (कार्यक्षेत्र के आधार पर) स्थानान्तरित किया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट परिवादी/सूचनाकर्त्ता को पढ़कर सुनाई गई जिसने सही होना स्वीकार किया। एक प्रति परिवादी/सूचनाकर्त्ता को निःशुल्क दी गई।

एस.डी.
पांचूलाल शर्मा
थानाधिकारी के हस्ताक्षर

नाम : पांचूलाल शर्मा
पद : सहायक उप निरीक्षक
नगर, यदि कोई हो तो : आई.सी. थाना पीपलू
दिनांक : 7.3.2002
समय : 6.30 पी.एम.

14. परिवादी/सूचनाकर्त्ता के हस्ताक्षर/अंगूठा :

15. न्यायालय को भेजने की तारीख एवं समय :

परिशिष्ट–9

परिशिष्ट ''क''

(अतारांकित प्रश्न संख्या–686 का विवरण)

जिला अजमेर में पाये जाने वाले जानवर/जंगली जानवर पक्षियों की संख्या का रेंजवार विवरण

क्र. सं.	नाम जानवर पक्षी	वन मण्डल रेंज						रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य रेंज रावली	योग
		अजमेर	किशनगढ़	नसीराबाद	सरवाड़	ब्यावर	पुष्कर		
1.	बघेरा	–	–	–	–	1	1	11	13
2.	जंगली बिल्ली	22	24	16	4	3	17	18	104
3.	सियार	655	179	171	7	102	12	102	1228
4.	जरख	12	–	–	–	3	6	26	47
5.	लोमड़ी	19	48	20	–	18	20	19	144
6.	भेडिया	8	23	11	5	12	21	25	105
7.	बिज्जू	8	12	–	–	–	55	15	90
8.	नेवला	42	77	44	15	51	115	60	404
9.	सांभर	–	–	–	–	–	–	18	24
10.	रोजडा	1034	1374	705	1446	404	659	231	5853
11.	जंगली सुअर	–	–	–	–	7	–	212	219
12.	सेही	105	13	24	3	11	32	48	236
13.	मोर	1084	599	1078	368	319	188	333	3969
14.	गोडावण	–	–	–	33	–	–	–	33
15.	गिद्ध	17	40	2	–	12	–	306	377
16.	उल्लू	–	37	–	11	31	4		83
17.	भालू	–	–	–	–	–	–	18	18

परिशिष्ट "ख"

जान/माल को क्षति पहुंचाने वाले रोजड़ों को नष्ट करने की अनुमति देने हेतु अधिकृत अधिकारी

क्र.सं.	नाम विभाग	अधिकारी जिनको अधिकृत किया गया है
1.	वन विभाग	क्षेत्रीय वन अधिकारी से उप वन संरक्षक स्तर तक के वन अधिकारियों को
2.	पुलिस विभाग	थानाधिकारी से पुलिस अधीक्षक स्तर तक के अधिकारियों को
3.	राजस्व विभाग	नायब तहसीलदार से जिला कलक्टर तक के राजस्व अधिकारियों को
4.	विकास विभाग	विकास अधिकारी

परिशिष्ट-10

परिशिष्ट "क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-688 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में चोरी-छिपे होने वाले अवैध खनन के क्षेत्रों का विवरण

क्र.सं.	नाम क्षेत्र
1.	नाहरगढ़
2.	लाटखेड़ा
3.	बम्बोरी
4.	रानी बड़ोद
5.	दोलण्डी
6.	गाडीधटा

परिशिष्ट-11

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-691 का विवरण)

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता) बांसवाड़ा (राज.)

क्रमांक: एफ ( )आरआईडीएफ-6/राहत/2002/378 दिनांक: 19.2.2002

आदेश

सहायता विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1(11)सआ/नाबार्ड/2002/344-74 दिनांक 8.1.2002 के अनुक्रम में आर.आई.डी.एफ.-योजना के तहत स्वीकृत अपूर्ण कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु दिनांक 31.3.2002 तक की अवधि बढ़ाई गई है। अतः सहायता विभाग से सम्वत् 2056 व 2057 के अपूर्ण स्वीकृत कार्यों की प्राप्त सूची तथा अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम/द्वितीय बांसवाड़ा से प्राप्ति प्रस्तावों के आधार पर आर.आई.डी.एफ.-6 योजना के निम्न अपूर्ण कर राहत कार्यों की निम्न शर्तों के अधीन प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	नाम कार्य	स्वीकृत राशि (लाख रु.) श्रम	सामग्री	योग	स्वीकृत श्रमिक	कार्य की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
अधिशासी अभियन्ता सा.नि. विभाग खण्ड (प्रथम) कार्यकारी एजेंसी						
पंचायत समिति बांसवाड़ा						
1.	सम्पर्क सड़क देवगढ़ से नाल	4.46	2.37	7.43	60	31.3.2002
2.	सम्पर्क सड़क बनाला	1.72	1.14	2.86	100	31.3.2002
3.	सम्पर्क सड़क बारी से सीड़यातलाई	2.35	1.56	3.91	100	31.3.2002
4.	सम्पर्क सड़क सांगेसेरा से छापरिया	1.88	1.26	3.14	100	31.3.2002
	योग	**10.41**	**6.93**	**17.34**	**4.60**	
पंचायत समिति घाटोल						
1.	सम्पर्क सड़क नरवाली से सरोदिया	5.83	3.88	9.71	160	31.3.2002
	योग	**5.83**	**3.88**	**9.71**	**160**	

1	2	3	4	5	6	7
पंचायत समिति पीपलखूंट						
1.	सम्पर्क सड़क ठेचला से जामली	7.96	5.31	13.27	160	31.3.2002
2.	सम्पर्क सड़क दनादारी	0.76	0.51	1.27	40	–''–
3.	सम्पर्क मार्ग मोरवानिया	4.46	2.97	7.43	160	–''–
4.	सम्पर्क सड़क नायन	11.81	7.87	19.68	650	–''–
	योग	**24.99**	**16.66**	**41.65**	**1010**	
	कुलयोग	**41.23**	**27.47**	**68.70**	**630**	

अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड-II बांसवाड़ा

पंचायत समिति आनन्दपुरी						
1.	सम्पर्क सड़क बोरवानीया	2061	1.35	3.36	90	31.3.2002
2.	सम्पर्क सड़क रतनपुरा	3.52	2.35	5.87	160	31.3.2002
3.	सम्पर्क सड़क टिमरन	3.87	2.59	6.46	180	31.3.2002
4.	सम्पर्क सड़क मेनापादर	2.28	1.53	3.81	80	31.3.2002
5.	सम्पर्क सड़क पाटनवाधरा	2.55	1.71	4.26	120	31.3.2002
6.	सम्पर्क सड़क गमाना	1.33	0.89	2.22	60	31.3.2002
7.	सम्पर्क सड़क नाहरपुरा	4.48	2.99	7.47	210	31.3.2002
8.	सम्पर्क सड़क पिथापुरा	3.25	2.18	5.43	150	31.3.2002
	योग	**23.29**	**15.59**	**38.88**	**1050**	

1	2	3	4	5	6	7
पंचायत समिति बागीदौरा						
1.	सम्पर्क सड़क सेन्डमोटी	173	1.16	2.89	80	31.3.2002
2.	सम्पर्क सड़क झाझरवाकला	1.09	0.74	1.83	50	31.3.2002
3.	सम्पर्क सड़क नाल	1.89	1.20	3.15	90	31.3.2002
	योग	**4.71**	**3.16**	**7.87**	**220**	
पंचायत समिति सज्जनगढ़						
1.	सम्पर्क सड़क सागवा	1.78	1.19	2.97	80	31.3.2002
2.	सम्पर्क सड़क खूटावतरा	3.34	2.24	5.58	150	31.3.2002
3.	सम्पर्क सड़क गराड़िया	1.70	1.14	2.84	80	31.3.2002
4.	सम्पर्क सड़क कलिजरा–ईटाला	2.90	1.98	4.94	140	31.3.2002
5.	सम्पर्क सड़क उकाला–वसूनी	3.51	2.24	5.85	160	31.3.2002
6.	सम्पर्क सड़क हिम्मतगढ़–उकाला	5.76	3.85	9.61	270	31.3.2002
7.	सम्पर्क सड़क पालीबड़ी	1.32	0.88	2.20	60	31.3.2002
8.	सम्पर्क सड़क पेनावाड़ा	2.66	1.77	4.43	110	31.3.2002
9.	सम्पर्क सड़क पण्डवाल उफार	4.80	3.24	8.04	220	31.3.2002
	योग	**27.83**	**18.63**	**46.46**	**1270**	
पंचायत समिति कुशलगढ़						
1.	सम्पर्क सड़क बाकानुर	3.92	2.61	6.53	180	31.3.2002
2.	सम्पर्क सड़क बिजोरी बड़ी	6.40	4.27	10.67	300	31.3.2002

1	2	3	4	5	6	7
3.	सम्पर्क सड़क कलिंजरा	2.96	1.98	4.94	140	31.3.2002
4.	सम्पर्क सड़क करमडिया	3.28	2.19	5.47	150	31.3.2002
5.	सम्पर्क सड़क टिमेड़ा छोटा	1.76	1.18	2.94	80	31.3.2002
6.	सम्पर्क सड़क निशनाव	1.52	1.02	2.54	70	31.3.2002
7.	सम्पर्क सड़क शोभावटी	7.22	4.82	12.04	340	31.3.2002
8.	सम्पर्क सड़क लुनावाड़ा	1.64	1.09	2.73	70	31.3.2002
	योग	**28.70**	**19.16**	**47.86**	**1330**	
पंचायत समिति गढ़ी						
1.	सम्पर्क सड़क थालातलाई	6.17	4.11	10.28	290	31.3.2002
2.	सम्पर्क सड़क भानो का पारड़ा	3.67	2.35	6.12	170	31.3.2002
3.	सम्पर्क सड़क लोड़दा	5.11	3.41	8.52	240	31.3.2002
4.	सम्पर्क सड़क कुवालिया	2.67	1.78	4.45	120	31.3.2002
5.	सम्पर्क सड़क भादलदा	1.57	1.05	2.62	70	31.3.2002
6.	सम्पर्क सड़क वजाखरा से सालिया	3.44	2.30	5.74	160	31.3.2002
	योग	**22.63**	**15.10**	**37.73**	**1050**	
	कुल योग	**107.16**	**71.64**	**178.80**	**4770**	
	महायोग	**148.39**	**99.11**	**267.51**	**6550**	

स्वीकृति की शर्तें

1. यह राहत कार्य अकाल राहत सम्वत् 2057 की प्रक्रिया के अनुसार ही कार्य पूर्ण करवाये जावेंगे।
2. श्रमिकों को मजदूरी के बदले 5 किलोग्राम गेहूं के स्थान पर 6 किलोग्राम गेहूं प्रतिदिन मजदूरी के हिसाब से देय होगा।
3. अपूर्ण कार्यों को दिनांक 31.3.2002 तक आवश्यक रूप से पूर्ण करवा लिया जावेगा।
4. सम्वत् 2056 एवं 2057 की अनुपयोगी सामग्री का उपयोग भी इन कार्यों पर किया जावेगा।
5. राशि का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावेगा।
6. अन्य शर्तें जो अकाल राहत सम्वत् 2057 में निर्धारित की गई थी का पूर्ण रूप से पालन किया जावेगा।

ह०/-

जिला कलक्टर (सहायता)

बांसवाड़ा

परिशिष्ट "अ"

परिशिष्ट–12

(अतारांकित प्रश्न संख्या–692 का विवरण)

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र	कार्य का नाम	स्वीकृति का प्रसंग	स्वीकृत राशि	वर्ष 2000-2001 में प्राप्त राशि	व्यय राशि	अवशेष	कार्य की स्थिति 3.3.2001
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	जालौर	ग्रेवल सड़क बावतरा से छोटी रोजोड़ी	6899/9.8.2000	5.00	4.00	136239/-	263761/-	कार्य अपूर्ण
2.	जालौर	बी.टी. बावतरा पादरू से जिला सीमा तक	-"-	5.00	5.00	50,000/-	-	कार्य पूर्ण
3.	जालौर	प्रोटेक्शन वाल बाकरा थानसा	7839/17.8.2000	3.66	3.66	365525	475/-	-"-
4.	जालौर	सा. श्मशान घाट की चारदीवारी का निर्माण कार्य उकाली बाकरा रोड	8124/24.8.2002	2.50	2.13	212847/-	153/-	-"-
5.	जालौर	वार्ड नं. 16 में सी.सी. रोड व नाली निर्माण	10256/4.10.2000	1.45	1.31	130560/-	440/-	-"-
6.	जालौर	भंवर खवास के मकान से पुखजी एवं दिनेशजी के मकान से अचलसिंह मगसिंह के मकान तक डामरीकरण	10256/4.10.2000	2.68	2.14	64834/-	149166/-	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	जालौर	वार्ड नं. 20 में सी.सी. रोड निर्माण कार्य अनराराम समेलजी माली के मकान से महादेव मन्दिर रोडवेज डीपो व लेखराज दवे की गली में	10256/4.10.2000	3.22	2.87	286715/-	285/-	कार्य पूर्ण
8.	जालौर	वार्ड नं. 25 में कुईयाराम के मकान से टेलीफोन एक्सचेंज कालोनी जालौर तक सी.सी. रोड	-"-	3.92	2.83	283275/-	-	-"-
9.	जालौर	वार्ड नं. 15 में सी.सी. रोड निर्माण कार्य थानाराम कपूरा के मकान से टीकमाराम माली के मकान तक	-"-	81.39	0.61	60615/-	315/-	-"-
10.	जालौर	श्मशान घाट सिंधी समाज जालौर चारदिवारी का कार्य	15345/6.1.2001	0.50	0.45	45111/-	-	कार्यपूर्ण
11.	जालौर	सड़क निर्माण कार्य पुखराज हास्टल पुलिस थाना सायला वाया रा.प्रा.वि.	8124/24.8.2000	2.50	2.45	245350/-	-	-"-
		कुल योग	31.82	27.45	2331071/-	414595/-		

परिशिष्ट ''ब''

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र	कार्य का नाम	स्वीकृति का प्रसंग	स्वीकृत राशि	वर्ष 2000-2001 में प्राप्त राशि	व्यय राशि	अवशेष	कार्य की स्थिति 3.3.2001
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	जालौर	बी.टी बावतरा पादरू से जिला सीमा तक	6899/9.8.2000	5.00	5.00	50,000/-	-	कार्य पूर्ण
2.	जालौर	प्रोटेक्शन वाल बाकरा धानसा	7839/17.8.2000	3.66	3.66	365525/-	475/-	कार्य पूर्ण
3.	जालौर	सा. श्मशान घाट की चारदिवारी का निर्माण कार्य उकाली बाकरा रोड	8124/24.8.2000	2.50	2.13	212847/-	153/-	कार्य पूर्ण
4.	जालौर	वार्ड नं. 16 में सी.सी. रोड व नाली निर्माण	10256/4.10.2000	1.45	1.31	130560/-	440/-	कार्य पूर्ण
5.	जालौर	वार्ड नं. 20 में सी.सी. रोड निर्माण कार्य अमराराम समेलजी माली के मकान में महादेव मन्दिर रोडवेज डीपो व लेखराज दवे की गली में	-''-	3.22	2.87	286715/-	285/-	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	जालौर	वार्ड नं. 25 में कुईयाराम के मकान से टेलीफोन एक्सचेंज कालोनी जालोर तक सी.सी. रोड	–"–	3.92	2.83	283275/–	–	कार्य पूर्ण
7.	जालौर	वार्ड नं. 15 में सी.सी. रोड निर्माण कार्य थानाराम कूपूरा के मकान से टीकमाराम माली के मकान तक	–"–	1.39	0.61	60615/–	315/–	कार्य पूर्ण
8.	जालौर	सामु. श्मशान घाट सिंधी समाज जालौर में चारदीवारी का कार्य	15345/6.1.2001	0.50	0.45	45111/–	–	कार्य पूर्ण
9.	जालौर	ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य पुखराज हास्टल से पुलिस थाना सायला वाया रा.प्रा.वि. सायला	8124/24.8.2000	2.50	2.50	245350/–	–	कार्य पूर्ण
		कुल योग		**24.14**	**.21.31**	**21,29,998/–**	**1668/–**	

परिशिष्ट "स"

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र	कार्य का नाम	स्वीकृति का प्रसंग	स्वीकृत राशि	वर्ष 2000-2001 में प्राप्त राशि	व्यय राशि	अवशेष	कार्य की स्थिति 3.3.2001
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	जालौर	ग्रेवल सड़क बावतरा से छोटी रोजोड़ी	6899/9.8.2000	5.00	4.00	136239/-	263761/-	कार्य अपूर्ण
2.	जालौर	भंवर खवास के मकान में पुखजी एवं दिनेशजी के मकान में अचल सिंह मगसिंह के मकान तक डामरीकरण	10256/4.10.2000	2.68	2.14	64834/-	149166/-	कार्य अपूर्ण
			कुल	7.68	6.14	201073/-	412927/-	

परिशिष्ट–13

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–695 की सूची)

जयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (06) में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बनीपार्क (044) के लिये मतदान भवनों की सूची वर्ष 2002

क. सं.	मतदान केन्द्र के भवन का नाम	भवन में स्थित मतदान केन्द्रों के नम्बर	भवन में स्थित कुल मतदान केन्द्र
1	2	3	4
1.	रा.प्रा.वि. "बी" चरण नदी	1, 2, 3, 4, 5	5
2.	रा.प्रा.वि. मुरलीपुरा स्कीम	6, 7, 8	3
3.	एन.के.पब्लिक सी.मा. विद्यालय, आर्यनगर, मुरलीपुरा	9, 10, 11, 12	4
4.	रा.सी.सै.वि. मुरलीपुरा स्कीम	13, 14, 15, 16, 17	5
5.	आदर्श बाल शाला समिति सी.सै. स्कूल देवधारा कालोनी	18, 19, 20	3
6.	रा.मा.वि. नांगल जैसा बोहरा	21, 22, 23, 24, 25, 26	6
7.	पंचायत समिति झोटवाड़ा	27, 28, 29, 30	4
8.	ज्ञानवर्द्धक पब्लिक स्कूल पंचायत समिति के पीछे झोटवाड़ा	31, 32, 33, 34, 35, 36	6
9.	रा.प्रा.वि. झोटवाड़ा रामदास की बगीची कमरा	37, 38, 75	3
10.	बृजवाल मन्दिर सै. स्कूल झोटवाड़ा पंचायत समिति की पीछे	39, 40, 41, 42, 43, 44	6
11.	महाराणा प्रताप बाल मा.वि. खिरणी फाटक	45, 46, 47	3
12.	विनोबा विद्या विहार, जोशी मोहल्ला झोटवाड़ा	48, 49, 50, 51	4

1	2	3	4
13.	आदर्श विद्या मन्दिर झोटवाड़ा	52, 53, 79	3
14.	न्यू विकास पब्लिक सै. स्कूल विकास नगर, कालवाड़ रोड	54, 55, 56	3
15.	जयसंधु पब्लिक सै. स्कूल लाजपत नगर, झोटवाड़ा	57, 58, 59, 60	4
16.	रा.क.सी.सै.वि. झोटवाड़ा	61, 62, 63, 64	4
17.	नर्मदा मेमोरियल एकेडमी अजय सर्किल, झोटवाड़ा	65, 66, 67, 68	4
18.	गोखले पब्लिक स्कूल, झोटवाड़ा	69, 70, 71, 72	4
19.	शांति विद्या निकेतन, निवारू रोड	73, 74, 76, 77, 78	5
20.	युवराज एकेडमी न्यू कालोनी, खातीपुरा	80, 81, 82	3
21.	अल्फा एकेडमी सी.सै. स्कूल, खातीपुरा	83, 84, 85, 86	4
22.	अमर बाल सी.सै. स्कूल जसवन्त नगर, खातीपुरा	87, 88, 89	3
23.	रा.सी.उ.मा.वि. खातीपुरा	90, 91, 92, 93	4
24.	रविन्द्र भारती पब्लिक स्कूल, वैशालीनगर	94, 95, 96, 97, 98, 99	6
25.	रा.मा.वि. मीनावाला	100, 101, 102, 103, 104,	5
26.	रा.मा.वि. गोकुलपुरा	105, 106	2
27.	रा.मा.वि. हीरापुरा	107, 108, 109, 110, 114, 117, 118, 119, 120	9

1	2	3	4
28.	रा.प्रा.वि. हीरापुरा	111	1
29.	पावर हाउस का रेस्ट हाउस, हीरापुरा	112, 113	2
30.	नेहरू मेमोरियल सी.सै. गांधीपथ वैशालीनगर	115, 116, 121, 122	4
31.	डी.ए.वी. सैंटेनरी पब्लिक स्कूल, वैशालीनगर	123, 124	2
32.	टैगोर पब्लिक स्कूल, वैशालीनगर	125, 126, 127	3
33.	रा.प्रा.वि. सुशीलपुरा सोडाला	128, 129, 130	3
34.	राजश्री कन्या सी.सै. स्कूल न्यू सांगानेर रोड, अशोकपुरा सोडाला	131, 132, 133	3
35.	रा.मा.वि. सोडाला	134, 135, 136, 137	4
36.	रावत सी.सै. स्कूल विवेक बिहार न्यू सांगानेर रोड	138, 139, 140	3
37.	सेंट्रल एकेडमी स्कूल श्यामनगर सोडाला	141, 142, 145, 146	4
38.	सविनय पब्लिक स्कूल कृष्ण विहार कालोनी, सोडाला	143, 144	2
39.	कार्यालय मीटर्स अधिशासी अभियन्ता (रा.रा. विद्युत प्रसारण निगम) हवा सड़क	147, 150, 151	3
40.	कार्यालय मुख्य अभियन्ता सिविल, (राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम) हवा सड़क	148, 149, 162, 163	4

1	2	3	4
41.	सहायक अभियन्ता प्रथम 400 के.वी.जी.एस.एस. चम्बल (राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम) हवा सड़क	152	1
42.	महात्मा ज्योतिराव फूले महिला महाविद्यालय रामनगर विस्तार	153, 154, 155, 156	4
43.	नव भारती विद्या मन्दिर रामनगर विस्तार	157, 158, 159, 160	4
44.	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, टी.सी.डी., प्रथम (रा.रा. विद्युत प्रसारण निगम) हवा सड़क	161, 164	2
45.	रा.उ.प्रा.वि. 22 गोदाम	165, 166, 167, 168, 169, 170, 171	7
46.	रा.राज्य भण्डार व्यवस्था निगम 22 गोदाम	172, 173, 174, 175	4
47.	कार्या. लघु उद्योग सेवा संस्थान, 22 गोदाम	176, 177, 178, 179	4
48.	रा.बा.प्रा.वि. ज्योति नगर भगवती नगर प्रथम, करतारपुरा	180, 181, 182, 183	4
49.	कुमावत क्षेत्रीय सी. हायर सै. स्कूल हटवाड़ा रोड	184, 185, 186, 187	4
50.	यश विद्या मन्दिर हवा सड़क	188, 189, 190, 191	4
51.	रा.रा.कृषि विपणन बोर्ड कृषि भवन, भवानी सिंह रोड	192, 193, 194	3
52.	कार्यालय इन्दिरा गांधी नहर मण्डल, भवानी सिंह रोड	195, 196	2
53.	अति. मुख्य अभि. जन स्वा.अभि. विभाग जयपुर क्षेत्र ज्योति नगर	197, 198, 199, 200	4

1	2	3	4
54.	कार्या. अधि. अभि. जन. स्वा.अभि. विभाग राजस्व खण्ड दक्षिण ज्योति नगर	201, 202	2
55.	कार्यालय उन वर्गीकरण केन्द्र टोंक रोड	203	1
56.	कार्यालय निदेशक प्रबन्धक राज., राज्य भेड़ ऊन विभाग फैडरेशन, टोंक रोड	204, 205, 207	3
57.	कार्यालय निदेशक पशुपालन विभाग, टोंक रोड	206, 208, 209, 210	4
58.	कार्यालय अधि.अभि. जन. स्वा. अभि. विभाग जिला खण्ड प्रथम, हटवाड़ा रोड	211, 212, 213	3
59.	भैरव पब्लिक सी.सै.स्कूल हटवाड़ा रोड	214, 215, 216	3
60.	रा.उ.मा.वि. हसनपुरा हटवाड़ा रोड	217, 218, 219, 220, 221	5
61.	संजय मेमोरियल सी.सै.स्कूल, सोडाला	222	1
62.	चौधरी पब्लिक सी.सै. स्कूल जनता नगर राकड़ी	223, 224, 225, 226	4
63.	अमरदेवी मा.वि., हसनपुरा	227, 228, 229, 230	4
64.	अभिनव बाल भारती विद्यालय शांति नगर, हसनपुरा	231, 232	2
65.	मां केसरी बाल विद्यालय, सोडाला	233	1
66.	मेरी कन्वेन्ट स्कूल व्यास हास्पिटल के सामने, अजमेर रोड	234, 235, 236, 237, 238	5
67.	कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सा.नि.वि. हसनपुरा	239, 240, 241, 242, 243	5
68.	कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जन.स्वा.अभि.वि., हसनपुरा	244, 245, 246, 247	4

1	2	3	4
69.	राजकीय श्रम कल्याण केन्द्र, हसनपुरा	248, 249, 250	3
70.	ए.एस.मेमोरियल सै.स्कूल शांतिनगर श्रम कल्याण केन्द्र के पास, हसनपुरा	251, 252, 253	3
71.	कार्यालय अधि. अभि. पी.एच.ई.डी. जिला खण्ड द्वितीय एन.बी.सी. के सामने	254, 255, 256, 257	4
72.	कार्यालय भू–प्रबन्ध अधिकारी, हथरोई गढ़ी	258, 259, 260, 261	4
73.	कार्यालय मुख्य अभियन्ता, रा.रा.विद्युत प्रसारण निगम, पावर हाउस रोड	262, 263, 266	3
74.	रा.सी.उ.मा.वि. गणपति नगर	264, 265	2
75.	श्री महावीर दिगम्बर जैन सी.उ.मा.वि. सी–स्कीम	267, 268, 269	3
76.	अति. मुख्य अभि. पी.एच.ई.डी. ड्रीलिंग क्षेत्र सी–33 लाजपत मार्ग, सी–स्कीम	270, 271, 272	3
77.	ट्यूरिस्ट होटल पुराना गवर्नमेंट होस्टल एम.आई. रोड	273, 274, 275, 276	4
78.	रा.मा.वि. रेजीडेन्सी, सहकार मार्ग	277, 278	2
79.	रा.बा.प्रा.वि. वसुन्धरा कालोनी, टोंक रोड	279, 280, 281	3
80.	प्रेम शांति पब्लिक स्कूल वसुन्धरा कालोनी के सामने	282, 283, 284, 285, 286	5
81.	सैंट्रल एकेडमी इंगलिश स्कूल महावीर नगर	287, 288, 289, 290	4
82.	नितिन बा.सी.हा.सै. स्कूल, बरकत नगर	291,292,293	3
83.	आदर्श सी.सै.स्कूल बरकत नगर	294, 295, 296, 297, 298	5

1	2	3	4
84.	रा.मा.वि. रामपुरा रूपा टोंक फाटक	299, 300, 301, 302, 314	5
85.	केन्द्रीय विद्यालय नं. 1 टोंक फाटक	303, 304, 305, 306, 307	5
86.	विवेकानन्द बालिका मा.वि. टोंक फाटक	308, 309	2
87.	विनय भारती बाल मन्दिर खादी परिसर, बजाज नगर	310, 311, 312, 313	4
88.	निर्मला बाल विद्या मन्दिर पी.एन.टी. कालोनी टोंक फाटक	315, 316, 317	3
89.	रा.उ.प्रा.कन्या वि. रावलजी का बाग अम्बेडकर नगर	318, 319, 320	3
90.	विक्रमादित्य सै.स्कूल, अम्बेडकर नगर	321, 322	2
91.	गीता पब्लिक सै. स्कूल सी–4 देवी चिरंजी कालोनी, महेश नगर	323, 324, 330, 331, 340	5
92.	राधा बाल निकेतन सूर्य नगर, गोपालपुरा बाईपास	325, 326, 327	3
93.	रा.मा.वि. गोपालपुरा देवरी, गोपालपुरा बाईपास	328, 329, 333, 334	4
94.	चिल्ड्रन एकेडमी सी.सै. स्कूल, त्रिवेणी नगर, गोपालपुरा	332, 341	2
95.	हंस विद्या मन्दिर मा.वि. अवधपुरी महेश नगर	335, 336	2
96.	रा.बा.प्रा.वि. बी ब्लाक, महेश नगर	337	1
97.	सेन्ट अगस्तेय पब्लिक स्कूल मूर्ति कला कालोनी गोपालपुरा फाटक	338, 339	2
98.	रा.बा.मा.वि. दुर्गापुरा	342, 343, 344	3

1	2	3	4
99.	सामुदायिक-केन्द्र-हंस-विहार एस.एफ.एस. अग्रवाल फार्म	345, 346, 347	3
100.	उप आवासन आयुक्त कार्यालय वृत्त द्वितीय रा.आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म	348, 349	2
101.	आवासीय अभियन्ता खण्ड 11 सेक्टर 7 का कार्यालय राज. आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म	350, 351, 352	3
102.	आकाशदीप पब्लिक स्कूल थड़ी मार्केट, अग्रवाल फार्म	353, 354, 355, 356	4
103.	सामुदायिक केन्द्र सेक्टर नं. 9 अग्रवाल फार्म	357, 358, 359	3
104.	जनता आदर्श मा.वि. दुर्गापुरा	360, 361	2
105.	आदर्श विद्या मन्दिर जय जवान कालोनी, दुर्गापुरा	362, 363	2
106.	सीडलिंग माडर्न हाई स्कूल महावीर नगर द्वितीय, दुर्गापुरा	362, 363, 364, 365, 366	2
107.	रा.मा.वि. दुर्गापुरा	367	1
108.	सेंटपाल स्कूल यूनिट 2 दुर्गापुरा स्टेशन रोड	368, 369, 370	3
109.	रा.प्रा.वि. दुर्गापुरा	371, 372	2

1	2	3	4
110.	वीर वर्धमान सै.स्कूल रामद्वारा कालोनी स्टेशन रोड दुर्गापुरा	373, 374, 375	3
111.	साधु वासवानी सी.सै.उ.मा.वि. आदर्श नगर	376, 377, 378, 379, 380	5
112.	पुरुषार्थी उ.मा.वि. दीपक मार्ग फतेह टीबा मोती डूंगरी रोड	381, 382, 384, 385	4
113.	मुस्लिम सी.उ.मा.वि. मोती डूंगरी रोड	383, 393, 394, 401, 402	5
114.	रा.क.सी.उ.मा.वि. आदर्श नगर	386, 387, 388, 389, 390	5
115.	आनन्द बाल मन्दिर उ.प्रा.वि. मोती डूंगरी रोड	391, 392	2
116.	सेठ आनन्दीलाल पोद्धार राजकीय मूक बन्दिरान्ध संस्था गुगें बहरों का स्कूल जवाहर लाल नेहरू मार्ग	395, 396, 397, 398	4
117.	श्री दादू आचार्य संस्कृत महाविद्यालय मोती डूंगरी	399, 400	2
		कुल योग	402

ह०/–

परिशिष्ट-14

परिशिष्ट-1

(अतारांकित प्रश्न संख्या-705 की सूची)

राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि.

नेहरू सहकार भवन, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर

क्र. सं.	लाभार्थी का नाम व पता	निगम नाम	परियोजना	ऋण राशि	देय तिथि
1	2	3	4	5	6
(1) वर्ष 1999-2000					
1.	श्री सराजूद्दीन/रमजानखां मुसलमान नि. मारोठ, कुचामन	एनएमएफडीसी तत्काल योजना	मनिहारी दुकान	40,000/-	2/2000
2.	अब्दुलमजीद/चांद मो. नि. मारोठ, कुचामन	,,	साइकल दुकान	50,000/-	2/2000
3.	लुकमानस्याह/इनायत स्याह नि. मरोठ, कुचामन	,,	रेडिमेड वस्त्र	50,000	2/2000
4.	ईब्साईलखां/भूरेखां नि. मारोठ, कुचामन	,,	मीट शाप	45,000/-	2/2000
5.	रतनलाल/मोतीलाल मेहतर नि. रसाल, कुचामन	एनएसके एफडीसी	टेन्ट हाउस	90,000/-	3/2000
6.	मनोहरलाल/मोहनलाल रैगर निवासी कुचामन सिटी	एनएमएफडीसी	फुटवीयर	1,00,000/-	11/1999
7.	गन्नाराम/मोहनलाल बलाई नि. श्यामगढ़	,,	,,	1,00,000/-	11/1999
8.	राजेन्द्रसिंह/घनश्याम सिंह रा. राजपूत नि. श्यामगढ़	एनबीसीएफडीसी	टाइपिंग सेन्टर	50,000/-	1/2000
9.	श्रीमती विनोद कंवर/गजेन्द्र सिंह रा. राजपूत नि. श्यामगढ़	,,	टेलरिंग कटिंग	17,500/-	1/2000

1	2	3	4	5	6
10.	श्री गोपाललाल/धन्नाराम मीणा, निवासी श्यामगढ़	एनएसएफडीसी	ढाबा/ रेस्टोरेन्ट	2,10,000/-	1/2000
(2) वर्ष 2000-2001					
1.	श्री रामचन्द्र/मानाराम कुम्हार निवासी कांटिया	एमएएफडीसी	किराना स्टोर	50,000/-	7/2000
2.	गंगाराम/शिवकरण गुर्जर निवासी बाटलियां	"	"	50,000/-	11/2000
3.	महावीर प्रसाद/मोहनलाल शर्मा, निवासी शिम्भूपुरा	"	जनरल शाप	50,000/-	11/2000
4.	मो. सलीम स्या/बुन्दुरया निवासी कुचामन सिटी	एनएमएफडीसी तत्काल योजना	रेडीमेड गारमेन्ट	28,750/-	6/2000
5.	प्रहलादराम/घीसाराम खटीक निवासी कुचामन	एनएसएफडीसी	मार्बल हैण्डीक्राफ्ट	2,31,000/-	2/2001
6.	भंवरलाल/गोरधन मेघवाल निवासी मारोठ	"	शटरिंग	1,23,000/-	3/2000
7.	लक्ष्मीनारायण/सुखदेवराय बैरवा निवासी मारोठ	"	केमलकार्ट थ्रेसर	1,08,000/-	6/2000
8.	सोहनलाल/नाथूलाल रैगर निवासी मारोठ	"	"	1,08,000/-	6/2000
9.	अर्जुनराम/मोहनलाल मेघवाल निवासी मारोठ	"	शटरिंग	1,23,000/-	6/2000
10.	जगदीशप्रसाद/दामोदर प्रसाद खटीक निवासी श्यामगढ़	"	कम्प्यूटर	1,10,000/-	6/2000
11.	सायरचन्द/नारायणराम मीणा निवासी मारोठ	"	केमलकार्ट थ्रेसर	1,08,000/-	6/2000
12.	झाबरमल/रामचन्द्र मीणा निवासी मारोठ	"	सीड्सपेस्टी साईड शाप	1,56,000/-	6/2000

1	2	3	4	5	6
(3) वर्ष 2001-2002					
1.	श्री प्रभुराम/मंगलाराम जाट निवासी भूनी	एनएचएफडीसी	टेन्ट हाउस	50,000/-	10/2001
2.	श्री अरुणकुमार/लक्ष्मीनारायण गौड निवासी मारोठ	,,	मेडिकल स्टोर	50,000/-	12/2001
3.	बन्नाराम/भागीरथ मीणा नि. मारोठ	एनएसएफडीसी	मार्बल हैण्डीक्राफ्ट	2,31,000/-	5/2001
4.	गणपतलाल/डूंगाराम, खटीक निवासी मिठड़ी	,,	सीड्स व पेस्टी साईड शाप	1,56,000/-	5/2001
5.	रामदेव/मोहनलाल मेघवाल निवासी मारोठ	,,	मार्बल हैण्डीक्राफ्ट	2,31,000/-	7/2001
6.	कैलाशचन्द/गिरधारीलाल मीणा निवासी बावड़ी	,,	,,	2,31,000/-	8/2001
7.	छितरमल/मोहनलाल मीणा निवासी मारोठ	,,	शटरिंग	1,23,000/-	9/2001
8.	आनन्द सिंह/हनुमान सिंह जाट निवासी महाराजपुरा	एनबीसी एफडीसी	ट्रेक्टर	1,88,700/-	3/2002

परिशिष्ट-2

जमा कराई गई राशि का विवरण

क्र. सं.	लाभार्थियों का नाम व पता	जमा करवाई गयी राशि	राशि जमा करवाने की तिथि
1.	श्रीमती विनोद कंवर/गजेन्द्र सिंह रावना राजपूत नि. श्यामगढ़	1722/-	20.6.2000
2.	श्री लक्ष्मीनारायण/सुखदेव बैरवा, निवासी मारोठ	6400/-	26.9.2000
		6400/-	10.1.2001
		6400/-	10.4.2001
		19200/-	
3.	श्री प्रहलाद राम/घासीराम खटीक नि. कुचामन	13672/-	8.6.2001
		13672/-	20.9.2001
		13672/-	29.12.2001
		13672/-	16.3.2002
		54688/-	
4.	श्री गणपतराम/डूंगाराम खटीक नि. मिठड़ी	10,000/-	17.8.2001
		10,000/-	8.11.2001
		10,000/-	28.2.2002
		30,000/-	
5.	श्री रामदेव/मोहनलाल मेघवाल निवासी मारोठ	14,000/-	5.12.2001
6.	श्री जगदीश प्रसाद/दामोदर प्रसाद खटीक निवासी श्यामगढ़	48152/-	23.1.2002
7.	श्री छितरमल/मोहनलाल मीणा नि. मारोठ	7280/-	19.3.2002

सभी लाभार्थियों से ऋण वसूली का कार्य प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट-15

परिशिष्ट-1

(अतारांकित प्रश्न संख्या-708 का विवरण)

दी पाली सैंट्रल को-आपरेटिव बैंक लि. पाली मारवाड़ (राजस्थान)

वर्ष 1995-96 से 2000-2001 तक की अवधि में गबन/दुरुपयोग एवं अन्य आरोपों में निलम्बित पैक्स व्यवस्थापकों की सूची

(राशि लाखों में)

क्रमांक	नाम व्यवस्थापक	नाम समिति	गबन/दुरुपयोग आरोप राशि	निलम्बन दिनांक
1	2	3	4	5
1.	श्री विरेन्द्र सिंह तोमर	कानूजा/सेन्दड़ा	0.52	27.2.1996
2.	श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़	चामौड़ी	1.66	12.3.1996
3.	श्री बुद्धाराम वैष्णव	कूरना	2.50	1.1.1997
4.	श्री खेमचन्द्र देवासी	किराणा	1.00	14.5.1998
5.	श्री विरमा राम चौधरी	जाखोड़ा	0.78	2.7.1998
6.	श्री गजे सिंह	नानणा	0.23	2.7.1998
7.	श्री गणेशराम चौधरी	सुरायता	6.21	26.10.1998
8.	श्री उम्मेद सिंह	रायपुर/पचानपुरा	2.84	19.11.1998
9.	श्री हंसराज शर्मा	कुशलपुरा	0.21	20.11.1998
10.	श्री शंकर सिंह	लुणावा/ठंडीबेरी	0.56	29.1.1999
11.	श्री रामलाल राइका	हाजीवास	3.38	31.7.1999
12.	श्री जगदीश चन्द्र सोलंकी	राणावास/लुवाणा	1.09	29.11.1999
13.	श्री भगवत सिंह	जाखोड़ा	0.60	20.1.2000
14.	श्री गोकुल सिंह	राबड़ियावास	0.44	28.1.2000

1	2	3	4	5
15.	श्री बृजमोहन सिंह	वर	0.68	17.2.1998
16.	श्री सूर्य प्रकाश	साण्डिया	1.10	30.9.1998
17.	श्री मूलाराम वैष्णव	करमावास	0.63	5.2.2000
18.	श्री नरपत सिंह	फूलमाल	0.74	8.2.2000
19.	श्री कुन्दन मल सोनी	घाणेराव/माण्डा	0.88	26.2.2000
20.	श्री भंवर सिंह	खारची/बाडसा	0.41	24.2.2000
21.	श्री चन्द्रभान बारपाल	भैसाणा	1.11	3.4.2000
22.	श्री मांगीलाल चौधरी	दूदांड	7.27	22.6.2000
23.	श्री दुर्गाराम चौधरी	बाडसा/माण्डा	2.60	23.6.2000
24.	श्री दिनेश त्रिवेद्वी	बगड़ी	9.05	18.8.2000
25.	श्री भूराराम चौधरी	भादरलाउट	7.86	16.10.2000
26.	श्री भंवर लाल व्यास	चांचोड़ी	12.70	28.10.2000
27.	श्री रूप सिंह मीणा	बागोल	0.15	दि. 2.7.1998 से निरन्तर अनुपस्थिति

परिशिष्ट-2

दी पाली सैंट्रल को-आपरेटिव बैंक लि. पाली मारवाड़

वर्ष 1995-96 से 2000-2001 तक की अवधि में गबन/दुरुपयोग एवं अन्य आरोपों में निलम्बित पैक्स व्यवस्थापकों में से सेवा समाप्त किये गये व्यवस्थापकों की सूची

क्रमांक	नाम व्यवस्थापक	नाम समिति	गबन/दुरुपयोग आरोप राशि (रु. लाखों में)	सेवा समाप्ति दिनांक
1	2	3	4	5
1.	श्री विरेन्द्र सिंह तोमर	कानूजा/सेन्दड़ा	0.52	30.5.1998
2.	श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़	चामौड़ी	1.66	30.5.1998
3.	श्री बुद्धाराम वैष्णव	कूरना	2.50	31.10.1998
4.	श्री विरमा राम चौधरी	जाखोड़ा	0.78	4.3.2000
5.	श्री खेमचन्द देवासी	किराणा	1:00	18.3.2000
6.	श्री रामलाल राइका	हाजीवास	3.38	5.7.2000
7.	श्री हंसराज शर्मा	कुशालपुरा	0.21	5.7.2000
8.	श्री शंकर सिंह राजपुरोहित	लुणावा/ठंडीबरी	0.56	6.7.2000
9.	श्री भंवर सिंह	खारची/बाडसा	0.41	6.7.2000
10.	श्री उम्मेद सिंह	रायपुर/पचानपुरा	2.84	7.7.2000
11.	श्री रूपसिंह मीणा	बागोल	0.15	3.1.2001

परिशिष्ट-3

वर्ष 1995-96 से 2000-2001 तक की अवधि में गबन/दुरुपयोग एवं अन्य आरोपों में निम्न पैक्स व्यवस्थापकों की सेवाएं समाप्त की गई

क्रमांक	नाम व्यवस्थापक	नाम समिति	गबन/दुरुपयोग आरोप राशि (रु. लाख में)	सेवा समाप्ति दिनांक
1.	श्री विरेन्द्र सिंह तोमर	कानूजा/सेन्दड़ा	0.52	30.5.1998
2.	श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़	चाचौड़ी	1.66	30.5.1998
3.	श्री बुद्धाराम वैष्णव	कूरना	2.50	31.10.1998
4.	श्री विरमा राम चौधरी	जाखोड़ा	0.78	4.3.2000
5.	श्री खेमचन्द देवासी	किराणा	1.00	18.3.2000
6.	श्री रामलाल राइका	हाजीवास	3.38	5.7.2000
7.	श्री हंसराज शर्मा	कुशालपुरा	0.21	5.7.2000
8.	श्री शंकर सिंह राजपुरोहित	लुणावा/ठंडीबेरी	0.56	6.7.2000
10.	श्री उम्मेद सिंह	रायपुर/पचानपुरा	2.84	7.7.2000
11.	श्री रूपसिंह मीणा	बागोल	0.15	3.1.2001

(2) निलम्बित व्यवस्थापकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पूर्ण करते हुये दण्डित किया जाकर बहाल किया गया

क्र.सं.	नाम व्यवस्थापक	नाम समिति	निलम्बन दिनांक	बहाली दिनांक
1.	श्री बृजमोहन सिंह	बर	17.2.1998	11.12.1998
2.	श्री सूर्य प्रकाश	साण्डिया	30.9.1998	10.12.1998
3.	श्री भगवत सिंह	जाखोड़ा	20.1.2000	31.1.2000
4.	श्री भूराराम चौधरी	भादरलाऊ	20.1.2000	22.10.2001
5.	श्री नरपत सिंह	फुलमाल	8.2.2000	14.6.2001
6.	श्री दुर्गाराम चौधरी	बाडसा	23.6.2000	6.7.2001

एवं निम्न व्यवस्थापकों को पेंडिंग जांच निलम्बन से बहाल किया गया। अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित है।

क्र.सं.	नाम व्यवस्थापक	नाम समिति	निलम्बन दिनांक	बहाली दिनांक	विशेष विवरण
1.	श्री गणेशराम चौधरी	सुरायता	26.10.1998	8.12.1998	राशि जमा
2.	श्री गोकुल सिंह	राबड़ियावास	28.1.2000	29.9.2000	–''–
3.	श्री मूलाराम वैष्णव	करमावास	5.2.2000	20.8.2001	–''–
4.	श्री चन्द्रभान बासपाल	भैसाणा	3.4.2000	6.5.2000	–''–

निलम्बित व्यवस्थापक जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित हैं एवं अभी तक निलम्बित हैं :

क्र.सं.	नाम व्यवस्थापक	नाम समिति	वर्ष	वर्तमान कार्यवाही निलम्बन की स्थिति
1.	श्री गजे सिंह	नानणा	1998–99	जांच प्रतिवेदन प्राप्त/कार्यवाही अन्तिम चरण में।
2.	श्री जगदीश चन्द्र सोलंकी	राणावास/ लुणावा	1999–2000	सेवा समाप्ति नोटिस जारी कार्यवाही निर्णय स्तर पर।
3.	श्री कुन्दनमल सोनी	धाणेराव/ माण्डा	1999–2000	सेवा समाप्ति नोटिस जारी कार्यवाही सुनवाई स्तर पर।
4.	श्री मांगीलाल चौधरी	दुदौड़	2000–2001	गबन राशि 4.16 लाख वसूल जांच प्रतिवेदन प्राप्त होना शेष।
5.	श्री दिनेश त्रिवेदी	बगड़ी	2000–2001	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होना शेष पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज।
6.	श्री भंवर लाल व्यास	चाचोड़ी	2000–2001	जांच अधिकारी नियुक्त पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज।

परिशिष्ट–16

प्रदर्श संख्या–1

(अतारांकित प्रश्न संख्या–709 का विवरण)

कार्यालय-सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हनुमानगढ़

दी भारत बस ट्रांसपोर्ट कोआपरेटिव सोसायटी लि. भादरा के सदस्यों की सूची

क्र.सं. 1	नाम सदस्य मय पिता 2	जाति 3	निवासी 4
1.	श्री रामलाल/श्री मोजीराम	जाट	सरदारगढिया
2.	श्री श्योनारायण/रामलालजी	''	छाबड़ी
3.	श्री रामस्वरूप गंगाराम	''	गड्डा
4.	श्री मोमनराम/तुलसीराम	''	छानीबड़ी
5.	श्री मामचन्द्र/लेखराम	''	मलखेड़ा
6.	श्री महीपतराम/कान्हीराम	''	डाबड़ी
7.	श्री मोमनराम/पूरणराम	''	मोमनबास
8.	श्री रामसहाय/आदराम	''	गड्डा
9.	श्री हरीराम/बेगाराम	''	भानगढ़
10.	श्री रामप्रसाद/सुखदेवाराम	''	जोगीवाला
11.	श्री अमीचन्द/मोलाराम	''	झोरड़पुरा
12.	श्री प्रतापसिंह/गिरधरसिंह	''	उतरादावास
13.	श्री परमेश्वरीलाल/देवकरणदास	''	भिरानी
14.	श्री अमीलाल/श्योनारायण	''	झीलोदा
15.	श्री ओमप्रकाश/हंसराज	आर्य	घोटड़ा

1	2	3	4
16.	श्री श्योनदराम/लेखराम	जाट	मलखेड़ा
17.	श्री रामजी लाल/मोजीराम	,,	शेरड़ा
18.	श्री बीरबलराम/लालचन्द	,,	डाबडी
19.	श्रीमती परमेश्वरी देवी/रामपतजी	,,	मलखेड़ा
20.	श्री श्योनारायण/रामूराम	,,	लाखनबास
21.	श्री मनफूल/गिरधारी	,,	झीलोद
22.	श्री बद्रीनाथ/तुलसीराम	,,	सरदारपुराबास वि. माची
23.	श्री बीरबलराम/साजनराम	,,	,,
24.	श्रीमती परमेश्वरी देवी/महीपाल	,,	भादरा
25.	श्री हरीराम/टोडाराम	,,	सिकरोड़ी
26.	श्री पतराम/बेगाराम	,,	भानगढ़
27.	श्री काशीराम/धनसुखराम	,,	लाखनबास
28.	श्री तुलछीराम/धनसुखराम	,,	लाखनबास
29.	श्री मलूराम/कालूराम	,,	भागराना
30.	श्री सुरजाराम/उदमीराम	,,	डोभी
31.	श्री नत्थूराम/हरदयाल	,,	,,
32.	श्री रामलाल/पनाराम	,,	डूंगराना
33.	श्री भादर/परमाराम	,,	मलखेड़ा
34.	श्री हरफूलसिंह/उदमीराम	,,	झोरड़पुरा बास

1	2	3	4
35.	श्री श्रीराम/जोतराम	जाट	भरवाना
36.	श्री बुद्धराम/मोमनराम	,,	छोटाकिराड़ा
37.	श्री रामेश्वरलाल/पारासर	,,	मलखेड़ा
38.	श्री मोमनराम/जीवनराम	,,	छानीबड़ी
39.	श्री मनीराम/चन्दरूराम	,,	पालड़ी
40.	श्री सुरजाराम/भैराराम	,,	महराना
41.	श्री आदराम/बोइतराम	,,	कुजी
42.	श्री चेतरा/गंगाराम	,,	करणपुरा
43.	श्री मामचन्द	,,	भाडी
44.	श्री हंसराम/कुरड़ा	,,	,,
45.	श्री पतराम/श्योलाल	शर्मा	करणपुरा
46.	श्री जेठाराम/बेगाराम	,,	बोझला
47.	श्री मोमनराम/बरतीराम	जाट	कलाना
48.	श्री सुरजाराम/नन्दलाल	,,	डूंगराना
49.	श्री अमीलाल	,,	मलखेड़ा
50.	श्री प्रतापसिंह/हंसराम	,,	शेरड़ा
51.	श्री बासुदेव/तोताराम	,,	,,

ह०/-
सहायक रजिस्ट्रार
सहकारी समितियां, हनुमानगढ़

प्रदर्श संख्या-2

कार्यालय-अवसायक भारत बस ट्रांसपोर्ट कोआपरेटिव सोसायटी लि., भादरा

दुकान भूखण्डों की साइजवार विवरण, जिन पर अवैध कब्जा है

क्र.सं.	दुकान नम्बर	साइज (फुटों में)	विवरण	रिकार्ड अनुसार कब्जाधारी
1	2	3	4	5
1.	4	10 × 10	नीलामी की पूर्ण राशि जमा न होने के कारण बोली निरस्त	लालख/रहीम खां
2.	6	10 × 15	" "	विजयपाल सिंह/अमीचन्द
3.	9	10 × 15	" "	घासीराम/बीरबलराम पूनिया
4.	13	10 × 15	" "	राजकुमार/बनवारीलाल
5.	20	10 × 15	" "	प्रदीप चौधरी/यशवन्त सिंह
6.	24	10 × 15	" "	लालचन्द/धन्नाराम
7.	26	10 × 15	" "	लालचन्द/धन्नाराम
8.	31	10 × 12	नीलामी में बोली नहीं लगने के कारण	अजीत सिंह/रामप्रताप बेनीवाल
9.	32	10 × 12	" "	अजीत सिंह/रामप्रताप बेनीवाल
10.	4 ए (निर्मित)	10 × 10	नीलामी की पूर्ण राशि जमा न होने के कारण बोली निरस्त	नीलामी रिकार्ड के अनुसार रामकिशन/हनुमानप्रसाद वास्तविक कब्जा सतीश मिश्रा

अवसायक भारत बस ट्रांसपोर्ट
कोआपरेटिव सोसायटी लि. भादरा
एवं
सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां,
हनुमानगढ़

परिशिष्ट-17

परिशिष्ट-1

(अतारांकित प्रश्न संख्या-711 की प्रति)

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर के आदेशों/स्वीकृति से 9, 18, 27 की वेतन श्रृंखला का परिलाभ प्राप्त करने वाली शीर्ष संस्थाओं, होलसेल भण्डारों एवं क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के कर्मचारियों की संख्या

क्र.सं.	नाम संस्था	9, 18, 27 का परिलाभ प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या
1	2	3
(क)	शीर्ष संस्था	
1.	राजस्थान राज्य सहकारी संघ लि.	65
2.	राजस्थान राज्य सह. उपभोक्ता संघ	118
3.	राजस्थान राज्य क्रय.विक्रय संघ लि.	52
4.	राजस संघ, उदयपुर	112
(ख)	सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार	
1.	बीकानेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार	29
(ग)	क्रय विक्रय सहकारी समितियां	
1.	अजमेर क्रय विक्रय सहकारी समिति लि.	01
2.	किशनगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति लि.	03
3.	नसीराबाद क्रय विक्रय सहकारी समिति लि.	06
4.	भलवाड़ा क्रय विक्रय सहकारी समिति लि.	10
5.	बिजोलिया क्रय विक्रय सहकारी समिति लि.	11
6.	बनेड़ा क्रय विक्रय सहकारी समिति लि.	02
7.	नागौर क्रय विक्रय सहकारी समिति लि.	15

1	2	3
8.	बिलोड़ा क्रय विक्रय सहकारी समिति लि.	09
9.	आबूरोड क्रय विक्रय सहकारी समिति लि.	01
10.	भरतपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति लि.	08
11.	नदबई क्रय विक्रय सहकारी समिति लि.	10
12.	किसान श्रीगंगानगर क्रय विक्रय सहकारी समिति लि.	11
13.	पदमपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति लि.	08
14.	गजसिंहपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति लि.	11
15.	बीकानेर (कोलायत) क्रय विक्रय सहकारी समिति लि.	08
16.	नोखा क्रय विक्रय सहकारी समिति लि.	03
17.	बेरियावाली क्रय विक्रय सहकारी समिति लि.	03
18.	सांगरिया क्रय विक्रय सहकारी समिति लि.	08
19.	सादुलशहर क्रय विक्रय सहकारी समिति लि.	10
20.	हनुमानगढ़ क्रय विक्रय सहकारी,समिति लि.	15
21.	नोहर क्रय विक्रय सहकारी समिति लि.	05
22.	रावतसर क्रय विक्रय सहकारी समिति लि.	11

परिशिष्ट–2

सहकारी विभाग, राजस्थान
जयपुर

क्रमांक : फा 15(7) सविरा/निगम/88/पार्ट–II दिनांक : 20.1.2001

प्रबन्ध संचालक,
राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि.
जयपुर।

विषय : श्रीमती सुनीता भार्गव, सुपरवाइजर को चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग : आपका पत्रांक 10812 दिनांक 24.1.2001

महोदय,

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निर्देशानुसार लेख है कि जिन वरिष्ठ कर्मचारियों को उनसे, कनिष्ठ कर्मचारियों को चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने के उपरान्त भी, विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26.8.1998 द्वारा उक्त लाभ पर लागू किये गये प्रतिबन्ध के कारण वेतनमान नहीं दिये जा सके हैं, न्याय की दृष्टि से ऐसे वरिष्ठ कर्मचारियों को भी विशिष्ट मामला मानते हुए चयनित वेतनमान दिये जाने पर विचार किया जाता है तो उचित होगा।

भवदीय

ह०/-

संयुक्त रजिस्ट्रार (मार्के.)

परिशिष्ट–18

(अतारांकित प्रश्न संख्या–715 की सूची)

कार्यालय पंचायत समिति प्रतापगढ़ जिला–चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)

प्रसवि सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2001-2002 में लाभान्वितों की सूची पंचायतवार सूची महिलाओं की प्रेषित है

क्र.सं. 1	नाम प्रसविका/मय पति 2	जाति 3	निवासी 4	ग्राम पंचायत 5	देय राशि 6
1.	श्रीमती शीला कंवर/पप्पूसिंह	राजपूत	डाबडा	डाबडा	500/-
2.	'' वर्षादेवी/बद्रीलाल	जैन	-''-	-''-	500/-
3.	'' सरदारबाई/मिश्रीलाल	बावरी	पिपल्या	-''-	500/-
4.	'' गूडीबाई/गणपतलाल	मेघवाल	डाबडा	-''-	500/-
5.	'' मामीबाई/भागीरथ	मीणा	-''-	-''-	500/-
6.	'' विषलाबाई/यनाराम	कुमावत	धोरी	धोरी	500/-
7.	'' गंगाबाई/नाथुलाल	मीणा	काकरोड़ी	-''-	500/-
8.	'' रेजाबाई/भंवरलाल	घटिया	अमावता	अमावता	500/-
9.	'' अहिल्याबाई/पुरनदास	बैरागी	-''-	-''-	500/-
10.	'' समीताबाई/दिनेश	शर्मा	-''-	-''-	500/-
11.	'' निर्मलाबाई/सुरेशचन्द	मीणा	काकरोड़ी	-''-	500/-
12.	'' रामबाई/रामकिशन	जटिया	-''-	-''-	500/-
13.	'' मुन्नीबाई/	चमार	खरोट	-''-	500/-
14.	'' पार्वतीबाई/गोपाल	-''-	-''-	-''-	500/-
15.	'' रेखाबाई/भैरूलाल	-''-	-''-	-''-	500/-

1	2	3	4	5	6
16.	श्रीमती बबलीदेवी/गोवर्द्धनलाल	हरीजन	खरोट	धोरी	500/–
17.	'' भूरा देवी/शंकरलाल	चमार	–''–	–''–	500/–
18.	'' लीलाबाई/भादर	बलाई	–''–	–''–	500/–
19.	'' देवलीबाई/रूपलाल	मीणा	असलपुर	–''–	500/–
20.	'' लीलाबाई/रामलाल	–''–	–''–	–''–	500/–
21.	'' सुगनाबाई/लक्ष्मण	–''–	–''–	–''–	500/–
22.	'' छगनबाई/भैरूलाल	–''–	–''–	–''–	500/–
23.	'' सुगनाबाई/राधेश्याम	गूजर	–''–	–''–	500/–
24.	'' रेखाबाई/ओमप्रकाश	चमार	–''–	–''–	500/–
25.	'' मोहनबाई/भंवरलाल	गूजर	–''–	–''–	500/–
26.	'' तुलसीराम/कैलाश	मीणा	–''–	–''–	500/–
27.	इन्द्रादेवी/मोहन	–''–	–''–	–''–	500/–
28.	आमीबाई/हरीराम	–''–	–''–	–''–	500/–
				योग	14000/–

ह०/–
विकास अधिकारी,
पंचायत समिति, प्रतापगढ़

कार्यालय पंचायत समिति अरनोद जिला चित्तौड़गढ़ संलग्न सूची
मातृत्व व्यय में लाभान्वितों की सूची
वर्ष 2001-2002

क्र.सं.	लाभान्वितयों का नाम	पति का नाम	पंचायत का नाम	राशि	वि.वि.
1.	श्रीमती अनन्ता बाई	लालूराम मीणा	फतेहगढ़	500.00	
2.	श्रीमती हुगली बाई	शंकरलाल मीणा	उठैल	500.00	
3.	श्रीमती धापुड़ी	शम्भूलाल मीणा	फतेहगढ़	500.00	
4.	श्रीमती मधु	झमक लाल मीणा	अरनोंद	500.00	
5.	श्रीमती काली	नारायण मीणा	फतेहगढ़	500.00	
6.	श्रीमती अमरीबाई	रामलाल मीणा	फतेहगढ़	500.00	
7.	श्रीमती रामकन्या	बिठला मीणा	फतेहगढ़	500.00	
8.	श्रीमती नारंगी	कारू लाल मीणा	चिकट प. लालगढ़	500.00	
9.	श्रीमती जीवा बाई	प्रेम चन्द मीणा	हिंगलाट	500.00	
10.	श्रीमती श्यामा	किशोर मीणा	लालगढ़	500.00	
11.	श्रीमती मीरा	कबू मीणा	कराडिया	500.00	
12.	श्रीमती लक्ष्मी	मन्ना मीणा	कराडिया	500.00	

परिशिष्ट-19

(अतारांकित प्रश्न संख्या-716 की प्रति)

राजस्थान राज-पत्र, 18, जुलाई 1998

DEPARTMENT OF PERSONNEL

(A-Gr.II)

NOTIFICATION

Jaipur, July 16, 1998

G.S.R 34 -In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following amendment in the Rajasthan State and Subordinate Services (direct Recruitment by Combined Competitive Examinations) Rules, 1962, namely :-

AMENDMENT

In the said Rules :

1. Amendment in Schedule I— After the existing serial number 12 and entries thereto, the following new serial number 13 and entries thereto shall be added, namely :—

S.No.	Name of Service	Posts
"13.	The Rajasthan Women and Child Development (State and Subordinate) Service Rules, 1998	Assistant Project Officer (DWCRA)/Child Development project Officer."

2. Amendment in Schedule II :- After the existing serial number 9 and entries thereto, the following new serial number 10 and entries shall be added, namely :—

S.No. 1	Name of Service 2	Posts 3
"10.	The Rajasthan Women and Child Development (State and Subordinate) Service Rules, 1998	Assistant Child Development Project Officer."

[No.1.1 (1) DOP/A-II/88]

By Order and in the name of the Governor,

सूरज मल केड़वाल,

Deputy Secretary of the Government

परिशिष्ट "अ"

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Supervisor (3200 + 1500)	100% 75% from open market candidates and 25% from Anganwadi workers)		For Open Market Candidates :— Degree of University established by law in India For Anganwadi Workers :— Matriculate/Secondary of a recognized Board of Higher Secondary under old scheme of a recognized Board & must have completed 10 years as Anganwadi Worker.			

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Gram Sevika (3050 + 4590) 390/193 पद समाप्ति यह निर्णय हो गया है।	100% (50% from open market candidates and 50% from amongst Anganwadi workers) Sathins)		For Open Market Candidates :— Higher Secondary under old scheme or Senior Secondary under 10+2 Scheme from a recognized Board. For Anganwadi Workers/Sathins :— Higher Secondary under old scheme or Senior Secondary under 10+2 scheme from a recognized Board and must have completed 5 years' experience as Anganwadi Workers/Sathins.			

1	2	3	4	5	6	7	8
				Group-II			
1.	Nutritionist	100%		Second Class Master's Degree in Food and Nutrition of a university established by law in India and two Year's experience of organising training.	—	—	Post may also be filled up by deputation from within and other Departments from

परिशिष्ट–20

(अतारांकित प्रश्न संख्या-717 की प्रति)

कार्यालय संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण विभाग, बीकानेर

क्रमांक : सकवि/स्था/सानिबी/99   दिनांक : 16.7.1999

श्रीमान् अति. निदेशक (प्रशासन),
समाज कल्याण विभाग,
राजस्थान–जयपुर

विषय : श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री मुन्नालाल रसोईया की नियुक्ति नियमित करने पर श्रीमती गीतादेवी पत्नी श्री कानाराम द्वारा उठाये गये विवाद की तथ्यात्मक जांच बाबत।

प्रसंग : आपका पत्रांक–एफ (4)स्था/सकवि/99/50054.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री मुन्नालाल की नियुक्ति के मामले में प्रस्तुत किये गये अभिलेख के आधार पर समझौता अधिकारी के यहां दायर वाद के आधार पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है :-

(1) यह कि जिला अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा स्क्रीनिंग हेतु प्रस्तुत अभिलेख में गीता देवी पत्नी श्री मुन्नालाल को दिनांक 8.7.1994 से कार्यरत होना बताया है जबकि छात्रावास के अभिलेखों में मात्र श्रीमती गीतादेवी ही अंकित है पति के नाम का उल्लेख कहीं नहीं किया हुआ है जिससे प्रमाणीकरण किया जा सके।

(2) यह कि छात्रावास रेकार्ड में श्रीमती गीतादेवी अंशकालीन रसोईया के नाम से ही अंशकालीन भत्ता आहरित किया जाता रहा है उसमें निवास स्थान का अंकन नहीं है जिससे प्रमाणीकरण किया जाना सम्भव नहीं है कि वास्तव में रसोईया का कार्य किसने किया है।

(3) यह कि जिला अधिकारी श्रीगंगानगर ने पत्र क्रमांक–2303 दिनांक 24.3.1999

के द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री मुन्नालाल, तत्कालीन छात्रावास अधीक्षिका श्रीमती भगवती लदड़ एवं श्रीमती गीतादेवी चौकीदार के आपस में पारिवारिक रिस्तेदारी का उल्लेख किया है अतः जानबूझकर उक्त कृत्य किया जाना सम्भव है।

(4) यह कि स्क्रीनिंग हेतु प्रस्तुत अभिलेख में श्रीमती गीतादेवी पत्नी श्री मुन्नालाल को कार्यरत बताया था परन्तु जिला अधिकारी श्री गंगानगर की जांच रिपोर्ट दिनांक 24.3.1999 में श्रीमती गीतादेवी पत्नी श्री मुन्नालाल को एवं श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री कानाराम को कार्यरत नहीं होना बताया है।

(5) यह कि छात्रावास के अभिलेखों एवं स्क्रीनिंग हेतु प्रस्तुत अभिलेखों एवं जिला अधिकारी श्रीगंगानगर की जांच रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीमती गीतादेवी पत्नी श्री कानाराम एवं श्रीमती गीतादेवी पत्नी श्री मुन्नालाल दोनों ही नियमितीकरण की पात्र नहीं है।

सारांश : सभी तथ्यों एवं अभिलेखों की जांच के पश्चात् निम्न हस्ताक्षरकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रकरण काफी पेचिदा है तथा अपने रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से श्रीमती भगवती लदड़, महिला सुपरवाइजर एवं कार्यवाहक छात्रावास अधीक्षिका ने कई नियम विरुद्ध कार्य किये हैं जैसे रसोईयों के पति का नाम व निवास स्थान का अंकन नहीं करना, स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष हस्ताक्षर युक्त विवरण प्रस्तुत न करना, दो पदों का कार्य एक ही व्यक्ति से करवा कर भुगतान दोनों पदों का एक व्यक्ति को दिलाना आदि कृत्य संदेह पैदा करते हैं। अतः मेरी राय में इस प्रकरण के सम्बन्ध में एफ.आई.आर. दर्ज करवा कर समुचित जांच करवाई जानी प्रस्तावित है।

भवदीय

ह०/-

संयुक्त निदेशक

समाज कल्याण विभाग,

बीकानेर

परिशिष्ट-21

(अतारांकित प्रश्न संख्या-719 का विवरण)

क्र. सं.	मार्ग का नाम व वायाज	मार्ग पर वैद्य परमिटों की संख्या	वर्ष/दिनांक जब से बसें संचालित है
1	2	3	4
1.	गंगापुर से करेड़ा वाया देवरिया, कोशीथल, वीराना	12	1992 से
2.	गंगापुर से देवगढ़ वाया देवरिया, कोशीथल, रायपुर, बोराना, करेड़ा, खुमानपुरा, मदारिया मार्ग	3	1994 से
3.	गंगापुर से आमेट वाया खातीखेड़ा, छागणी, देवरिया, गल्वा, कोशीथल, खोराना, मोखुन्दा, सरदारगढ़ मार्ग	2	1993 से
4.	गंगापुर से भीम वाया आमली, आशावली, बगोर, चान्दरास, बेमाली, करेड़ा, चिताम्बा, मार्ग बढ़ोतरी भीम से रावली मार्ग वाया कला लिया, खरवान, बनजारी, बड़ाखेड़ा, पारड़ा, बगड़ नेगड़िया, बाराखाना मार्ग	1	25.1.1993 से
5.	गंगापुर से रानी वाया देवरिया, कोशीथल, मोखुन्दा	6	1996 से
6.	भीलवाड़ा से बोरांणा वाया पांसल, कोटड़ी, मालपुरा, माणक्यास, बागोर, खेड़ा, बादलियास, जोगरास, बारी, फतेहपुरा, मोखमपुरा, संगरेव, रायपुर मार्ग।	3	1996 से
7.	गंगापुर से आमेट वाया महुआ, जोरे, झडोल, सरदारगढ़	3	1992 से
8.	गंगापुर से करेड़ा एवं आसींद से करेड़ा मार्ग	9	1997 से
9.	बागोर से कपासन वाया टीका, दाढ़िया स्टेण्ड, सिसोली, महेन्द्रगढ़, गंगापुर, सहाड़ा, पोटला, सुरावास, गिलुण्ड, सुरजपुरा चौ. जाश्मा वर्तमान मार्ग।	3	1998 से
10.	भीलवाड़ा से खाखला (गंगापुर स्टेण्ड) से पुर वाया गाड़रमाला, छोटीकारोई, मोड़, छोटीकारोई, कारोईखेड़ा,	1	1997 से

1	2	3	4
	पहूंना मोड़, बस्सी, पहूंना स्टेण्ड, ऊंचा, गोकुलपुरा, मुराली, उपरेड़ा, राशमी, मात्रिकुण्डिया, आरनी, पहूंना, गोपालपुरा चौ., सरगांव, सुरावास, मागनवास मोड़, पोटला, सथलियास, मोड़, साथलियास, खाखला मार्ग		
11.	भीलवाड़ा से आमती वाया भीलवाड़ा न.पा. सीमा, मण्डपिया, गुवाड़ी मोड़, गुवाड़ी ग्राम, स्वरूपगंज, स्वरूपगंज चौ., बिलिया गांव, बिलियाखेड़ी, कान्याखेड़ी मोड़, हमीरगढ़, काबरा मोड़, आमली गांव मार्ग	35	1997 से
12.	आसीन्द से भीम देवगढ़ वाया किड़ीमाल, सुराज, चैनपुरा, समेड़िलया, कालादेह, समुलिया मार्ग	5	1996 से
13.	गंगापुर से करेड़ा वाया डेलाना स्कूल, भूतलागांव, बड़ाचावण्डिया, अरनिया, लिबास, मामाजी का बाड़िया खुटिया खेड़ा, नारमाज खेड़ा, नादरी चौ., नाहरीपुनः नाहरी चौ., आसपुरा, नाथडियास, ओजमपुरा, संगरेव, डेलास भैरूंजी, तिराहा, रामपुरिया, बालण्डिया, पुनः रेलका भैरूंजी तिराहा।	1	29.10.2001 से
14.	आसींद से आमेट वाया चेतपुरा, सुरज, रामपुरिया, रतनगढ़, ठीकरिया खेड़ा, गोरखिया, गुमानपुरा, सामन खेड़ा, राचेड़ी, खेड़ा, राचेड़ी, मुण्डकोलिया मार्ग	1	1997 से
15.	आसीन्द से रायपुर वाया साबदड़ा, नेगड़िया, मनास, रघुनाथपुरा, बन्दा खेड़ा, मेखड़ा, आमलदा, केमरी, बेमाली चौ., रेट, करेड़ा, देवगढ़ चौ., थाना बोराना मार्ग	2	1999 से
16.	गंगापुर से आमेट	1	8.2.2001 से
17.	गंगापुर से बाड़ियों की माता	1	23.3.2001 से

परिशिष्ट "क"

परिशिष्ट-22

(अतारांकित प्रश्न संख्या-720 का विवरण)

जिला धौलपुर में वर्ष 2001-2002 (फरवरी 2000 तक) विभिन्न उड़नदस्तों द्वारा वसूल की गई राशि का कारण सहित विवरण

उड़नदस्ता संख्या	बिना पंजीयन वाहनों की संख्या	प्रशमन राशि	बिना परमिट वाहनों की संख्या	प्रशमन राशि	परमिट शर्तों का उल्लंघन	प्रशमन राशि	बिना पी.यू.सी. वाहनों की संख्या	प्रशमन राशि	बिना बीमा वाहनों की संख्या	प्रशमन राशि	अन्य कारण	प्रशमन राशि	ओवर लोडेड वाहनों की संख्या	प्रशमन राशि	बिना कर चुकाये वाहनों की संख्या	वसूल की गई कर राशि	कुल चालानों की संख्या	राशि का कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
एस.एफ. एस.-5	127	0.15	168	3.08	815	8.97	496	3.38	138	0.61	108	0.99	996	21.87	268	18.04	3116	57.54
एस.एफ. एस.-10	22	0.04	177	2.59	940	9.08	396	3.16	91	0.39	309	2.49	965	20.39	238	17.77	3138	55.91
डी.एफ. एस.-19	2	0.01	262	4.21	533	5.09	320	2.26	103	0.46	438	3.36	839	17.99	381	24.06	2878	57.44
कुल योग	151	0.20	607	9.88	2288	23.14	1212	9.25	332	1.46	855	6.84	2800	60.25	887	59.87	9132	170.89

परिशिष्ट–23

परिशिष्ट "1"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–721 की सूची)

महावीरजी से विभिन्न स्थानों के लिये संचालित बस सेवाओं की समय सारिणी

क्र.सं.	महावीरजी से प्रस्थान समय	महावीरजी से कहां के लिये प्रस्थान करती है
1	2	3
1.	0530	शिकोहाबाद
2.	0600	नाकोडाजी
3.	0645	देहली
4.	0645	घाटगेट
5.	0630	अलवर
6.	0745	जयपुर
7.	0800	तिजारा
8.	0830	सोनागिरी
9.	0915	धौलपुर
10.	0830	हिण्डौन
11.	0900	हिण्डौन
12.	0915	गुढ़ाचन्द्रजी
13.	0930	हिण्डौन
14.	1030	चित्तौड़गढ़
15.	1015	हिण्डौन
16.	1100	भिवाड़ी
17.	1130	हिण्डौन
18.	1045	गुढ़ाचन्द्रजी
19.	1200	पदमपुरी

1	2	3
20.	1215	हिण्डौन
21.	1245	हिण्डौन
22.	1215	अलवर
23.	1315	अलवर
24.	1330	घाटगेट
25.	1400	नादोती
26.	1400	हिण्डौन
27.	1415	महवा
28.	1445	हिण्डौन
29.	1515	महवा
30.	1530	नादोती
31.	1600	हिण्डौन
32.	1615	जयपुर
33.	1645	हिण्डौन
34.	1645	बांदीकुई
35.	1745	हिण्डौन
36.	1745	गुढ़ाचन्द्रजी
37.	1800	हिण्डौन
38.	1815	हिण्डौन
39.	1845	हिण्डौन
40.	1915	हिण्डौन
41.	2000	हिण्डौन
42.	2045	हिण्डौन
43.	2130	हिण्डौन

परिशिष्ट-24

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-724 का विवरण)

कृषि उपज मण्डी समितियों में अनुज्ञापत्रधारियों से वांछित प्रपत्रों एवं उनके द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों का विवरण

क्र. सं.	प्रभावी प्रपत्र	मण्डी समितियां जिनमें सम्बन्धित प्रभावी प्रपत्र प्राप्त नहीं हो रहे हैं
1	2	3
1.	प्रपत्र 17(7)	जोधपुर अनाज
		अजमेर फल सब्जी
		जोधपुर फल सब्जी
		जयपुर फल सब्जी
		बीकानरे फल-सब्जी व ऊन हनुमानगढ़
2.	विक्रय पर्चा	जोधपुर अनाज
		गौण मण्डी-भगत की कोठी
		गौण मण्डी-चांदपोल
3.	अमानत पट्टी	उदयपुर
		जोधपुर अनाज
		गौण मण्डी-भगत की कोठी
		अलवर
		जयपुर फल सब्जी
		इकलेरा
		छबड़ा
		केशोरायपाटन
		अजमेर फल सब्जी
		उनियारा

1	2	3
4.	मासिक मण्डी शुल्क प्रतिवेदन	छबड़ा
5.	निर्यात प्रतिवेदन	चिड़ावा
		अजमेर अनाज
		जोधपुर अनाज
		गौ.मं. मथानिया
		गौ.मं. ओसिया
		गौ.मं. फलौदी
		खैरथल
		झुंझुनूं
		कुचामन सिटी
		जोधपुर फल सब्जी
		बाड़मेर
		रतनगढ़
		श्रीगंगानगर फल सब्जी
		जयपुर अनाज
		अजमेर फल सब्जी
		ब्यावर
		जयपुर फल सब्जी
		अलवर
6.	घोषणा पत्र 58(4)	नागौर
		जोधपुर फल सब्जी
		श्रीगंगानगर फल सब्जी
		जयपुर फल सब्जी

1	2	3
		लूणकरणसर
		इकलेरा
		अजमेर फल सब्जी
		बांसवाड़ा
7.	घोषणा पत्र 58(1)	पाली
		श्रीगंगानगर फल सब्जी
		जयपुर फल सब्जी
8.	मासिक स्टाक प्रतिवेदन	जोधपुर अनाज
		गौण मण्डी–भगत की कोठी
		जोधपुर फल सब्जी
		अलवर
		श्रीगंगानगर फल सब्जी
		जयपुर फल सब्जी
		बीकानेर फल सब्जी
		खैरथल
		अजमेर फल सब्जी
		ब्यावर

परिशिष्ट–25

परिशिष्ट "क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-725 की सूची)

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधीनस्थ खण्ड कार्यालयों में विभिन्न कृ.उ.म.स. के विरुद्ध गत तीन वर्षों (1998-99 से 2000-2001) ऋणात्मक शेष जिस-जिस मण्डी समिति में रहा है उनका नाम व उनसे वसूली गये ब्याज की सूची निम्नानुसार है

क्र. सं.	नाम खण्ड कार्यालय	नाम मण्डी समिति	ब्याज की वसूली		
			1998–9999	1999–2000	2001–2002
1	2	3	4	5	6
1.	अलवर	अलवर	469	1630	5677
		खैरथल	646306	236881	58448
		बांदीकुई	80505	86144	154324
		योग	**727280**	**324655**	**218449**
2.	जयपुर प्रथम	जयपुर अनाज	–	–	–
		कोटपूतली	–	–	–
		चौमूं	59000	274000	–
		किशनगढ़ रेनवाल	–	–	–
		योग	**59000**	**27400**	–
3.	जयपुर द्वितीय	किशनगढ़ रेनवाल	–	22262	108989
		कोटपूतली	–	149998	185795
		योग	–	**172260**	**294784**
4.	भरतपुर	भरतपुर	91909	222808	174330
		बांदीकुई	1355664	1681020	2084460
		बयाना	122332	56351	30532
		धौलपुर	641376	803071	10877724
		डीग	263268	341340	423364

1	2	3	4	5	6
		कामां	867828	1076100	1334364
		नगर	145414	198833	254534
		नदबई	38688	51592	149208
		योग	**3526479**	**4431115**	**15328516**
5.	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर (फ.स.)	750	–	–
		योग	**750**	**–**	**–**
6.	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	170030	78969	–
		नोहर	126662	12041	–
		भादरा	10271	96	–
		योग	**306963**	**91106**	**–**
7.	सूरतगढ़	पीलीबंगा	2788	2884	–
		रीडमलसर	7338	–	–
		जैतसर	28100	4716	–
		गोलूवाला	17368	14767	–
		पदमपुर	–	20634	–
		रायसिंहनगर	–	–	–
		सूरतगढ़	16228	14057	–
		गजसिंहपुर	15769	–	–
		श्रीविजयनगर	3900	793	–
		रावतसर	2076	–	–
		योग	**93567**	**57851**	**–**
8.	बीकानेर	बीकानेर (अनाज)	17477	43419	168696
		बीकानेर (फ.स.)	34692	11511	43247
		खाजूवाला	–	–	–

1	2	3	4	5	6
		नोखा	17906	–	135878
		लूणकरणसर	33174	–	–
		चूरू	276560	–	–
		रतनगढ़	1592	–	–
		डूंगरगढ़	54853	–	–
		सुजानगढ़	402156	–	–
		सादुलपुर	3897	–	–
		सरदारशहर	181936	–	–
		योग	**1024243**	**54930**	**347821**
9.	बारां	अन्ता	984	1032	1265
		अटरू	2543	988	–
		बारां	248335	5479	–
		भवानीमण्डी	7190	3709	44154
		छबड़ा	26871	–	–
		इकलेरा	1518	351	330
		झालरापाटन	21789	1369	6199
		खानपुर	2340	1046	646
		रामगंजमण्डी	37533	25995	52533
		योग	**349103**	**39969**	**105127**
10.	कोटा	कोटा	226206	–	–
		इटावा	–	40247	–
		बूंदी	225590	225198	37937
		केशवरायपाटन	1109	2291	–
		सुमेरगंजमण्डी	22753	35381	21250
		योग	**475658**	**303117**	**59187**

1	2	3	4	5	6
11.	अजमेर (फ.स.)	अजमेर	4056	4780	738
		किशनगढ़	268898	114238	196631
		योग	**272954**	**119018**	**197369**
12.	मेड़तासिटी	नागौर	55650	3774	29089
		मेड़तासिटी	61147	–	2548
		डीडवाना	146610	76772	364
		डेगांना	–	3060	5608
		योग	**263407**	**83606**	**37609**
13.	उदयपुर	उदयपुर	38511	49013	9244
		फतहनगर	–	–	–
		राजसमन्द	–	2741	–
		डूंगरपुर	21956	23928	28676
		निम्बाहेड़ा	5517	–	–
		प्रतापगढ़	–	–	–
		बड़ी सादड़ी	3021	–	–
		बेगूं	12297	–	–
		चित्तौडगढ़	357	–	–
		कपासन	4485	–	–
		भीलवाड़ा	–	–	–
		गंगापुर	63	–	–
		माडलगढ़	22368	–	–
		गुलाबपुरा	2316	178	–

1	2	3	4	5	6
		जहाजपुर	–	–	–
		बांसवाड़ा	1152	236	–
		भीण्डर	–	–	–
		योग	**112043**	**76096**	**37920**
14.	सीकर	सीकर	67920	78703	26627
		फतेहनगर	–	–	–
		श्रीमाधोपुर	502670	293001	–
		नीम का थाना	–	–	–
		झुंझुनूं	–	–	–
		नवलगढ़	47911	54826	–
		सूरजगढ़	–	–	–
		चिड़ावा	–	–	16524
		चूरू	–	–	–
		रतनगढ़	–	–	5607
		श्रीडूगरगढ़	–	–	–
		सुजानगढ़	–	–	–
		सादुलपुर	–	–	–
		सरदारशहर	–	–	–
		योग	**618501**	**426530**	**48758**
15.	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	396	334	6690
		बेगूं	51899	66278	90499
		कपासन	5629	75052	64156
		निम्बाहेड़ा	15771	2590	1268

1	2	3	4	5	6
		प्रतापगढ़	225	3474	102
		बड़ी सादड़ी	11562	4875	5651
		भीलवाड़ा	7570	2906	21134
		माण्डलगढ़	89460	111198	81960
		गंगापुर	375	69	–
		योग	**182869**	**266770**	**241460**
16.	जोधपुर (प्रथम)	पीपाड़सिटी	92487	–	–
		बाड़मेर	404	–	–
		जैसलमेर	4341	1460	–
		योग	**97232**	**1460**	–
17.	जोधपुर (द्वितीय)	बाड़मेर	5204	–	–
		पाली	11201	–	–
		सोजत रोड	–	3171	–
		योग	**16405**	**3171**	–
18.	सुमेरपुर	रानी	17000	–	12000
		पाली	13000	–	–
		सोजत रोड	12000	–	–
		जैतारण	11000	–	–
		जालौर	–	–	–
		सुमेरपुर	–	25000	–
		भीनमाल	–	–	–
		सांचौर	–	48000	–
		आबूरोड	–	–	–
		योग	**53000**	**73000**	**12000**

1	2	3	4	5	6
19.	टर्मिनल मार्केट चौमूं		398224	158092	–
	(लालकोठी)	किशनगढ़ रेनवाल	262584	116388	–
		निवाई	239995	218157	307281
		टोंक	246370	105936	–
		मालपुरा	221210	173807	–
		उनियारा	38088	4830	–
		चाकसू	319624	375366	–
		नरैना	164551	204043	–
		जयपुर (फ.स.)	–	68827	44507
		देवली	–	13662	–
		योग	**1890646**	**1439108**	**351788**
20.	गंगापुर सिटी	गंगापुर सिटी	836600	462490	573954
		हिण्डौन सिटी	414511	1889309	2989135
		सवाईमाधोपुर	317345	522083	722712
		लालसोट	297960	331000	278895
		महुआ मण्डावर	1123825	1369405	1831337
		दौसा	84363	207214	264343
		योग	**3074604**	**4781501**	**6660376**
21.	टोंक	टोंक	–	50022	–
		सवाईमाधोपुर	–	581562	87330
		योग	–	**631584**	**87330**
		महायोग (1 से 21 तक)	**13144704**	**13650847**	**24028494**

परिशिष्ट-26

(अतारांकित प्रश्न संख्या-727 का विवरण)

कूकरखेड़ा में निर्माणाधीन कार्यों की सूचना

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति (लाख रु.)	व्यय राशि फरवरी, 2002 तक (लाख रु.)	कार्य प्रगति
1	2	3	4	5
1.	विभिन्न भवनों का कार्य			
(अ)	रिमेनिंग कम्पाउण्ड वाल	43.65	3.60	माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण कार्य बन्द है।
(ब)	चैक पोस्ट 2 नं.	2.40	8.95	करौली स्टोन फ्रेसिंग एवं रंग रोगन का कार्य प्रगति पर है।
(स)	गेट 2 नं.	1.50	0.24	एक गेट पूर्ण है, दूसरे गेट हेतु पूर्ण चौड़ाई में रास्ता उपलब्ध नहीं है।
(द)	वाटर हट 4 नं.	2.88		तीन का कार्य प्रगति पर है। चौथी
(य)	कियोस्क 4 नं.	3.32	1.82	पर स्थगन आदेश है।
(र)	कार्यालय भवन	10.12	7.09	रंग रोगन, फिनिशिंग कार्य प्रगति पर है।
2.	आन्तरिक सड़क	250.00	112.71	डामरीकरण का कार्य मई, 2002 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।
3.	वाटर सप्लाई			
(अ)	टयूब वैल	4.00	2.92	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5
(ब)	आर.सी.सी.डब्ल्यू.आर. 5 लाख लीटर	10.00	5.30	कार्य पूर्ण
(स)	आर.सी.सी.ओ.एच.एस.आर. 3 लाख लीटर	10.50	10.50	कार्य पूर्ण
(द)	पाइप लाइन नेट कार्य	11.74	8.49	कार्य पूर्ण
(य)	पम्पिंग स्टेशन एण्ड पम्प सैंट	2.00	1.94	कार्य पूर्ण
4.	खुला नीलामी चबूतरा	36.00	–	उप शासन सचिव कृषि (ग्रुप-2) के पत्र दिनांक 23.2.2000 की अनुपालना में निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।
5.	सुलभ काम्पलेक्स	6.00	–	निर्माण कार्य सुलभ इंटरनेशनल फर्म द्वारा किया जाना है।
	योग	**426.11**	**173.78**	

परिशिष्ट "क"

परिशिष्ट–27

(अतारांकित प्रश्न संख्या 728 का विवरण)

बोर्ड द्वारा वर्ष 2001 से फरवरी 2002 तक हिण्डौली एवं छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत कार्यों का विवरण

विधान सभा क्षेत्र	क्र.सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	प्रशासनिक स्वीकृत (लाख रु. में)	व्यय फरवरी, 2002 तक (लाख रु. में)	कार्य पूर्ण होने की सम्भावित/प्रस्तावित तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
छबड़ा	1.	विशेष मरम्मत स.स. छबड़ा से छीपाबड़ौद	10.00	34.00	0.02	6 सितम्बर 2002	कार्यादेश जनवरी, 2002 में ही जारी किये गये हैं।
	2.	विशेष मरम्मत स.स. छीपाबड़ौद से हरनावदाशाहजी	5.00	17.00	0.01	6 सितम्बर 2002	कार्यादेश जनवरी, 2002 में ही जारी किये गये हैं।
	3.	विशेष मरम्मत स.स. हरनावदाशाहजी से कालमोडिया	7.00	23.80	0.01	6 सितम्बर 2002	कार्यादेश जनवरी 2002 में ही जारी किये गये हैं।
	4.	विशेष मरम्मत स.स. छबड़ा–कुम्भराज सड़क	11.00	43.75	0.02	12 जून 2002	कार्यादेश जनवरी 2002 में जारी किये गये हैं।
		योग	33.00	121.55	0.06		

1	2	3	4	5	6	7	8
हिण्डौली	1.	स.स. खेरूना	3.00	9.00	–	12.6.2002	कार्यादेश जनवरी 2002 में ही जारी किये गये हैं।
	2.	स.स. कंजर काली मेगाला	4.00	12.80	–	12.6.2002	कार्यादेश जनवरी 2002 में ही जारी किये गये हैं।
	3.	स.स. मेधरावत की झोंपड़िया	6.00	20.40	–	12.6.2002	कार्यादेश जनवरी 2002 में ही जारी किये गये हैं।
	4.	स.स. काछोला ओडण्डा	1.00	3.40	–	अक्टूबर, 2002	कार्यों की निविदा स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है।
	5.	स.स. धनावा से रामेश्वर महादेव	3.00	9.00	–	अक्टूबर, 2002	कार्यों की निविदा स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है।
	6.	स.स. बड़ा नया गांव	1.00	3.00	–	अक्टूबर, 2002	कार्यों की निविदा स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
	7.	स.स. बीचड़ी चेता	2.00	6.00	–	अक्टूबर, 2002	कार्यों की निविदा स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
	8.	स.स. आलोद	2.00	6.00	–	अक्टूबर, 2002	कार्यों की निविदा स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
	9.	स.स. धावेड़ा से मेण्डी	1.00	3.40	–	अक्टूबर, 2002	कार्यों की निविदा स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
		योग	23.00	73.00	–		